शुक्रवार, 30 जुलाई, 1982

8 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 15, शुक्रवार, 30 जुलाई, 1982/8 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या 306, 308, 309 और 311	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—185
तारांकित प्रश्न संख्या : 305, 307, 310 और 312 से 325	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3352 से 3401, 3403 से 3407, 3409 से 3412, 3414, 3415, 3417, 3418, 3420, 3423 से 3490, 3492 से 3543, 3545 से 3550 और 3552 से 3587	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 दिनांक 5-3-1982 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	185—192
सभा पटल पर रखे गये पत्र	193—198
राज्य सभा से संदेश	198
लोक लेखा समिति	198
94वां, 100वां और 106वां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य	199—206
चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	206—227
श्री एस० मुरुगेयन	207
श्री चन्द्रपाल शैलानी	209
श्री बापूसाहिब परुलेकर	212
श्री राजेश पाइलट	216
श्री भोगेन्द्र झा	221
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	223
श्री हरिकेश बहादुर	224
श्री डी० पी० यादव	227

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	227—228
46वां प्रतिवेदन	
देश में धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प	228—239
श्री कमला मिश्र मधुकर	228
श्री निहार रंजन लास्कर	231
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	236
पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प	239—264
श्री बाजूबन रियान	239
श्री चन्द्रपाल शैलानी	244
श्री बापूसाहिब परुलेकर	246
प्रो० एन० जी० रंगा	251
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा	255
श्री संतोष मोहन देव	260
श्री रामविलास पासवान	264
आधे घंटे की चर्चा	265—273
हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड में प्रोटोटाइप हेलीकाप्टर का डिजाइन तैयार करने और उसके निर्माण के लिए विदेशी फर्म के साथ समझौता	
श्री बी० वी० देसाई	265
श्री के० पी० सिंह देव	267
श्री कमला मिश्र मधुकर	271
श्री रामविलास पासवान	271

लोक-सभा

शुक्रवार, 30 जुलाई, 1982/8 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चाय उद्योग का वित्त पोषण

*306. श्री संतोष मोहन देव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वित्तीय संस्थाओं से वित्त न मिलने के कारण घोर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सरकार यह संकट दूर करने के लिए उद्योगों की प्राथमिकता सूची द्वारा चाय उद्योग का श्रेणीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है :

(क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हमारे देश में 13,299 चाय के बागान हैं। 3,73,740 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती होती है। कुल उत्पादन लगभग 5,75,120 लाख किलोग्राम है। इस उद्योग में लगे मजदूरों की संख्या करीब 8 लाख है जो कि अधिकांशत: अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि चाय उद्योग में लगे मजदूरों में से 50% स्त्रियां है, और यह उद्योग अधिकांशत: आसाम, उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग और केरल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हैं। चाय से देश की दो-तिहाई विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, और विदेशी बाजार में इसका 25% भाग है। मन्त्री जी

शायद मेरे शब्दों 'गम्भीर संकट' का बुरा मान गए हैं। वे कम से कम इस बात पर तो सहमत होंगे कि चाय उद्योग में कुछ संकट उत्पन्न हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : हो सकता है मेरा कथन गलत हो और उन्होंने उस पर आपत्ति की हो। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। परन्तु चाय उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया। बंगाल, आसाम तथा केरल के 150 चाय बागानों में उत्पादन बन्द हो गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन लागत बढ़ गई है, उर्वरकों खाद, सभी चीजों के मूल्य बढ़ गए हैं। इससे विश्व बाजार में चाय का इकाई मूल्य घट गया है। ऐसी स्थिति में वित्त मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ऋण न दिए जाने के अनुदेश जारी किए है जो कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से बिल्कुल उचित है। परन्तु चाय उद्योग विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से इसकी मांग कर रहा है तथा चाय बोर्ड ने चाय उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र स्वीकार करने के लिए भी प्रस्ताव किया है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मन्त्री से पूछता हूं कि क्या वे अब भी यही सोचते हैं कि इस उद्योग में कोई संकट, चाहे वह गम्भीर संकट न हो, नहीं हैं, और यदि ऐसा कोई संकट है तो यह उद्योग राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार बेहतर तथा आसान वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? इस सम्बन्ध में दिए गए ज्ञापनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या चाय बोर्ड ने चाय विकास निधि का स्थापना का कोई प्रस्ताव दिया है और यदि ऐसा है तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं चाय उद्योग से सम्बन्धित कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने पर माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में एक गंभीर संकट है। मन्त्रालय द्वारा इसका उत्तर दिया गया है : 'नहीं' 'वहां कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वहां कोई संकट है और वह भी गमीर संकट, वाणिज्य मन्त्रालय की यह धारणा है कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं पर वहां कोई गंभीर संकट नहीं है।

जहां तक धन देने का सम्बन्ध है इसके लिए एक समिति—चोरे समिति नियुक्त की गई—तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और चाय उद्योग को वित्त सम्बन्धी कुछ सुविधायें उपलब्ध करवाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों को जारी अनुदेशों के अनुसार घाटे का 75% बैंकों द्वारा प्रदान किया जाना है। बड़े-बड़े ऋण लेने वालों को ही 75% का घाटा पूरा किया जाता है। छोटे ऋण लेने वालों को यह राशि प्रदान की जाती है। बफ-लीफ कारखाने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अन्तगत हैं। कुछ परिस्थितियों में वित्तीय सुविधाओं को आवधिक ऋणों में परिवर्तित करने की सुविधायें प्रदान की गई हैं। यदि मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो, यदि प्राकृतिक विपदायें आ पड़ें, यदि अन्य कोई कठिनाइयां उत्पन्न हों जिससे चाय उद्योग को धन वापस करना संभव न हो तो इसे आवधिक ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है और आवधिक ऋण तीन वर्ष की अवधि में लौटाना पड़ता है।

कुछ अन्य सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। चाय की बागवानी के लिए वित्तीय सहायता योजना है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 20,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किये जाते हैं। यंत्रों की खरीद के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण तथा पैकेजिंग यंत्रों की खरीद के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण भी दिया जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति हैक्टेयर 10,000 रुपए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति हैक्टेयर 12,000 रुपए तथा दार्जिलिंग के बागानों के लिए प्रति हैक्टेयर 15,000 रुपए की राज सहायता दी जा सकती है। पौधों के कायाकल्प के लिए 3,000 रु० राज सहायता दी जाती है, बीच में पौधे न लगाने के लिए तथा बीच में पौधे लगाकर कायाकल्प करने के लिए 4,000 रुपए राज सहायता दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में विकास भत्ते के रूप में 30,000 रुपए प्रति हैक्टेयर दिया जाता है तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बागानों के लिए विकास भत्ते के रूप में 35,000 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा दार्जिलिंग में बागानों के लिए विकास भत्ते के रूप में 40,000 रु० प्रति हैक्टेयर दिए जाते हैं।

अत: यदि हम इन प्रावधानों पर नजर डालें तो माननीय सदस्य की इस बात से सहमत होना कठिन है कि वित्तीय कमी से चाय उद्योग में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं उनकी यह जानने की उत्सुकता को समझता हू कि चाय उद्योग मे लगे लोगों के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्हें ये सुविधाये प्रदान की जा रही है या नहीं। सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखती है कि कुछ चाय बागान कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सरकार का यह प्रयास है कि उन्हें मौजूदा नियमों के अन्तर्गत यथासंभव सहायता उपलब्ध की जाए। यदि नियमों में परिवर्तन किया जाता है और ऐसा करना संभव हो तो इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नही कि हम इसमें किसी गंभीर संकट को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़े सुस्पष्ट ढंग से विस्तृत उत्तर देने का कष्ट किया है। इसका अर्थ है कि वह चाय उद्योग पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रहे है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय के पास दार्जिलिंग चाय के उत्पादन को पुनः शुरू करने के लिए कोई विशेष पैकेज योजना विचारार्थ पड़ी है, यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे बताया गया है कि यह योजना मन्त्रालय को भेज दी गई है और इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड के पास भेजा जा रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय माननीय सदस्य के अन्तिम पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि अन्य सभी चायों में से दार्जिलिंग चाय का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है और जैसाकि सभी जानते हैं दार्जिलिंग में चाय के पौधों का प्रत्यारोपण नियमित रूप से नहीं किया गया है—इसलिए चाय उद्योग में संकट पैदा हो गया है, चाहे माननीय मन्त्री इसे स्वीकार करें या न करें। मैं यह नहीं जानता—क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मन्त्री दार्जिलिंग चाय उद्योग के विकास के लिए क्या कर रहे हैं ? माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। मैं नहीं जानती कि क्या किया जा रहा है। विकास निधि के सम्बन्ध में उन्होंने इस बात का कोई

उत्तर नहीं दिया कि चाय बोर्ड के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जा रही है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या चाय बोर्ड के प्रस्तावों पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि दार्जिलिंग चाए, बागान के बदनाम स्वामी, पुनः उगाये जाने के अलावा, इसका दुरुपयोग न करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें सूचित किया गया है कि चाय बोर्ड निधियों के बारे में विचार कर रहा है। लेकिन अब तक हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब एक बार हमें प्रस्ताव प्राप्त हो जाएगा हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। उस प्रस्ताव पर किस प्रकार की कार्रवाई करनी है यह उस समय निश्चित किया जाएगा।

श्री जेवियर अराकल : यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, दिया गया उत्तर बहुत ही खराब है।

इस सदन में मैंने इस उद्योग के समक्ष आई गम्भीर समस्याएं तथा संकट रखे हैं।

यद्यपि इस कृषि उद्योग में 8 लाख कर्मचारी अन्तर्निहित हैं, इसे प्राथमिकता क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। अतएव मेरे प्रश्न ये हैं :

(क) किसी उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

इसे प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और जब तक यह नहीं किया जाता है तब तक यह उद्योग गम्भीर संकट का सामना करता रहेगा और प्रतिदिन इसका स्तर गिर रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या मन्त्रालय को इस बात की जानकारी भी है या नहीं। मुझे यकीन नहीं है।

सरकार द्वारा जो रियायत दी गई है वह निर्यातकों के लिए है न कि उत्पादकों के लिए।

मैंने इस सदन में बार-बार यह कहा है कि वे लाभ निर्यातकों की बजाए उत्पादकों को दिए जाएं। मेरा अगला प्रश्न यह है :

(ख) क्या सरकार उन लाभों को, जो उसने अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्य में निर्यातकों को दिए हैं, उत्पादकों को नहीं दे सकती है ? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है और उद्योग को सहायता पहुंचा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उद्योग मन्त्री महोदय द्वारा प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री जेवियर अराकल : यही तो सारी समस्या है। ये मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है, यह किसी दूसरे विभाग के अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री महोदय जवाब देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : वे मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह उनके विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है, यह किसी दूसरे विभाग के अन्तर्गत आता है। हम मुसीबत में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री महोदय इसका जवाब देते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार एक है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सम्भवत: माननीय सदस्य ने खुद प्रश्न को नहीं पढ़ा है, और इसलिए वे ऐसा महसूस करते हैं कि जो जवाब दिया गया है वह बहुत ही खराब है।

प्रश्न यह है कि क्या निधियों की अनुपलब्धता के कारण इस उद्योग के सामने गम्भीर संकट है और मैंने इस माननीय सदन को उस तरीके के बारे में सूचित कर दिया है जिसके माध्यम से इस उद्योग को निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

मैंने कहा है कि इस उद्योग को प्रतिवर्ष फसल उगाने में अनुभवी हो रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए ऋण उपलब्ध है।

सावधिक ऋण भी दिया जाता है।

तत्पश्चात विकास ऋण भी दिया जाता है।

और अन्तिम उत्तर में मैंने कहा कि उन लोगों के लिए, जो इस उद्योग को चला रहे हैं, जो चाय का उत्पादन कर रहे हैं, कितनी धनराशि उपलब्ध है।

मैंने बागान निधियन योजना का भी जिक्र किया है। इस बागान निधियन योजना के अन्तर्गत मैदानों में स्थित चाय उद्योग के लिए प्रति हैक्टेयर 20,000 रुपए दिए जाते हैं और पहाड़ों पर स्थित बागानों के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं।

मैंने यह भी कहा है कि यदि कोई चाय उत्पादक जो चाय का परिष्करण करने अथवा चाय को पैकटों में भरने के लिए मशीन लेने का इच्छुक है तो उसके लिए चाय को पैकटों में भरने के लिए 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है तथा परिष्करण के लिए 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है।

तत्पश्चात पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर 12,000 रुपए की राजसहायता तथा बागान क्षेत्रों में प्रति एकड़ 15,000 रुपए की राजसहायता उपलब्ध है। मेरे मित्र श्री अरावल इसकी तारीफ करेंगे।

चाय उत्पादकों को 30,000 रुपए, 35,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की विकास निधि उपलब्ध कराई जाती है जो कि निर्यातकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

कृपया इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह निधि केवल चाय उत्पादकों को ही उपलब्ध है न कि निर्यातकों को।

यदि माननीय सदस्य सरकार से यह बात उगलवाना चाहते है कि उद्योग में गम्भीर संकट विद्यमान है और यह संकट निधियों के उपलब्ध न होने के कारण है, तो ठीक है मुझे खेद है, मैं उन्हें अनुगृहीत नहीं कर सकता।

मैंने कहा है कि उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। मैंने यह भी कहा है कि इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ किया जाना है किया जाएगा। मैंने यह नहीं कहा है कि उद्योग की कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं, कि जब आप यह कहते हैं कि उद्योग में गम्भीर संकट है और यह संकट निधियों के उपलब्ध न होने के कारण है।

आप इस बात का समर्थन करेंगे कि मेरा जवाब बहुत खराब नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका जवाब आकर्षक है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम आधे घण्टे की चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी सूचना दे सकते हैं। हम चर्चा करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि उद्योग की कतिपय कठिनाइयां हैं जिनका इस उद्योग को सामना करना पड़ता है, जो एक पुराना उद्योग है जिसमें विधियों तथा लाभ में वृद्धि नहीं हुई है और जिसमें नए तरीके नहीं अपनाए गए हैं और हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस उद्योग का किस प्रकार कायाकल्प किया जा सकता है। लेकिन मात्र भार को केवल वित्तीय संस्थानों पर डालकर और यह कहकर कि उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती है उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अन्य क्षेत्रों को उस धन से वंचित करना होगा। यह संभव नहीं है। प्राथमिकताएं निश्चित करना शायद मंत्री महोदय के लिए सम्भव नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत हो गए हैं कि चाय उद्योग में कोई संकट नहीं है। अब मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। जिन रियायतों का उन्होंने जिक्र किया है वे वहां पहले ही मौजूद थीं, बागान मालिक उन रियायतों का लाभ पहले ही उठा रहे थे। जिस समस्या अथवा संकट का उद्योग को अब सामना करना पड़ रहा है वह नई है, वह अभी हाल ही में उत्पन्न हुई है और केरल के चाय बागान मालिकों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कतिपय करों में राहत दिए जाने तथा अन्य वित्तीय रियायतें दिए जाने के लिए अनुरोध किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या पर काबू पाने के लिये हाल ही में दिये गये ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब तक मैं विशिष्ट रूप से नहीं जान जाऊं कि किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है, मेरे लिए यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। यदि ज्ञापन विशेष मुझे उपलब्ध कराया जाता है अथवा वे बता देते हैं कि वह ज्ञापन किस तारीख को दिया गया था और यह किस व्यक्ति को दिया गया था तभी मैं इसका पता लगाऊंगा और प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से यह कहा है यह देखने के लिए कि इस उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कुछ वित्तीय कठिनाइयों को भी कर दिया जाता है, सरकार द्वारा कतिपय कदम उठाए गये हैं।

प्रमुख आयात वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाना

*308. †श्री बी० बी० देसाई :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापारान्तर कम करने के लिये प्रमुख आयात वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वे वस्तु क्या हैं जिनका उत्पादन बढ़ाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, अलौह धातुएं, खाद्य तेल, अखबारी कागज तथा सीमेंट जैसी प्रमुख आयात वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में निर्धारित उत्पादन के अनुमानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

मद	इकाई	1979-80	1984-85 परियोजना
1. कच्चा तेल	मि० टन	11.70	21.60
2. पेट्रोलियम उत्पाद	मि० टन	25 8	35.3
3. उर्वरक			
(क) नाइट्रोजन युक्त (एन)	हजार टन	2226	4200
(ख) फास्फेट युक्त ($पी_2 ओ_5$)	हजार टन	757	1400
4. बिक्री योग्य इस्पात	मि० टन	7.38	11.51
5 अलौह धातुएं			
(क) एल्यूमीनियम	हजार टन	192	300
(ख) तांबा परिष्कृत	हजार टन	18.8	45.0
(ग) जस्ता	हजार टन	52.65	85.00
(घ) सीसा	हजार टन	11.4	25.0
6. तिलहन (प्रमुख पांच)	लाख टन	81	110
7. अखबारी कागज	हजार टन	47 45	180.00
8. सीमेंट	मि० टन	17.68	34-34.5

श्री बी० वी० देसाई : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में आयात-प्रतिस्थापन मदों के बारे में वास्तविक मदों और प्रत्याशित मदों का ब्योरा दिया गया है। लेकिन जब मैं प्रश्न को देखता हूं और फिर उसके उत्तर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह नहीं दिया गया है; इसका केवल आंशिक उत्तर ही दिया गया है, क्योंकि मेरा प्रश्न था :

"क्या सरकार व्यापार के अन्तर को कम करने के लिये प्रमुख आयात वस्तुओं का देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है।"

प्रश्न के क्रियात्मक भाग का उत्तर बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। यदि मैं दिये गये उत्तर की व्याख्या करूं, तो मैं यह कहूंगा कि 1984-85 में किये जाने वाले प्रत्याशित उत्पादन से हमारे प्रतिकूल, व्यापार की खाई और चौड़ी ही जायेगी। क्या यह केवल इसी आशय से किया गया है कि उत्तर दे दिया गया है ? जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, वे बहुत आकर्षक हैं—1979-80 के वास्तविक आंकड़े और 1984-85 के प्रत्याशित आंकड़े दोनों ही बहुत उत्तम हैं। 1971-72 में हमारा व्यापार का अन्तर 215.72 करोड़ रुपये का था जो 1979-80 में बढ़कर 2562.99 करोड़ रुपये हो गया और 1981-82 में यह और बढ़कर 5752.01 करोड़ रुपये हो गया। मैं नहीं कह सकता कि यदि व्यापार का अन्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो 1984-85 में इसकी क्या स्थिति होगी। मैं तो यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि उत्पादन और व्यापारान्तर इन दोनों में क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है तथा मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानकारी चाहता हूं कि यह व्यापारान्तर क्यों बढ़ता जा रहा है। यदि हमारी आकांक्षायें बहुत ऊंची हैं तो हमारी वास्तविक उपलब्धि भी सराहनीय होनी चाहिये।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सच है कि व्यापार में अन्तर है और भारी अन्तर है। यह प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि इतना व्यापारान्तर क्यों हो गया। इस सदन में और इस सदन के बाहर भी यह बार-बार बताया जा चुका है यह व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ उर्वरक, इस्पात, अति आधुनिक मशीनें आयात करने की सर्वोच्च आवश्यकता के कारण हुआ है न कि उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के कारण।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रौद्योगिकी का भी आयात किया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जी हां, प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक मशीनों का भी आयात किया गया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार की खाई को कम किया जाये और यह पता लगा रहे हैं कि यह व्यापार की खाई किस प्रकार कम की जा सकती है ? व्यापार के अन्तर को कम करने के लिये भारत सरकार की नीति यह है कि उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाये जिन्हें बाहर से आयात करना पड़ता है और जो हमारे उद्योगों के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं।

अब पेट्रोलियम पदार्थों अर्थात् पेट्रोलियम, तेल, और स्नेहक पदार्थों (ल्युब्रीकेंट) को ही लें, ये ऐसी चीजें हैं जिनका आयात हमें करना ही पड़ता है। इसलिए हम पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उर्वरकों का, इस्पात का और अलौह धातुओं

भी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अखबारी कागज और सीमेंट के उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सदन मेरी बात सुनने के लिए तैयार होगा। पिछले वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि 54.2 प्रतिशत थी···

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सुना था कि तेल सम्बन्धी अध्याय समाप्त हो चुका है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपको केवल बुराई ही नजर आती है, अच्छाई नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : तेल तो अच्छा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, उर्वरकों और नाइट्रोजन के उत्पादन में 45.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन 12.7% बढ़ा है। बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अलोह धातुओं में—अल्युमीनियम में 3.9% ई० सी० ग्रेड अल्युमीनियम में 7.3% सी० सी० ग्रेड अल्युमीनियम में 16.3% कापर कैथोड में 13.3% की वृद्धि हुई है, परन्तु सीसे के उत्पादन में 2.7% की कमी हुई है। जस्ते का उत्पादन 26.8% बढ़ा है, अखबारी कागज का 7.5% और सीमेंट का 12.8% उत्पादन बढ़ा है।

अत: माननीय सदस्य यह देखेंगे कि पिछले वर्ष उत्पादन बढ़ा है और यह निरन्तर बढ़ता ही रहेगा। यह आंकड़े छठी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन से सम्बन्धित हैं। अब यह खाई और चौड़ी क्यों हो रही है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में हमारा निर्यात 13.9 प्रतिशत तक बढ़ा है और आयात में 9.3% की कमी आई है। मेरा ख्याल है कि यह 39% से घटकर 9% रह गया है। इस प्रकार से आयात में यह गिरावट है और निर्यात में वृद्धि हुई है। यदि आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि सरकार द्वारा आयात कम करने और उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है जो उन आयातित वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिये आवश्यक समझी गई हैं···

श्री नीरेन घोष : तो फिर व्यापार की खाई चौड़ी क्यों होती जा रही है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं यह भी बात स्पष्ट करूंगा। हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं और जब औद्योगिक गतिविधियां तथा अन्य प्रकार की गतिविधियां बढ़ती हैं तो अनेक प्रकार के उपकरणों/आदानों आदि की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और यह देखना पड़ता है कि ये आदान उपलब्ध हों, हालांकि इसके साथ ही साथ मांग भी बढ़ेगी, एक बार हमें कच्चा माल मिल जाये तो हम इसका उपयोग अपने उद्योगों में करेंगे और अपने लोगों के लिये तथा निर्यात के लिये भी अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे···

श्री नीरेन घोष : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप मि० देसाई के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं न कि मि० घोष के।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि हम वह सभी कुछ कर रहे हैं जो आयात कम करने, निर्यात बढ़ाने और प्रतिकूल व्यापारान्तर को कम करने के लिए जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये। यह छोटा होना चाहिये क्योंकि उनका उत्तर बहुत लम्बा होता है। आप छोटा सा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, मैं उस सीमा तक मंत्री महोदय के उत्तर से पूरी तरह प्रभावित हूं जिस सीमा तक उत्पादन में वृद्धि के आंकड़ों का सम्बन्ध है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमारे आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का लगभग 50 प्रतिशत अंश है। मैं उनकी इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक हम नये स्रोत नहीं ढूंढ लेते तब तक इस व्यापारान्तर को कम करना बहुत कठिन है। इसके बावजूद जो कुछ मैं अब कह रहा हूं वह यह है कि व्यापार की खाई और चौड़ी होती जा रही है। उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। मैं उनकी बातों का खंडन भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि कम से कम मंत्रालय को इस बात पर गम्भीरता से विचार अवश्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो कुछ हमने आशा लगाई है वह पूरी हो जाए और उसके पूरे होने के बाद, व्यापार में अन्तर पर भी इसका और अनुकूल प्रभाव पड़े। अन्यथा आयका उत्पादन बढ़ता रहेगा, आशायें बढ़ती रहेंगी और व्यापार की खाई भी चौड़ी होती रहेगी और इस दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ पायेगा। आपको इसमें कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या प्रति दिन बढ़ते हुये इस व्यापारान्तर के विषय में गम्भीरता से ध्यान दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने सारा ब्यौरा दे दिया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए मैं इसका उत्तर कुछ थोड़ा विस्तार से देना चाहूँगा। व्यापारान्तर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि यह कम हुआ है। आयात आवश्य बढ़ा है लेकिन व्यापारान्तर कम हुआ है। इसलिए इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।। इस सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये हैं कि आयात कम हो और निर्यात में वृद्धि हो।

मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि मैं उन उपायों को गिनवाऊं जो हमने किये है क्योंकि जब इस सदन में मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श चल रहा था तो उन्हें एक-एक करके उनका ब्यौरा किया गया था, इसके बाद भी यदि कोई उन उपायों के बारे में जानना चाहता है जो सरकार ने किये हैं उसे उस दिन हुये विचार-विमर्श को पढ़ लेना चाहिए। अतः इस प्रश्न को यहां उठाना ठीक नहीं है। हम सभी इस विषय में गंभीर हैं। इसलिए उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि हम इस विषय में गंभीर न होते तो उत्पादन में वृद्धि न हुई होती। सिर्फ यह कह देने भर से कि हम इस विषय में गंभीर हैं समस्या का हल न ही हुआ करता। न ही मुझे गंभीर बनने के लिए कहने मात्र से समस्या सुलझाई जा सकती है। हमने समस्या की जड़ को पकड़ लिया है और अब हम उसका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जो कुछ भी जरूरी हो सकता है किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

(इति)

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री बापूसाहिब परुलेकर ।

श्री ए० वे० राय : खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं श्रीमन, इस दोनों प्रश्नों में 34 मिनट लग गये हैं । अगला प्रश्न श्री परुलेकर साहिब पूछेंगे ।

विकासशील देशों के लिए विश्व बैंक की उधार लेने और उधार देने की नीति

*309. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

प्रो० मधु दंडवते :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में उधार लेने और विकासशील देशों को ऋण देने में भारी परिवर्तन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक से भारत द्वारा लिए गए ऋणों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) ब्याज का बोझ कितना बढ़ जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रबन्धक निदेशकों ने जुलाई, 1982 से एक नीति को अनुमोदित किया है जिसके अन्तर्गत उसे अल्पावधि के लिए ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से धन राशियां उधार लेने की अनुमति मिल गई है । यह पता चला है कि उसके परम्परागत मध्यम और दीर्घावधिक ऋण लेने की प्रथाओं को प्राथमिकता दी जाती रहेगी ।

ऋण देने की दर सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का भी अनुमोदन किया गया है । जिसके द्वारा ऋण देने की दर जुलाई, 1982 से मंजूर किए गए सभी ऋणों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1982 से लिए गए ऋणों की राशि की कुल भारित लागत पर लागू होगी । इस दर में प्रत्येक छः मास के बाद समायोजन किया जाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय कोष की विभिन्न सुविधाओं से उधार लेने की शर्तें विश्व बैंक की शर्तों से किसी भी प्रकार संबद्ध नहीं हैं । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किए गए विस्तारित प्रबंध पर उपर्युक्त परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक विश्व बैंक से ऋण लेने का संबंध

है, हमारी ऋण शोधन सम्बन्धी देनदारियों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव कितना पड़ेगा इस समय यह बताना संभव नहीं है और ऋण की सारी अवधि के दौरान प्रत्येक छः माप के बाद ब्याज की दर भिन्न होगी।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, माननीय मन्त्री इस सम्मान्य सभा को यह बतायें कि यदि पूंजी बाजार में ब्याज-दरें ऊंची रहती हैं जैसी कि आज हैं तो विश्व बैंक के परिवर्तनशील ब्याज-दर लागू करने के निर्णय से भारत पर अधिक भार पड़ सकता है क्योंकि आई० डी० ए० से उधार लेने की इसकी वर्तमान स्थिति से इसे धीरे-धीरे राहत मिल रही है और यदि ऐसा है तो इससे हमारा ऋण-कार्यक्रम और बजट बनाने का कार्य पूर्णतः अस्तव्यस्त हो जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें अनावश्यक रूप से अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आई० जी० ए० जैसे रियायती स्रोत से आने वाली पूंजी कम हो जाती है और, यदि आपको आई० डी० आर० डी० पर निर्भर रहना पड़े, तो यह स्वाभाविक है कि ब्याज-दर के अन्तर से इस पर प्रभाव पड़ेगा। 1981 में आई० डी० ए० से मिलने वाला हमारा हिस्सा 1300 मिलियन था और आई० बी० आर० डी० से मिलने वाला हिस्सा 430 मिलियन था। इसलिए 1300 मिलियन 0.7 प्रतिशत के मामूली सेवा प्रभार पर और 430 मिलियन 11.6 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिल सका था लेकिन एक ही वर्ष में स्थिति बदल गई।

वर्ष 1982 में आई० डी० ए० से मिलने वाली राशि 1300 मिलियन से घटकर 900 मिलियन हो गई थी। दूसरी ओर, आई० बी० आर० डी० से मिलने वाली राशि 430 मिलियन से बढ़कर 1200 मिलियन हो गई। यह 1.2 बिलियन डालर होती है। इसलिए, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन, जैसा कि मैंने विवरण में बताया है, जैसी अब स्थिति है, वर्ष 1981 तक··· मेरा मतलब कैलेंडर वर्ष से न होकर बैंक के वित्त-वर्ष से है,—'रियायती स्रोत' से हमारा हिस्सा 80 प्रतिशत था और आई० बी० आर० डी० से 20 प्रतिशत था।

इसलिए, इस प्रश्न पर मेरी प्रतिक्रिया यह होगी कि : हमें ऐसी परियोजनाओं का चयन करने में तथा उनके कार्यान्वयन में अत्यन्त सावधान रहना चाहिए जिन्हें हम बैंक के सामने रख सकते हों, ताकि हम इस राशि को लौटाने की तथा ऋण बाध्यताओं को पूरा करने की स्थिति में हों और हम ऋण के बोझ से दब न जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर कृपया अपना दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है :

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह नई नीति विश्व बैंक की कार्यकारिणी, जिनमें ऋण लेने वाले तथा देने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक होते हैं, द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। क्या इस नीति को बदलते हुए बोर्ड के किसी सदस्य ने कोई आशंका प्रकट की थी ? यदि हां तो वे आशंकाएं कौन सी थीं ?

दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि उधार लिए जा रहे ऋणों की संवितरण पश्चात् अवधि के लिए पुरानी नियत दरें लागू रहेंगी या नहीं दरें लागू होंगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक बोर्ड की वचनबद्धताओं का प्रश्न है, यह विदित है कि यह ऋण के लिए जाने के समय नियत किए गए थे। इसलिए हम इनकी अदायगी उसी दर पर कर रहे हैं। और पहली सितम्बर से दर 11.6 प्रतिशत है—दिनांक 1 सितम्बर, 1981 है। अब, बोर्ड की बैठकों में मतभेद के बारे में, संभवत: मेरे लिए, कुछ कहना उचित नहीं होगा—जबकि निश्चित रूप से उसमें हमारा प्रतिनिधित्व है—चाहे कोई आशंका हो या ऐसी कोई और बात हो; लेकिन सभा को मैं भी एक बात बता दूं कि हमने न केवल आई० बी० आर० डी० को सहमत करने का प्रयत्न किया है बल्कि उनकी सभी बहुपक्षीय एजेंसियों को, वाणिज्यिक अर्थ-क्षमता के अलावा, प्रभावित करने के प्रयत्न किए हैं तथा उनकी उन्नति तथा विकास सम्बन्धी भूमिका का भी ध्यान रखा है। आज बैंकों के सामने कठिनाइयां हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप आई० बी० आर० डी० की ऋण-रूपरेखा (बौरोइंग प्रोफाइल) देखेंगे कि 1978 में यह राशि 3.63 बिलियन डालर थी। 1982 में यह 8.2 बिलियन डालर हो जाएगी। इसलिए उनकी वचन-बद्धता भी बढ़ रही है। यदि उन्हें अपनी वचबद्धता का विस्तार करना है तो यह स्वाभाविक है कि उन्हें पूंजी बाजार पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा। और आज पूंजी बाजार की स्थिति ऐसी है कि हम केवल एक पूंजी बाजार तक सीमित नहीं रह सकते बल्कि हमें अलग-अलग बाजार तलाशने होंगे क्योंकि विभिन्न वचनबद्धताओं की पूर्ती के लिए धन की आवश्यकता होती है। और यदि वे ऊंची ब्याज दर पर धन लेते हैं तो आप उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे काफी कम दर पर धन दे देंगे। संतुलन होना चाहिए। लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि आई० बी० आर० डी० केवल वाणिज्यिक बैंक बन कर रह जाए। इसे उन्नति और विकास संबंधी भूमिका अदा करनी है। और बैंक की इस भूमिका को नजरंदाज नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, पहले में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर में कुछ दिलासा दिलाई गई है क्योंकि विश्व मुद्रा कोष के बारे में हमारी जितनी भी शंकाएं थी वे मेरे विचार में, पूर्णत: दूर कर दी गई हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि विश्व मुद्राकोष की विभिन्न एजेंसियों से ऋण लेने की शर्तें विश्व बैंक की शर्तों से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ी हुई हैं और इसलिए, विश्व मुद्राकोष के साथ इस विस्तारित व्यवस्था पर उपर्युक्त परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सुनकर कुछ राहत मिलती है कि यह भार नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेरे माननीय साथी श्री परुलेकर के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। वह प्रश्न आई० बी० आर० डी० द्वारा एक नई नीति की घोषणा करने के निर्णय से सम्बन्धित है। क्या इससे ऋण-कार्यक्रम तथा बजट बनाने का काम पूर्णत: अस्तव्यस्त नहीं हो जाएगा ? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। उदाहरणत:, यदि हमने किसी विशेष परियोजना के लिए 20 वर्ष के लिए ऋण लिया हो और हम देखते हैं कि ऋण की 5 वर्ष में खर्च हो जाए तथा परियोजना भी पांच वर्ष में पूरी हो जाती है तो शेष 15 वर्ष हमें अदायगी पहले सहमत दर पर अर्थात नियत दर पर न करके नई दर पर करनी होगी जो हर छठे महीने बदल जाएगी और इसके परिणामस्वरूप क्या इन परियोजनाओं पर पहले वास्तव में प्रत्याशित खर्च से अलग खर्च

नहीं होगा ? अब आपके लिए बैंक से और बात करना तथा यह देखना कि ये कठिनाइयां पूर्णत: समाप्त हो जाए कसे संभव होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है, पहले आपको बैंक के वित्त वर्ष को देखना होगा जो 1981 है। इस वर्ष तक, मैंने कहा था कि आई० बी० आर० डी० से प्राप्त हिस्सा बहुत अधिक नहीं है। मैंने आंकड़े भी दिये थे। यह आई० डी० से प्राप्त राशि 1300 मिलियन है तथा आई० बी० आर० डी० से प्राप्त 430 मिलियन— आई० डी० ए० से रयायती दर पर 80 प्रतिशत और आई० बी० आर० डी० से 20 प्रतिशत। अब इस समय वास्तविक प्रभाव क्या होगा ? मैंने माननीय सदस्य के पहले के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक सितम्बर से यह 11.6 प्रतिशत है। जहां तक पुरानी वचनबद्धताओं का सम्बन्ध है, शर्तों का निर्धारण उसी समत अर्थात ऋण देते समय किया जाता है। लेकिन हम आई० बी० आर० डी० के सामने नई परियोजनाएं ले जाएंगे तो हमें परिवर्तनशील ब्याज दर को ध्यान में रखना होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छः महीने बाद ही यह बदल जाएगी. इसलिए परियोजनाओं को बनाकर उनके सामने ल जाने से पूर्व हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि हमारी परियोजनाएं पूर्णत. अर्थक्षम हों और ठोस आर्थिक आधार पर हों जिससे इस अपनी दिन प्रतिदिन की बाध्यताओं को पूरा कर सकें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्रीमान्, 1977 से 1980 तक बहुत विदेशी मुद्रा बरबाद की गई थी। बेशक, अन्य देशों स ऋण लेने की आवश्यकता थी। अब मैं माननीय मन्त्री से जानता चाहता हूं कि वे इस देश को कब तक आत्मनिर्भर बना देंगे जिससे हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें बहुत अच्छा ज्योतिषी होना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : नहीं श्रीमान्, माननीय मन्त्री, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लि: तैयार हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : अभी-अभी मेरे साथी वाणिज्य मन्त्री महोदय ने व्यापार-अन्तर (ट्रेड गैप) की बात की है जो 5700 तथा कुछ करोड़ रुपये का है और यह ज्ञात है कि यह अन्तर मुख्यत: इसलिए है कि निर्यात से प्राप्त आय का 65 प्रतिशत पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, अलौह धातु आदि के आयात पर खर्च किया जा रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा पेट्रोलियम आयात बहुत अधिक नहीं है। यह 14 से 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है। कमोवेश हम इसे इतना ही बनाये हुए हैं। हम अपने बाजार की मांग की पूर्ति अपने देश में उत्पादन बढ़ाकर कर रहे हैं। अर्थ व्यवस्था की मांग को देखते हुए हम आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास करेंगे और आयात-निर्यात के बी। विद्यमान अन्तर को कम करने का प्रयास करेंगे, मेरे विशिष्ट साथी ने जो सारी बात कहीं वह इस अस्थायी संकट का सामना करने के लिए है जो इस समय हमारे सामने है। जहां तक बाकी बचे वायदों का सम्बन्ध है आई० एम० एफ० की सारी क्रिया इसलिए की गई थी कि अन्यथा हमारे पास विदेशी मुद्रा में से कुछ नहीं बचता इतना भी नहीं बचता कि हम अत्यन्त आवश्यक वस्तु का आयात कर सकें। अतः हम यह प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन मेरे लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि हम कब तक विदेशी मुद्रा पर अपनी निर्भरता समाप्त कर सकेंगे।

श्री नीरेन घोष : जब से विश्व बैंक के नए अध्यक्ष श्री क्लोसन ने कार्यभार संभाला है, वह तृतीय विश्व के विकासशील देशों के प्रति कठोर रवैया अपना रहे हैं, उन्हें भाषण पिला रहे हैं और झिड़कियां दे रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे धमकियां दे रहे हैं, लालच नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सी० पी० एम० धमकियों से डरता है।

श्री नीरेन घोष : केवल यही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने धन का आवंटन भी कम कर दिया है। यह केवल इस कारण से है कि वे ऊंची दरों पर बाजार ऋणों का सहारा ले रहे हैं। क्या उनका यह उद्देश्य नहीं है कि समस्त तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को ऊंचे प्रकार पर अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले कर दिया जाए ? क्या मंत्री जी नहीं जानते कि अरबों डालरों के रूप में जो धनराशि तृतीय विश्व में भेजी जाती है, उससे कहीं अधिक अरब डालर असमान व्यापार, विदेशी मुद्रा की कमी आदि के कारण वहां से बाहर चले जाते हैं ? इसलिए, उत्तर-दक्षिण वार्ता असफल रही है। क्या भारत सरकार और समस्त तृतीय विश्व को विश्व बैंक द्वारा कठोर रवैया अपनाए जाने का मामला न उठाना नहीं चाहिए ? यदि तृतीय विश्व के देशों को ऊंची-दरों पर ब्याज अदा करना पड़ेगा तो उन्हें ब्याज अदा करने के लिए अधिक ऋण लेना होगा। यह स्थिति होगी। इस दृष्टिकोण से, क्या तृतीय विश्व और भारत सरकार एकजुट होकर विश्व बैंक के समक्ष यह मामला उठाने का प्रयास करेंगे ? क्या प्रधान मन्त्री जी, जो कि संयुक्त राज्य के दौरे पर जा रही हैं, यह मामला उठायेंगी ? उनका इस पर प्रमुख है और वे तृतीय विश्व के देशों के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य की टिप्पणियों में केवल एक बात जो मैं मालूम कर सका हूं वह यह है कि क्या भारत रियायती दरों पर धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई प्रयास कर रहा है। वास्तव मे, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं—उन्हें भी यह मालूम है—यह केवल भारत के प्रयासों से सम्भव हुआ है कि नई दिल्ली में सलाह मशविरा हुआ। प्रधान मन्त्री जी ने इसे ब्रिटिश प्रधान मन्त्री और फ्रांसिसी तथा जापानी प्रधान मन्त्री जैसे कई अन्य राजनयिकों के साथ उठाया कि यदि कुछ कारणों से जो कि उन्हें ही ज्ञात हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को अपना योगदान कम कर दिया हो, तब भी इसका कोई औचित्य नहीं कि दान देने वाले अन्य देश भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी को दिए जाने वाले दान मे समानुपातिक कटौती करें। और इसके जवाब में—प्रधान मन्त्री द्वारा की गई पहले के परिणाम-स्वरूप, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री कटौती न करने तथा अपने मूल वायदे पर कायम रहने को सहमत हो गईं, और उन्होंने उसे कायम रखा और अन्य कई देशों का व्यवहार भी इसके पक्ष में रहा। अतः, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी का सम्बन्ध है कुछ और धन उपलब्ध होगा।

एक विकासशील देश के रूप में, हम केवल अपने हितों का ही ख्याल नहीं रखते वरन् हम अन्य देशों के हितों का भी ध्यान रखते हैं और हम सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी बात पर जोर

दे रहे हैं कि बहु-पक्षीय एजेंसियों की भूमिका—पठलेकर के अनुपूरक के उत्तर में मैंने कहा था कि—केवल व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, वरन उनके प्रोत्साहन और विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसी बात को हम दूसरों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामगोपाल रेड्डी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि जब अंग्रेज इस देश से जा रहे थे तो उस समय आपके यहां सिर्फ 300 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था जो अब बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गांव में सड़कें बन रही हैं।

श्री रामविलास पासवान : सड़कें विदेशों में भी बन रही हैं और दूसरी जगहों पर भी बन ही हैं। अंग्रेज इस देश से जा रहे थे तो आपके इकानामिक सर्वे के अनुसार 312 करोड़ रुपए का कर्जा था। और आज विदेशी कर्जा बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गया है। 5,000 करोड़ रुपए का इन्टरनेशनल मानिटरी फंड का कर्जा अलग है। देश में विभिन्न बैंकों का 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। देश आर्थिक दृष्टि से खोखला होता जा रहा है। क्या सरकार बतायेगी कि आज तक विदेशी कर्ज के ब्याज के रूप में उसने कितनी रकम चुकाई है ? क्या वह आश्वासन देगी कि यह कर्जा घटेगा और भविष्य में इसी रफ्तार में बढ़ता नहीं जाएगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जब अंग्रेजों ने देश छोड़ा उस समय क्या हुआ उसका आज की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि, आखिरकार, हमने इन वर्षों के दौरान इस देश में एक बहुत बड़ा औद्योगिक आधार स्थापित किया है। वह भी हमारा योगदान रहा है। इन सच्चाइयों से आप मुकर नहीं सकते।

जैसाकि मैंने पहले कहा था—न केवल इस प्रश्नकाल के दौरान—कि आज हमारे ऋण की स्थिति इतनी खतरनाक समस्या नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय अवश्य आ गया है जब हमें बाहरी सूत्रों से ऋण लेते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें परियोजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अत्यधिक सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न न हो।

महोदय, समस्त राशि के लिए हमें प्राप्त ऋण सेवा के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक आइ० बी० आर० डी०' का सम्बन्ध है—मेरा पूर्वानुमान था कि अनुपूरकों कोई प्रश्न उठाया जाएगा, इसलिए मैंने यह आंकड़े इकट्ठे किए थे। 'आइ० बी० आर० डी०' को 1981-82 में अदा किए गए मूलधन की कुल राशि 23.38 करोड़ रुपये थी और 1982-83 में यह 30.50 करोड़ रुपए है। जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है, 1981-82 में यह 36.19 करोड़ रुपये था और 1982-83 मे 55.61 करोड़ रुपए है।

केरल में चाय-बागान की आतंक में बिक्री

*311. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बहुराष्ट्रीय स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा अनेक चाय-बागान को आतंक में बेचने के क्या कारण हैं; और

(ख) चाय-बागान की आतंक में बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) केरल में चाय बागानों की आतंक बिक्री के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गंभीरता से अब यह आतंक हो गई है।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैंने कभी यह आशा नहीं की थी कि माननीय मन्त्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसी अनुदार नीति अपनाएंगे।

पहले प्रश्न में मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण चाय उद्योग संकटावस्था में है। अब शोरी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने सिफारिश की है कि दलाली करने वाली फर्मों द्वारा वित्त प्रदान किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। परन्तु उन्होंने इसके साथ-साथ चाय उद्योग को अन्य कोई वैकल्पिक वित्तीय सहायता नहीं सुझाई है। बैंक भी ऋण पर रोक लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चाय उद्योग के समक्ष प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी तक हम संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास परिषद की जेनेवा में हुई बैठकों में, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई थी और जिसमें हमारे देश, केन्या तथा श्रीलंका ने भी भाग लिया था अपना निर्यात कोटा प्राप्त नहीं कर सके हैं। न केवल यही, वरन् हम चाय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित मूल्य निर्धारण भी नहीं करवा सके है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं कि चाय उद्योग में से कुछ, विशेषकर दक्षिण में मन्दी का सामना कर रहे हैं ? माननीय मन्त्री जी मेरे प्रश्न पर यह टिप्पणी कर सकते हैं कि यह आतंक बिक्री नहीं है, लेकिन यह सच है कि वे इसी के अनुसार बेच रहे हैं। इस दृष्टि से, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछता हूं कि क्या वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ही तरह कोई चाय निगम बनाएंगे और दक्षिण में रुग्ण चाय उद्योग को अपने हाथ में लेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने चाय उद्योग को दी जा रही वित्तीय सहायता के विषय में काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं नहीं जानता कि यह आतंक चाय उद्योग में व्याप्त है या कहीं और है।

जहां तक चाय के निर्यात का सम्बन्ध है, इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है और मूल्य के रूप में यह घटा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय का यूनिट मूल्य कम हुआ है।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि विभिन्न देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले कोटे के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। श्रीलंका और भारत में इस सम्बन्ध में बैठकें हुईं और हमने

पूर्ण प्रयत्न किया कि कोटा निर्धारित कर दिया जाए। लेकिन, अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है।किसी समझौते पर पहुंचने से पहले, यह आवश्यक है कि अन्य देशों की सहमति प्राप्त कर ली जाए। कोटा निर्धारित करने के मामले में केन्या, चीन तथा अन्य देशों की भी सहमति लेनी पड़ेगी। यह ऐसी चीज है जिसे केवल एक पक्ष ही नहीं कर सकता। सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है। यदि इस पर सहमति हो जाए, कुछ किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि देश में सभी बीमार उद्योगों और इकाइयों को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना एक सही नीति होगी। जबकि लाभ किसी अन्य को मिलना है, और धन सरकारी खजाने से लगाया जाए जो कि करदाता का धन है तो क्या यह सही नीति होगी कि सभी बीमार इकाइयों को हाथ में ले लिया जाए जिन्होंने लाभ कमाया है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि उद्योग का नवीनीकरण हो; और जिस सीमा तक आवश्यक है और संभव हुआ है सरकार उनकी सहायता करती रहेगी। लेकिन जिम्मेवारी को संपूर्ण रूप से सरकार पर सौंप देना गलत नीति होगी।

श्री के० राममूर्ति : मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि मन्त्री महोदय ने नीति सम्बन्धी निर्णय के विषय में उत्तर दिया, अर्थात हम देश में सभी सजग उद्योगों को हाथ में नहीं लेंगे। मैं इसकी सराहना करता हूं; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उद्योग को समाप्त होने देंगे। यही मेरा दृष्टिकोण है।

यह सच है कि दक्षिण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तक आर्थिक मंदी के कारण अधिकतर ये चाय बागान बहुत कम मूल्यों में बेचे जा रहे हैं। इस दृष्टि से, मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि क्या चाय बागानों में पौध लगाने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अनुदेश दिए जाएंगे और क्या चाय बोर्ड को मामले से निपटने के लिए कहा जाएगा ?

इन चाय बागानों के सम्बन्ध में यू. पी. ए. ए. आई. के प्रतिनिधित्व के बारे में श्री बालानंदन पहले ही बोल चुके हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस 'आतंक बिक्री' को रोकेगी और कोई तत्काल उपाय करेगी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार के ध्यान में यह नहीं लाया गया है कि भय के कारण बिक्री की जा रही है। मैं माननीय सदस्य से यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या भय के कारण बिक्री हो रही है। हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस विषय में हम क्या कर सकते हैं।

श्री के० राममूर्ति : चाय बोर्ड ने स्वयं भी कुछ बातों की सिफारिश की है। मन्त्री जी उन्हें देख सकते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे दुःख है कि मुझे जब तब उसी उत्तर को दोहराना पड़ रहा है। मैंने यही बात अपने मित्र और दूसरे सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कही थी। मुझे वही जवाब फिर देना पड़ रहा है। पौध लगाने के लिए हम काफी सहायता दे रहे हैं—20 000 प्रति हैक्टेयर या 25,000 प्रति हैक्टेयर तक 10,000 या 15,000 या 50,000 तक की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 40,000 या 35,000 रुपये पौधे लगाने के लिए दिए जाते हैं। माननीय सदस्य इस पहलू पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्यों नहीं चाय उगाने वालों को यह समझाने का प्रयत्न करते कि वे इस सुविधा का लाभ उठायें। यदि यह राशि पर्याप्त नहीं है तो मैं नहीं जानता कि कितनी राशि पर्याप्त होगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : वाणिज्य मन्त्री जी के विस्तृत उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह उद्योग संकटावस्था में है। सरकार व्यापारियों के साथ-साथ पौध लगाने वालों की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है। क्या सरकार वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श कर सम्बन्धित सभी पक्षों का एक सम्मेलन आयोजित करेगी और कुछ ऐसी कार्यवाही सुझाएगी जिससे इस उद्योग को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता मिले, यदि अभी नहीं तो कम से कम अगले दो या तीन वर्षों में।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें इस मामले पर विचार किया गया था। जो बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि जिन लोगों ने इस उद्योग से लाभ कमाया है उनका इस उद्योग तथा इसमें लगे लोगों के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो लाभ उन्होंने कमाया है, उसे इसी उद्योग में लगवाना पड़ेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जिस सीमा तक आवश्यक है और संभव होता, सरकार संकटग्रस्त उद्योग को सहायता दे रही है; सरकार सहायता देगी, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि इसे सरकारी खजाने से धन निकालने का मामला बना लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा अर्जन

*305. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 तक तथा वर्ष 1977 से 1981 तक की अवधि में पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ख) इस वर्ष एशियाई खेलों के लिए आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय आने वाले पर्यटकों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर अनुमानित की जाती है जो समय-समय पर किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षणों से व्यक्त होते हैं। इस प्रकार का अन्तिम सर्वेक्षण 1976-77 (जुलाई से जून) के दौरान किया गया था।

2. 1977 से 1982 तक के वर्षों के लिए तथा जनवरी से जून, 1982 तक की अवधि के लिए अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुमानित विदेशी मुद्रा आय (चालू कीमतों पर)
1977	283
1978	338
1979	384
1980	482
1981	580
1982 (अनन्तिम)	
जनवरी-जून	267
जनवरी-दिसम्बर	650

नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक का ऋण

*307. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा योजना के लिए विश्व बैंक से कब तक ऋण मिल जाने की सम्भावना है;

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक को कितनी धनराशि के लिए ऋण आवेदन पत्र दिया है और उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि विश्व बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाता तो उस स्थिति में यह योजना पूरी करने के लिए क्या विकल्प सोचे गए हैं और उस पर गुजरात तथा अन्य सम्बद्ध राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इस समय राज्य सरकारों द्वारा परियोजना तैयार किए जाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ-साथ नर्मदा योजनाओं के लिए सहायता के वास्ते विश्व बैंक से विचार विमर्श भी चल रहा है । स्थापित प्रथा के अनुसार, विश्व बैंक समूह को नर्मदा योजनाओं के लिए सहायता के वास्ते औपचारिक रूप से कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है । वर्तमान संकेतों के अनुसार, सरदार सरोवर परियोजना के पहले दौर का मूल्यांकन (एप्रेजल) बैंक के चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान किसी समय किए जाने की सम्भावना है । बैंक की सहायता की मात्रा और परियोजना के पहले दौर के आकार और क्षेत्र की जानकारी, केवल बैंक द्वारा परियोजना का अन्तिम रूप से मूल्यांकन कर लिए जाने और यथासमय भारत तथा बैंक के बीच औपचारिक बातचीत समाप्त हो जाने के बाद ही मिल सकेगी ।

2. नर्मदा योजनाएं राज्य सरकारों की अनुमोदित आयोजनाओं में शामिल हैं और इनका वित्तपोषण उनके द्वारा किया जाना है ।

संश्लिष्ट रेशे पर उत्पाद शुल्क में कटौती

*310. श्री अरुण कुमार नेहरू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले संश्लिष्ट रेशे पर उत्पाद-शुल्क में पर्याप्त कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो संश्लिष्ट रेशा बनाने वाले एककों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार द्वारा मार्च 1981 में संसद में घोषित टैक्सटाइल नीति में मानव निर्मित तन्तुओं और धागों पर लगने वा। राजस्व-शुल्कों की समीक्षा का प्रस्ताव किया गया था । तदनुसार, विभिन्न प्रकार के तन्तुओं और धागों पर लागू सीमाशुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की समीक्षा की गई थी और 1982 के बजट प्रस्तावों के अंग रूप में शुल्कों की दरों में जहां कहीं आवश्यक था समायोजन किये गये थे । संश्लिष्ट तन्तुओं के मामले में, एक्रिलिक तन्तु पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को अतिरिक्त सीमा-शुल्क (प्रतिसंतुलनकारी शुल्क) में कमी करके 28 फरवरी, 1982 से 37.50 रुपये प्रति किलो-ग्राम से कम करके 30 रु० प्रति किलोग्राम किया गया ।

(ख) पूर्वोक्त परिवर्तन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखा गया है कि शुल्क-संरचना में किये जाने वाले इन परिवर्तनों से एक्रिलिक तन्तु का उत्पादन करने वाले स्वदेशी एककों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े ।

एयर इन्डिया द्वारा आयातित एक्स-रे जांच मशीनें

*312. श्री नवल किशर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया ने सीमित उपयोग (केपटिव यूज) के लिए छः अमेरिकी एक्स-रे जांच मशीनों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों का आयात कब किया गया और उनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि इन मशीनों का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अब एयर इन्डिया का विचार इन मशीनों को बेचने का है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और एयर इन्डिया को हुए इस घाटे के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। इन मशीनों को 1978 में 353,052 अमरीकी डालर की लागत से संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था । सीमा-शुल्क तथा चुंगी को मिलाकर, मशीनों की कुल लागत 45,18,381 रुपये थी ।

(ग) जी, नही । ये मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं ।

(घ) फिलहाल इन मशीनों को बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर हुआ व्यय

*313. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के बंगलादेश युद्ध के उपरान्त भारतीय कैम्पों में रखे गए पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों पर 1972 में हुए शिमला समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान वापस भेजने तक उनके भोजन, कपड़ा, जेब खर्च तथा अन्य आनुषंगिक खर्च के रूप में भारत सरकार ने कुल कितना व्यय किया:

(ख) क्या सुस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का पालन करते हुए, सरकार ने इसके पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के लिए पाकिस्तान सरकार से मांग की है;

(ग) यदि हां, तो कब और कितनी राशि के लिए तथा उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या शिमला समझौते में इस सम्बन्ध में कोई शर्त सम्मिलित है ?

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर भारत सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च 38,15,06,000 रुपये बैठता है ।

(ख) और (ग) जी हां । इस खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पाकिस्तान सरकार को सितम्बर, 1973 से लेकर अब तक कई बार लिखा जा चुका है लेकिन वहां से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है ।

(घ) शिमला समझौते में यह व्यवस्था थी कि "दोनों देशों के बीच स्थाई शान्ति स्थापित करने तथा सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए, जिसमें युद्धबन्दियों की वापसी का प्रश्न भी सम्मिलित था, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि बैठकर आपस में विचार करेंगे और इसके लिए आगे की रूपरेखा तथा व्यवस्थायें करेंगे ।" तदनुसार इस विषय में पाकिस्तान सरकार को लिखा गया है ।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

*314. **श्री नीरेन घोष** :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक में मई, 1982 में लगातार चार सप्ताहों में वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है या गिरावट आई है;

(घ) थोक मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि और गिरावट का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किस प्रकार पता चलता है;

(ङ) क्या धन का प्रयोग बढ़ रहा है; और

(च) यह गत वर्ष की तुलना में कितना न्यूनाधिक है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) थोक सूचकांक (1970-71 = 100) 1,8,15,22 और 29 मई को समाप्त हुए सप्ताहों में क्रमश: 276.3, 277.0, 278.8, 278.9 और 280 6 था। मई में मूल्यों पर फिर से दबाव पड़ने का कारण मुख्यत: मौसमी तत्व थे।

(ग) और (घ) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) में नवम्बर, 1981 तक वृद्धि हुई, तब इसके बाद के चार महीनों में सूचकांक जो नवम्बर, 1981 में 462 था मार्च 1982 में कम होकर 457 हो गया। अप्रैल और मई के लिए सूचकांक क्रमश: 459 और 462 था। क्षेत्र, व्याप्ति, भारांशों और आधार वर्षों में भिन्नता होने के बावजूद, कुल मिलाकर, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की गति कुछ समय के बाद एक ही दिशा में रही है।

(ङ) और (च) मैट्रिक और ऋण नीति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और उभरती हुई स्थिति के संदर्भ में इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (अर्थात् 2 जुलाई, 1982 तक) कुल मौद्रिक साधनों (एम 3) में 3074 करोड़ रुपए अथवा 4.9 प्रतिशत वृद्धि 1981-82 की तदनुरूप अवधि में हुई 3174 करोड़ रुपए अथवा 5.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम था।

अमरीका में एयर इन्डिया का माल-परिवहन कार्य का समाप्त होना

*315. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री अजित बाग :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एयर इन्डिया को अमरीका में बहुत शीघ्र ही अपना माल-परिवहन कार्य बन्द करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये उपचारात्मक उपायों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या स्थिति का मुकाबला करने हेतु सरकार ने कुछ वैकल्पिक उपाय भी सोचे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) एयर इन्डिया इस समय यू० एस० ए० के लिए कार्गो सेवाओं का परिचालन, यू० एस० ए० की फ्लाइंग टाइगर कम्पनी से "वेट लीज" पर लिए दो डी० सी०-8 मालवाहक विमानों से कर रही है। "वेट लीज" समझौता 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो रहा है। एयर इन्डिया ने सूचित किया है कि उनका इस कम्पनी के साथ "वेट लीज" समझौते का नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा यू० एस० ए० के लिए कार्गो सेवाओं का परिचालन करने के लिए एक अन्य एयरलाइन से "वेट लीज" पर दो विमान लेने का प्रस्ताव है। अतः एयर इन्डिया द्वारा यू० एस० ए० के लिए अपने कार्गो परिचालनों को गंवा देने की कोई सम्भावना नहीं है।

अभ्रक के निर्यात में गिरावट

*316. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "ग्रेड सं० 5 और डाउन" अभ्रक को भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के साथ मिला देने के कारण अभ्रक के निर्यात में 50 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है;

(ख) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के संरक्षण में कार्य कर रहे हजारों छोटे अभ्रक व्यापारी तथा श्रमिक अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में ज्ञापन दे रहे हैं तथा प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ग) क्या अभ्रक व्यापार में अभूतपूर्व रूप से आई मंदी तथा 3-4 हजार छोटे अभ्रक व्यापारियों की बहुत बुरी दशा को ओर लगभग सभी दैनिक समाचार पत्रों ने प्रकाश डाला है;

(घ) यदि हां, तो इस वस्तु का राष्ट्रीयकरण होने के बाद 1980 से 1982 के दौरान प्रति वर्ष किए गए इसके निर्यात की मात्रा की तुलना में 1972 से 1980 के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में "ग्रेड सं० 5 डाउन" अभ्रक का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम अथवा निर्यातक इसके निर्यात में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें प्रकाशित हुई है जिनमें अभ्रक व्यापार में मन्दी का आरोप लगाया गया है। तथापि, संसाधित और फैब्रिकेटिड अभ्रक के कुल निर्यात में मात्रा तथा मूल्य दोनों दृष्टियों से गत पांच वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ङ) मिटको निर्यातों में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(च) कुल मिलाकर अभ्रक के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है लेकिन मात्रा की दृष्टि से संसाधित अभ्रक के निर्यात में कुछ गिरावट आई है। यह आमतौर पर सामान्य मुद्रा क्षेत्र तक सीमित रही है और छोटे आकार के अभ्रक के सम्बन्ध में हुई है। सरकार ने छोटे आकार के अभ्रक के निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक फार्मूला निर्धारित किया है और उसके लिए हाल में एक प्रोत्साहन योजना भी आरम्भ की है।

विवरण

ग्रेड 5 से नीचे के अभ्रक के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :*

वर्ष	सं० 5 से नीचे के अभ्रक (जिसमें स्क्रैप शामिल नहीं है) के निर्यात	
	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1976-77	3886.95	527.56
1977-78	4178.14	624.01
1978-79	4441.86	571.09
1979-80	5668.21	693.65
1980-81	4210.23	575.93
1981-82	4493.14	677.23

*निर्यात के आंकड़े केवल 1976-77 से अलग से उपलब्ध है जब सं० 5 से नीचे के अभ्रक को शेयरिंग फार्मूला से डीलिंक किया गया था।

टिप्पणी : (1) 1978-79 में मात्रा में भारी वृद्धि होने के बावजूद निर्यात आय में कमी हुई क्योंकि निम्न ग्रेडों की मात्राओं का अधिक निर्यात किया गया था।

(2) 1980-81 और 1981-82 की रीलिंक्ड अवधि के दौरान इकाई मूल्य वसूलियों में सुधार हुआ है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का एल० टी० सी० के लिये नकद राशि का भुगतान

*317. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) के लिए नकद धनराशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान कौन सी तारीख से करने का निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के पास कंट्रोल के कपड़े का जमा स्टाक

*318. श्री गुफरान आजम :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के पास दस करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कन्ट्रोल के कपड़े का स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस जमा स्टाक का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बना कन्ट्रोल के कपड़े का मूल्य अधिक है और किस्म घटिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कन्ट्रोल का कपड़ा केवल विशिष्ट आय वर्गों को ही बेचा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के खिलाफ जिसने कंट्रोल का कपड़ा बहुत घटिया किस्म का बनाया है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है और जमा स्टाक को उचित निपटाने के लिये सरकार ने आगे क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 मई, 1982 को विद्यमान स्थिति के अनुसार कन्ट्रोल के कपड़े के अनुमानत: करीब 10 करोड़ के अनबिके स्टाक, कंट्रोल के कपड़े का वितरण करने वाले विभिन्न अधिकरणों के पास पड़े थे । कन्ट्रोल के कपड़े के संचित स्टाक का एक कारण करीब सात वर्षों की अवधि के बाद उपभोक्ता कीमत में वृद्धि है । कंट्रोल का कपड़ा वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार तैयार किया जाता है और उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के अध्यधीन होता है और इसलिए सही विशिष्टियों से नीचे कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन होने का प्रश्न नहीं उठता । विभिन्न राज्यों में कंट्रोल के कपड़े के वितरण की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिसमें से कुछ ने समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को कंट्रोल के कपड़े की बिक्री विनियमित करने के लिए आय सीमा निर्धारित की है । संचित स्टाक का शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से एन० टी० सी० ने $2\frac{1}{2}\%$ से $7\frac{1}{2}\%$ के बीच छूट आफर की है । बहुत घटिया क्वालिटी का कंट्रोल का कपड़ा तैयार किए जाने के लिए एन० टी० सी० के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन विशिष्टियों के अनुसार होता है ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए बैंकिंग सुविधाएं

*319. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों मे, विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों के वास्ते अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन प्रति 17,000 व्यक्तियों के पीछे (1981 की जनगणना के मुताबिक) एक बैंक शाखा की व्याप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से, कमी वाले सामुदायिक विकास खंडों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को 7540 अतिरिक्त शाखाएं खोलनी होंगी। इसके अलावा, बेहतर बैंकिंग व्याप्ति वाले जिलों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर अनुमानतः 808 शाखाएं खोलने की आवश्यकता होगी।

नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अस्थाई कार्यक्रम तैयार किया है और जारी की जा चुकी और बैंकों के पास बकाया पड़ी प्राधिकृतियों के अलावा मध्य प्रदेश में 693 अतिरिक्त ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं खोलनी होंगी। इनमें से 634 उन 36 जिलों में होंगी जहां बैंकिंग व्याप्ति निर्धारित मानदंड से कम है।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह जिला परामर्श-दात्री समितियों के परामर्श से, शाखाएं खोलने के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों की सिफारिश करे।

विभिन्न हवाई अड्डों को जोड़ने वाली हाट लाइनों को समाप्त करना

*320. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री रशीद मसूद :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न हवाई अड्डों को जोड़ने वाली हाट लाइनों के ठीक काम न करने के कारण उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विमानों की सुरक्षा जोखिम में पड़ गई है; और

(ग) विभिन्न हवाई अड्डों के बीच उचित सम्पर्क बना रहे यह सुनिश्चित करने और विमानों की सुरक्षा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) नागर विमानन विभाग ने डाक-तार विभाग से किराये पर लिये हुये कुछ पूर्ण रूप से समर्पित "लैंड लाइन स्पीच सर्किटों" को, उनका कार्य-निष्पादन निम्न स्तर का होने के कारण, वापिस करने का निर्णय लिया। परन्तु, स्पीच सर्किटों का कभी भी सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया गया तथा वे अभी भी उपलब्ध हैं।

नागर विमानन विभाग को निदेश दिए गए हैं कि वे इन लाइनों को वापिस न करें। डाकतार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे इन लाइनों की कार्य क्षमता में सुधार करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) "डायरेक्ट स्पीच सर्किटों" के कार्य न कर सकने की स्थिति में, विमान क्षेत्रों को भेजे जाने वाले सन्देशों को निम्नलिखित माध्यमों से भेजा जाता है :

(1) बम्बई-कलकत्ता-दिल्ली-मद्रास-नागपुर को जोड़ने वाला इन्टर-एरिया रेडियो टेलीफोन मार्ग तंत्र;

(2) सभी विमान क्षेत्रों को जोड़ने वाला इन्टर-टावर रेडियो टेलीफोन मार्ग तंत्र; और

(3) लैंड लाइन टेलीप्रिंटर सर्किट तथा मैनुअल रेडियो टेलीग्राफी सर्किट।

नागर विमानन विभाग संचार प्रणालियों के गौण तरीकों का सुधार कर रहा है। उच्चावृत्ति "सिंगल साइड बैंड" मार्ग तंत्र स्थापित करने तथा रेलवे के सूक्ष्म तरंग सम्पर्कों की अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल

*321. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की कलकत्ता तथा अन्य शाखाओं में कर्मचारियों की हड़तालों अथवा धीमे कार्य करो अथवा अन्य युक्तियों का कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरी श्रेणी के कुछ कर्मचारियों ने 12 अप्रैल, 1982 को हड़ताल की शुरूआत के साथ जो आन्दोलन छेड़ा था, वह समाप्त हो गया है और कलकत्ता को छोड़कर सभी केन्द्रों में फिर से सामान्य स्थिति पैदा हो गई है। कलकत्ता में नोट परीक्षण (एकजामिनेशन) तथा सत्यापन (वेरीफिकेशन) अनुभागों में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों ने धीमी गति से काम करना शुरू किया है और वे काम में रुकावट डालने के अतिरिक्त उन्हें सौंपे गए काम के कोटे में से अधिक भाग वापस लौटा रहे हैं।

सरकार महसूस करती है कि गुणावगुण के आधार पर इस आन्दोलन की कोई भी न्यायसंगति नहीं है और यह बिना शर्त वापस लिया जाना चाहिए। आन्दोलनकारी कर्मचारियों का आनुपातिक वेतन काटने और उन्हें काम में रुकावट डालने से रोकने के लिए उनके खिलाफ न्यायालय से निषेधाज्ञायें प्राप्त करने तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए भी सभी संभव उपाय किए हैं।

पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात

*322. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात जारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यह सच नहीं है कि पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात बन्द कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने लदान सुविधाओं में, जिनमें वैगन टिपलर की संस्थापना, रिक्लेमर का प्रतिस्थापन आदि शामिल है, सुधार की योजना का पहले ही अनुमोदन कर दिया है ।

राजस्थान में वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं खोलना

*323. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा और शाखायें खोले जाने की काफी अधिक गुंजाइश है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य में अधिक नई शाखायें खोले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ग) राज्य में ऐसी नई शाखायें खोलने के लिए क्या कार्यक्रम है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या यह सच है कि राज्य के अनेक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोई बैंक नहीं हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयास अन्य स्थानों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में उनका शाखा-जाल बढ़ाने की ओर समर्पित होते हैं । इन प्रयासों के फलस्वरूप, राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या जुलाई, 1969 के 147 से बढ़कर दिसम्बर, 1981 में 195 हो गई । राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां किसी वाणिज्यिक बैंक की एक ग्रामीण शाखा न हो ।

भारतीय रिजर्व बैंक की 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति में मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को सुधारने पर दिया जाएगा जिसमें बैंक शाखा-जाल के उचित क्षेत्रीय वितरण को सुनिश्चित करने के वास्ते अधिक जोर दिया

जाएगा। इसका लक्ष्य मार्च, 1985 के अन्त तक, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, औसतन प्रति 17000 की जनसंख्या के पीछे (1981 की जनगणना के आधार पर) एक शाखा की व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। हालांकि, 17000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक कार्यालय के संदर्भ में जिलों के कम बैंक वाले निर्धारित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा-विस्तार के लिए स्वीकृति दी जाएगी, परन्तु अन्य जिलों में भी आर्थिक कार्यकलाप में वृद्धि, क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता तथा अतिरिक्त बैंक कार्यालयों की स्थापना के लिए यदि कोई अन्य विशेष बातें आवश्यक हों तो उनको भी ध्यान में रखते हुए निर्धारित सीमा तक शाखा विस्तार की व्यवस्था की जाएगी।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पहले जारी किए जा चुके लाइसेंसों और बैंकों के पास बकाया क्रियान्वितियों के अलावा, राजस्थान के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के 24 जिलों में जहां प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या 17000 (1981 जनगणना) के अधिक है, इस नीति की अवधि के दौरान 379 कार्यालय खोले जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, बेहतर बैंकिंग व्याप्ति वाले राजस्थान के अन्य जिलों में 13 ग्रामीण/अर्ध-शहरी कार्यालयों के खोले जाने की संभावना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजस्थान राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह जिला परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से, शाखाएं खोलने के वास्ते ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों की सिफारिश करे। इस सम्बन्ध में, राजस्थान राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त होने पर राजस्थान के शाखा विस्तार कार्यक्रम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा।

अरण्डी के तेल का उत्पादन और निर्यात

*324. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में अरण्डी के तेल का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) 1981-82 के दौरान अरण्डी का कितना तेल निर्यात किया गया और उसका मूल्य अनुमानतः कितना था;

(ग) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने हाल ही में अरण्डी के तेल के निर्यात को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1981-82 में भारत में अरण्डी के तेल के वास्तविक उत्पादन के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1980-81 में 73000 मे० टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था।

(ख) प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1981-82 में 49,511 मे० टन अरण्डी का तेल निर्यात किया गया जिसका मूल्य 40.06 करोड़ रु० था।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कर अपवंचकों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही

*325. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह 27 मई को नई दिल्ली में आयकर आयुक्त के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए अपने वक्तव्य का सारांश देंगे जिसमें उन्होंने "डेटरेंट एक्शन अगेंस्ट टेक्स इवेडर्स (कर अपवंचकों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही)" का आग्रह किया है (स्टेट्समैन दिनांक 30 मई, 1982);

(ख) इसके अनुसरण में उठाये जाने वाले कदमों का क्या ब्योरा है; और

(ग) क्या कर अपवंचन के मामलों में वृद्धि हो रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) लेखा-बाह्य धन की विद्यमानता पर सरकार की गंभीर चिन्ता से आयकर आयुक्तों को, मई-जून, 1982 में आयोजित उनके हाल ही के सम्मेलन में अवगत करा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वे कालेधन की वृद्धि को रोकने और कर अपवंचकों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही करने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दें और फिजूल तथा दिखावे के लिए किये जाने वाले खर्चों पर निगरानी रखें ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर विभाग का, सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने का प्रस्ताव है । अभियोजन सम्बन्धी उपबंधों का जोरदार प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) वर्ष 1981-82 अथवा किसी पिछले वर्ष की लेखा-बाह्य आय के किसी सही अनुमान के अभाव में, स्पष्टतया यह कहना संभव नहीं है कि कर अपवंचन के मामलों में वृद्धि हो रही है ।

दिल्ली में असैनिक कब्जे में एम० ई० एस० की भूमि

3352. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली में असैनिक कब्जे में एम० ई० एस० की भूमि के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8128 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार एम० ई० एस० भूमि की सीमा के भीतर ऐसे कितने भवन हैं, जो असैनिक व्यक्तियों के गैर-कानूनी कब्जे में हैं तथा बैरकों का ब्योरा क्या है और वे किसके तथा कब से कब्जे में हैं; और

(ख) भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए आनन्द पर्वत के नक्शे में एम० ई० एस० क्षेत्र के अन्तर्गत कितने बैरक हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) आनन्द पर्वत में तीन इमारतें, अर्थात टी-3, टी-4 और टी-14, जो खसरा नं० 1050/350 और 1051/350 में हैं हमारे रिकार्डों में रक्षा भूमि में दिखाई गई हैं। दूसरी ओर रामजस फाउन्डेशन का जो एक शैक्षणिक व्यास है, दावा है कि ये इमारतें उनकी हैं और उनके रिकार्ड के अनुसार ये इमारतें एकदम दूसरे ही खसरे मे अर्थात खसरा नं० 1039/365 में हैं। रामजस फाउन्डेशन इन बैरकों के कब्जेदारों से किराया वसूल कर रहा है। कब्जे की पक्की तारीख मालूम नहीं है। परन्तु उपलब्ध रिकार्डों से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इमारतें 1956 के बाद से कब्जे में हो सकती हैं। रामजस फाउन्डेशन से कब्जेदारों के नाम मांगे गए थे परन्तु उन्होंने ये ब्यौरे नहीं दिए हैं।

(2) भारत के सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 1972-73 में तैयार किए गए आनन्द पर्वत के नक्शे के अनुसार ये बैरक तथा इनकी इमारतें, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, रक्षा सीमा के अन्तर्गत आती हैं :

(1) इमारत सं० टी-3 (आधा भाग)।

(2) इमारत सं० टी-4 किचन ब्लाक सहित।

(3) इमारत सं० टी-14 शौचालय तथा स्नानघर ब्लाक सहित।

आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेशों और सार्वजनिक सूचनाओं की वैधता

3353. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक द्वारा आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अनुसरण में जारी किये गये सांविधिक आदेश और/या सार्वजनिक सूचनाओं की वैधता के बारे में विधि मन्त्रालय की राय ली जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक द्वारा जारी की गई दिनांक 10 अगस्त, 1981 की सार्वजनिक सूचना संख्या 61 ई० टी० सी० (पी० एन०) 181 का पैरा 15 उक्त अधिनियम की धारा 4(एम०) के विशिष्ट उपबन्धों के प्रतिकूल है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या भविष्य मे ऐसे आदेश और सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने से पहले आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक विधि मंत्रालय की कानूनी सलाह प्राप्त किया करेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जहां आवश्यक होता है, विधि मन्त्रालय से परामर्श किया जाता है।

(ख) निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों से आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 4(एम०) का उल्लघन नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को डीडेसिल बेन्जीन का आवंटन

3354. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को डीडेसिल बेन्जीन का आवंटन करने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान उसकी राज्यवार मांग और आवंटन का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) डोडेसिल बेनजीन का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। 1982-83 में मार्गीकृत अभिकरण द्वारा आयातित माल को 60:40 के अनुपात में लघु उद्योग एककों तथा बड़े उद्योग एककों के बीच वितरित करने का प्रस्ताव है। मार्गीकरण के माध्यम से आयातित डोडीसिल बेनजीन के आवंटन का उद्देश्य साबुन तथा डिटरजेण्ट बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से उद्योग को उपलब्ध कच्चे माल की अनुपूर्ति करना है।

(ख) राज्य व्यापार निगम में पंजीयित मात्रा तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा आवंटित मात्रा, राज्यवार, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। पंजीयित मात्रा से वास्तविक आवश्यकता का पता शायद न चले।

विवरण

डी० डी० वी० के लिए उद्योग द्वारा किए गए पंजीकरण तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा आवंटित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मे० टन)

क्रमांक	राज्य	1980-81		1981-82	
		एम० टी० सी० की मात्रा के साथ पंजीयित डी० डी० वी०	एस० टी० सी० द्वारा आवंटित मात्रा	एस० टी० सी० की मात्रा के साथ पंजीयित डी० डी० वी०	एस० टी० सी० द्वारा आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	866	415	1338	284
2.	बिहार	7	5	608	47
3.	दिल्ली	1119	338	3296	209
4.	गोआ	2100	400	8400	469

1 2	3	4	5	6
5. गुजरात	25,441	6082	244,318	6176
6. हरियाणा	330	141	4795	150
7. हिमाचल प्रदेश	—	—	10	8
8. कर्नाटक	171	50	431	52
9. केरल	100	39	100	—
10. महाराष्ट्र	37,416	13,019	35,361	7589
11. मध्य प्रदेश	219	89	153	45
12. उड़ीसा	—	—	100	7
13. पंजाब	2349	821	1339	125
14. राजस्थान	23	8	220	49
15. तमिलनाडु	682	267	1275	218
16. उत्तर प्रदेश	146	59	277	53
17. पश्चिम बंगाल	588	386	972	168
	71,557	22,119	302,993	15,656

तस्कर बखिया की गोआ जेल से रिहाई

3355. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, कुख्यात तस्कर बखिया को एक सलाहकार समिति द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर गोआ जेल से रिहा कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निकाय की शक्तिओं और कृत्यों पर विचार करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि एक घोषित अपराधी को रिहा करने की शक्ति उनकी शक्तियों में सम्मिलित नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रुवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त शेयर पूंजी जुटाने के लिए विदेशी कम्पनियों को छूट

3356. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने भारत में काम कर रही किसी विदेशी कम्पनी को अतिरिक्त शेयर-पूंजी की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 30 जून, 1982 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों के दौरान, पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी शेयरों वाली निम्नलिखित कम्पनियों को, अतिरिक्त शेयर पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी :

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	जुटाई जुटाने वाली अनुमति अतिरिक्त शेयर पूंजी
		(लाख)
1.	ई० मरक (इंडिया) लि०	125.00
2.	इंडियन अल्युमिनियम क० लि०	280.54
3.	बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि०	144.00
4.	के० एस० बी० पम्पस लि०	9.18
5.	आर० एच० विन्डस (इंडिया) लि०	5.06
6.	फाइजर लि०	167.43
7.	डेवरान्स मेकनोल एण्ड क० लि०	5.71
8.	बेकलाइट हाइलेम लि०	90.01

गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन

3357. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेष रूप से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड में निदेशक मण्डल की औपचारिक अनुमति/सहमति के बिना अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है; और

(ख) क्या लक्ष्मी कमर्शियल बैंक (एक अराष्ट्रीयकृत बैंक) में किसी भी कर्मचारी को कार्य-मुक्त कर देने का कोई नियम विद्यमान है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित बैंकिंग उद्योग में कर्मकार कर्मचारियों सेवा शर्तें, भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक एसोसिएशन) द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त बैंकों के प्रबन्धकों तथा कर्मकार यूनियन के बीच हुए विभिन्न अवार्डों एवं समझौतों द्वारा व्याप्त होती हैं। बताया गया है कि लक्ष्मी कामर्शियल बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी उपयुक्त अवार्डों/समझौतों द्वारा व्याप्त होते हैं।

(ख) अवार्डों/समझौतों में व्याप्त न होने वाले मामलों के सम्बन्ध में, जहां आवश्यकता होती है, बैंक अपने प्रशासनिक विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

किसानों को ऋण देने वाली संस्थाएं

3358. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं जो किसानों को ऋण देती हैं, तथा प्रत्येक संस्था को विश्व बैंक से प्राप्त हुए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थाओं ने भारतीय तथा अन्य विदेशी स्रोतों से कितनी-कितनी धनराशि का ऋण लिया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण की कितनी धनराशि दी गई है और ब्याज की किस दर पर ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियां किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। इन संस्थाओं को विश्व बैंक से सीधे ऋण नहीं मिलता। इन संस्थाओं को विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता, तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) के माध्यम से, जो कि अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में विलीन हो गया है, पुनर्वित्त सहायता के रूप में प्राप्त होती है। जून, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार तत्कालीन कृ० पु० वि० नि० को भारत सरकार तथा देश के भीतर खुले बाजार से प्राप्त होने वाले ऋण क्रमश: 1060 करोड़ रुपये और 376 करोड़ रुपये के थे। इस तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों की बकाया राशि 514 करोड़ रुपये थी।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए ऋणों से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये)

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
वाणिज्यिक बैंक	524	613	901	1078	1435
सहकारी समितियां	1431	1444	1621	1731	1912

पुनर्वित्त के वास्ते पात्र सावधि ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल किये गए ब्याज की दर नीचे लिखे अनुसार है :

	निम्न तारीखों से प्रभावी		
	15.3.79	1.7.80	2.3.81
(क) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	9.5	10.25	10.25
(ख) अन्य प्रयोजनों में लगाए गए ऋण			
(1) छोटे किसान	9 5	10.25	10.25
(2) अन्य	10.5	11.35	12.50

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय टेनिस खेल के लिए इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्ड की सप्लाई

3359. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1981 में हुए राष्ट्रीय टेनिस खेल के लिए एक इलेक्ट्रानिक स्कोर बोर्ड सप्लाई किया था;

(ख) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सुरक्षा सेवा को एशियाई खेल, 1982 में प्रयोग करने के लिए अत्याधुनिक "वी० एच० एफ०" संचार उपकरण सप्लाई किया है; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों ने बैंकांक एशियाई खेल और मास्को ओलम्पिक्स में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रानिक उपकरणों का अध्ययन किया था और उनमें भारतीय स्थिति के अनुकूल सुधार किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) एशियाड अधिकारियों ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ बी० एच० एफ० संचार उपकरण की सप्लाई के लिए सम्पर्क नहीं किया है। भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड यह उपकरण रक्षा सेवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर देता रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

दरभंगा हवाई अड्डा

3360. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा हवाई-अड्डे का निर्माण मुख्य रूप से रक्षा प्रयोजनों के लिए संकट के समय वहां अधिक शक्तिशाली आधुनिक विमानों को उतारने की सुविधा हेतु किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसकी वास्तविक उपयोगिता क्या है;

(ग) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में न बदलने के कारण संकट के समय इस हवाई अड्डे की मदद हेतु सीधे रेलवे सम्पर्क का सर्वथा अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो रक्षा संबंधी विषय की दृष्टि से इस लाइन को शीघ्र ही बड़ी लाइन में बदलने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) इस हवाई अड्डे का प्रयोग समय-समय पर सिविल प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय वायु सेना के परिवहन विमानों की उड़ान के लिए अर्थात्-बाढ़ राहत कार्यों आदि के लिए किया गया है।

(ग) जी नहीं। जहां तक भारतीय वायु सेना का संबंध है दरभंगा हवाई अड्डे को सहायक सुविधाएं देने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गयी है।

(घ) लागू नहीं होता।

बम्बई की सूती कपड़ा मिलें

3361. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की लगभग 20 सूती कपड़ा मिलों के प्रबन्धक या तो कपड़ा मिलों को बन्द करने अथवा उन्हें वहां से दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रहे है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि बम्बई में लगभग 20 सूती वस्त्र मिलें या तो बन्द होने अथवा मैट्रोपालिस से बाहर जाने की योजना बना रही है।

इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया से बिहार को सहायता

3362. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 में इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया से बिहार को प्रति व्यक्ति सहायता कम मिली;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इण्डिया से प्रति व्यक्ति 28.42 प्रतिशत मंजूर मुद्रा सहायता की राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध बिहार को केवल 6.29 प्रतिशत सहायता मिली;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रति व्यक्ति दी गई 18.28 प्रतिशत की राष्ट्रीय सहायता औसत में बिहार के हिस्से में केवल 3.64 से प्रतिशत सहायता आई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया से बिहार को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) से वर्ष 1979-80 (अप्रैल से मार्च तक) के दौरान बिहार द्वारा प्राप्त की गई प्रति व्यक्ति सहायता कुछ अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त की गई प्रति व्यक्ति सहायता से अधिक थी।

(ख) 17.69 रुपये के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार को 1979-80 में 4.53 रुपये की प्रति व्यक्ति सहायता स्वीकृत की गई थी।

(ग) 10.54 रुपये के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार को 1979-80 में 2.61 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता संवितरित की गई थी।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक एककों की सहायता के वास्ते निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं करता। हालांकि, पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है. सहायता की उपलब्धता अनिवार्य रूप से उद्यमियों के स्थान विषयक निर्णयों द्वारा नियन्त्रित होती हैं। उद्यमियों के स्थान विषयक निर्णय, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, विद्युत आपूर्ति, बुनियादी आधारभूत सुविधाओं तथा बाजार की निकटता जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर होते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी उपयुक्त परियोजनाओं को, जो आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से सक्षम तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य पाई जाती हैं और जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होती हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किसी राज्य विशेष को सहायता स्वीकृत करने की क्षमता इस प्रकार के राज्यों से प्राप्त होने वाले अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर होती है।

विदेशी फर्मों द्वारा निवेश

3363 **श्री राम अवध** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी फर्मों अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में उद्योगों में निवेश किया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980 तथा 1981 के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी शराब का आयात

3364. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औद्योगिक उपयोग और लोगों के पीने के लिए अनेक किस्म की विदेशी शराब का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों के दौरान मदवार आयातित शराब का ब्योरा क्या है;

(ग) उन फर्मों और व्यक्तियों का ब्योरा क्या है जिन्हें इसका आयात करने की मंजूरी दी गई है; और

(घ) उनको कितनी शराब का आयात करने की मंजूरी दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। तथापि, लोगों के खपत के लिये विदेशी शराब का आयात कुछ विशिष्ट वर्गों की आयातकों तक सीमित है।

(ख) (क) एलकोहलिक, पेय पदार्थों और (ख) एलकोहल, फिनायल, फिनायल एलकोहल तथा उनके हलोजीनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटिड और नाइटीसेटेड साधित वस्तुओं के वर्ष 1978-79 से लेकर 1980-81 (जनवरी, 1981 तक) के दौरान आयात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जनवरी, 1981 के बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों का ब्योरा आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों और औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में सप्लाई की जाती हैं।

(घ) आयात लाइसेंस सामान्यतः मूल्य के रूप में जारी किये जाते हैं। अतः आयात के लिये स्वीकृत मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष 1978-79 से लेकर 1980-81 (जनवरी, 1981 तक) के दौरान एल्कोहलिक पेय पदार्थों तथा एल्कोहल, फिनायल, फिनायल एल्कोहल तथा उनके हलोजीनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड ना नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न पदार्थों के आयात।

उत्पाद का विवरण	आई० टी० सी० रैव 2 कोड सं०	मात्रा की इकाई	1978--79	1979-80	1980-81 (जनवरी, 81 तक)
1	2	3	4	5	6
(क) एल्कोहलिक पेय पदार्थ	112	हजार लीटर	235.5	139.9	173.3
(ख) एल्कोहल, फिनायल, फिनायल एल्कोहल तथा उनके हैलोगनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड अथवा नाइट्रोसेटेड साधित पदार्थ	512	दस लाख कि०ग्रा०	23.3	36.3	38.8

स्रोत : 1. 1978-79 से 1979-80 : मंथली स्टेटिसटिक्स आफ दि ट्रेड आफ इंडिया खण्ड-II द्वारा वाणिज्यक, जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित ।

2. 1980-81 (जनवरी, 1981 तक) : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य विभाग को प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

बरकाखां से दीनापुर के लिये बुक किये गये माल गाड़ी से चुराये गये कारतूस

3365. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के उपयोग हेतु कारतूसों के 12 क्रेट बरकाखां से दीनापुर के लिए बुक किए गए मालगाड़ी के वैगन से 30 जून, 1982 को चोरी हुए पाये गये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान रेलों से ले जाते हुए सैनिक लोह निर्मित सामानों की कुल हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) 30-6-1982 को मालगाड़ी के एक डिब्बे से कुछ सामान की चोरी अवश्य हुई थी । परन्तु उस सामान में शस्त्र तथा

गोला-बारूद नहीं था बल्कि प्रसाधन सामग्री तथा सिलाई मशीन जैसा कैन्टीन का सामान था। इस तरह की चोरी किन परिस्थितियों में होती है इसे ध्यान में रखते हुए मौजूदा आदेशों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के अमरेली जिले में राष्ट्रीय बीयर कम्पनियों की शाखायें खोलना

3366. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के अमरेली जिले में केवल एक राष्ट्रीय बीयर कम्पनी शाखा कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो जिला मुख्यालय के शहरों में जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया की शाखायें अथवा डिवीजनल आफिस खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं;

(ग) क्या जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया की न्यू इंडिया इन्स्योरेंस कम्पनी, ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेंस कम्पनी और युनाइटेड इंडिया इन्स्योरेंस कम्पनी नामक शाखाओं की और शाखाएं अमरेली कस्बे में खोलने के बारे में बहुत मांग है; और

(घ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। साधारण बीमा कम्पनियां में से केवल एक कम्पनी अर्थात् नेशनल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का अमरेली में एक शाखा कार्यालय है।

(ख) अमरेली जैसे मुफस्सिल क्षेत्र में शाखा खोजने के लिए न्यूनतम प्रीमियम से कम से कम 5 लाख रुपए की आय नियत की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय साधारण बीमा निगम के अनुसार ऐसी कोई मांग नहीं है।

मसालों का निर्यात

3367. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से मसालों की मात्रा और मूल्य दोनों के निर्यात में कमी हो रही है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) पिछले कुछ वर्षों में भारत से मसालों के निर्यात, जिनमें छोटी इलायची शामिल नहीं है, निम्नांकित प्रकार रहे है :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1975-76	60011	53.34
1976-77	60113	63.07
1977-78	71034	91.78
1978-79	101935	99.48
1979-80	11322	107.02
1980-81 (अनन्तिम)	74626	70.29
1981-82 (अनन्तिम)	65994	62.14

(ग) सरकार द्वारा किये गये उपायों में शामिल हैं भारत से मसालों के निर्यात बढ़ाने के लिये उपयुक्त नीति बनाने के लिये मसालों के निर्यातकों के टास्क फोर्स का गठन ।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

3368. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ब्यूरो ने वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को परिषद के कोटा कार्य से हटाकर किसी अन्य शाखा में स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) कुछ परिधान निर्यातकों तथा ए० ई० पी० सी० के अधिकारियों के खिलाफ सी० बी० आई० द्वारा दर्ज किये गये तथा जांच किए गए दो मामलों में कतिपय चूक के लिए इन अधिकारियों के खिलाफ ऐसी विभागीय कार्यवाही करने की, जो उचित समझी जाए, सिफारिश की गई है । चूंकि इन अधिकारियों के मामले में अनुशासनिक कार्यवाही करने वाली अथारटी अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद है, इसलिए उन्हें आवश्यक तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने की सलाह दी गई है ।

पश्चिम एशिया को भारतीय चाय का निर्यात

3369. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया को किये जाने वाले भारतीय चाय के निर्यात में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) इस क्षेत्र में भारतीय चाय की मांग का अभाव होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं। वास्तव में पश्चिम एशिया भारतीय चाय के लिए बढ़ते हुए बाजारों में से एक है। भारत से पश्चिम एशिया को चाय के निर्यात जो 1971-72 में 16.4 मिलियन किग्रा० थे, बढ़कर 1981-82 में 29.3 मिलियन किग्रा० हुई हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंचायतों के माध्यम से बैंक ऋण बांटना

3370. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों के बदले पंचायतों के माध्यम से बैंक ऋण बांटने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार पंचायतों के माध्यम से ऋण न देकर छोटे और सीमांत किसानों की दशा सुधारने में किस प्रकार सहायता देगी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य का आशय छोटे/सीमांतिक किसानों तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं को बैंक ऋण के वितरण से है। इस कार्यक्रम में इसके कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना की व्यवस्था है। कार्यान्वयन अभिकरणों से पारस्परिक तालमेल रखते हुए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से, छोटे/सीमांतिक किसानों को दिया जाने वाला ऋण संबंधित लाभ प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचता है। कुछ राज्यों में पंचायत समितियां/ग्राम परिषदें भी कतिपय अनुमत प्रयोजनों के वास्ते इस कार्यक्रम के अधीन वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा यात्री और मालवाहक विमानों की खरीद

3371. श्री अशफाक हुसैन क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1982 तक एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स ने कितने यात्री और मालवाहक विमान खरीदे वे किस मेक के थे तथा इन विमानों को किन कम्पनियों से खरीदा गया और अन्य तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) इन विमानों का मूल्य कितना है और उनकी खरीद की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ विमान लाकहीड कम्पनी से भी खरीदे गये अथवा क्या इस बारे में उससे वार्ता जारी है; और

(घ) क्या प्रिंस वर्नहार्ड की हाल की भारत यात्रा का इस खरीद या वार्ता से कोई सम्बन्ध है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने मैसर्स बोइंग कम्पनी, यू० एस० ए० से 510.85 लाख अमरीकी डालर की लागत से अप्रैल, 1980 में एक बोइंग-747 विमान खरीदा । इण्डियन एयरलाइन्स ने मैसर्स बोइंग कम्पनी, यू० एस० ए० से तथा मैसर्स एयरबस इण्डस्ट्रीज, फ्रांस से क्रमशः 8 बोइंग-737 तथा 2 एयरबस ए-300 बी 2 विमान खरीदे । सम्बद्ध ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

विमान	डिलीवरी की तारीख	दस लाख अमरीकी डालर
1. बी-737 वी० टी०-ई० जी० डी०	जून, 1980	10.162
2. बी-737 वी० टी०-ई० जी० ई०	जुलाई, 1980	10.463
3. बी-737 वी० टी०-ई० जी० एफ०	जुलाई, 1980	10.463
4. बी-737 वी० टी०-ई० जी० जी०	अगस्त, 1980	10.463
5. बी-737 वी० टी०-ई० जी० एच०	फरवरी, 1981	11.128
6. बी-737 वी० टी० ई० जी० एम० (कोम्बी)	मार्च, 1981	12.538
7. बी-737 वी० टी०-ई० जी० आई०	सितम्बर, 1981	11.665
8. बी-737 वी० टी०-ई० जी० जे०	सितम्बर, 1981	11.665
9. ए-300 बी० 2 वी० टी०-ई० एफ० डब्लू	जुलाई, 1980	31.44
10. ए-300 बी.2 वी० टी०-ई० एफ० एक्स०	अगस्त, 1980	31.77

विमानों की खरीद नगद-आधार पर की गई थी जिसमें से प्रारम्भ में अग्रिम अदायगी की गई थी ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की योजना

3372. **श्री भीकूराम जैन :** क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देने की कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को स्व नियोजन तथा लघु उद्योगों सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के वास्ते तैयार की गई अन्य योजनाओं क अधीन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं। लघु उद्योगों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए लागू नियम तथा शर्तें, इस प्रकार के ऋणकत ओं के वास्ते भी लागू होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोत्तरी करने की सलाह दी गई है। बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त संघ शासित क्षेत्र दिल्ली सहित देश के सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों को बाहर निकालने की धीमी प्रक्रिया

3373. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर एयर इण्डिया के काउन्टरों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की भीड़ और उन्हें बाहर निकालने की धीमी प्रकिया की जानकारी है; और

(ख) एयर इण्डिया ने इन दोनों हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने और औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) बम्बई हवाई अडड पर प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए एयर-इण्डिया के बीस जांच-काउन्टर हैं, जो कि फिलहाल पर्याप्त समझे जाते हैं। परन्तु दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके केवल आठ काउंटर हैं, जो कि अत्यधिक भीड़-भाड़ के समय पर्याप्त नहीं हैं। अक्तूबर, 1982 तक, नए अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल के चालू हो जाने पर एयर-इण्डिया के अठारह जांच-काउन्टर हो जाएंगे, जिससे स्थिति में सुधार हो जाएगा। दिल्ली में नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स के चालू हो जाने से, जिसके कि 1985 तक तैयार हो जाने की आशा है, स्थिति में और सुधार हो जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा प्रचार कार्य पर किया गया खर्चा

3374. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रक्षा मन्त्री** सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा प्रचार कार्य पर किए गए खर्चे के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8133 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इन एककों द्वारा, एकक-वार गत वर्षों के दौरान वर्षवार विज्ञापन के लिये उपयोगी किए गए दैनिक समाचार पत्रों और आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के क्या नाम हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4368/82]

हम्पी, विजयनगर साम्राज्य का सौंदर्यीकरण करना

3375. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के सहयोग से, वैभवपूर्ण विजय नगर साम्राज्य की हम्पी का सौंदर्यीकरण और उसका पुनरुत्थान करने का कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कार्यक्रम के मुख्य प्रयोजन क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं, केन्द्रीय सेक्टर में फिलहाल ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, यथासमय संभावनाओं की खोज की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एक रुपये के नोट की छपाई तथा सिक्के की ढुलाई पर आने वाली लागत

3376. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक रुपये के नोट की छपाई और एक रुपये के सिक्के की ढुलाई पर कितनी लागत आती है;

(ख) क्या एक रुपये के नोट में प्रयोग किए जाने वाले कागज की किस्म में जबर्दस्त गिरावट आयी है;

(ग) क्या एक रुपये के नोट को हटाकर उसके स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलाने का कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक रुपए के करेंसी नोट के निर्माण की लागत (जिसमें कागज की लागत भी शामिल है) लगभग 3.5 पैसे है और एक रुपए के सिक्के (धातु की कीमत सहित) की लागत लगभग 70.38 पैसे आती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एक रुपए के करेंसी नोटों के मुद्रण, परिचालन, प्रत्यानयन (रिट्रीवल) उन्हें नष्ट करने में आने वाली भारी लागत और सिक्के ढालने में दीर्घ अवधि में खर्च में होने वाली कमी को दृष्टिगत रखते हुए एक रुपए के सिक्के का छोटे आकार में उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया गया है ताकि एक रुपए के नोटों की मात्रा में क्रमश: कमी की जा सके और अंततोगत्वा उनके मुद्रण और उनकी पूर्ति को समाप्त किया जा सके।

जीवन बीमा निगम में माइक्रो प्रोसेसर लागू करना

3377. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम में माइक्रोप्रोसेसर लागू करने का विचार किया है जिससे अतत: कर्मचारी बेकार हो जाएंगे और रोजगार के मामले में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की इन मांगों को स्वीकार करने में क्या अड़चन है कि प्रबन्धकों को योजना के कार्यान्वयन के निहितार्थों के संबंध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के साथ विचार करना चाहिए और तब तक मामले की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनिट रिकार्ड मशीनें, जिनकी सहायता से अब तक जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित कार्य किए जाते रहे हैं, सामान्य टूट-फूट के कारण कारबार के बढ़ते हुए आकार के अनुरूप पर्याप्त रूप से कार्य करने में अक्षम हो गई हैं। इसके अलावा इन मही मशीनों का अब निर्माण नहीं किया जा रहा है तथा फालतू पुर्जों के न मिलने से इन मशीनों के रखरखाव के संबंध में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। इसके परिणामस्वरूप पालिसीधारियों को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर में भी गिरावट आ गई थी और वित्तीय तथा अन्य नियन्त्रण रखने की प्राणाली को काफी धक्का लगा था इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पालिसीधारियों के हित में माइक्रो-पोसेसरों को अपनाना अत्यावश्यक हो गया था। इड़ा सक्रियन समिति ने, जिसने जीवन बीमा निगम के कार्यचालन के सभी प्रमुख पहलुओं का अध्ययन किया था, अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में अपना मत बड़े जोरदार शब्दों में व्यक्त किया था। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने योजनाबद्ध ढंग से अपने प्रभागीय (डिवीजनल) और शाखा कार्यालयों में माइक्रो-प्रोसेसरों को लगाना आरम्भ कर दिया है।

जीवन बीमा निगम के अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ तथा अपने कर्मचारियों के अन्य संगठनों को, प्रभागीय कार्यालयों में संस्थापित पुरानी यूनिट रिकार्ड मशीनों के स्थान पर सभी शाखा कार्यालयों में माइक्रो-प्रोसेसर अपनाने के औचित्य तथा आवश्यकता के बारे में, पूर्ण रूप से अवगत करा दिया है। जीवन बीमा निगम ने 3 जुलाई, 1982 को संघ को एक विस्तृत उत्तर भी भेज दिया है।

सरकार इस शंका से सहमत नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसरों की शुरुआत से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बिहार में क्षेत्रीय बैंक कार्मिक बोर्ड की स्थापना

3378. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में शीघ्र ही क्षेत्रीय बैंक कार्मिक भर्ती बोर्ड स्थापित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गैर-वित्तीय और गैर-सरकारी बड़ा कम्पनियों के सकल लाभ में भारी गिरावट

3379. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-वित्तीय और गैर-सरकारी ऐसी 433 बड़ी कम्पनियां, जिनकी प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रुपये से अधिक है, के एक अध्ययन से यह पता चला है कि सकल लाभ की विकास दर जो वर्ष 1979-80 में 21.3 प्रतिशत थी, वर्ष 1980-81 में तेजी से घटकर 10.0 प्रतिशत रह गई; और

(ख) यदि हां, तो सकल लाभ में इस भारी गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार सकल लाभ में भारी गिरावट का कारण यह था कि कुल आमदनी की तुलना में कुल व्यय में अधिक वृद्धि हुई। व्यय के सभी मुख्य शीर्षों में वृद्धि हुई है; विनिर्माण व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 1979-80 में इन मदों के अन्तर्गत क्रमशः 14.2 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेफ लाकरों पर प्रतिबन्ध

3380. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 10,000 रुपये और इससे अधिक की राशि की सावधिक राशि जमा नहीं की है, सेफ डिपोजिट लाकर न दें- और

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश किन आधारों पर जारी किए गए थे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निम्न ग्रेड के अभ्रक निर्यात में गिरावट

3381. **श्री बिन्देश्वरी दुबे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिटको की अभ्रक निर्यात व्यापार की दोषपूर्ण नीति के कारण अभ्रक उद्योग को हाल ही में गत कुछ वर्षों में नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि भिन्न भिन्न किस्मों के अभ्रक, विशेषकर निम्न ग्रेड के अभ्रक की जितनी मात्रा में पहले निर्यात किया जाता था, वह कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप अभ्रक के बाजार में मन्दी है;

(ग) क्या यह सच है कि मिटको की निर्यात नीति के कारण लघु विक्रेताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है और कुटीर उद्योग जैसे अभ्रक व्यापार में लगे हजारों श्रमिक बेकार हो गये हैं; और

(घ) अभ्रक उद्योग की, विशेषकर उन लघु विक्रेताओं की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है, जिनके लिये मिटको गठित किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) साधित अभ्रक के निर्यात में क्रमिक वृद्धि हुई है जो कि 1977-78 में 18.75 करोड़ रु० के स्तर से बढ़कर 1981-82 में 28.50 करोड़ रु० की हो गई। फैब्रिकेटिड अभ्रक के निर्यात में भी वृद्धि हुई जो कि 1979-80 में 8.75 करोड़ रु० से बढ़कर 1981-82 में अनुमानतः 15 करोड़ रु० हुए। निम्न ग्रेडों के अभ्रक अर्थात नं० 5 का अभ्रक जिसमें स्क्रैप शामिल नहीं है, निर्यात जो 1976-77 में 5.27 करोड़ रु० मूल्य का 3887 मे० टन था, 1981-82 में बढ़कर 6.77 करोड़ रु० मूल्य का 4493 मे० टन का हो गया।

(ग) मिटको अभ्रक के लघु डीलरों को उनके उत्पादों के लिये बेहतर कीमतें दे रहा है तथा 1979 के पूर्व उन्हें कीमतें मिल रही थीं उसकी तुलना में 35 से 40 प्रतिशत के बीच कीमत में वृद्धि हुई है।

(घ) लघु डीलरों की स्थिति को कोई धक्का नहीं पहुँचा है। कोई उपचारात्मक कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

एयरबस की खरीद के लिए एयर इण्डिया द्वारा ऋण प्राप्त किया जाना

3382. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** :

श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया एयर बसों की खरीद के लिये विदेशी संसाधनों से ऋण प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या जरूरत है और इस पर विदेशी संसाधनों का क्या रुख रहा है;

(ग) क्या एयर इन्डिया के वित्तीय सौदों से गत दो वर्षों के दौरान लाभ का पता चलता है और 1982 में स्थिति कैसी है; और

(घ) प्रशासनिक मितव्ययिता द्वारा, विशेषकर लन्दन वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी करके जो मांग से बहुत अधिक है, फिजूल खर्च को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एयर बस खरीदने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऑफर प्राप्त हुए हैं तथा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, अन्तिम रूप से स्वीकृत प्रस्ताव एक एक्सपोर्ट क्रेडिट पैकेज द्वारा तीन एयर बस खरीदने की वित्तीय व्यवस्था करने का है जिसमें से 1100 लाख अमरीकी डालर के बराबर ऋण की व्यवस्था फ्रेंच, जर्मन तथा यू० के० बैंकों द्वारा की जाएगी तथा 880 लाख डालर की व्यवस्था एक यूरो डालर ऋण द्वारा की जाएगी। इन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए मैसर्स लॉयड्स बैंक इंटरनेशनल को आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) एयर इन्डिया को 1979-80 में 15.09 करोड़ रुपये की तथा 1981-82 में 21.30 करोड़ रुपये की हानि हुई। वर्ष 1982-83 के लिए एयर इन्डिया को लगभग 10 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा है।

(घ) एयर इन्डिया द्वारा लन्दन में तैनात कर्मचारियों सहित, कर्मचारी वर्ग की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान कर्मचारियों को लंदन कार्यालय में कार्यभार के आधार तैनात किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबन्धकों को जारी किये जाने वाले अनुदेश

3383. श्री आर० एन० राकेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के केन्द्रीय कार्यालय ने बम्बई के सभी सर्किलों के मुख्य महाप्रबन्धकों को अपने पत्रांक ए० डी० एम०/039464 दिनांक 11 सितम्बर, 1981 के अनुसार अनुदेश दिये हैं कि वे "बी" मदों के अपने एडवाइस प्रस्तुत करें;

(ख) क्या केन्द्रीय कार्यालय के उपरोक्त पत्र की "बी" मद के संदर्भ में कुछ संसद सदस्यों ने भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत) नई दिल्ली के कारण कार्यों में इसके पदाधिकारियों/सक्रिय सदस्यों का उनकी पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करके और उनको दिल्ली में भी रखकर रुकावट डाले जाने के बारे में उनको पत्र लिखा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंक के प्रबन्धकों को उक्त एसोसिएशन के पदाधिकारियों /सक्रिय सदस्यों का स्थानान्तरण रद्द करने हेतु निदेश दिये हैं; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) पदोन्नति के पश्चात् कर्मचारियों की तैनाती बैंक की स्थानान्तरण नीति के अनुसार की जाती है जो कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के सभुदायों से सम्बन्धित व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है । बैंक ने सूचित किया है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारियों सहित इन कर्मचारियों के बारे में इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता ।

मृतक जमाकर्ताओं के बचत बैंक खातों में शेष राशि का भुगतान

3384. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **वित्त मंत्री** जमाकर्ताओं के (उत्तरजीवियों) को बचत बैंक जमा राशियों के भुगतान के बारे में 9 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह मृतक जमाकर्ताओं के बचत बैंक खातों में शेष राशि के उनके उत्तरजीवियों/उत्तराधिकारियों को भिन्न-भिन्न स्तरों पर भुगतान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई सलाह की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और शाखा प्रबन्धकों तथा अन्य अधिकारियों को कितनी राशि तक का भुगतान करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या उनको पता है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक; नई दिल्ली ऐसे मामलों में कोई भुगतान नहीं कर रहा है जहां मृतक के खातों में 15,000 रुपये शेष हैं जबकि विधवा, कानूनी उत्तराधिकारी और मृतक द्वारा नियुक्त निष्पादक द्वारा बिना रजिस्ट्री कराई गई वसीयत पेश कर दी गई है तथा क्षतिपूरण बंध जैसी अन्य औपचारिकतायें भी पूरी कर दी गई हैं तथा वह वसीयत प्रमाणित करवाने के लिए आग्रह कर रहा है जो बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है;

(ग) यूको बैंक ऐसे मामलों में अपनी प्रक्रिया का पालन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वह इस मामले में बैंक को आवश्यक अनुदेश देंगे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1975 में भारत सरकार द्वारा बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए तरीके तथा उपाय सुझाने के वास्ते कार्यकारी दल का गठन किया गया था । उक्त दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

"किसी वैध प्रतिनिधित्व विषयक प्रमाण को प्रस्तुत किये बिना मृत व्यक्ति के खाते में बची शेष रकम की उत्तराधिकारी (यों)/दावेदारों को अदायगी करने के लिए शाखा-प्रबन्धक तथा अन्य

उपयुक्त कार्यकारी स्तरों को पर्याप्त विवेकाधिकार प्राप्त होने चाहिये, लेकिन अदायगी आवश्यक स्थानीय जांच पड़ताल और पर्याप्त क्षतिपूर्ति वचनबद्धता के आधार पर की जानी चाहिए।"

उपर्युक्त सिफारिश कई अन्य सिफारिशों के साथ स्वीकार कर ली गई थी और कार्यान्वयन के लिए उन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास भेजा गया था। यह प्रत्येक बैंक पर छोड़ दिया गया था कि वह अपने प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निर्धारित करे कि इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए कौन-सी कार्य पद्धतियां होंगी और इस प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कितनी रकम के वास्ते इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। बैंकों द्वारा समय-समय पर इन शक्तियों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने सामान्यत: इस तरह के मामलों में प्रमाणित इच्छा-पत्र अथवा प्रशासन-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया है लेकिन जिन मामलों में बैंक दावेदारों की वास्तविकता के बारे में अन्यथा संतुष्ट हो तो, भावी दावों के सम्बन्ध में अपने हित की रक्षा के लिए आवश्यक कतिपय औपचारिकताओं को पूरा कर दिये जाने पर यह शर्त समाप्त कर दी जाती है। इस समय, इस प्रकार के खातों के अन्तिम रूप से निपटाने में जिन कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है वे नामांकन सुविधाओं के शुरू हो जाने पर समाप्त हो जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त कानून प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

बम्बई में ओबराय ग्रुप ऑफ होटल का विस्तार

3385. **श्री आर० मुत्तुकुमारन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओबराय होटल्स ग्रुप ने बम्बई में अपने होटलों का पर्याप्त विस्तार कर लिया है और यदि हां, तो क्या ऐसा विस्तार सरकार की उपयुक्त स्वीकृति से किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार की स्वीकृति सहित या उसके बिना ओबराय ग्रुप द्वारा अपने बम्बई ओबराय टावर्स होटल के किए गये विस्तार का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) ओबराय होटल ग्रुप द्वारा ओबराय टावर्स बम्बई के पास जो होटल निर्मित किया जा रहा है वह एक नई परियोजना है। पर्यटन विभाग द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है और इसमें 300 कमरे होंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास योजना के अन्तर्गत अधिकारियों का प्रशिक्षण

3386. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्यक्रम के अधीन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा था/छात्रवृत्तियों की पेशकश की थी;

(ग) वर्ष 1980-81 में प्राप्त हुये पेशकश की क्या स्थिति है और इन पेशकशों पर प्रशिक्षण हेतु अधिकारी न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नागर विमानन विभाग के अधिकारियों को अब किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है क्योंकि मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशिक्षण हेतु दी गई छात्रवृत्तियों/पेशकश का उपभोग नहीं कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान प्रदान की गई सभी छात्रवृत्तियों का उपभोग कर दिया गया है तथा इसलिए, अधिकारियों को इसके लिए न भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों में वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन

3387. **श्री राजेश पाइलट** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औसतन वार्षिक वर्षा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में वर्षा के पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है और वर्षा के दिनों की संख्या की तुलना में वर्षा के वास्तविक दिनों के दौरान प्रतिमास कितनी-कितनी वर्षा हुई;

(ख) क्या इस पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किये गये हैं ताकि इस वर्ष जयपुर में आई भीषण वर्षा जैसी विभीषकाओं की भविष्यवाणी की जा सके; और

(ग) अब तक क्या उपाय किये गये और ये पिछले 30 वर्षों से लगभग प्रतिवर्ष होने वाले बाढ़ के खतरे का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विभिन्न राज्यों की 100 वर्ष की वर्षा की जांच से पता चलता है कि वर्षा मानक मूल्य के बारे में अनियमित रूप से घटती-बढ़ती रहती है। खराब मानसून देश में औसतन लगभग 4-5 वर्षों में एक बार आती है। सांख्यिकी अध्ययनों से पता चलता है कि वर्षा की पद्धति में परिवर्तन व्यवस्थित नहीं हैं।

(ख) वृहत मौसम पद्धतियों तथा संबद्ध वर्षा की भविष्यवाणी करने सम्बन्धी अध्ययनों में प्रगति हुई है। मानसून के दौरान मासिक वर्षा की दीर्घवरास भविष्यवाणी करने के लिए एक नयी सांख्यिकीय तकनीक चालू की गयी है।

थोड़ी अवधि की जबरदस्त वर्षा के आवेग, जैसा कि जयपुर में हुआ, वृहत् मौसम पद्धतियों में सन्निहित कम अवधि की चक्रता आवर्तिताओं का परिणाम है जिनकी भविष्यवाणी करना कठिन है। इनसैट कार्यक्रम से प्राप्त उपग्रह मेघ चित्रों का प्रयोग यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या ऐसी कम अवधि वाली चक्रता आवर्तिताओं का पता उपग्रह आंकड़ों से चल सकता है।

(ग) बाढ़-नियंत्रण राज्यों का विषय होने के कारण, बाढ़-नियंत्रण योजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इसके लिए निधियों की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं में की जाती है। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को दिए गए महत्व को दृष्टि में रखते हुए, भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि कर दी है जिससे कि राज्य सरकारों द्वारा सम्पादित बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन को तीव्रता प्रदान की जा सके। राज्यों की कुछ दृष्टिष्ट बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए सीमित आकार में केन्द्रीय ऋण सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अनुदेश भी जारी कर दिए गये हैं।

अचानक जबरदस्त बाढ़ों जैसी कि जयपुर में आई, का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। संसार में कहीं भी इसके लिए कोई विश्वस्त तकनीक नहीं है।

लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य करने वाले अवर श्रेणी लिपिक

3388. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय में ऐसे कितने लिपिक (अवर श्रेणी लिपिक) काम कर रहे हैं जिन्हें न तो मुख्य मन्त्रालय के कर्मचारियों में लिया गया है और न ही लेखा संगठन के कर्मचारियों के रूप में;

(ख) कितने अवर श्रेणी लिपिकों को तीन वर्षों से अधिक के समय के बाद भी अर्द्ध-स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ग) उनको सेवा में अर्द्ध-स्थायी न करने के क्या कारण हैं जिससे उनको आगे के पदोन्नति के अवसरों आदि के लिए विभागीय परीक्षाओं में बैठने जैसे सेवा के लाभों से वंचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी।

(ग) इन अवर श्रेणी लिपिकों को, इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों सहित संवर्ग में शामिल किए जाने का प्रश्न कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विचाराधीन है। ज्यों ही इस मामले में कोई निर्णय किया जाता है इन निम्न श्रेणी लिपिकों को यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की संख्या में शामिल किया जाना होगा तो उनकी अर्द्ध-स्थायीवत्ता पर वित्त मन्त्रालय

द्वारा विचार किया जाएगा अथवा यदि उन्हें उनके ही कार्यालय की संख्या में शामिल किया जाना होगा तो उनकी अर्द्ध-स्थायीवत्ता पर लेखा नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप "ग") भर्ती नियमावली, 1978 के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

सोने की तस्करी

3389. **श्री बी० के० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों से गत दो वर्षों में महीनेवार, कितनी मात्रा में सोना जब्त किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में सोने की तस्करी की गई;

(ग) इस अवधि में विदेशों में इसका क्या मूल्य था और भारत का बाजार मूल्य क्या था;

(घ) क्या इस खतरे का मुकाबला करने के उपाय के रूप में कम से कम सीमित मात्रा में सोना आयात करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) विगत दो वर्षों में सोने की हुई तस्करी की मात्रा का कोई अधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1981 तथा 1982 में तस्करी का प्रयास करते समय, सीमाशुल्क अधिकारियों ने जो सोना पकड़ा था उसकी मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	पकड़े गए सोने की अनुमानित मात्रा (किलोग्राम में)
1981	152
1982 (मई तक)	559

(ग) वर्ष 1981 से 1982 (जून तक) की अवधि में सोने का औसत मासिक स्वदेशी मूल्य प्रति 10 ग्राम लगभग 1556 रु० और प्रति दस ग्राम लगभग 1737 रु० के बीच रहा जबकि औसत मासिक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति ट्राय आउंस लगभग 316 अमेरिकी डालर और प्रति ट्राय आउंस लगभग 558 अमेरिकी डालर के बीच रहा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय हथकरघा वित्तीय तथा विकास निगम की स्थापना

3390. **श्री के० ए० राजन :**

श्री के० राममूर्ति :

श्री जगदीश टाइटलर :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा वित्तीय तथा विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम सम्बन्धी ब्यौरा तथा उसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) यह निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी होगा जिसके प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रु० हो गी। इस निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

इस निगम के मुख्य कार्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. हैंक यार्न तथा रंजक पदार्थ और रासायनिक पदार्थों जैसे कच्चे माल की अधिप्राप्ति तथा हथकरघा क्षेत्र में उनका वितरण।

2. जितनी भी अधिक फुटकर दुकानें खोलना आवश्यक हो उन्हें खोलकर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन तथा विपणन अधिनियम को प्रेरित करना।

3. स्पिनिंग/रीलिंग कार्यकलापों का वित्त पोषण।

रक्षा उत्पादन क्षमता का विस्तार

3391. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रक्षा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का निर्णय किया है; यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और उनका पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रक्षा उत्पादन के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग संतोषजनक नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रक्षा उत्पादन में हमारा अनुसंधान और विकास क्षेत्र आवश्यक धनराशि के अभाव में उच्च-स्तर प्राप्त नहीं कर सका है; और

(घ) क्या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकीय सहयोग करके अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की सरकार की कोई योजना है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) रक्षा उद्योगों में उत्पादन

क्षमता बराबर बढ़ाई जाती रहती है और यह रक्षा जरूरतों पर निर्भर करता है। ब्योरे देना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) से (घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लेखे में अनेक उपलब्धियां हैं और यह कहना सही नहीं होगा कि उनका प्रयास अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। धन की व्यवस्था समस्त अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है और धन की मात्रा बराबर बढ़ाई जाती रही है। जहां जरूरी समझा जाता है, वहां विदेशों के साथ तकनीकी सहयोग किया जाता है।

रानीखेत-चिलिनौला रोड को बन्द करना

3392. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सेना अधिकारियों द्वारा स्थानीय सिविल प्राधिकारियों को उचित जानकारी दिये बिना ही जनता द्वारा उपयोग के लिए रानीखेत-चिलिनौला रोड के अचानक बन्द करने के बारे में सूचना मिली है;

(ख) क्या सेना अधिकारियों ने रानीखेत छावनी क्षेत्र में सामान्य जनता द्वारा उपयोग की गई सड़कों को पहले भी बन्द कर दिया था;

(ग) क्या रानीखेत-चिलिनौला रोड पर चालमारी में जिस भूमि पर सेना द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था वह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या परम्परागत रूप से सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त सड़कों पर नाकाबन्दी करना एक ठीक कार्यवाही मानी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन नाकाबंदियों को हटाने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सैनिक अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से रानीखेत-चिलिनौला सड़क बन्द की थी और सिविल प्राधिकारियों को समुचित रूप से इसकी जानकारी दे दी गई थी।

(ख) हाल में सेना ने कोई अन्य सड़क बन्द नहीं की है।

(ग) रानीखेत में राज्य सरकार की भूमि पर सेना कोई निर्माण कार्य नहीं कर रही है।

(घ) सेना ने केवल सुरक्षा कारणों से ही अपनी भूमि पर बैरियर लगाये हैं। फिर भी इस मामले में जनता के वाहनों को उस क्षेत्र से निकलने की अनुमति देने के लिए स्थानीय सिविल अधिकारियों के प्रतिनिधि उसी जगह उपस्थित रहते हैं ताकि जनता को असुविधा न हो। पैदल चलने वाले सड़क का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करते हैं।

(ङ) उपरोक्त 'घ' को देखते हुए लागू नहीं होता।

कनिष्क होटल, नई दिल्ली में दुकानों के लिए टेंडर/कोटेशन मूल्य

3393. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्क होटल, नई दिल्ली में दुकानों के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष लाइसेंस के रूप में 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये से अधिक के लिए कितनी दुकानों के टेंडर/कोटेशन मूल्य थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि दुकान संख्या 5 के लिए सबसे कम टेंडर भरा गया कोटेशन मूल्य प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये से कम था;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम और होटल प्रबन्ध के वित्तीय सलाहकार की सिफारिशों के विरुद्ध बिना किन्हीं टेंडरों के अब यह दुकान प्रतिवर्ष 24,000 रुपये के लिए एक प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है;

(ङ) निगम को हुई वित्तीय हानि के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(च) दोषी व्यक्ति को दंड देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) होटल कनिष्क में 5 दुकानों की लाइसेंसिंग के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के रूप में 4 कोटेशन 3 लाख रु० से अधिक मूल्य की थीं और 11 कोटेशन 2 लाख रु० से अधिक मूल्य की थीं।

(ग) और (घ) दुकान नं० 5 कर मूलत: जेवरों तथा हाथीदांत की वस्तुओं की बिक्री के लिए निर्धारित की गई थी। इस दुकान के लिए प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम टेंडर क्रमश: 3.07 लाख रु० तथा 0.10 लाख रु० के थे।

चूंकि अधिकतम टेंडर भेजने वाले ने होटल प्राप्ति कर देने से इन्कार कर दिया, यह निर्णय किया गया था कि नए टेंडर आमंत्रित किए जाए। बाद में उक्त स्थान पर आर्ट गैलरी स्थापित करने के लिए 24,000 रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस अथवा गैलरी से होने वाली बिक्री का 10%, इसमें जो भी अधिक हो, पर किराये पर दे दिया गया। इस प्रस्ताव को निगम के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी से विचार विमर्श करके, अन्तिम रूप दिया गया था।

(ङ) और (च) आई० टी० डी० सी० ने होटल कनिष्क में अपने संवर्धनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप के एक अंग के रूप में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु आर्ट सेन्टर स्थापित करने के लिए स्थान को किराए पर दिया है। निगम यह उचित नहीं समझता कि इसकी व्यावहार्यता को व्यावसायिक रूपों में ही मूल्यांकित किया जाए क्योंकि इस केन्द्र में आने वाले यात्री

होटल की केटरिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए आकर्षित होंगे जिससे इस होटल के खाद्य और पेयों की बिक्री में अभिवृद्धि होगी।

प्रमुख क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को सुविधा देने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को उदार बनाना

3394. **श्री रेणुपद दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को सुविधा देने के लिए निर्यात दायित्व और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्य अण्डों को समाप्त करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को उदार बनाने के प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इन कम्पनियों का पूंजी गठन क्या होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या विदेशी कम्पनियों पर लागू होने वाली लाइसेंस सम्बन्धी नीति को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्हें केवल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले क्रियाकलापों का निर्यात-प्रधान उद्यमों में ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्हें अपने लाइसेंसों से सम्बद्ध निर्यात दायित्वों के अनुरूप कार्य करना होगा।

केरल में वाइनाड में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना

3395. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल में वाइनाड, जिसकी अधिक पर्यटक आकर्षण क्षमता है, का विकास करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) विविध योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक बंगलों, कैंटीनों/अल्पाहार गृहों का निर्माण किया है, लगभग 100 पर्यटक केन्द्रों पर परिवहन की व्यवस्था की है जिसके लिए या तो विभाग ने सारा धन लगाया है अथवा राज्यों के पर्यटन विभागों के साथ संयुक्त रूप से इन्हें परिचालन और रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 16 यूथ होस्टलों का भी निर्माण किया है, 2 यूथ होस्टल (मैसूर

और पोर्ट ब्लेयर में एक-एक) निर्माणाधीन हैं और चालू योजना अवधि के दौरान पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में 9 और यूथ होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

स्वच्छ और सस्ते आवास के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को, विशेष रूप से उनके लिए जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख तीर्थ/पर्यटक केन्द्रों पर धर्मशालाओं/मुसाफिरखानों/सरायों के निर्माण/विस्तार/सुधार के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सोसाइटीज रजिस्टेशन एक्ट, 1860 के अधीन भारतीय यात्री आवास विकास समिति की स्थापना की है। समिति चित्रकूट और वृन्दावन में एक-एक धर्मशाला (यात्रिका) का निर्माण करेगी जिसके लिए भूमि हासिल कर ली गयी है। समिति ने एक यात्रिका का निर्माण करने के लिए नैना-देवी में भी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और बक्सर, पुरी, द्वारका, गुरुवयूर और तंजावुर में अवस्थानुसार ढंग से यात्रिकाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है बशर्ते भूमि उपलब्ध हो और अनुदानों तथा दान के माध्यम से धनराशि उपलब्ध हो जाए।

(ग) फिलहाल केन्द्रीय पर्यटन विभाग की केरल में वाइनाड का विकास करने की कोई स्कीम नहीं है।

आयातित रबड़ के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया गया अधिक मूल्य

3396. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य बहुत कम हैं तथापि राज्य व्यापार निगम के जरिए आयात किया गया रबड़ का मूल्य देश में निर्मित रबड़ के मूल्य की तरह अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो आयातित प्राकृतिक रबड़ के लिए राज्य व्यापार द्वारा इतना अधिक मूल्य लिये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) आयातित रबड़ की कीमत, जो राज्य व्यापार निगम द्वारा ली जाती है, स्वदेशी रबड़ की कीमत से कम है। आयातित रबड़ की बिक्री कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है जो परिचालन लागतों, राज्य व्यापार निगम के लिए उचित लाभ मार्जिन और आयात शुल्क को ध्यान में रखती है।

"18 मिलियन के० जी० लास लाइकली इन टी, आउटपुट" शीर्षक समाचार

3397. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1982 के "नेशनल हैराल्ड" में 18 मिलियन के० जी० लास लाइकली इन टी आउटपुट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां। मुख्य रूप से वर्षा की कमी के कारण उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों में मई 1982 तक चाय उत्पादन को धक्का पहुंचा। उत्पादन में कुल कमी लगभग 18 मिलियन किग्रा० थी जिसमें से 8 मिलियन किग्रा० उत्तरी भारत से और 10 मिलियन किग्रा० दक्षिणी भारत से हुई। चूंकि सूखे की स्थिति अस्थायी हो सकती है और उत्तरी भारत में भरपूर उत्पादन के महीने अभी आगे आएंगे, स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

"कपास एकाधिकार वसूली योजना" को जारी रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुरोध किया जाना

3398. **श्री उत्तम राठौर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए राज्य में "कपास एकाधिकार वसूली योजना" को जारी रखने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि रूई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना जारी रखी जाए और सरकार उक्त योजना की अवधि को 1-7-1982 से और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

"कोफेपोसा" के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

3399. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, विभिन्न जेलों में इस समय "कोफेपोसा" के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ख) आगुदा जेल, गोवा से हाल ही में श्री एस० एन० बखिया के भाग निकलने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सारे देश में 10 जुलाई 1982 की स्थिति के अनुसार "विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974" के उपबन्धों के अधीन 239 व्यक्ति नजरबन्द थे। राज्य-वार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देश की विभिन्न जेलों में नजरबन्द सभी व्यक्तियों के नामों का संकलन करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी (किन्हीं)

मामले (मामलों) विशेष का उल्लेख करते हैं जिनके बारे में, सूचना चाहते हैं, तो वह एकत्र करके प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) जिन जेलों में "विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारण अधिनियम" के अन्तर्गत व्यक्ति नजरबन्द हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं । भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से खास तौर पर गोआ प्रशासन ने अपनी जेल के प्रशासन का पुनर्गठन करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए उपाय किये हैं ।

विवरण

"विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम" के अधीन दिनांक 10 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार वस्तुतः नजरबन्द व्यक्तियों का राज्यवार ब्योरा ।

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	120
2.	गुजरात	42
3.	तमिलनाडु	15
4.	बिहार	9
5.	दिल्ली	9
6.	गोआ, दमण तथा दीव	8
7.	उत्तर प्रदेश	7
8.	केरल	5
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	पंजाब	2
11.	कर्नाटक	4
12.	केन्द्रीय सरकार	15
	कुल	239

आवास के आवंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना

3400. श्री इन्द्रजीत गुप्त ; क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पति अथवा पत्नी, इन दोनों में से किसी की आवास का आवंटन होने की स्थिति में, को मकान किराया भत्ता न देने के लिए सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में समान नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो यह भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) विद्यमान आदेशों के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी, मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं हैं जिनके पति/पत्नी को एक ही स्टेशन पर, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा नगरपालिका पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि जैसे अर्द्ध सरकारी संगठनों द्वारा आवास आवंटित किया गया हो, भले ही वह उस आवास में रहा हो/रह रही हो अथवा अलग से किराए पर लिए गए आवास में रह रहा हो/रह रही हो। जब किसी सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त स्रोतों में से किसी स्रोत द्वारा आवास दिया जाता है तो उसके पति/पत्नी से सामान्यतः उसी आवास में रहने की आशा की जाती है। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी अथवा उपर्युक्त किसी भी संगठन के कर्मचारी, जिसे नियोजनकर्ता द्वारा आवास आवंटित किया गया हो, के पति/पत्नी (जो सरकारी कर्मचारी हो) को मकान किराए भत्ते की अदायगी उपयुक्त नहीं होगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

3401. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र उपक्रम घाटे में चलते रहे और प्रत्येक को कितना घाटा हुआ और घाटे के क्या कारण है; और

(ख) इनमें से किन उपक्रमों ने स्थिति बदल दी है और उसी वर्ष के दौरान सुधार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ष 1981-82 के लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस वर्ष के दौरान इन उपक्रमों को निश्चित रूप से कितनी हानि हुई। इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समग्र स्थिति अगले बजट-सत्र में संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले "लोक उद्यम सर्वेक्षण- 1981-82" में दर्शायी जाएगी। फिर भी अब तक जो अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो सके हैं, उनके आधार पर वर्ष 1981-82 के दौरान जिन प्रमुख उद्यमों को हानि होने की संभावना है, उनके नाम इस प्रकार हैं :

1. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया।

2. नेशनल टैक्सटाइल कारपो० तथा इसकी कुछ सहायक कम्पनियां।

3. हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०।

4. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि० ।

5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० ।

6. भारत अल्यूमिनियम कं० ।

7. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्र० कारपो० लि० ।

8. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० ।

9. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ।

10. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपो० ।

11. हिन्दुस्तान कारपो० लि० ।

12. फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया ।

13. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपो० ।

14. काटन कारपो० आफ इंडिया ।

15. जैसप एण्ड कं० लि० ।

16. स्कूटर्स इंडिया लि० ।

17. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई०) लि० ।

18. ब्रेथवेट एण्ड कं० लि० ।

19. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि० ।

20. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ।

21. भारत कोकिंग कोल लि० ।

संभावित हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. क्षमता का कम उपयोग किया जाना ।

2. बिजली की व्यवधानपूर्ण सप्लाई होना ।

3. यदा-कदा औद्योगिक श्रमिक सम्बन्धों का बिगड़ जाना ।

4. बाजार में मन्दी रहना ।

(ख) 1980-81 वर्ष में हानि उठाने वाले उन प्रमुख उद्यमों, जिन्हें अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर 1981-82 वर्ष में लाभ होने की सम्भावना है, के नाम इस प्रकार हैं :

1. नैशनल फर्टिलाइजर्स लि० ।

2. बोंगई गांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि० ।

3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० ।

4. एयर इंडिया ।

5. इलेक्ट्रोनिक्स कारपो० आफ इंडिया लि० ।

सफेद तथा काले दूरदर्शन ग्लास शैल का उत्पादन

3403. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बहुत दिन से लंबित सफेद तथा काले दूरदर्शन ग्लास शैल के उत्पादन के प्रस्ताव का सरकार ने हाल ही में अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार की देश में रंगीन दूरदर्शन शुरू करने की नीति को ध्यान में रखकर सरकार ने इस प्रस्ताव के पुनरीक्षण के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

छोटे हथियार तथा इनके गोला बारूद के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

3404. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बार-बार यह नहीं कहा है कि हम छोटे हथियार तथा इनके गोला-बारूद बनाने में आत्मनिर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष सेना की क्रय-सूची में 5000 मशीन पिस्तौल शामिल हैं; और

(ग) जवानों को वर्तमान ईकापुर 7.62 एम० एम० राइफल के स्थान पर 5.56 एम० एम० राइफलें कब तक मिल जायेंगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारत छोटे हथियारों तथा गोलाबारूद का उत्पादन करने में आमतौर के आत्मनिर्भर है । परन्तु सेना की अति तत्कालिक संक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ पिस्तौलों की सप्लाई करने से संबंध में हाल ही में एक विदेशी फर्म के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा बिकास संगठन छोटे हथियारों (5.56 मि० मि० व्यास) की नई श्रेणी का विकास कर रहा है । इसका एक आदिरूप 1984 तक तक उपयोगकर्त्ताओं के परीक्षण के लिए उपलब्ध कर दिए जाने की आशा है । इस नई श्रेणी के छोटे हथियारों के इस्तेमाल इन परीक्षणों के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

रिफंड वाउचर

3405. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मामलों में आयकर अधिकारी देय राशि के रिफंड वाउचर कर निर्धारण का काम पूरा होने पर मांग नोटिस के साथ नहीं भेजते हैं;

(ख) जनवरी, 1981 से मई, 1982 के दौरान, महीने-वार, बम्बई सर्किल में कितने रिफंड की राशि दी गई;

(ग) बम्बई सर्किल में 31 मार्च, 1982 को उन मामलों में, जहां उस तिथि तक कर-निर्धारण का काम पूरा हो गया है, कितने रिफंड वाउचर बकाया पड़े थे;

(घ) बम्बई सर्किल में कितने मामलों में रिफंड देने हेतु अनन्तिम कर-निर्धारण करने के लिए वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान आय कर अधिनियम की धारा 141-क के उपबन्धों का प्रयोग किया गया; और

(ङ) कितने मामलों में रिफंड देने में विलम्ब के कारण ब्याज दिया गया और बम्बई सर्किल में वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान इस प्रकार कितना ब्याज दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों को भेजे गए शिष्ट-मण्डल

3406. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने भारतीय शिष्टमण्डल विदेशों को भेजे गए हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा उनकी उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में "टसर" उद्योग का विकास

3407. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "टसर" उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "टसर" उद्योग के विकास के लिए भारत-स्विट्जरलैंड सहयोग के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उत्तर प्रदेश में ट्रापिकल तथा टैम्परेट टसर रेशम उत्पादन उद्योग दोनों के विकास की गुंजाइश के बारे में सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) ट्रापिकल टसर रेशम उत्पादन के विकास के लिए भारत-स्विट्जरलैंड सहयोग के अन्तर्गत एक परियोजना 1981-82 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत :

(1) 1000 हैक्टार टरमिनेलिया अर्जुन बुश रोपण का काम 5 वर्ष की अवधि में किया जायेगा।

(2) मूल टसर रेशम के कीड़ों के बीज तैयार करने के लिए प्रायोगिक परियोजना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; तथा

(3) पालन पोषण करने वालों को रोग मुक्त बीज सप्लाई करने के लिए ग्रेनेज स्थापित किए जाएंगे।

खनिज निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

3409. **श्री राम अवध** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए खनिजों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश से निर्यातित प्रमुख खनिज तथा अयस्क में शामिल हैं : लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, क्रोम अयस्क, बेराइटिस स्टीटाइल ब्लाक तथा पाउडर, बाक्साइट, नमक, कायनाइट अयस्क।

(ख) अयस्क तथा खनिज के निर्यातों का कुल मूल्य 1979-80 में 392 करोड़ रु०, 1980-81 में 413 करोड़ रु० तथा 1981-82 में अनन्तिम रूप से 429 करोड़ रु० था।

सेवाओं के अधिकारियों द्वारा न्यायालयों के माध्यम से अपनी शिकायतें दूर करवाना

3410. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं के कितने अधिकारी अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए न्यायालयों में गए हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वायुसेना मुख्यालय ने एक गोपनीय पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "किसी भी वायुसैनिक को किसी प्राधिकारी से साक्षात्कार लेने का उसका सेवा का अधिकार नहीं

है और साक्षात्कार न मिलने पर उसकी सेवा का कोई अधिकार नहीं छिनता है और इसे शिकायत नहीं माना जा सकता"; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति, सेवा मुक्त करना/बरखास्त करना समय पूर्व सेवानिवृत्ति, पेंशन आदि से संबंधित मामलों को लेकर 93 सेना अफसरों ने अदालतों में मामले दायर किए हैं।

(ख) साक्षात्कार के लिए सैनिक अफसरों/वायुसैनिकों से प्राप्त अनुरोधों को व्यवस्थित करने के लिए वायु सेना मुख्यालय ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें प्रणालिक मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त अफसरों तथा वायुसैनिकों को उचित शिकायतों का उपयुक्त स्तर पर निराकरण कराने में निरुत्साहित नहीं करते हैं। परन्तु वायुसेना नियमों तथा विनियमों में अफसरों तथा वायुसैनिकों को किसी अधिकारी से साक्षात्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां

3411. श्री अशोक गहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) तस्करी करने के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर क्षेत्रों में कितने व्यक्ति पकड़े गये और उनसे कितने मूल्य की मुद्रा जब्त की गई;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी किये जाने और बदले में वहां से भारत में सोना, घड़ियां, शस्त्र तथा अन्य वस्तुएं लाये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) (ग) और (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। परन्तु इन रिपोर्टों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि पशुओं का सीमा-पार तस्कर-निर्यात करने के बदले में पाकिस्तान से सोने, घड़ियों, हथियारों आदि का किसी बड़े पैमाने पर भारत में तस्कर-आयात हो रहा है।

भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें राजस्थान स्थित भारत-पाक सीमा भी शामिल है, में निवारक और गुप्तसूचना तन्त्र को मजबूत बनाया गया है। इस क्षेत्र में सम्बन्धित प्रवर्तन

एजेंसियों अर्थात् सीमाशुल्क विभाग, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है ताकि उक्त सीमा पर तस्करी के हर प्रयास को रोका जा सके ।

(ख) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में 1979 से 1982 (जून तक) की अवधि में पकड़ी गई मुद्राओं का मूल्य और तस्करी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	पकड़ी गई मुद्राओं का मूल्य
1979	5	1056 रु०
1980	20	39,365 रु०
1981	16	1670 रु०
1982 (जून तक)	3	1247 रु०

"एण्टीसिपेटिंग क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स" शीर्षक समाचार

3412. **श्री हरीनाथ मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1982 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "एण्टीसिपेटिंग क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौसम विज्ञान महानिदेशक के अनुसार "यह संभव है कि विश्व भर का वातावरण संतुलन की एक स्थिति से हटकर सन्तुलन की एक अन्य सर्वोपरि स्थिति पर पहुंच जाये;"

(ग) क्या उनके अनुसार "विश्व के मौसम सम्बन्धी कार्यक्रम में चार भाग थे, एक मौसम आंकड़े कार्यक्रम, एक मौसम व्यवहार कार्यक्रम, एक मौसम के प्रभाव का अध्ययन कार्यक्रम और एक मौसम सम्बन्धी शोध का कार्यक्रम";

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तिम भाग के बारे में मार्गदर्शन देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 10 वैज्ञानिकों का एक बोर्ड बनाया गया था और भारत का उसमें प्रतिनिधित्व है तथा भारत का मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम कार्य में "एक सक्रिय भागीदार होगा;"

(ङ) क्या भारतीय विभाग के पास मानसूनों के बारे में जानकारी का भण्डार है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो क्या "मानसूनों सम्बन्धी जानकारी के उस कोष को" तथा उसके विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) "एंटीसिपेटिंग क्लामेटिक एक्सट्रीम्स" शीर्षक से एक समाचार 10 जून, 1982 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में मौसम विज्ञान के महानिदेशक, डा० पी० के० दास द्वारा दिए गए एक सर्वजनीन भाषण पर आधारित थी। भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग को समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। बोर्ड में एक भारतीय सहित 12 वैज्ञानिक हैं।

(ङ) जी, हां। विभाग के पुणे स्थित राष्ट्रीय डेटा केन्द्र में भारत के लगभग 5,000 वर्षा मापी स्टेशनों से 70 वर्ष से भी अधिक अवधि के दीर्घावधिक वर्षा सम्बन्धी आंकड़े हैं।

(च) वर्षा सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा वर्षा सम्बन्धी विश्लेषण के तकनीकी परिणामों को समय-समय पर भारत तथा विदेशों में विभिन्न वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मौनसून की वर्षा के सांख्यिकीय अभिलक्षणों पर वृहत् कार्य किया है। इन लक्षणों का अब मौनसून की वर्षा के दीर्घपरास पूर्वानुमानों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों के कार्यों की वैज्ञानिक समुदाय ने सराहना की है।

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बैठक

3414. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की जल्दी-जल्दी बैठक होती रही हैं;

(ख) क्या इस बोर्ड की बैठकों के कार्यवाही सारांश रिकार्ड किए जाते हैं;

(ग) क्या उच्चतम पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के बारे में बोर्ड की बैठकों में कोई निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में ऐसे कितने निर्णय लिये गये तथा उन पदों तथा उनके लिए चुने गए उम्मीदवारों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (बीमा और बैंकिंग उपक्रमों को छोड़कर) में शीर्ष स्तर के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल की प्राय: और नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। सितम्बर, 1981 से नवगठित मण्डल की बैठकें सामान्यत: प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को हो रही हैं। सरकारी उद्यम चयन मण्डल की बैठकों की कार्यवाही रिकार्ड की जाती है। सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने वर्ष 1980-81 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 57 पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया तथा इन पदों पर नियुक्ति के लिए 95 व्यक्तियों की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त इस अवधि म सरकारी उद्यमों में 48 पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/कार्यात्मक निदेशकों के पदों के लिए सरकार से 77 व्यक्तियों की सिफारिश की गई।

देहरादून जिले में पोस्त की खेती

3415. श्री वित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय स्थापक संस्थान द्वारा लगाये गये इस आरोप की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जिला देहरादून तथा अन्य स्थानों में कुछेक फार्मों में वर्ष प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर पोस्त की खेती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवैध खेती को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून और उत्तरकाशी जिलों के कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से पोस्त की काश्तकारी थोड़ी मात्रा में हुई है। वर्ष 1980-81 और 1981-82 में जिस क्षेत्र पर पोस्त की गैर कानूनी ढंग से काश्त की गयी है, उसका रकबा क्रमश: लगभग 157 तथा 150 हैक्टेयर बताया गया है।

(ग) पोस्त की अनधिकृत काश्त करने के मामलों में कठोर प्रवर्तन कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एवं सम्बन्धित जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। तदनुसार, ऐसे काश्तकारों के खिलाफ कानून के तहत समुचित कार्यवाही भी की गई है जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से पोस्त की काश्तकारी की है।

मैसर्ज ग्वालियर रैयन्स, मवूर (केरल) द्वारा उत्पादन

3417. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मवूर स्थित एक बिड़ला कम्पनी मैसर्स ग्वालियर रैयन्स ने भारत सरकार से पूर्वानुमान लिये बिना ही उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) इस कम्पनी ने किस तारीख से अपना उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों ने इस कम्पनी के विरुद्ध उचित समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की है; और

(घ) क्या सरकार इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) मैसर्स ग्वालियर रैयन्स, केरल का विस्कोस स्टैपल फाइबर एकक 1968 से बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस के कार्य कर रहा है।

(ग) तथा (घ) ऐसे सभी मामलों की जांच करने तथा उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने न्यायमूर्ति सरकार की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। तथापि, बिना रिपोर्ट दिये आयोग को 1979 में समाप्त कर दिया गया। कम्पनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका जिसने अब सितम्बर, 1980 में सरकार द्वारा घोषित योजना के अधीन विस्कोस स्टेपल फाइबर के अपने अनधिकृत उत्पादन का विनियमित करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पत्र पर अभी निर्णय लिया जाना है।

इस्पात पुनर्वेलन को उद्योग को बैंकों द्वारा राशि

3418. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक इस्पात पुनर्वेलन उद्योग को, अपने उत्पादों को ऊंचा बाजार मूल्य बनाये रखने हेतु अपना स्टाक रोके रखने के लिये राशियां दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस कृत्य का अनुमोदन करती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह निदेश देने का है कि उक्त उद्योग को ऋण सहायता रोक दी जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे व्यापार और उद्योग को ऐसे रूप में वित्त प्रदान न करें जिससे कि सामान की जमाखोरी के माध्यम से सट्टेबाजी के लाभों की संभावना हो।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्ध

3420. **श्री मोहनलाल पटेल** :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री एम० एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम तथा अन्य हवाई अड्डों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं;

(ख) एक्स-रे मशीनों तथा धातु का पता लगाने वाले उपकरणों आदि के सम्बन्ध में वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस मामले में अन्य कमियां क्या हैं; और

(घ) अपने सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को नवीनतम एक्स-रे मशीनों तथा धातु का पता लगा लेने वाले उपकरणों आदि से युक्त करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 51 विमान क्षेत्रों पर 78 डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर प्रतिस्थापित किये गये हैं । 68 विमान क्षेत्रों पर 203 हस्त-धारित मैटल डिटेक्टर सप्लाई किये गये हैं । इनके अलावा, बम्बई तथा दिल्ली विमान क्षेत्रों पर दो-दो एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन यूनिटें भी प्रतिस्थापित की गई हैं ।

(ग) कोई नहीं । उपकरण, तोड़फोड़ तथा नागर निमानन के साथ अन्य प्रकार से गैर-कानूनी हस्तक्षेप को रोकने की दृष्टि से, सुरक्षा प्रबन्धों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

(घ) सरकार का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि सभी विमान क्षेत्रों पर आधुनिक परिष्कृत इलेक्ट्रानिक डिटेक्शन यंत्रों से सुसज्जित किया जाये । इनको पूर्ण रूप से दुर्भेद्य बनाने की दृष्टि से, निम्नलिखित परिष्कृत इलेक्ट्रानिक डिटेक्शन यंत्रों का पता लगाया गया है तथा इनके हमारे विमान-क्षेत्रों पर 1983 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है :

(1) डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर (सभी विमान क्षेत्रों पर)

(2) हस्तधारित मैटल डिटेक्टर (सभी विमान क्षेत्रों पर)

(3) एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन प्रणाली (अन्तर्राष्ट्रीय तथा संवेदी अन्तर्देशीय विमान-क्षेत्रों पर) ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3423. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने में, जिसका कार्य 1 जुलाई, 1982 से आरम्भ होना था, विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इस बारह दिन के विलम्ब से भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को शासित करने वाले कानून मे यह व्यवस्था है कि यह बैंक उस तारीख से

स्थापित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके निर्धारित करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह निर्धारित तारीख 12 जुलाई, 1982 थी। भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रभावित करने वाली यथासम्भव कार्रवाइयां उक्त कानून के उपबन्धों के अनुसार केवल इसी तारीख से की जायेंगी।

शत प्रतिशत निर्यात प्रधान एकक योजना की प्रगति

3424. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यात प्रधान एककों की योजना ठीक नहीं चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि इस योजना में अच्छी प्रगति नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में मामले पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक समझी जाती है।

सरकार ने हिदायतें जारी की हैं कि इस योजना के अन्तर्गत एककों को अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के मामले में अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

3425. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में नई शाखाएं खोलने की स्वीकृति दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) 20-सूत्री कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और योगदान क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति की समीक्षा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट आवधिक रिपोर्टों तथा रिटर्नों की प्रणाली द्वारा समय-समय पर की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक एक संचालन समिति भी कार्यरत है जिसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ इन बैंकों का निरीक्षण करना, उन पर नजर रखना तथा इनके कार्यकलापों की समीक्षा करना शामिल है। इनके कार्य-

निष्पादन के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उस समय तक 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे, उन्होंने 4795 शाखाएं खोली थीं, जमाराशियों में 336 करोड़ रुपये जुटाए थे और 407 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये थे।

(ग) से (ङ) संभवतः यह प्रश्न नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से भी सम्बन्धित है। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के वास्ते स्थानों का निर्धारण एक निरन्तर प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इसका निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक में इस प्रयोजनार्थ गठित संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चार नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। 13 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के वास्ते कार्रवाई की जा रही है जिनके स्थानों का निर्धारण हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों अर्थात छोटे/सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों आदि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है जो कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन निर्धारित लाभ प्राप्तकर्ता भी हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

3426. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि उनका मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोठिया, गढ़वाल (उ० प्र०) में अध्ययन कर रहे, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 1980 में जिला सैनिक बोर्ड लैन्सडाउन, गढ़वाल (उ० प्र०) द्वारा इस प्रकार की छात्रवृत्तियां मंजूर की गई थीं जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) भूतपूर्व सैनिकों के जो बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा रहते हैं उन्हें सैनिक बोर्ड संगठन द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, परन्तु सम्बन्धित राज्य सरकारों और कुछ मामलों में सेना मुख्यालयों द्वारा छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां आवश्यकता पर आधारित होती हैं और स्कूल अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कि छात्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, ये छात्रवृत्तियां वार्षिक आधार पर अदा की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दर और जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां पाने का हक है उनके माता/पिता की आय की सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है।

3. पौड़ी गढ़वाल के श्री रणवीर सिंह रावत के लड़के को छात्रवृत्ति अदा नहीं होने के बारे में श्री रणजीत सिंह तथा श्री सूरजभान इन दो संसद सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जिला सैनिक बोर्ड लैंस, गढ़वाल, उ० प्र० से इस मामले में वस्तुस्थिति का पता लगाया जा रहा है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट को सावधिक ऋणों में बदला जाना

3427. श्री के० मालन्ना :

श्री रेणुपद दास :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री सुनील मैत्रा :

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों द्वारा लिये गये वर्तमान ओवर ड्राफ्ट की कुछ ब्याज दर पर प्रतिदेय सावधिक ऋणों में बदलने के लिये निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की संख्या और उनके नामों का ब्योरा क्या है और राज्यों द्वारा अधिक मात्रा में निकाली गई राशि कितनी है और कब से ली गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके 1981-82 के अन्त में राज्यों के इति शेष घाटे को सावधिक ऋणों में परिवर्तित करने का निर्णय किया है।

(ख) राज्यों के नाम और 1981-82 के अन्त में सावधिक ऋण में परिवर्तित राशियों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

राज्यों के नाम और 1981-82 के अन्त में घाटे की राशियों को दर्शाने वाला

विवरण-पत्र

राज्य	घाटा
	(करोड़ रुपए)
1. आन्ध्र प्रदेश	18.95
2. असम	127.43
3. बिहार	197.39
4. गुजरात	74.60
5. हरियाणा	75.79
6. हिमाचल प्रदेश	36.91
7. केरल	93.93
8. मध्य प्रदेश	154.88
9. महाराष्ट्र	81.40
10. मणिपुर	66.29
11. मेघालय	16.41
12. नागालैण्ड	21.96
13. उड़ीसा	24.43
14. पंजाब	97.35
15. राजस्थान	283.46
16. त्रिपुरा	30.72
17. उत्तर प्रदेश	0.85
18. पश्चिम बंगाल	340.71
	1743.46

मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालरों का जब्त करना

3428. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में हमारे एकान्तक आर्थिक जोन में मछली पकड़ने वाले कितने विदेशी ट्रालरों को जब्त किया गया तथा उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके ये ट्रालर हैं;

(ख) वर्ष 1982 में हमारे तटीय समुद्र में मछली पकड़ने हेतु कितने-कितने विदेशी चार्टर्ड ट्रालर पकड़े गये; और

(ग) वर्ष 1982 में चोरी छिपे मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालरों और विदेशी चार्टर्ड ट्रालरों पर किए गए जुर्मानों आदि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) तट रक्षक संगठन से 16 जुलाई, 1982 को थाई देश का एक मछली पकड़ने का ट्रालर पकड़ा था। कानूनी कार्रवाई जारी है।

एम० आई० निदेशालय में कार्य कर रहे परीक्षकों के लिए तरक्की अवसर

3429. **श्री एच० एन० मन्जे गौडा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मन्त्रालय के एम० आई० निदेशालय में कार्य कर रहे परीक्षकों के लिए तरक्की के अवसरों में रुकावट से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां तो उन पदों का दर्जा बढ़ाकर तरक्की के अवसरों में सुधार करने और/अथवा उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि उनकी सेवा के अवसर बेहतर बन सकें; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और इस मामले में कब तक कुछ ठोस कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) पदोन्नति के अवसर सीमित होने के कारण पदोन्नति स्थिरता के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह स्थिरता कम करने की दृष्टि से 455-700 रु० के वेतनमान में परीक्षकों के चयन ग्रेड में पदों के अनुमति दी गई है।

हवाई अड्डों में लगाये गये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर

3430. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और सागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हवाई अड्डों में लगाये गये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के यूनिटों के के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) डोर फ्रेम मेटम डिटेक्टर यात्रियों को पार करने के ऐसे उपकरण हैं जिनसे यात्रियों की विमान में चढ़ने से पूर्व इलैक्ट्रानिक के जरिये शारीरिक तलाशी ली जाती है। इसके 92 सैट प्राप्त कर लिए गए हैं तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय तथा ऐसे विभिन्न अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध करा दिए गए हैं जिनसे होते हुए अनुसूचित परिचालन किए जाते हैं। इनमें से, 78 सेट पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं तथा बाकी सेट स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं चूंकि इनमें काफी सिविल निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। इन यूनिटों के बहुत शीघ्र ही स्थापित किए जाने की आशा है।

वायुदूत सेवा से कवर होने वाले ऐसे विभिन्न विमान क्षेत्रों पर सप्लाई करने के लिए, जिन पर वायुदूत सेवाएं परिचालित की जाती हैं, डोर फ्रेम मैटल के अतिरिक्त 30 सेटों की खरीद एवं प्राप्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इनमें से, 15 सेटों के 31.7.82 तक डिलीवरी किए जाने की आशा है।

राज्यों में ग्रामीण बैंकों की शाखायें

3431. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूरे देश में चल रहे ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या क्या है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) उन बैंकों के कार्य की समीक्षा कब की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उन राज्यों में ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलने में क्या बाधायें हैं जहां अभी तक यह नहीं खोली गई हैं; और

(घ) क्या ग्रामीण बैंकों की शाखायें ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरी कर रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। इस प्रकार के बैंक देश के विभिन्न भागों में मुख्यत: इस उद्देश्य से स्थापित किये जा रहे हैं कि कमजोर वर्गों अर्थात् छोटे/सीमान्तिक किसानों, कृषि मजदूरों, देहाती कारीगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसाधन वाले अन्य व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

इस समय देश के 19 राज्यों में 205 जिलों को व्याप्त करते हुए 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक इस प्रकार के कार्यरत 107 बैंकों ने 4795 शाखाएं खोली थीं। इन शाखाओं ने जमा के लिए 336 करोड़ रुपये की रकम जुटाई थी और उनके द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि 29 लाख से अधिक ऋणकर्त्ता खातों में 407 करोड़ रुपये थी।

नियतकालिक रिपोर्टों/विवरणियों की प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य की लगातार जांच की जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विषयक एक जांच समिति भी

भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत है। इस समिति के कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण बैंकों के कार्य का परीक्षण, निगरानी तथा पुनरीक्षण शामिल है। इन बैंकों की स्थापना कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। अनुमान है छठी आयोजना की अवधि के अन्त तक इनकी स लगभग 170 तक पहुँच जाएगी। अब तक उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को बिल्कुल कारगर तरीके से पूरा कर रहे हैं।

इलायची और लौंग का आयात और निर्यात

3432. **श्री रामलाल राही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष सरकार द्वारा लौंग और इलायची का कितनी मात्रा में आयात और निर्यात करने का प्र है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) खुले सामान्य लाइसेन्स के अ लौंग का आयात करने की अनुमति है। इस मद के निर्यात पर भी कोई नियंत्रण नहीं है।

इलायची के आयात पर रोक है। कतिपय शर्तों के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसे अन्तर्गत इसका निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

चालू वर्ष के दौरान जितनी मात्रा में इन मदों का आयात अथवा निर्यात करने का प्र है, उसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का विकास

3433. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम विकसित करने और उ विस्फोट करने के अन्तिम चरण में है और वर्ष 1982 के अन्त में या 1983 के शुरू में वह अपना पहला परमाणु परीक्षण कर सकता है; और

(ख) पाकिस्तानी बम के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त की गई नवीनतम जानकारी क्या और पाकिस्तान की ओर से ऐसे खतरे का प्रतिकार करने या इससे सन्तुलित करने के लिए सर ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) रिपोर्टों के अनु पाकिस्तान यूरेनियम को परिष्कृत करने और प्रयोग में लाये गये ईंधन को पुनः उपयोगी ब की क्षमता प्राप्त करने के प्रयासों में लगा हुआ है जिससे वह परमाणु विस्फोट करने में सक्षम सके। देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सरकार नजर रखती है पूरी रक्षा तैयारियां बनाने रखने के लिए समुचित उपाय करती है।

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

3434. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 सितम्बर, 1977 से अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का 50 प्रतिशत पेन्शन के रूप में देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी दी गई है जो 1 मार्च, 1978 को सेवा निवृत्त हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1977 से 28 फरवरी, 1978 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं; उन्हें यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सम्भवतः, यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय द्वारा 25 मई, 1979 को जारी किये गये आदेशों से सम्बन्ध रखता है जिसमें 30 सितम्बर, 1977 को अथवा इसके बाद सेवा-निवृत्त हुए/होने वाले कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी लाभों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते के एक अंश को महंगाई वेतन माना गया था। इस आदेशों में से निर्धारित किया गया था कि 28-2-78 तक अर्थात इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 5 महीने के अन्दर जो कर्मचारी (इनको छोड़कर जो निर्दिष्ट सीमा से ऊपर वेतन ले रहे हैं) सेवा निवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए महंगाई वेतन के रूप में माने गये महंगाई भत्ते की केवल $\frac{1}{2}$ राशि को ही गिनने के लिए मात्र होंगे और 1-3-78 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पूर्ण लाभ के हकदार होंगे।

(ग) सामान्य पेन्शन नियमों के अधीन, उक्त आदेशों के पूर्ण लाभ उन कर्मचारियों को स्वीकार्य होते जिन्होंने सम्बन्धित महंगाई वेतन कम से कम 10 महीने की अवधि के लिए लिया होता। ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने महंगाई वेतन अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए लिया होता, इस सम्बन्ध में उनके पेन्शन सम्बन्धी लाभ तदनुसार कम होते। सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक रियायत के रूप में, यह निर्धारित किया गया था कि आदेशों के जारी होने की तारीख के 5 महीने की अवधि के अन्दर जो कर्मचारी सेवा-निवृत्त होते हैं उन्हें महंगाई वेतन के 50 प्रतिशत तक लाभ दिया जाये जबकि इस अवधि के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूर्ण लाभ दिया जाये। इस प्रकार सामान्य नियमों के अन्तर्गत जो लाभ स्वीकार्य होते उसकी अपेक्षा ये आदेश अधिक उदार थे।

विश्व बैंक की ब्याज की पुनरीक्षित परिवर्तनीय दरों से भारत के ऋण पर प्रभाव

3435. **श्री डी० पी० यादव :**

श्री के० ए० राजन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की अस्थिर ब्याज की पुनरीक्षित परिवर्तनीय दरों से भारत के ऋण पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ब्याज की परिवर्तनीय दरों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित ब्याज की दरों के रुख पर ज्यादा निर्भर करेगा। अभी पिछले दिनों तक प्रचलित 11.6 प्रतिशत ब्याज की दर के मुकाबले ऋण देने की नई दरों के 11.43 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नयी निर्यात नीति

3436. श्री ई० बालानन्दन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई निर्यात नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम में लम्बित दावे

3437. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के कितने दावे लम्बित पड़े हैं;

(ख) कितने दावे, जो चार और छः साल पुराने हैं और कितने दावे मृत्यु से सम्बन्धित हैं;

(ग) उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) दावों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के लम्बित दावों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 के अनुसार सूचना इस प्रकार है :

	दावों की संख्या	दावों की राशि (करोड़ रुपए)
कुल लम्बित दावे	1,50,164	56.75
दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित दावे	10,511 (3923 मृत्यु दावों सहित)	3,97

ये आंकड़े अनन्तिम हैं और अभी इनकी लेखा परीक्षा की जानी है।

चार छः वर्ष से अधिक समय से लम्बित दावों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) दावों के लम्बित रहने के मुख्य कारण ये हैं :

(1) पालिसी होल्डरों से क्लेम फार्म और डिसचार्ज फार्म प्राप्त न होना,

(2) पालिसी होल्डरों द्वारा हक जारी का सबूत पेश न किया जाना या अन्य अपेक्षार्थी का पूरा न किया जाना;

(3) मृत्यु दावों और खास तौर से जल्दी मृत्यु हो जाने के दावों की जांच-पड़ताल पूरी करने में समय लगना।

कुछ मामलों में दावों को निपटाने में देरी ऐसे कारणों से भी हो जाती है जिनकी जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम के कार्यालयों पर होती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण आरम्भ करना

3438. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के 25 जिलों में औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने उन जिलों को चुना है जहां मध्यम और बड़े औद्योगिक उद्यम नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने जिले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 25 जिलों में तकनीकी परामर्शदाता संगठनों के जरिये केवल औद्योगिक संभावना के सर्वेक्षण का प्रबन्ध करने के लिए एक कक्ष की स्थापना की है।

(ख) और (ग) सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे 83 जिले निर्धारित किये हैं जहां मध्यम/बड़े दर्जे के औद्योगिक एकक नहीं हैं।

सरकारी उपक्रमों में निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

3439. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री रविन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में एक वर्ष से अधिक समय से निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता के हित में इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय मण्डल स्तर के ऐसे पूर्णकालिक पदों से है जो एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक पद तथा कार्यात्मक निदेशकों के 4 पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए हैं। इनमें से सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद सहित 4 पदों के बारे में सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है और सरकार उन पर तत्परतापूर्वक विचार कर रही है। पांचवें पद के लिए चयन कार्य सम्बद्ध उपक्रम के कहने पर स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उस उद्यम का संगठनात्मक ढांचा समीक्षाधीन है।

सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करने, जिसके लिए कभी-कभी पुनर्चयन करने की भी आवश्यकता हो सकती है, सरकार द्वारा इस प्रकार के मामलों पर विचार किए जाने में समय लगना, व्यक्तियों द्वारा पदों पर कार्यभार सम्हालने में विलम्ब होना, चुने हुए व्यक्तियों का तुरन्त उपलब्ध न हो पाना आदि इन पदों के रिक्त पड़े रहने के कुछ कारण हैं। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम में रुकावट न पड़े, ऐसे सभी मामलों में अन्तरिम व्यवस्था की जाती है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार के पद रिक्त पड़े रहें और वस्तुत: वह ऐसी रिक्तियों पर अग्रिम नियुक्तियां करने की प्रणाली तैयार कर रही है, ताकि सुगम पदारोहण सुनिश्चित किया जा सके।

आयकर विभाग की कर-निर्धारण प्रक्रिया से छापों के दौरान जब्त की गई लेखा बाह्य आस्तियों को अलग करना

3440. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय आयकर विभाग की कर-निर्धारण प्रक्रिया से छापों के दौरान जब्त की गई लेखा बाह्य आस्तियों को अलग करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर कर अपवंचन और काले धन को बढ़ने से रोकने के लिए आयकर विभाग को और क्या अधिकार दिए गए हैं; और

(ग) छापों के दौरान जब्त किये गये सामान के उचित वितरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। कानून में मौजूदा उपबन्धों को इस प्रयोजन के लिए पूर्णतया पर्याप्त समझा गया है। तथापि, अन्य अथवा अपेक्षाकृत अच्छे विधायी उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा सरकार अनुभव के आधार पर अथवा संसदीय समितियों और विशेषज्ञ-निकायों की सिफारिशों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त सुझावों आदि को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक और उपाय करेगी। माल की जब्ती के लिए

आयकर अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि, पकड़ी तथा रोकी गई लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों को कर देनदारियों के प्रति विनियोजित कर दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

3441. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं और क्या उनकी राज्यवार सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) देश के सभी जिलों में ग्रामीण बैंक खोलने के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों, जो देश के सबसे अधिक पिछड़े सामावर्ती जिले हैं, में ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन जिलों में ग्रामीण बैंक कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार, भारत में राज्यवार और जनसंख्या समूहवार बैंक कार्यालयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1982-83 से 1984-85 के वर्षों के वास्ते, शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में औसतन प्रति 17,000 व्यक्तियों के पीछे 1981 की जनगणना के मुताबिक एक बैंक शाखा की व्याप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से कमी वाले सामुदायिक विकास खण्डों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत वाणिज्यिक बैंकों को 7540 अतिरिक्त शाखाएं खोलनी होंगी।

इस समय, 207 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। छठी आयोजना के अन्त तक 270 जिलों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्याप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के वास्ते एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, वह राजस्थान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार भारत में राज्यवार और जनसंख्या समूहवार बैंक कार्यालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय/ पत्तन नगर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1587	690	269	399	2945
2.	असम	315	184	51	—	550

1	2	3	4	5	6
3. बिहार	1828	526	306	—	2660
4. गुजरात	1079	647	361	328	2425
5. हरियाणा	474	282	94	—	850
6. हिमाचल प्रदेश	335	63	—	—	398
7. जम्मू एवं कश्मीर	362	52	121	—	535
8. कर्नाटक	1481	623	304	499	2907
9. केरल	1090	953	216	138	2397
10. मध्य-प्रदेश	1474	473	411	—	2358
11. महाराष्ट्र	1424	781	664	957	3826
12. मणिपुर	24	2	13	—	39
13. मेघालय	37	29	—	—	66
14. नागालैंड	28	17	—	—	45
15. उड़ीसा	825	184	126	7	1142
16. पंजाब	871	450	334	—	1655
17. राजस्थान	1015	418	304	—	1737
18. सिक्किम	3	3	—	—	6
19. तमिलनाडु	1276	858	533	510	3177
20. त्रिपुरा	59	27	—	—	86
21. उत्तर-प्रदेश	2597	843	879	193	4512
22. पं० बंगाल	959	487	231	711	2388
23. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8	—	—	4	12
24. अरुणाचल प्रदेश	24	—	—	—	24
25. चंडीगढ़	10	—	74	—	84
26. दादर और नगर हवेली	5	1	—	—	6
27. दिल्ली	69	1	—	830	900
28. गोवा, दमन और दीव	168	75	—	3	246
29. लक्ष्यद्वीप	5	—	—	—	5
30. मिजोरम	8	4	—	—	12
31. पांडिचेरी	25	9	—	20	54
जोड़	19465	8682	5291	4609	38047

विदेशी ऋण

3442. प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश पर मार्च 1982 तक विदेशी ऋण की कुल कितनी धनराशि है;

(ख) देश-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हमें विदेशों को तथा अन्य संस्थाओं को उस ऋण पर प्रतिवर्ष कुल कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जिसे हमारी सरकार ने अब तक लिया है; और

(घ) हमें अपने देश को सभी प्रकार के विदेशी ऋणों से छुटकारा दिलाने के लिए कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश वर्षों से आयोजनागत व्यय के बढ़ते हुए अंश का देश में ही संसाधन जुटाकर लगातार वित्तपोषण करता आ रहा है और इस तरह विदेशी संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम करता रहा है। विदेशी उधारों और ऋणों का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है ताकि विदेशी संसाधनों की आवश्यकता को और कम किया जा सके।

विवरण

क्रम सं०	देश/संस्था का नाम	(करोड़ रुपए) 31 मार्च, 1982 को बकाया ऋण
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	27.95
2.	बेल्जियम	64.60
3.	कनाड़ा	441.49
4.	डेनमार्क	27.07
5.	फ्रांस	323.04
6.	जर्मन संघीय गणराज्य	1361.87
7.	इटली	12.00

1	2	3
8.	जापान	939.37
9.	नीदरलैण्ड	525.16
10.	स्विट्जरलैण्ड	19.93
11.	यूनाइटेड किंगडम	722.32
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2969.33
13.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	733.30
14.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5300.45
15.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय विशेष कार्य	49.64
16.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	21.75
17.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	555.02
18.	संयुक्त अरब अमीरात	62.87
19.	इराक	90.80
20.	ईरान	775.31
21.	आबूधाबी फण्ड	16.56
22.	साऊदी फण्ड	73.53
23.	कुवैत फण्ड	66.88
24.	ओपेक फण्ड	46.80
25.	चैकोस्लोवाकिया	20.43
26.	हंगरी	7.92
27.	पोलैन्ड	4.27
28.	सोवियम समाजवादी जनतंत्र संघ	189.88
	जोड़	15,458.54

भाग (ग) विदेशी ऋणों पर अदा की गई ब्याज की कुल राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि करोड़ रुपए
1981-82	276.30
1982-83 (बजट अनुमान)	304.65

समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल में बैंकों में लम्बित योजनाएं

3443. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल में बैंकों में लगभग तीस हजार योजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल में बैंकों के पास विचाराधीन पड़े प्रस्तावों की वास्तविक संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना में देरी सहित विभिन्न पहलुओं के कारण इस राज्य में पीछे रह गया है। फिर भी, राज्य में संस्थागत ऋण के प्रवाह की गति नियमित रूप से बढ़ रही है। 1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम के वास्ते संवितरित किए गए सावधि ऋणों की राशि 2.57 करोड़ रुपये थी। 1981-82 में यह बढ़कर 4.22 करोड़ रुपये हो गई।

पूंजी निवेश बन्ध-पत्रों की बिक्री

3444. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी निवेश बन्ध-पत्रों की बिक्री शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पहले 15 दिन के भीतर कितने मूल्य के बन्ध-पत्र बेचे गए; और

(ग) इन बन्ध-पत्रों की बिक्री से सरकार को कितना धन प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पहले पखवाड़े में पूंजी निवेश बांडों की बिक्री से 5.88 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार को चालू वर्ष में इन बांडों की बिक्री से 250 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की आशा है, जैसाकि 1982-83 के बजट में अनुमान लगाया गया है।

लन्दन में एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3445. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित एयर इंडिया के कर्मचारी गत कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अधिकारियों ने वहां पर एयर इंडिया के कार्यालय में गम्भीर कदाचारों के आरोप लगाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई जांच की गई है तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इंडिया, लंदन के लगभग 300 स्थानीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यातायात तथा सामान्य कर्मचारी संघ ने, बुकिंग कार्यालय तथा विमानन क्षेत्र पर रोस्टर समयावली में परिवर्तन पर इस आधार पर आपत्ति की कि ये परिवर्तन उनसे सलाह-मशवरा किए बिना किये गये हैं तथा कार्य करना बन्द कर दिया। एक कर्मचारी ने रोस्टर में अपने आप समय अंकित कर दिया तथा अन्य स्टाफ को परामर्श दिया कि वे भी वही समय भरें। इस प्रकार की कदाचार की कार्यवाही को गम्भीरता से लिया गया तथा कर्मचारी को सरकारी दस्तावेजों में हेर-फेर करने तथा ड्यूटी के स्थान से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा देर से हाजिर होने के आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया गया। बाद में, जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बरखास्त कर दिया गया। संघ ने एयर इंडिया के इस निर्णय पर नाराजगी जाहिर की तथा अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी।

(ग) और (घ) आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार उद्योग गृहों से अग्रिम धनराशि की वसूली

3446. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एकाधिकार उद्योग-गृह जनता से निक्षेप एकत्र कर रहे हैं, सरकार का विचार, इन एकाधिकार गृहों (प्रथम बीस) को आगे और अग्रिम धनराशियां लेने से रोकने और पहले से ले रखीं अग्रिम धनराशियों को वापस कराने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इन गृहों (प्रथम बीस) को बड़ी मात्रा में दी गई अग्रिम धनराशियों को वसूल करने की क्या संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो 1981 के दौरान इन गृहों (प्रथम बीस) से कुल कितनी अग्रिम धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) प्रत्येक एकाधिकार गृह को 1981 के दौरान कितनी अग्रिम धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपनी संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते एकाधिकारी घरानों ने जनता से जमा राशियां इकट्ठी करना आरम्भ किया है। सरकार बैंकों या सार्वजनिक सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाएं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी०

आई०) एकाधिकारी घरानों को और आगे अग्रिम स्वीकृत करना बन्द करने अथवा उन्हें पहले से संवितरित अग्रिमों का वापस मांगने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रही हैं।

(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएं, सहायता प्राप्त उपक्रमों से, अपनी बकाया की समय से वसूली के वास्ते लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करने, आवधिक निरीक्षणों की आवृत्ति बढ़ाने, उपक्रमों के प्रवर्तकों/मुख्य कार्यपालकों के साथ बार-बार वैयक्तिक चर्चाएं करने आदि जैसे माध्यमों से सभी संभव प्रयास करते हैं। ऋण करारों में विहित शर्तों के अनुसरण में सहायताप्राप्त उपक्रमों के बोर्डों में वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा नियुक्त किये गए नामित निदेशक भी कम्पनियों द्वारा की जाने वाली वापसी अदायगी पर नजर रखते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकाधिकारी घरानों को और आगे अग्रिम स्वीकृत करना बन्द करने अथवा उन्हें पहले से संवितरित अग्रिमों को वापस लेने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रहा है।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एकाधिकार घरानों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे क्रमशः अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध 2 में दिये गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4369/82**] तत्काल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, एकाधिकारी घरानों की ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम 2038.16 करोड़ रुपये के थे। एकाधिकारी घरानों को 1981 के दौरान किये गये संवितरणों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसरण में बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

मिग के लिए नया इंजन

3447. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया इंजन बनाया है जिससे गर्म जलवायु में मिग विमान को कार्य करने में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा इसके विकास और निर्माण की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके निर्माण का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इससे भारतीय वायु सेना की आवश्यकता किस हद तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। मिग विमानों के लिए विशेष रूप से कोई नया इंजन नहीं बनाया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

मालदा जिले में चांचल में मिली जूट मिल

3448. **डा० गोलम याजदानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् मालदा जिले में चांचल में कोई मिनी जूट मिल अथवा कम से कम एक सुतली मिल स्थापित करने की कोई योजना सरकार के पास है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस क्षेत्र की इस गंभीर समस्या पर ध्यान देगी और पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए स्थानीय तौर पर कच्चे पटसन का उपयोग करने के लिए कुछ करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) टाट की मंदी की बाजार स्थितियों की वजह से इस समय जूट उद्योग संकट से गुजर रहा है। बहुत सी जूट मिलें विभिन्न कारणों से बन्द है। इसलिए मालदा जिले में नई जूट मिल स्थापित करने पर विचार करने के लिए यह समुचित समय नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में कच्चे जूट की उपलब्धता के आधार पर उस क्षेत्र में जूट मिल स्थापित करने के बारे में तय नहीं किया जा सकता। सप्लाई-मांग सन्तुलन पर देश की आवश्यकताओं तथा विपणन सम्बन्धी बाधाओं, वित्त की उपलब्धता, लागत सम्बन्धी कारकों जैसे अन्य आर्थिक कारकों के सामूहिक संदर्भ में विचार किया जाना होगा जोकि किसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्थापना में अधिक निर्णायक कारक होते हैं।

ऋण नीति को उदार बनाना

3449. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अप्रैल, 1982 से, दो महीने के भीतर वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात को घटाकर 7 प्रतिशत करके, कसी हुई ऋण-नीति में दो बार उदारता बरती जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इतनी कम अवधि के भीतर ऋण नीति में दो बार उदारता बरतने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नकदी अनुपात समेत ऋण नीति के विभिन्न पहलू, अर्थ व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित किये जाते हैं। तदनुसार, बैंकिंग प्रणाली की नकदी स्थिति, जमा की जाने वाली राशि में वृद्धि की संभावनाओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बार अर्थात् 9 अप्रैल, 1982 तथा 11 जून, 1982 से नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को कम कर दिया था।

दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई के बीच दैनिक बोइंग सेवा

3450. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई के बीच दैनिक बोइंग यात्री सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष 1982-83 के दौरान यह सेवा कब तक लागू कर दी जाएगी; और

(ग) क्या इन्दौर हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और क्या उस हवाई पट्टी पर बोइंग के उतरने और उड़ान भरने में कोई खतरा नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इन स्टेशनों को बोइंग-737 विमान द्वारा जोड़े जाने की संभाव्यता पर, 1982 की शीतकालीन समय सारिणी को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा जोकि परिचालनों की मितव्ययिता पर निर्भर करेगा।

(ग) सीमित बोइंग परिचालनों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उड़ीसा में पर्यटन विकास

3451. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1982-83 के दौरान पर्यटन विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के अतिरिक्त पर्यटन और नागर विमानन के कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) 1981-82 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने उड़ीसा का भ्रमण किया और वे किन-किन स्थानों पर गए; और

(ग) क्या उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए कोई विशिष्ट सुझाव दिए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1982-83 के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास के पहले से शुरू किए गए/शुरू किए जा रहे कार्यक्रम ये हैं :

पर्यटन विभाग

(1) सिमलीपाल में एक वन-गृह का निर्माण;

(2) चिल्का झील में जल क्रीड़ाओं का शुरू किया जाना।

(3) व्यवहार्यता अध्ययन और धनराशि की उपलब्धता और साथ ही परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए रानी गुम्फा में ध्वनि-व-प्रकाश शो माउंट करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम

(1) होटल कलिंग (अशोक), भुवनेश्वर का विस्तार,

(2) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम, यथा :

(क) पुरी में एक 3-स्टार होटल और कोणार्क में समुद्र-तट कम्पलेक्स (विचाराधीन),

(ख) एक लायन सफारी पार्क नन्दन-कानून का विकास।

(ख) विदेशी पर्यटकों के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं न कि राज्यवार आधार पर।

(ग) कोणार्क का विकास करने के लिए एक मास्टर-प्लान केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण तथा आवास मंत्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से तैयार कराया गया था। इसे राज्य सरकार को अनुमोदन प्रदान करने और अधिसूचित करने के लिए भिजवाया गया है। मामला अभी भी राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ा है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने ललित-गिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी की मास्टर-प्लान तैयार करने का काम भी नगर व ग्राम आयोजन संगठन को सौंपा है। निम्नलिखित यात्रा परिपथ समन्वित और एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित किए किये हैं :

(1) भुवनेश्वर--पुरी--कोणार्क--धौली--रत्नागिरी--ललितगिरी--उदयगिरी--मद्रेक-चांदीपुर-किंचिंग-जोशीपुर (सिमलीपाल) और वापसी।

(2) भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर समुद्रतट पर-तप्तापानी-कोरापुत-बोलनगीर-झार-समुदा-अंगुल-तिरकापारा-तलचेर-भुवनेश्वर।

धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए स्कीमों को शुरू किया जाएगा।

दानापुर छावनी क्षेत्र में सड़कों और नालियों की मरम्मत

3452. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी क्षेत्र में अनेक सड़कें और नालियां 1971 और 1976 में बाढ़ के कारण टूट गई हैं, यदि हां, तो उनकी वर्षवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए छावनी बोर्ड को 80 लाख रुपये देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार ने 1979 के दौरान सड़कों की मरम्मत के लिए 7.31 लाख रुपये मंजूर किये हैं;

(घ) सेना इंजीनियरी सेवा, दानापुर ने अभी तक यह कार्य शुरू नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख तक बाकी राशि मंजूर कर दी जाएगी ताकि सड़कों और नालियों की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। 1971 और 1976 की बाढ़ में कुल 37 सड़कों तथा 31 नालियों को क्षति पहुंची थी। उनका वर्ष-वार ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । वस्तुत: एम० ई० एस० ने चौबीस सड़कों की पहले ही मरम्मत कर दी है ।

(ङ) क्योंकि दानापुर छावनी बोर्ड को दी जाने वाली अनुदान की राशि धन की उपलब्धता और अन्य छावनी बोर्डों की आवश्यकता पर निर्भर करती है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि अनुदान की मात्रा कितनी होगी अथवा दानापुर छावनी बोर्ड को सड़कों और नालियों की मरम्मत करने के लिए कितने समय में यह अनुदान दे दिया जाएगा ।

पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बचत जुटाना

3453. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों को बचत जुटाने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण-जमा अनुपात को बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने चालू वित्तीय वर्ष के पिछले तीन महीनों के दौरान जमाराशि में 1605 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 2561 करोड़ रुपये थी। हालांकि, जमाराशियों में वृद्धि के क्षेत्रवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, पूर्वी क्षेत्र में, बैंकों को लोगों की बचतों को जुटाने में कोई विशेष कठिनाईयां पेश नहीं आ रही प्रतीत होती हैं ।

बैंकों को जमाराशियां जुटाने में मदद के वास्ते अल्प तथा मध्यमावधि परिपक्वताओं वाली जमाराशियों पर ब्याज की दरों को बढ़ाने, जमाराशियों पर ब्याज से होने वाली आय को आयकर से छूट आदि जमाराशियों की ऊपरी सीमा में वृद्धि जैसे विभिन्न कदम उठाये जाते हैं । ऋणों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नकदी-निधि शर्तों को कम करने तथा पुनर्वित्त सुविधाओं को उदार बनाने के कदम उठाये गये हैं । जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, भुवनेश्वर में 30-6-1982 को क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में, पूर्वी क्षेत्र में बैंकिंग विकास की समीक्षा के उपरान्त बैंकों से पूर्वी क्षेत्र में उनके अग्रिमों को बढ़ाने के वास्ते क्रमबद्ध प्रयास करने को कहा गया है जिससे कि विशेष रूप से बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ऋण: जमा अनुपात में वृद्धि हो सके ।

आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए कदम

3454. **श्री रामविलास पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : दूसरे मंत्रालयों की तरह रक्षा मंत्रालय में भी समूह क, ख, और ग में रिक्त पदों को मुख्यत: गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के मार्फत भरा जाता है जिन्हें रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में भी आवश्यक उपाय करने होते हैं। समूह "घ" पदों के मामले में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों से भरे जाने वाले रिक्त पदों के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, अर्थात उनका रोस्टर रखना, सम्बन्धित वर्ष में रिक्त पदों को आगे ले जाना, आदि का कड़ाई से पालन किया जा रहा है

बैंकों का कार्यकरण

3455. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बैंक के कार्यकरण से सम्बद्ध विषयों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राजधानी में 6 जुलाई, 1982 को एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या हुआ; और

(ग) बैंक कर्मचारियों में बढ़ती अनुशासनहीनता तथा अकुशलता को रोकने के लिए तथा सुधरी ग्राहक सेवा, जो पिछले कुछ समय से बहुत बिगड़ गई है, लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को अपनी परिचालनात्मक कार्यक्षमता को सुधारने के वास्ते सतत प्रयास करने की सलाह दी गई। किए जाने वाले उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, निरीक्षण तन्त्र को मजबूत बनाना, कर्मचारियों में अनुशासन और उपस्थिति में नियमितता में सामान्यत: सुधार करना, ग्राहकों की कठिनाइयों का उचित निदान आदि शामिल हैं।

गया से पटना के लिये फीडर सेवा

3456. **श्री रंजीत सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बिहार में पटना से गया के लिए फीडर सेवा आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) क्या उन्होंने एक वर्ष पूर्व यह सेवा आरम्भ करने का सदन में आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इसे लागू न करने के क्या कारण हैं और सरकार कब तक इसे लागू करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। बिहार में गया उन 23 स्टेशनों में से एक है जिन्हें वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में विमान-सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। वायुदूत का गया के लिए 2 अक्तूबर, 1982 से अपने परिचालन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

ग्रेट ब्रिटेन को चाय के निर्यात में कमी

3457. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय चाय के आयात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1970 की तुलना में 1980 में कितनी कमी हुई; और

(ग) भारतीय चाय के ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य देशों को निर्यात के संवर्धन हेतु तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) हालांकि भारत से ब्रिटेन द्वारा आयात की गई चाय की मात्रा, जो 1979 में 96.62 मि० किग्रा० थी, 1980 में गिरकर 45.51 मि० किग्रा० रह गई, परन्तु निर्यात आय, जो 1979 में 70.47 करोड़ रु० थी, 1980 में बढ़कर 87.15 करोड़ रु० तक पहुंच गई।

(ग) भारत से चाय के निर्यात में सुधार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा किये गए उपायों में ये शामिल हैं :

(1) 14-2-1979 से चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति।

(2) जनवरी, 1979 से पैकिट चाय के निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की पद्धति को पुनः आरम्भ करना।

(3) टी बैगिंग मशीनरी के आयात को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाना।

(4) टी बैगिंग मशीनरी पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत करना।

(5) अप्रैल, 1979 से पैकिट चाय तथा टी बैग्स के निर्यातों पर मुआवजा सहायता की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12½ प्रतिशत करना।

(6) 1-6-1982 से बोरियों के घड़ा वजन के आधार पर टी बैग के निर्यातों के लिए आयातित सामग्री पर आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी की सम्पूर्ण उद्योग दर को 85 रु० प्रति किग्रा० से बढ़ाकर 90 प्रति किग्रा० करना।

(7) इंस्टेंट चाय तथा पैकिट चाय के पंजीकृत निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० का आरम्भ किया जाना।

(8) आयात की अनुमति वाली सामग्री की सूची के विचार के साथ-साथ टी बैग निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० दर में वृद्धि करना।

(9) बागानों से निर्यातों पर पूरे उत्पादन शुल्क तथा बागानों के अलावा अन्य स्थानों से किये गये निर्यातों पर 44 पैसे प्रति किग्रा० तक की राहत।

(10) चाय बोर्ड विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता है। इन कार्यकलापों में शामिल हैं— फील्ड तथा स्टोर संवर्धन की मार्फत टी सैम्पलिंग तथा प्रदर्शन, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना। विभिन्न देशों में भारतीय निर्यातकों तथा चाय आयातकों के साथ संयुक्त संवर्धन योजनाएं, विज्ञापनों के लिए प्रचार, भारतीय चाय पर प्रचार सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण, जनसम्पर्क कार्य, विभिन्न देशों आदि से भारतीय चाय के खरीदारों के लिए भारत के दौरों का आयोजन करना अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप हैं।

कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए जीवन बीमा योजना

3458. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र में काम करने वाले तथा दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने वाले श्रमिकों के लिए जीवन बीमा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कम्पनी ने बिहार सरकार के सहयोग से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे की एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत 16 और 65 वर्ष के आयु समूह के असंगठित क्षेत्र के लगभग 66 लाख छोटे कृषकों और खेतिहर मजदूरों में से प्रत्येक को, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने तथा स्थायी रूप से विकलांग हो जाने की स्थिति में, 1.28 रुपए प्रतिव्यक्ति के नाममात्र वार्षिक प्रीमियम पर 2000 रुपए का बीमा कवच दिया गया है। साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों द्वारा अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से इसी प्रकार की योजनाएं तैयार करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रेणी तीन के असैनिक कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

3459. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी तीन के कितने असैनिक कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया गया है; यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है,

(ख) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार, कम से कम 20 प्रतिशत असैनिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपबन्ध का अधिकारियों द्वारा पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) वायु सेना, मानकीकरण निदेशालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में एक विवरण संलग्न है। थलसेना,

नौसेना, आर्डनेंस फैक्ट्रियों तथा निरीक्षक महानिदेशालय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) मौजूदा सरकारी आदेशों के अन्तर्गत, चुने हुए स्टेशनों पर सिविलियनों की सभी श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या के 15% तक क्वाटरों का निर्माण किया जा सकता है। परन्तु रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में सिविलियन कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के लिए 15% और शेष के लिए अधिक प्रतिशत तक प्राधिकृत है।

विवरण

वायु सेना

तृतीय श्रेणी सिविलियन कर्मचारियों के लिए कुल 379 क्वाटरों की व्यवस्था की गई है और विवाहित कर्मचारियों के लिए 8.21% की व्यवस्था है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

तृतीय श्रेणी के 12,032 सिविलियन कर्मचारियों में से 1,348 को सरकारी आवास दिया गया है। इसका प्रतिशत 11.2% बैठता है।

मानकीकरण निदेशालय

तृतीय श्रेणी के 67 सिविलियन कर्मचारियों में से 18 को सरकारी गिहायशी आवास दिया गया है। इसका प्रतिशत 27% बैठता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों पर प्रतिबन्ध

3460. श्री सज्जन कुमार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋणों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये हैं जिनके परिणामस्वरूप व्यापारिक समुदाय को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देश में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लगाये गये प्रतिबन्ध शीघ्र वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1981-82 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए ऋण नियन्त्रण उपायों के परिप्रेक्ष्य में बैंकों ने अर्थ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में चयनात्मक रुख अपना लिया। भारतीय रिजर्व बैंक इन उपायों पर लगातार नजर रख रहा है और मौसमी उद्योगों तथा अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते विवेकाधीन पुनर्वित्त प्रदान करने के अलावा उसने बैंकों की नकदी स्थिति को समुचित रूप से आसान बनाने के लिए नियन्त्रण उपायों में कुछ रियायतें भी दी हैं। इन उपायो के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निम्न सलाह दी गई है :

(1) मौसमी प्रकृति की चालू ऋण आवश्यकताओं को समग्र रूप में पूरा करना।

(2) विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों और ऐसे अन्य छोटे खातों के सम्बन्ध में, ऋण सीमाओं में अभी तक विद्यमान बैंकों द्वारा की जाने वाली सभी कटौतियों को समाप्त करना।

(3) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अपने शाखा/अंचल/क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सामान्य स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां मुहैया करना।

(4) नए खातों को स्वीकार करने में अब तक विद्यमान किसी भी सर्वव्यापी प्रतिबन्ध को समाप्त करना।

(5) उद्योगों के उन क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान करना जहां विशेष कठिनाइयां महसूस की जा रही हों या जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो।

रोके गए जलपोत 'लक्ष्मी प्रसाद" से तस्करी का सोना पाया जाना

3461. **श्री रविन्द्र वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमन तट से दूर रोके गये जलपोत "लक्ष्मी प्रसाद" में तस्करी का सोना पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस जलपोत से कितना सोना मिला; और

(ग) इस तस्करी के लिए कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। अहमदाबाद सीमाशुल्क-अधिकारियों ने 24-5-82 को दमण के समीप मैरोली समुद्र-तट से थोड़ी दूर समुद्र में एम० वी० "लक्ष्मी प्रसाद" यू० एम० आर० 1493 नामक जलयान से दस-दस तोले की छड़ों की शक्ल में 8,410 तोला तथा छोटी-छोटी गिन्नियों आदि की शक्ल में 625 ग्राम विदेशी मार्के का सोना पकड़ा, जिसका कुल मूल्य लगभग 1.70 करोड़ रुपये है तथा लगभग दो लाख रुपए मूल्य का जलयान भी पकड़ा गया था।

(ग) आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें 7 व्यक्ति जलयान के कर्मीदल के सदस्य हैं।

बैंकों द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को ऋण दिया जाना

3462. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को आदेश दिये हैं कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को साईकिल खरीदने के लिये ऋण दिये जायें;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि क्या नियत की गई है और उक्त ऋण के लिए शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को ऋण देने में विशेष रियायत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त ऋण की वापसी की अवधि एवं किस्तें कितनी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, साइकिल खरीदने के लिए ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवारत प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापकों के वित्त पोषण के वास्ते उपयुक्त योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है और उनसे कहा गया है कि इस प्रकार की योजनाओं में मोटे तौर पर अधिक से अधिक 750 रुपये अथवा साइकिल की लागत के 90 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए और साइकिल की लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन के रूप में रखा जाना चाहिए इन ऋणों की वापसी अदायगी, 15 प्रतिशत ब्याज की दर से कम से कम 3 वर्षों की अवधि के भीतर उचित मासिक किस्तों में की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अध्यापकों को बिना किसी मार्जिन के ऋण दिया जा सकता है।

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया में विमान परिचारिकायें

3463. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया में कितनी-कितनी विमान परिचारिकायें हैं;

(ख) सेवा अवधि की दृष्टि से विमान परिचारिकाओं का "फ्रीक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन" क्या है; और

(ग) विमान परिचारिकाओं का 'एज डिस्ट्रिब्यूशन" क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विमान परिचारिकाओं की संख्या :

—इण्डियन एयरलाइन्स : 499

—एयर इण्डिया : 723

(ख) सेवावधि के अनुसार विमान परिचारिकाओं का सांख्यिकीय वितरण :

सेवावधि	इण्डियन एयरलाइन्स	एयर इण्डिया
5 वर्ष तक पूरी करने वाली	309	484
6 से 10 वर्ष के बीच	139	193
10 वर्षों से अधिक	51	46

(ग) विमान परिचारिकाओं का आयु वितरण :

आयु	इण्डियन एयरलाइन्स	एयर इण्डिया
19 तथा 25 वर्ष के बीच	177	261
26 तथा 30 वर्ष के बीच	238	375
31 तथा 40 वर्ष के बीच	82	85
40 वर्ष से अधिक	2	2

एयर-इण्डिया तथा भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति

3464. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री सरकारी विभागों/मन्त्रालयों में सतर्कता अधिकारियों को तैनात करने और एयर इण्डिया तथा भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कार्यों पर मंजूरी लेने के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 और 23 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के लिए इनकी नियुक्ति की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सहमत करना अब तक संभव नहीं हो सका है अथवा अनुमोदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है; तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या नामों का पैनल भेजने और इन निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने की औपचारिकता पूरी हो गई हैं;

(घ) क्या नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त दोनों स्थितियों के सम्बन्ध में की गई चूकों के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह एयर इण्डिया तथा भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को 30-6-1982 से आगे और तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दे, जिससे कि इस सम्बन्ध में सारी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करके चयन किये जा सकें। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से इस अनुरोध के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) भविष्य में इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार की नियुक्तियां करने से पहले सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

हवाई अड्डों के विस्तार/नवीकरण कार्य को कार्यान्वित करने वाला प्राधिकरण

3465. **श्री जेवियर अराकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में वर्तमान हवाई अड्डों के विस्तार के लिए आवंटित की गई राशि क्या है;

(ख) हवाई अड्डे के इस कार्य को कौन सा प्राधिकरण कर रहा है; और

(ग) क्या यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों के विस्तार के लिए आवंटित धनराशि निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1981-82	1982-83
अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र	18.00	26.00
अन्तर्देशीय विमान क्षेत्र	9.55	13.90

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों का निर्माण कार्य स्वयं भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा था जबकि अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों पर निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) निर्माण और आवास मन्त्रालय की सहमति प्राप्त होने पर ही अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

3466. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री हरिकेश बहादुर :

श्री रेणुपद दास :

श्री अजित कुमार साहा :

श्री अजय विश्वास :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध एक प्रतिवेदन दो महीने पूर्व उनके मन्त्रालय को पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गम्भीर किस्म के आरोपों के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही उनके मन्त्रालय को कठोर कार्यवाही करने का निदेश दिया था;

(ग) कार्यवाही शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में कब तक कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) मार्च 1982 के अन्तर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम को निम्नलिखित दो सी० बी० आई० रिपोर्टें प्राप्त हुईं :

(I) आई० टी० डी० सी० की ड्यूटी फ्री दुकानों के लिए सीको घड़ियों की खरीद और आयात सम्बन्धी अनियमितताओं के आरोप से सम्बन्धित रिपोर्ट। सी० बी० आई० ने सिफारिश की थी कि दो अधिकारियों को बड़ा दंड देने के लिए उनके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई की जाए। शेष दो अधिकारियों के विरुद्ध, जो ठीक समझी जाए, वही कार्रवाई की जाए। कार्पोरेशन ने सी० बी० आई० की सिफारिशों को मान लिया है और पहले से ही 5-7-1982 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से एक विभागीय जांच आयुक्त को नामांकित करने के लिए अनुरोध किया है।

(II) आई० टी० डी० सी० के भरतपुर वनगृह में दुर्विनियोग और दस्तावेजों की जालसाजी से संबंधित रिपोर्ट सी० बी० आई० से प्राप्त हुई थी जिन्होंने सिफारिश की थी कि संबंधित अधिकारियों को बडा दण्ड देने के लिए उनके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। सी० बी० आई० की सिफारिशों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सी० बी० आई० के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में बैंक डकैतियां

3467. **जयनारायण रौत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में पड़ी बैंक डकैतियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में इन डकैतियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1-1-82 से 30-6-82 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में बैंक में हुई लूटमारों/डकैतियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) लूटमार/डकैतियां, कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित मामला है और मूलतः पश्चिम बंगाल सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रकार की डकैतियों/लूटमारों को रोकने के लिए उचित उपायों का सुनिश्चय करे अथवा जब ये घटनाएं हो जाएं तो अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए। पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करने और इन्हें सुदृढ़ बनाने का अनुरोध किया गया है। अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार ने बैंकों के भीतर उनके आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के वास्ते उठाये जाने वाले विभिन्न विशिष्ट कदमों को सुझाते हुए, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। सरकार ने बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का भी निर्णय किया है।

विवरण

1-1-82 से 30-6-82 के दौरान पश्चिम बंगाल में वाणिज्यिक बैंकों में हुई डकैतियों/लूटमारों के मामलों का ब्योरा

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखा का नाम	तारीख	अन्तर्ग्रस्त राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	लिलूहा शाखा, जिला हावड़ा, पं० बंगाल	6-1-82	1,86,612	रिवाल्वरों और भोजालियों से लैस 7 व्यक्ति बैंक के परिसर में घुस गए और बैंक शाखा को लूटा।
2.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	धूवूलिया शाखा, पश्चिम बंगाल	15-1-82	65,828+3,58,479 मूल्य के स्वर्ण आभूषण	6/7 शरारती तत्व बैंक परिसर में घुस गए और तिजोरी से नकदी और स्वर्ण आभूषण लेकर भाग गए।
3.	इलाहाबाद बैंक	पकपड़ा शाखा, पश्चिम बंगाल	22-1-82	76 491	रिवाल्वरों और चाकूओं से लैस 7/8 व्यक्ति शाखा परिसर में घुसे और बैंक शाखा को लूटा।
4.	बैंक आफ इण्डिया	सजिराह शाखा, जि० 24-परगना, पश्चिम बंगाल	1-2-82	41,554	4 व्यक्ति बैंक परिसर में घुसे और बैंक शाखा को लूटा। एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया।

1	2	3	4	5	6
5.	बैंक आफ इण्डिया	गोलाबारी शाखा, जि० 24-परगना	8-2-82	2,20,482+ 6,66,630 रुपये मूल्य के लगभग 4269.800 ग्राम वजन के स्वर्ण आभूषण	रिवाल्वरों और छुरों से लैस 6 डाकू बैंक परिसर म घुसे और नकदी काउण्टर से सारी नकदी और स्वर्ण आभूषण लेकर भाग गए। 9 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये।
6.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	शाम बाजार शाखा, पश्चिम बंगाल	17-2-82	1,39,643	17-3-82 को 1.40 बजे रिवाल्वरों और छुरों से लैस 6 नवयुवक अचानक शाखा परिसर में घुसे और लूट का माल लेकर चम्पत हो गए।
7.	सागर ग्रामीण बैंक	चम्पाडली शाखा, पश्चिम बंगाल	1-3-82	9,000	1-3-82 को लगभग सायं 6.20 बजे रिवाल्वरों, पाइपगनों और छुरों (भोजाली) से लैस 4 लुटेरों का एक दल शाखा परिसर में घुसा और नकदी लेकर भाग गया।
8.	भारतीय स्टेट बैंक	न्यू अलीपुर (कलकत्ता) सायंकालीन शाखा, पश्चिम बंगाल	15-3-82	8,51,764	पिस्तौलों और रिवाल्वरों से लैस तीन व्यक्ति शाखा परिसर में घुसे और 8,51,764 रुपये की राशि लूट ली। 7,38,000 रुपये की राशि बरामद कर ली गई। एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया।

1 2	3	4	5	6
9. बैंक आफ बड़ौदा	खड़गपुर शाखा, पश्चिम बंगाल	23-3-82	2,41,052	23-3-82 को दोपहर 1.45 बजे पिस्तौल और अन्य हथियारों से लैस 5 व्यक्ति शाखा परिसर में घुस गए और नकदी लेकर भाग गए।
10. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	लेक रोड शाखा, कलकत्ता (पं० बंगाल)	15-6-82	3,98,889	15-6-82 को लगभग 13.10 बजे रिवाल्वरों और छुरों से लैस 5/6 नवयुवक बैंक में घुसे और राशि लूट ली।
11. भारतीय स्टेट बैंक	कल्याणी शाखा, (पश्चिम बंगाल)	18-6-82	94,377	18-6-82 को दोपहर 12.50 बजे 4 सशस्त्र लुटेरे बैंक परिसर में घुसे और रुपया लेकर भाग गए।
12. बैंक आफ इण्डिया	बेलीगंज सर्कुलर रोड शाखा (पं० बंगाल)	28-6-82	1,64,777	28-6-82 को लगभग 13.40 बजे रिवाल्वरों और भूजालियों से लैस 5 व्यक्ति बैंक परिसर में घुस गए और बैंक को लूटा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकृत कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड स्केल-1 अधिकारियों के रिक्त पद

3468. श्री हीरालाल आर० परमार :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी दिल्ली/नई दिल्ली शाखाओं के लिए वर्ष 1981-82 और 1982-83 के बजट में कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड-1 के कितने पदों के लिए स्वीकृति दी गई थी;

(ख) स्वीकृत किये गये सभी पद भर लिये गये है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसके केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अधिकारियों के संवर्ग में पदों की स्वीकृति, पूरे सर्किल के लिए दी जाती है न किसी विशिष्ट क्षेत्र में शाखाओं के वास्ते। दिल्ली सर्किल के लिए (जिसमें दिल्ली, नयी दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के भाग शामिल हैं) कनिष्ठ प्रबन्ध स्केल-1 में वर्ष 1981 में 293 तथा वर्ष 1982 में 200 रिक्तियां स्वीकृत की गई थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पूमपुहर में अत्यधिक वातज भूक्षरण का होना

3469. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में चोल पचन नगर, पूमपुहर को अत्यधिक वातज भूक्षरण का सामना करना पड़ रहा है और तेज हवायें पर्यटन स्थलों पर बनाये गये नये स्मारकों को बालू से ढक देती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, नहीं, केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सिरोही जिले की हवाई पट्टी की मरम्मत

3470. श्री बिरधाराम फुलवारिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरोही जिले के पूर्व में स्थित क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी का निरीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत का कार्य कब आरंभ किया जाएगा और कब तक पूरा होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) सिराही हवाई पट्टी का विकास किए जाने की कोई योजना नहीं है ।

सांप की खाल का व्यापार

3471. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

डा० ए० यू० आजमी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा 1979 से लायसेंस जारी न किये जाने के बावजूद सांप की खाल का व्यापार जोर-शोर से हो रहा है और सरकार द्वारा दुर्लभ घोषित की गई सांप की प्रजातियों की खालें बड़ी संख्या में बाजार में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सांप की खाल के निर्यात पर 1976 से रोक लगी है । घरेलू लाइसेंस-शुदा व्यापारियों के पास सांप की खालों के स्टाकों का होना अवैध नहीं है ।

औद्योगिक गृहों में काम कर रहे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के संबंध में अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

3472. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री औद्योगिक गृहों में काम कर रहे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध आरोप के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इसे सभा-पटल पर रखेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना एकत्रित करने के लिए तथा इसे सभा-पटल पर रखने के लिए मंत्रालय ने क्या प्रभावशाली उपाय किये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय मे 3 विभाग हैं, अर्थात् राजस्व विभाग, व्यय विभाग और आर्थिक कार्य विभाग । अपेक्षित सूचना राजस्व विभाग को छोड़कर इस मंत्रालय के शेष सभी विभागों से प्राप्त हो गयी है । राजस्व विभाग ने अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्ध में आंशिक सूचना भेजी है । ज्योंही राजस्व विभाग से पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सभा-पटल पर सूचना रखने में हुए विलम्ब का कारण यह है कि सूचना इस मंत्रालय के तीनों विभागों के विभिन्न सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से, जो समस्त देश में स्थित हैं, प्राप्त की जानी थी। आवश्यक सूचना भेजने के लिए सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे गए हैं।

दिल्ली में शराब की बिक्री

3473. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शराब बेचने का काम वर्ष 1979 में दिल्ली पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में शराब बेचने का काम अब भी दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा ही किया जा रहा है तथा भविष्य में भी यही पद्धति जारी रहने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम और दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम भी दिल्ली में शराब बेचने का काम कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम की भारतीय निर्मित विदेशी शराब डिवीजन में कर्मचारियों को तदर्थ वेतन दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम तथा दिल्ली नागरिक पूर्ति निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतनमान मिल रहे हैं;

(ङ) इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को भी नियमित वेतनमान कब तक प्रदान कर दिये जाएंगे और यदि इसका उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) भविष्य में वर्तमान पद्धति जारी रहेगी या नहीं, यह वर्ष 1983-84 के लिए आबकारी नीति पर निर्भर करेगा, जिसकी कि अभी घोषणा की जानी है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) डी० एस० सी० एस० सी० और डी० टी० डी० सी० (आई० एम० एफ० एल० डिवीजन) के कर्मचारी समेकित (कंसीलिडेटिड) वेतन ले रहे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्तियां तदर्थ आधार पर हैं। डी० एस० आई० डी० सी० के जो कर्मचारी आई० एम० एफ० एल० डिवीजन में तैनात हैं वे नियमित वेतनमानों पर हैं। तथापि, डी० एस० सी० एस० सी० की प्रत्येक दुकान में ग्रेड 2 का एक-एक सहायक है जो 330-560 रुपये के नियमित वेतनमान में है।

(च) आई० एम० एफ० एल० डिवीजन में कर्मचारियों के वास्ते नियमित वेतनमानों को लागू करने के प्रश्न की जांच करने के लिए डी० टी० डी० सी० द्वारा एक विशेष समिति की स्थापना की गई है।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को सदस्य चुनने की अनुमति

3474. **श्री एम० राजेश्वर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को इस बात की अनुमति है कि वह कार्यकारी समिति की 27 निर्वाचनीय सीटों के केवल एक-तिहाई भाग का प्रतिवर्ष चुनाव कर ले, क्योंकि अन्य 7 निदेशकों का चुनाव नहीं कराया जाता और उन्हें या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है अथवा चेयरमैन द्वारा;

(ख) क्या एक सदस्य सभी 9 सीटों के लिये नाम प्रस्तावित कर सकता है, समर्थन कर सकता है या वोट दे सकता है अथवा उसे निर्वाचन मण्डल से सम्बन्धित एक क्षेत्र के लिए ही वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि चारों क्षेत्रों से कुल नौ सदस्य चुने जाते हैं;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 263-क के उपबन्ध उपरोक्त परिषद पर लागू होते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष सभी 34 निदेशकों के चुनाव का कोई उपबन्ध नहीं है तथा डाक से मतदान करने का भी कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है; और

(घ) क्या धारा 257 के उपबन्ध इस परिषद पर लागू होते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० सगमा) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विभिन्न जोनों के निर्वाचन मण्डल अकेले अपने-अपने जोनों के प्रतिनिधि चुनेंगे और कोई भी रिक्ति होने पर उसे केवल उसी जोन से भरी जाएगी।

(ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 263-ए कानून का एक अनुज्ञेय उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत कम्पनियों की विशेष श्रेणी को कतिपय छूटें देने की अनुमति है। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद इस धारा के उपबन्ध का लाभ संभवतः उठा सकती है। तथापि, परिषद के विद्यमान संगम अनुच्छेदों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 263-ए के उपबन्ध प्रयोज्य नहीं हैं।

(घ) जी हां।

भारत के अमेरिकी दूतावास के वित्तीय शाखा में शोध अधिकारी की नियुक्ति के लिए नियम बनाना

3475. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन, अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के वित्तीय शाखा में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नियम बनाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस पद का वेतनमान, विदेश सेवा और अन्य भत्ते क्या हैं और किस प्रकार का शोध-कार्य होता है तथा इसका कार्यकाल कितना है;

(ग) वर्तमान अधिकारी का चयन और नियुक्ति किस प्रकार की गई; और

(घ) क्या यह पद वित्त मंत्रालय के काडर से अथवा भारतीय विदेश से भरा जाता है यदि हां, तो पहले किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और इस समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इस पद के लिए भारतीय आर्थिक सेवा के आदमियों के लिये न खोलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। भर्ती नियमों की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 4370/82]**

(ख) इस पद का वेतनमान 700-1300 रुपये है। इस पद को एक-एक वर्ष के लिए जारी रखा जाता है। इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होती है। जो व्यक्ति इस पद पर इस समय काम कर रहा है वह अपने ग्रेड के वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ता लेने का हकदार है :

1. विदेश भत्ता—4625 रुपए प्रतिमास

2. 642 अमरीकी डालर तक मासिक किराये का निशुल्क सुसज्जित आवास जिसमें 65 अमरीकी डालर तक फर्नीचर का किराया भी शामिल है।

3. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों को लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत आयकर के बदले देय अतिरिक्त विदेश भत्ता।

इस पद का धारक वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के आर्थिक स्कन्ध में मन्त्री (अर्थ)/परामर्शदाता (अर्थ) की देख-रेख में काम करता है तथा उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अमरीकी अर्थव्यवस्था की घटनाओं के समग्र चित्र की जानकारी रखेगा एवं उससे सम्बन्धित आर्थिक एवं सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करेगा। वह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों और विवरणों का विश्लेषण भी करता है।

(ग) और (घ) इस पद पर भर्ती का तरीका निम्नलिखित है :

भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV अधिकारियों अथवा समकक्ष पदों पर काम कर रहे अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सरकार के विभागों में 650-1200 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर अथवा समतुल्य पदों पर काम कर रहे उन अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा कर ली हो और जिन्हें विदेशी सहायता, बाह्य ऋण, अर्ध विकसित देशों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के क्षेत्र में वर्तमान समस्याओं, विश्व बैंक सम्बन्धी मामलों आदि का अनुभव हो। चूंकि कार्य सम्बन्धी अपेक्षाओं का क्षेत्र काफी बड़ा है इसलिए इस पद को किसी विशेष सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। इससे पहले 1971 से 1975 तक इस पद पर भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी और 1975 से 1981 तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा

के एक अधिकारी ने काम किया था। इस पद का वर्तमान धारक केन्द्रीय सचिवालय सेवा का एक अधिकारी है।

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में एक पद बनाया जाना

3476. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में "ए टेलर मेड जाब फार मिनिस्टर्स बहु" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली पर्यटन विकास निगम में एक विशिष्ट अधिकारी के लिए एक वरिष्ठ पद बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) की गई कार्यवाही सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) जी हां, और साथ ही अध्यक्ष, दिल्ली पर्यटन विकास निगम, द्वारा इन्डियन एक्सप्रेस के सम्पादक को भेजे गए पत्र में दिया गया उत्तर जो कि दिनांक 7-7-1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था (हालांकि पत्र पूरा प्रकाशित नहीं हुआ) दिल्ली पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष द्वारा जो स्थिति स्पष्ट की गई वह निम्नलिखित है :

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में 700-1300 रुपए के वेततमान में प्रबन्धक (जन-सम्पर्क) के एक पद का सृजन किया था जिसे प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना था। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता यह थी—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। दिल्ली पर्यटन विकास निगम के दिल्ली प्रशासन, भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, भारत पर्यटन विकास निगम और राज्यों के एम्पोरियमों को 20-5-1982 तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए लिखा था। चूंकि उनके द्वारा किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं भेजा गया था, तारीख 31-5-1982 तक बढ़ा दी गई थी।

9 उम्मीदवारों के भेजे गए नामों में से, चयन समिति द्वारा श्रीमती गीता शर्मा का चयन इस आधार पर कर लिया गया था कि वही एक ऐसी उम्मीदवार थीं जो उक्त योग्यताओं को पूर्ति करती थीं। उन्होंने 15-7-1982 को ड्यूटी ज्वाइन की थी और उन्होंने 22-7-1982 को निजी कारणों से अपने मूल विभाग में वापस आने के लिए आवेदन किया। श्रीमती गीता शर्मा अपने मूल विभाग में वापस जा चुकी हैं।

दिल्ली के आनन्द पर्वत पर एम० ई० एस० की सम्पत्ति

3477. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनन्द-पर्वत, दिल्ली में एम० ई० एस० की भूमि की सीमा पर कुछ बैरकें स्थित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन बैरकों में रहने वाले गैर-सैनिक लोग अपनी गृह वाटिकाओं तथा लानों आदि के लिए पत्थरों की आड़ लगाकर एम० ई० एस० की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि अपने आने-जाने के रास्ते की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ स्थानों पर कांटेदार तारों की बाड़ को हटा दिया है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा एम० ई० एस० की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों की तैनाती वांछनीय नहीं होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकारी रिकार्ड के अनुसार आनन्द पर्वत में सभी बैरक रक्षा भूमि पर बने हुए हैं । लेकिन कुछ बैरकों के स्थिति के बारे में रामजस फाउंडेशन ने जो एक शैक्षणिक न्यास है, विवाद उठाया है।

(ख) ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(ग) ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(घ) इस इलाके की और साथ ही अन्य रक्षा भूमि/सम्पति की सुरक्षा की एक मानक और संगठित प्रणाली है। इस सारे क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व सेक्टर कमांडर पर है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के लिए उनके पास उपयुक्त सुरक्षा संगठन है। अत: इस क्षेत्र और सम्पति की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत महसूस नहीं की गई है।

विदेशों में रहने वाले गैर-आवासी भारतीयों को नए प्रोत्साहन

3478. **श्री एम० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पूंजी लगाने हेतु संसाधन जुटाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दी गई नई रियायतों के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान, अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तथा गत वर्ष की समान अवधि में प्राप्त विदेशी मुद्रा की तुलना में यह कितनी है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अनिवासी भारतीयों को जो नई रियायतें दी गई हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल रही है।

(ख) चूंकि नई रियायतों की घोषणा इसी वर्ष मार्च में ही की गई थी इसलिए पूर्ववर्ती वर्षों से इस वर्ष की तुलना करने की कोशिश करना कुछ समय-पूर्व होगा।

बोइंग विमानों/एयर बसों के बेड़े में विमानों की वृद्धि

3479. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे बोइंग/एयर बसों के बेड़े में कुछ नए विमानों को लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान और लगाए जायेंगे और वह किस किस्म के होंगे; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एयर-इन्डिया अपने विमान बेड़े में नवम्बर, 1982 तक तीन एयरबस विमान ए-300 बी 4 सम्मिलित कर लेगी । इन्डियन एयरलाइन्स अपने विमान बेड़े में अगस्त/सितम्बर, 1982 में चार बोइंग 737 विमान हासिल कर लेगी जोकि उन दो एयरबस विमानों से अलावा होंगे जो उन्होंने हाल ही खरीदे थे ।

अधीनस्थ कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों के लिए चयन ग्रेड

3480. **श्री अजित बाग** : क्या वित्त मन्त्री केन्द्रीय सरकार के ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" के कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड के बारे में 16 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" श्रेणियों में वित्त मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 1977 के का० ज्ञा० सं० एफ-7 (21) ई० 3 (ए)/74 के अनुसार चयन ग्रेड प्रदान कर दिया गया था; और

(ख) सफदरजंग/डा० राममनोहर लोहिया/लोकनायक जयप्रकाश अस्पतालों सहित अधीनस्थ कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों को इस तथ्य के बावजूद कि वे उक्त शर्तें पूरी करते हैं, अब तक चयन ग्रेड न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : जी, हां ।

(ख) तीसरे वेतन आयोग को यह पता चला कि अधीनस्थ कार्यालयों के अवर श्रेणी लिपिकों के पदोन्नति के अवसर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिकों के मुकाबले में अधिक अच्छे हैं । तदनुसार, आयोग ने अधीनस्थ कार्यालयों ग्रुप "ग" में अवर श्रेणी लिपिकों के लिए प्रवरण ग्रेड शुरू किए जाने की सिफारिश नहीं की थी । बाद में यह निर्णय किया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवरण ग्रेड दिए जाने के प्रत्येक मामले को इस मंत्रालय के 10-1-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7 (21)-संस्था 3(क)/74 में दी गई शर्तों को पूरा करने वाले मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जा सकता है । तदनुसार, प्रवरण ग्रेड अब अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों को भी दिया जाता है । सफदरजंग/डा० राममनोहर लोहिया/लोकनायक जयप्रकाश अस्पतालों में कार्य करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवरण ग्रेड दिए जाने के मामले पर गुणावगुण आधार पर तब ही विचार किया जाएगा जब इसे उपयुक्त प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा वित्त मन्त्रालय को भेजा जाएगा ।

अखबारी कागज सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

3481. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अखबारी कागज की सप्लाई में सहायता केन्द्रीय सरकार करने का अनुरोध किया था; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम छोटे समाचार पत्रों को, जिन्हें अखबारी कागज के लिए बम्बई जाना पड़ता है, कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य में डिवीजन मुख्यालयों पर और अधिक डिपो स्थापित करेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय महाराष्ट्र में अखबारी कागज की आवश्यकताएं बम्बई तथा नागपुर स्थित डिपो से पूरी की जाती हैं। राज्य व्यापार निगम के पास महाराष्ट्र में और डिपो स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

प्रत्येक राज्य में 3-तारा होटल खोलना

3482. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य और भारतीय पर्यटन विकास निगम के बीच संयुक्त क्षेत्र परियोजना के तौर पर प्रत्येक राज्य में 3-तारा होटल खोलने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम से राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों/संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से दरमियानी दरों वाली संयुक्त सेक्टर होटल परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन, गोहाटी, पुरी, रांची, हैदराबाद और भोपाल में 3-स्टार श्रेणी होटलों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

3-स्टार श्रेणी के होटलों के लिए उन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनके लिए भारत पर्यटन विकास निगम/राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा करार किए गये हैं।

क्रम सं०	केन्द्र और राज्य	सहयोगकर्ता	परियोजना का स्कोप	अनुमानित लागत
1.	गोहाटी, असम	असम की राज्य सरकार	58-कमरे, 3-स्टार।	150 लाख रुपए
2.	पुरी, उड़ीसा	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम।	50-कमरे, 3-स्टार।	134 लाख रुपए
3.	रांची, बिहार	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम।	50-कमरे, 3-स्टार। पहली अवस्था में 30 कमरे चालू किए जाएंगे और बाकी 20 कमरे दूसरी अवस्था में।	पहली अवस्था 100 लाख रु० दूसरी अवस्था 41 लाख रु० ——— जोड़ 141 लाख रु० ———
4.	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश यात्रा और पर्यटन विकास निगम।	50 कमरे, 3 स्टार।	195.50 लाख रुपए
5.	भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम।	53 कमरे, 3 स्टार।	180 लाख रुपए

रुग्ण औद्योगिक एककों को दिए गए अग्रिम ऋण के लिए रियायती ब्याज दरें

3483. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत वर्ष 2 मार्च के बाद रुग्ण औद्योगिक एककों को सहायता देने के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों को लागू करने की मंजूरी देने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया को सुझाव देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम अनुदेश जारी किये है जिनमें यह सलाह दी गयी है कि वे 2 मार्च, 1981 के बाद तैयार किये गये/अनुमोदित किये गये पोषण कार्यक्रमों के सभी मामलों में जहां पुनर्वास कार्यक्रम में केवल बैंक वित्त अन्तर्ग्रस्त हो और सम्बद्ध एकक संवेदनशील वस्तुओं का कारबार नहीं करता हो, बैंक-पोषण कार्यक्रम के अंग के रूप में, विवेकाधिकार के अधीन, कम से कम $13\frac{1}{2}\%$ वार्षिक की दर (कर समेत) से ब्याज ले सकते हैं। ब्याज दर में रियायत देने का निर्णय, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर बैंक के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। ब्याज में इस प्रकार की रियायतें देने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है।

निर्यातकों द्वारा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को दंड का भुगतान न करना

3484. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री उन निर्यातकों के नामों की सूची, जिन्होंने वर्ष 1979, 1980 और 1981 में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में कमी आ जाने के कारण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली को जुर्माने का भुगतान नहीं किया, सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे भी केवल ऐसे मामले हैं जिनमें बैंक गारन्टी माफ करने से दंड दिया जा सकता था;

(ख) क्या ऐसे भी मामले हैं जहां बैंक गारन्टी की फाइलें कागजात चोरी हो गए हैं और दंड के दावे दायर नहीं किए जा सकते; और

(ग) सरकार का विचार दावों का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) जहां जुर्माने देय हो जाते हैं वहां अपैरेल निर्यात संवर्धन परिषद सार्वजनिक सूचना के जरिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित कोटा नीति के उपबन्धों के अनुसार बैंक गारंटियां लागू करती रही हैं।

कच्चे पटसन का उत्पादन और खरीद

3485. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में कच्चे पटसन का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में भारतीय पटसन निगम ने वर्षवार कितना पटसन खरीदा;

(ग) उपर्युक्त वर्षों में मिल मालिकों ने भारतीय पटसन निगम से वर्षवार कितना कच्चा पटसन खरीदा; और

(घ) उपर्युक्त वर्षों में कच्चे पटसन की खरीद के लिए मिल मालिकों को वर्ष-वार कितनी अग्रिम धनराशि दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 वर्षों के दौरान देश में जूट और मेस्टा का अनुमानित उत्पादन और भारतीय जूट निगम द्वारा की गई कच्चे जूट की खरीद निम्नोक्त प्रकार है :

(प्रत्येक 180 किग्रा० वाली लाख गांठें) जूट वर्ष (जुलाई-जून)

वर्ष	उत्पादन	भारतीय जूट निगम द्वारा की गई खरीदारियां
1978-79	83.33	8.34
1979-80	79.61	8.62
1980-81	81.95	10.62
1981-82	72.00	17.59

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मिलों/फैक्टरियों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं को कच्चे जूट के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया अग्रिम राशियां दर्शाने वाले आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

के अन्त में	राशि (करोड़ रु० में)
मार्च, 1979	37.3
मार्च, 1980	36.5
मार्च, 1981	41.8
मार्च, 1982	39.3*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

"ए फ्लाइट इनटू फ्यूटिलिटी" शीर्षक से समाचार

3486. श्री दिगम्बर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 जुलाई, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित "ए फ्लाइट इनटू फ्यूटिलिटी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो बोइंग उड़ान को राहत देने के तथ्य क्या हैं और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सौदेबाजी में कुल कितना बेकार खर्च हुआ; और

(घ) इतने कीमती सौदेबाजी, जिनमें राजकोष को लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ता है, को हाथ में न लेने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है अथवा की है और इंडियन एयर लाइंस के वरिष्टतम अधिकारियों को अधिक सतर्कता, सहयोग और सम्मिलित कार्यवाही करनी चाहिए ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। 22 जून, 1982 की दिल्ली/अमृतसर/श्रीनगर की उड़ान सं० आई० सी०-423 अमृतसर में अवतरण करते समय एक पक्षी से टकरा गयी। उक्त विमान को मरम्मत के लिए भूमिस्थ कर दिया गया तथा इस प्रकार एक एनजी उड़ान की व्यवस्था की गयी।

(ग) एवजी उड़ान के परिचालन पर 35,000 रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी किसी भी उड़ान के परिचालन से पहले परिचालन विभागों के बीच पूर्णरूप से समन्वय रहे, उपयुक्त उपचारी उपाय किए गए हैं तथा प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया गया है।

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्ट्रांग रूमों तक लोगों की पहुँच

3487. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेष रूप से लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, के स्ट्रांग रूपों तक लाकरों की स्थिति के सम्बन्ध में लोगों की सीधी पहुँच है;

(ख) ऐसे गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों की जिन्दगी और बैंक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपायों को क्यों नहीं अपनाते; और

(ग) क्या सरकार के पास कर्मचारियों और इन संस्थानों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई योजना है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गैर राष्ट्रीयकृत बैंको समेत सभी बैंकों के मामले में लाकर्स सामान्यतः स्ट्रांग रूपों के भीतर स्थापित किए जाते हैं और केवल स्ट्रांग रूमों के भीतर लाकर्स के अवस्थित होने के कारण ही उन सामान्य मुक्त रूप से स्ट्रांग रूम

के भीतर नहीं जा सकता। स्ट्रांग रूमों में लाकरों का परिचालन करने के वास्ते किरायेदारों (ग्राहकों) के प्रवेश को विनियमित करने के सम्बन्ध में सभी बैंकों के अपने सुरक्षा विषयक मार्ग-दर्शी सिद्धान्त हैं। यह दी लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० पर भी लागू हैं।

(ख) और (ग) सभी बैंकों के अपने आंतरिक सुरक्षा प्रबन्ध हैं जिनकी समीक्षा समय-समय पर बैंकों के अनुभव के आधार पर की जाती है। हाल की बैंक लूटमारों और डकैतियों के परिप्रेक्ष्य में, रिजर्व बैंक भी इन प्रबन्धों की समीक्षा कर रहा है।

बैंकों में गैर दावे के जेवरात/बहुमूल्य सामान

3488. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रबन्धक बैंकों में जमा कराए गए गैर दावों के जेवर और बहुमूल्य सामान की सूचना रिजर्व बैंक आफ इंडिया या सरकार को नहीं देते हैं;

(ख) इस प्रकार के जेवरात और बहुमूल्य सामान कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास है;

(ग) वह वस्तुएं कुल कितने मूल्य की हैं; और

(घ) सरकार उत्पादक उद्देश्यों के लिये इस प्रकार के जेवरात या बहुमूल्य सामान का उपयोग किस प्रकार करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय जेवरात अथवा बहुमूल्य सामान से है जो कि ग्राहकों द्वारा अनजाने में अथवा भूल से बिना चौकसी या सुरक्षा के छूट गये हों; अथवा जो कि अन्य प्रकार से बैंक अथवा वाल्ट परिसरों में मिले हों। ऐसे मामलों में जहां सम्भव होता है बैंक साधारणतया सम्बद्ध ग्राहकों को वस्तुएं लौटाने का यत्न करते हैं। गैर दावे वाली बची हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में, ऐसा समझा जाता है कि भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन) ने अपने सदस्य बैंकों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध कराये हैं। कानूनी तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सम्बद्ध बैंक द्वारा प्रत्येक मामले पर कार्रवाई की जाती है।

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को इस प्रकार के मामलों की सूचना देने के लिए कोई रिटर्न विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। अतः प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। पूरे देश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं तथा कार्यालयों से इस प्रकार की सूचना एकत्र करने से प्राप्त होने वाले परिणाम उसमें लगने वाले समय और किये जाने वाले प्रयास के अनुरूप नहीं होते।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय

3489. श्री भीखा भाई : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों का चयन टेक्सटाइल उद्योग की तकनीकी सेवा या किसी अन्य संवर्ग में से किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे तकनीकी पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त/प्रतिनियुक्त क्यों किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) विकेन्द्रीकृत आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की प्रभावशाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने नौ अनुषंगी निगम स्थापित किए हैं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। प्रत्येक अनुषंगी निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक तथा वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले कार्यकारी शामिल होते हैं।

गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले और उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण

3490. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले और उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये ऋण नगण्य हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कम प्रतिशतता होने का क्या कारण है; और

(ग) क्या लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० ने निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इस क्षेत्र में ऋण के लिए धनराशि आवंटित की है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए समतुल्य आंकड़ों के अनुसार, गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के 37 प्रतिशत के मुकाबले उनके कुल अग्रिमों के 22 प्रतिशत थे। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के मामले में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, उसके कुल अग्रिमों का 23 प्रतिशत थे। इस सम्बन्ध में बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर की जाती है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अपने अग्रिमों को 1985 तक अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें।

निर्बाध पत्तन के रूप में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

3492. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्बाध पत्तन के रूप में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए विशेष प्रस्ताव सहित टी० डी० ए० द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन द्वीपों में निर्बाध व्यापार क्षेत्र के लिए द्वीप से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो कब और किससे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार निर्बाध पत्तन के रूप में ग्रेट निकोबार का विकास करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) टी० डी० ए० की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) परियोजना की आर्थिक क्षमता पर सन्देह को देखते हुए प्रस्ताव को ताक पर रख दिया गया है ।

विवरण

टी० डी० ए० की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में एक मुक्त पत्तन विकसित किया जाए ।

2. उस मुक्त पत्तन में केवल निर्यात अभिमुख उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए । ये उद्योग दो श्रेणियों में आयेंगे : (क) निर्यात उद्योग जो अनिवार्यतः द्वीप समूह के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं; और (ख) निर्यात उद्योग जिन्हें विदेशों से आयातित अन्तर्निवेशों की आवश्यकता होती है ।

3. निवेश सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों दोनों द्वारा की जा सकती है सिवाए इसके कि अनुसूची "क" के कुछ उद्योग मुख्य भूमि पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हों ।

4. निजी निवेशकर्ता निम्नलिखित श्रेणियों के हो सकते हैं : (क) मुख्य भूमि/द्वीपसमूह से भारतीय निवेशकर्ता; (ख) विदेशों में निवासी भारतीय व्यवसायी; और (ग) भारतीय प्रतिपक्षों के साथ सहयोगी करारों के साथ/के बिना विदेशी निवेशकर्ता ।

5. मुक्त पत्तन का एक पृथक स्वायत्त निकाय होना चाहिए जिसका नाम "निवेश संवर्धन परिषद" हो और जिसमें सरकार तथा निजी उद्योगों और व्यापार दोनों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

6. निवेशकर्ताओं को (क) उद्योग का स्वरूप; (ख) कार्य संचालन स्तर तथा क्षमता संस्थापन; और (ग) निवेश संवर्धन परिषद के यहां पंजीकरण की शर्तें के अधीन विस्तार तथा विविधीकरण कार्यक्रमों के समय को आधार पर चरणबद्ध किए जाने में चुनाव करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

7. मुक्त पत्तन में बैंकिंग प्रणाली को निवेशकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों दोनों की व्यवस्था करनी चाहिए ।

8. आई० सी० आई० सी० आई० जैसी वित्तीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

9. अन्य निर्यात अभिमुख अर्थव्यवस्थाओं अर्थात कोरिया, जापान, हांगकांग आदि की तरह मुक्त पत्तन में एक उदार ऋण नीति होनी चाहिए ।

10. मुक्त पत्तन में आयात लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं होनी चाहिए और सभी निवेशकर्ताओं को पूंजी तथा कच्चे माल की सप्लाई के अपने स्रोतों का चुनाव करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सभी आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों से गुजरने चाहिए जबकि आयातों पर कोई सामान्य टैरिफ नहीं होंगे। कुछ नाममात्र के व्यापार घोषणा प्रभार लगाये जा सकते हैं।

11. मुक्त पत्तन से मुख्य भूमि में आयात आयात लाइसेंसों के आधार पर होने चाहिए जबकि मुख्य भूमि से आयातों की अनुमति मुक्त रूप में होनी चाहिए।

12. सरकार को एक ओ० पी० ई० सी० देशों के साथ सहयोग करके एक पेट्रो-डालर निवेश निधियां स्थापित करनी चाहिए जो मुक्त पत्तन में निवेशों के लिए ऋण प्रदान कर सकें।

13. जहां तक संभव हो, मुक्त पत्तन में प्रशासन स्ववित्त पोषण वाला हो।

14. जो कम्पनियों निर्यातों के लिए उत्पादन करें उन्हें पांच वर्षों के लिए कम्पनी कर से छूट दी जानी चाहिए।

15. मुक्त पत्तन में कम्पनियों को उच्च दर पर त्वरित ह्रास भत्ते दर्शाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

16. जो कम्पनियां अपने निजी विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाएं उन्हें उनके लाभों पर कुछ कर रियायतें दी जा सकती हैं।

17. जो कम्पनियां निरन्तर पांच वर्षों तक उच्च निर्यात निष्पादन दिखाएं उन्हें कर रियायतों और अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए कम ब्याज पर ऋण सुविधाओं के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएं।

18. लाभों तथा पूंजी के प्रत्यावर्तन की मुक्त रूप में अनुमति होनी चाहिए।

रक्षा विभाग द्वारा निजी मकानों का अर्जन

3493. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रक्षा विभागों के लिए समूचे देश में करार करके निजी मकान किराये पर लिए हैं। यदि हां, तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और बंगलौर तथा अन्य महानगरों में ऐसे कितने मामले हैं;

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट कितने मामलों में कब्जे की अवधि पूरी हो जाने के बाद करार समाप्त कर दिये गये और कितने मामलों में सरकार (रक्षा विभाग) ने नये करार किये बिना ही इन मकानों को जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा और प्रत्येक महानगर-वार इनकी पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ग) निजी सम्पत्ति को कब्जे में रख कर सरकार इस कार्यवाही को किस प्रकार उचित ठहरा सकती है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यात किए गए लौह अयस्क, अभ्रक और क्रोम की किस्मों का मूल्य

3494. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान किन देशों को लौह अयस्क, अभ्रक और क्रोम का निर्यात किया गया था और इनका मूल्य कितना है; और

(ख) किन-किन देशों ने खनिज अयस्कों से अधिक मात्रा की मांग की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1979-80 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान जापान, स्विटजरलैंड, चैकोस्लोवाकिया, ज० लो० गणराज्य तथा रुमानिया द्वारा अभ्रक की अपेक्षाकृत अधिक मात्राएं खरीदी गई हैं । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए लौहे अयस्क के निर्यातों में प्रमुख वृद्धि जापान, दक्षिण कोरिया तथा रुमानिया जैसे देशों के मामले में हुई है ।

विवरण

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान जिन देशों को जितने-जितने मूल्य को लौह अयस्क, अभ्रक तथा क्रोम अयस्क का निर्यात किया गया उसका ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

लौह अयस्क

देश का नाम		निर्यातों का मूल्य (करोड़ रु०)
जापान, दक्षिण कोरिया, सोवियत संघ, रुमानिया, चैकोस्लाविया, हुगरी, जर्मनी (पूर्व), यूगोस्लाविया, बल्गारिया, आबूधाबी, दुबई, मलयेशिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी, अरब, चीन, तायवान तथा पश्चिम यूरोप ।	1979-80	282.15
	1980-81	322.75
	1981-82	374.72

अभ्रक

पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली, सं० रा० अमरीका, तायवान, ब्रिटेन, मलयेशिया, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनान, हांगकांग, यूगोस्लाविया, स्विटजरलैंड, चिली, फिलीपीन, स्पेन, ब्राजील, बेल्जियम, नीदरलैंड, मिस्र, सीरिया, कोरिया, लो० जनवादी गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ, बल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी लो० गणराज्य, रूमानिया तथा हंगरी ।	1979-80	23.04
	1980-81	21.61
	1981-82	28.50

क्रोम अयस्क

जापान, पश्चिम जर्मनी, पोलैंड, इटली, चैकोस्लोवाकिया तथा चीन ।	1979-80	15.57
	1980-81	11.64
	1981-82	11.11

चमड़े के कर्मीदल का प्रतिवेदन

3495. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़े के कर्मी दल ने अपने प्रतिवेदन में चमड़े के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय और साधन सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मी दल ने किन प्रोत्साहनों की सिफारिश की है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चमड़ा तथा चमड़ा-निर्मित वस्तुओं सम्बन्धी टास्क फोर्स ने वर्ष 1979 में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी क निर्यातों में निरन्तरता और स्थिरता बनाये रखने के हित में नकद मुआवजा सहायता व हवाई भाड़ा उपदान जैसे प्रोत्साहनों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहना चाहिए। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए चमड़े के माल की विभिन्न मदों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता और हवाई भाड़ा उपदान दिया जा रहा है और सरकार द्वारा इन उपदानों की स्थिति के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विभिन्न रसायनों, संघटकों और उपसाधनों पर आयात शुल्क घटाने के बारे में टास्क फोर्स की सिफारिशों को मद्दे नजर रखते हुए बहुत सी अनन्य मदों पर आयात शुल्क दरों का फरवरी, 1979 में घटाकर 40% तक कर दिया गया था। टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार, मूल्यवर्धित उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के विचार से वेट ब्लू चमड़े का आयात इस समय शुल्क मुक्त आधार पर किया जा रहा है। सरकार ने चमड़ा क्षेत्र के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली विभिन्न मशीनों के बारे में भी उदार दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष 1982-83 के दौरान चमड़े के माल, चमड़े के जूते और चमड़े के परिधान की मशीनरी की 96 मदों को आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य

3496. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ई० आई० टेन्ड/हाइड्स और खालों तथा चमड़े के जूतों और तैयार चमड़े के निर्यात में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के सम्बन्ध में 460 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) तथा (ग) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार, ई० आई० विधि से कमाई चमड़ियों तथा खालों, चमड़े के जूतों तथा तैयार

चमड़े के सम्बन्ध में अप्रैल-मई, 1982 में विगत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में निर्यातों में गिरावट आई, हालांकि चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के सम्बन्ध में समग्र निर्यात स्थिति 9% बेहतर रही थी। अलग-अलग मदों के निर्यात में कमी सामान्य चक्रीय व्यापार घटना है और जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाता है, इनके निर्यात भी बढ़ते जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में किसानों तथा अन्य लोगों की सहायता करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की आनाकानी

3497. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के किसानों, बटाईदारों, अर्जितभूमि के आवंटियों, कारीगरों और बेरोजगार युवकों की सहायता करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की आनाकानी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋण के माध्यम से पश्चिम बंगाल के किसानों, बटाइदारों, भूमि के आवंटियों, शिल्पकारों तथा बेरोजगार नवयुवकों की सहायता कर रहे हैं। दिसम्बर, 1980 के अन्त (समेकित किये गए ताजा उपलब्ध आंकड़ों) की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में कृषि, लघु उद्योगों, व्यवसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये अग्रिम क्रमश: 137.40 करोड़ रुपये, 232.89 करोड़ रुपये तथा 8.54 करोड़ रुपये के थे। इस सम्बन्ध में बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर विभिन्न मंचों (फोरम) पर की जाती है और जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकार सहित सभी सम्बन्धितों के परामर्श से उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बिहार में ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

3498 **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के अनेक जिलों में ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में ग्रामीण बैंक हैं और क्या राज्य के सभी जिले में ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इस समय 31 जिलों में से 26 जिलों को व्याप्त करते हुए 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार राज्य में कार्यरत हैं। नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए दो और जिले अर्थात् पटना और भागलपुर निर्धारित किये गए हैं।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विशेष सैल का गठन

3499. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए द्रुत और प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विशेष सैल गठित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 83 जिलों में से 25 जिलों की औद्योगिक संभावना का तकनीकी परामर्शदाता संगठनों के जरिये सर्वेक्षण करने के प्रबन्ध के लिए एक कक्ष की स्थापना की है। तकनीकी परामर्शदाता संगठन प्राकृतिक और माननीय संसाधन के आधार पर प्राथमिकता देते हुए छोटे, मध्यम और बड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संभावना का निर्धारण करेंगे। मूल आधारभूत सुविधाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता का भी निर्धारण किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा वहां इस प्रक्रिया में विशिष्ट परियोजना के लिए वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता देना शामिल होगा।

काफी के बीजों का निर्यात

3500. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 की अवधि के दौरान भारत से विदेशों को कुल कितनी मात्रा में काफी के बीजों का निर्यात किया गया;

(ख) ये बीज किन-किन देशों को निर्यात किये गए;

(ग) कितनी राशि के लिए निर्यात किए गए;

(घ) उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ङ) गैर सरकार क्षेत्र और सरकार क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यातों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत से निर्यात की गई काफी की मात्रा एवं उनके मूल्य का ब्योरा इस प्रकार है :

	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (रु०/करोड़)
1980-81	89270	215.77
1981-82	81220	162.20

भारतीय काफी का निर्यात उत्तरी अमरीका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया आदि का विश्व के चारों ओर खपत वाले देशों को किया जाता है।

(ङ) काफी बोर्ड द्वारा किए गए सीधे निर्यात तथा निजी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात का ब्योरा इस प्रकार है :

(मे० टन में)

	निर्यात की गई मात्रा)	
	1980-81	1981-82
काफी बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री करके	48314	39588
निजी निर्यातकों द्वारा	40956	41632
योग	89270	81220

केलों का निर्यात

3501. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को केलों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) (1) गैर सरकार क्षेत्र और (2) सरकारी क्षेत्र द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) इसका गत तीन वर्षों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) निर्यात आंकड़े राज्यवार अथवा एककवार नहीं रखे जाते। गत तीन वर्षों के दौरान कुल निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1979-80	166	9
1980-81	16	1
*1981-82	नगण्य	—

*अनन्तिम

तमिलनाडु में 'लिकर ब्लेंडिंग यूनिटों' द्वारा बेनामी सौदे

3502. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्रशासन ने हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु में स्थापित किये गये 'लिकर ब्लेंडिंग यूनिटों' द्वारा किए जाने वाले बेनामी सौदों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सौदों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने, 5 तथा 6 फरवरी, 1982 को तमिलनाडु में कतिपय ऐसे लाइसेंसधारियों की फैक्ट्रियों तथा परिसरों की तलाशियां ली थीं जिन्हें तमिलनाडु सरकार ने साड़ी निर्माण और थोक विक्रेताओं को उसकी सप्लाई के लिए लाइसेंस दिये थे। उनमें कई अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गये। कुछ बेनामी लेन-देनों का भी संदेह है। तथापि, कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए जांच-पड़ताल चल रही है।

उप वित्त मंत्री का बैंकों और बीमा कार्यालयों का आकस्मिक दौरा

3503. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप मंत्री ने दिल्ली में कुछ बैंकों और बीमा कार्यालयों को, इनके कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से, आकस्मिक दौरे किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दौरों के दौरान वह उपभोक्ताओं और विशेष रूप से कमजोर वर्गों से उनकी शिकायतों के बारे में मिल सके थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उनका विचार यह पद्धति जारी रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में बैंकों और जीवन बीमा निगम के कार्यालयों का अचानक अपने निरीक्षण के दौरान उप वित्त मंत्री ने देर से आने, काउंटरों पर उपस्थित नहीं रहने, कर्मचारियों द्वारा चाय पीने में समय नष्ट किये जाने तथा गपशप किये जाने और ग्राहकों की ओर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिये जाने के कुछ उदाहरण देखे हैं। उन्होंने बेहतर अनुशासन का पालन करने, ठीक समय पर कार्यालय आने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, कड़े सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने और बैंकों में आने वाले कमजोर वर्गों के सदस्यों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने के लिए प्रबन्धकों पर जोर दिया।

(ग) जी, हां।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के निर्णयों के खिलाफ अपीलों को सुनने के लिए वस्त्र आयुक्त को शक्ति दिया जाना

3504. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, जो वस्त्रों के लिए निर्यात कोटा आवंटित करने के लिए सी० सी० आई० ई० द्वारा प्राधिकृत एजेंसी है, के निर्णयों अथवा आदेशों के खिलाफ सी० सी० आई० एंड ई० द्वारा जारी किए गए दिनांक 10 अगस्त, 1981 के पी० एन० संख्या 61-ई० टी० सी० (पी० एन०)/81 के पैरा 15 के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त को शक्ति दी गई है;

(ख) क्या निर्यात कोटे का आवंटन करने के लिए मना करने पर उपरोक्त वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के निर्णयों के खिलाफ अपील की अनुमति दी गई है; और

(ग) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के किस उपबन्ध अथवा धारा के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त को अपील सुनने की शक्ति दी गई है क्योंकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 एम० के अन्तर्गत अपील सुनने की यह शक्ति कुछ अन्य अधिकारियों तक सीमित है जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 40(2) के अन्तर्गत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। सार्वजनिक सूचना सं० 61-ई० टी० सी० (पी० एन०)/81 दिनांक 10 अगस्त, 1981 में एक प्रावधान है जिसके आधार पर एक निर्यातक वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्यातकों को आवंटित कोटाओं को पूरा न किए जाने पर जुर्माने लगाये जाने के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(ख) जी नहीं। परन्तु एक निर्यातक वस्त्र आयुक्त को अभ्यावेदन कर सकता है जिन्हें कोटा प्रशासन के सम्बन्धित मामलों में पर्यवेक्षण प्राधिकारी पदनामित किया गया है।

(ग) परिधानों के निर्यात की अनुमति निर्यात (नियंत्रक) आदेश, 1977 की अनुसूची-III के खुले सामान्य लाइसेंस नं० 3 के अन्तर्गत उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर दी जाती है। एक शर्त यह है कि वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद कोटे सार्वजनिक सूचना सं० 61-ई० टी० सी० (पी० एन०)/81 दिनांक 10 अगस्त, 1981 के अनुसार आवंटित करेगी। इस सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित रूप में एक अपील प्रावधान शामिल है।

अमृतसर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा लूटा जाना

3505. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1982 में भारतीय स्टेट बैंक की अमृतसर शाखा से 6 लाख रुपये लूटे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 28 मई, 1982 को कुछ व्यक्ति नकाब पहनकर इसकी अमृतसर जिले की टांगरा शाखा के परिसर में घुसे तथा 4,06,500 रुपये की राशि ले गए जिसमें से 6,500 रुपये ग्राहकों के थे।

(ख) शाखा प्रबन्धक ने पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा दी है। वह इस मामले की जांच कर रही है।

विदेशी कम्पनियों को छूट देना

3506. श्री सुनील मैत्रा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को अधिक छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों के कार्य का विनियमन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, कम्पनी अधिनियम तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम जैसे कानूनों और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1973 तथा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 जैसी नीति सम्बन्धी घोषणाओं द्वारा किया जाता है।

ट्रैफिक असिस्टेंटों के लिए विशेष आन्तरिक परीक्षा में अनियमितताएं

3507. श्रीमती कृष्णा साही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तीन वर्ष की सेवावधि वाले ट्रैफिक एसिस्टेंटों और अन्य स्टाफ सदस्यों, जिनके आवेदन-पत्र की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1981 थी, के लिये विशेष आन्तरिक परीक्षा में अनियमितताओं के बारे में प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इन्डियन एयरलाइन्स अथवा एयर-इन्डिया में यातायात सहायकों के लिए कोई विशेष आंतरिक परीक्षा नहीं हुई थी। इन्डियन एयरलाइन्स ने अपने ढनरी क्षेत्र के लिए यातायात सहायकों के पद के लिए नवम्बर, 1981 में एक खुला विज्ञापन दिया था तथा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 23 नवम्बर, 1981 थी। ऐसी प्रेस रिपोर्टें छपी थीं जिनमें एयर-इंडिया में सहायक स्टेशन अधीक्षकों के पद के लिए कर्मचारियों के चयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1981 थी। इस चयन में,

परामर्शदाताओं की एक फर्म ने लिखित परीक्षा ली थी तथा सफल उम्मीदवारों की "ग्रुप डिस्कसन" के लिए चयन पेनल में उनके प्रतिनिधि को शामिल किया गया। इन पदों के चयन में कोई अनियमितताएं नहीं हुईं।

आयात के लिए ऋण का उपयोग करने हेतु तीसरे विश्व के देशों द्वारा ब्याज की अधिक दरों का भुगतान किया जाना

3508. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यूरोपीय सरकारों ने हाल ही में निर्णय लिया है कि आयात के लिये ऋण का उपयोग कर रहे तीसरे विश्व के देशों से ब्याज की अधिक दरें ली जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से इन देशों से भारत द्वारा आयात पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अधिकांश पश्चिम यूरोपीय सरकारें अपने देशों से पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में ब्याज की दरें तय करने में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की आम सहमति का अनुसरण करती हैं। आयात करने वाले देशों को अपेक्षाकृत धनी, अन्तर्वर्ती और अपेक्षाकृत निर्धन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है तथा अपेक्षाकृत निर्धन देशों की तुलना मे, अपेक्षाकृत धनी और अन्तर्वर्ती देशो के लिए ब्याज की ऊची दरें तय की जाती हैं। भारत को अपेक्षाकृत निर्धन देश की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में ब्याज दरों में जुलाई, 1982 में किए गए संशोधन के अनुसार अपेक्षाकृत धनी और अन्तर्वर्ती देशों के लिए ब्याज की दरें बढ़ा दी गई हैं जबकि अपेक्षाकृत निर्धन देशों द्वारा किए जाने वाले आयात के लिए ब्याज की दरें वही रखी गई हैं जो दरों मे संशोधन करने से पूर्व थीं।

2. देश में पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए, वस्तु की अनिवार्यता और देश में उसकी उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए, चयनात्मक आधार पर अनुमति दी जाती है। तथापि जहां तक भारत का सम्बन्ध है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की आम सहमति द्वारा निश्चित दरों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाएगी जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल देशों से किए जाने वाले आयात पर आधारित हैं।

वाराणसी की रामकटोरा बैंक शाखा का निरीक्षण

3509. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ोदा के उप महाप्रबन्धक और केन्द्रीय सहायक महाप्रबन्धक ने 27 मार्च, 1982 को वाराणसी की रामकटोरा बैंक शाखा का निरीक्षण किया था और यदि हां, तो क्या खेतान फाइवर ने इन अधिकारियों के दौरों के दौरान उनसे अपने एकक और उत्पादों का मौकों पर ही निरीक्षण करने के लिये अनुरोध किया था; और

(ख) बैंक अधिकारियों द्वारा इस एकक के अनुरोध को मानने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि प्रधान कार्यालय से इसके अधिकारियों ने शाखा के साधारण निरीक्षण अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट जांच के वास्ते एक दिन के लिए बैंक की रामकटोरा शाखा का दौरा किया था। उनसे शाखा अथवा बैंक को दृष्टिबन्धक रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के निरीक्षण की उपेक्षा नहीं की जानी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से धनराशि

3510. श्री गुफरान आजम :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष नामक अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सी का विचार कृषि विकास तथा लघु कृषकों की सहायता करने के लिए धनराशि देने का है;

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी धनराशि मिलने की सम्भावना है;

(ग) क्या उस एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश को मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तस्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक राज्य को धनराशि किस प्रकार आवंटित की जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए की गई है जिन्हें विश्व खाद्य समस्या और विशिष्ट रूप से खाद्य उत्पादन और विकासशील देशों में ग्रामीण निर्धनता की समस्याओं से निपटने के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध किया जाएगा।

(ख) भारत को किसी वर्ष के दौरान कितनी सहायता उपलब्ध हो सकेगी यह अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के पास कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है और सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें प्रोसेस करने की स्थिति क्या है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 25-6-1982 को हस्ताक्षरित एक करार के जरिए मध्य-प्रदेश स्थित एक मध्यम स्तरीय सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 2.506 करोड़ अमेरिकी डालर का एक ऋण दिया है। इस ऋण के मध्य प्रदेश राज्य में 1981-82 से 1985-86 तक की 5 वर्षों की अवधि में 30 मध्यम स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का आंशिक रूप से वित्त पोषण किया जाएगा। यह परियोजना केवल मध्य-प्रदेश की मध्यम स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए है। अतः अन्य राज्यों को धनराशियां आवंटित करने का सवाल पैदा नहीं होता।

सशस्त्र सेनाओं के लिए आवास योजनाएं

3511. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं को न तो सेवा के दौरान और न सेवा निवृत्ति के बाद पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिए अभी तक कोई आवास योजना तैयार नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सशस्त्र सेनाओं के लिए एक आवास योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) निस्संन्देह रक्षा सेवा के विवाहित कार्मिकों के लिए आवास की कुछ कमी है । इसलिए विवाहित कार्मिकों के लिए क्रमिक आधार पर आवास का निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

सेवा से सेवा-निवृत्त होने के बाद सिविलियन के रूप में व्यवस्थित होने के लिए सेवा कार्मिकों को अपने प्रयासों से ही आवास की व्यवस्था करनी होती है । इसके लिए वे सेवा कार्मिकों के आवास के प्रबन्ध के लिए बनाई गई दो स्वायत्त मकान निर्माण संगठनों में से किसी में शामिल हो सकते हैं । ये संगठन हैं : आर्मी वेलफेयर हाउसिंग संगठन और वायु सेना और नौ सेना हाउसिंग संगठन सेवारत कार्मिकों के साथ-साथ सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए मकानों की अंशकालिक और दीर्घकालिक दोनों योजनाओं पर काम कर रहे हैं ।

काली और हरी चाय का उत्पादन

3512. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1982 तक काली तथा हरी चाय का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक विवरण संलग्न है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एस० टी० 4371/82**]

चाय के उत्पादन से उत्पादन शुल्क का अर्जन

3513. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1982 तक काली तथा हरी चाय पर उत्पादन शुल्क और अधिभार से राज्य-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के धारचुला क्षेत्र में भूकम्प

3514. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के धारचुला (जिला पिथौरागढ़) क्षेत्र में प्राय: भूकम्प आते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां। धरचुला क्षेत्र में यदा-कदा भूकम्प आते हैं।

(ख) इस क्षेत्र में भूकम्प की गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए पिथौरागढ़ में 1 सितम्बर, 1981 से एक भूकम्प वेधशाला खोली गई। चूंकि भूकम्प की पूर्वसूचना देने के लिए अभी कोई विश्वसनीय प्रणाली नहीं है, लोगों को पर्याप्त समय पूर्व चेतावनी दे पाना सम्भव नहीं है।

फिल्म प्रोड्यूसरों द्वारा कर अपवंचन के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट

3515. श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में फिल्म प्रोड्यूसर कर अपवंचन करते हैं और उनसे वे बकाया धन राशि वसूल करने में मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कर अपवंचकों के नाम भी दिए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार ऐसे कदम उठाने का है जिससे भविष्य में उनके लिए फिल्मों का प्रदर्शन करना कठिन हो जाए;

(घ) क्या सरकार का विचार फिल्म प्रोड्यूसरों द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) पिछले कई वर्षों से कर अपवंचन करने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों के विरुद्ध मंत्रालय क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) लोक लेखा समिति ने, अपनी इक्यानवीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके समक्ष मौखिक साक्ष्य देते समय केन्द्रीय प्रत्यक्ष

कर बोर्ड की ओर से यह बताया गया था कि व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा, जिनमें फिल्मी कलाकार भी शामिल हैं, बड़ी मात्रा में कर का अपवंचन किया जा रहा है और यह भी कि विभाग, फिल्म परिमंडलों तथा अन्य व्यावसायिक परिमंडलों के सृजन के बावजूद भी, व्यावसायिकों में मौजूद बेईमान तत्वों से कारगर ढंग से निपटाने में असफल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 'सिनेमा', जिसमें प्रदर्शन भी शामिल है, विषय राज्य की सूची के अन्तर्गत आता है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार का इन मामलों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(घ) फिल्म-निर्माताओं द्वारा अपेक्षित कतिपय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) मंत्रालय, आवश्यक सूचना प्राप्त करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की आय निर्धारित करते समय उसकी सत्यता की प्रति-जांच करने के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ निकट सम्पर्क बनाने पर विचार कर रहा है।

तट रक्षक संगठन को मजबूत करना

3516. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट रक्षक संगठन को नया रूप देने और उसे मजबूत बनाने के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) समुद्र तट के कौन से भागों में तस्करी और मछली मारने का कार्य आसानी से किया जाता है और उन भागों में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए तट रक्षक संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है; और

(ग) तट रक्षक संगठन ने 1980-81 और 1981-82 में क्या कार्य किया है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तट रक्षक संगठन विकास योजना 1979-84 में इस संगठन के मौजूदा चल-स्तर में वृद्धि करने के लिए आधुनिक पोत विमान और हैलीकाप्टर लेने की व्यवस्था है।

(ख) तस्करी और हमारे इलाके में मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से सुन्दरवन क्षेत्र, पाक खाड़ी/मन्नार खाड़ी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह और सौराष्ट्र तट को संवेद्य क्षेत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इ क्षेत्रों में तैनात पोत तथा विमान मछली पकड़ने और तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित गश्त लगाते हैं।

(ग) तट रक्षक संगठन ने 1980 से निम्नलिखित विदेशी फिशिंग ट्रालर और तस्करी यान पकड़े हैं :

वर्ष	फिशिंग ट्रालर	तस्करी यान
1980	—	शून्य
1981	8	—
1982 (24-7-82 तक)	—	8

तट रक्षक संगठन ने अपनी स्थापना के समय से अब तक विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारों और सिविल प्रशासनों को सहायता दी है। गहरे समुद्र में विपत्तिग्रस्त पोतों की स्थापना के लिए भी यह संगठन आगे आया है।

भारत-रूस संयुक्त मानवीय उड़ान

3517. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस की संयुक्त मानवीय उड़ान कब होगी;

(ख) क्या भारतीय अन्तरिक्ष-यात्रियों का अन्तिम चयन कर लिया गया है; और

(ग) उनके नाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सोवियत कास्मोनाट्स के साथ संयुक्त रूप से अन्तरिक्ष उड़ान भरने का फैसला किया गया है। ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है।

विदेशों से रियायती दरों पर ऋण लेने की स्वीकृति का सरकारी उपक्रमों द्वारा विरोध

3518. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी उपक्रमों ने विदेशों से रियायती दरों पर ऋण लेने की स्वीकृति का विरोध किया है क्योंकि इस ऋण से देश में पुरानी तकनीक का आयात होगा और यह अर्थव्यवस्था बहुत महंगी होगी;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त आधार पर विदेशी ऋण का विरोध किया है;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि पुरानी तकनीक का आयात न किया जाए ताकि वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एकक के विचारों को माना जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) किसी भी रियायती अथवा अन्य प्रकार के वित्तीय प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पहले प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर का कड़ा मूल्यांकन किया जाता है। प्रौद्योगिकी को उन्नत किस्म का बनाने तथा आधुनिकीकरण के उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार के कार्य में प्रयोक्ता इकाइयों को पूरी तरह शामिल किया जाता है।

रुग्ण सरकारी उपक्रमों को पुनर्जीवित करने हेतु ऋणों की पुनः अदायगी हेतु सुविधा

3519. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० वी० देसाई :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रमों के एक चुने हुए ग्रुप को, उन उपक्रमों के रुग्ण हो जाने के बाद उन्हें पुनः जीवन प्राप्त करने में सहायता देने हेतु, केन्द्रीय ऋणों तथा उन पर ब्याज की वापस अदायगी के लिए पांच वर्ष का विलम्ब-काल प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप रुग्ण एककों को किस हद तक पुनर्जीवन मिल जाएगा;

(घ) उक्त सुविधा किस तारीख से लागू होगी; और

(ङ) यह रियायत किन-किन सरकारी उपक्रमों को दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) योजना आयोग के सदस्य (उद्योग), की अध्यक्षता में गठित सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने घाटा उठाने वाले इन्जीनियरी उद्यमों की जांच की थी। विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि इनमें से कुछ उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक है तथा इस सहायता को इन उद्यमों के पुनर्वास की योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे लाभकारिता की स्थिति में पहुंच सकें। इन सिफारिशों के आधार पर उद्योग मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रमों को केन्द्रीय सरकार के ऋणों और उन पर लगने वाले ब्याज की अदायगी में स्थगन की अनुमति प्रदान की गई है। इन उद्यमों के नाम तथा 31-3-1981 तक इनको दिए गए सरकारी ऋणों की रकम इस प्रकार है :

1. हैवी इन्जीनियरिंग कारपो०	313.00 करोड़ रुपए
2. जैसप एंड कं०	45.73 " "
3. ब्रैथवेट एण्ड कं० लि०	18.74 " "
4. बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०	55.17 " "

इन उद्यमों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता में 1-4-1981 से 31-3-1985 तक ब्याज से छूट तथा 31-3-1985 तक ऋण भुगतान के स्थगन की अनुमति शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1981-82 के दौरान इन उपक्रमों द्वारा उठाए गए नकद घाटों को गैर-योजना ऋणों

के जरिए वित्त पोषित करने का निर्णय किया है। इन ऋणों पर भी 31-3-1985 तक ब्याज से छूट तथा भुगतान में विलम्ब की सुविधा प्राप्त है।

नियंत्रित कपड़े के वितरण सम्बन्धी नीति

3520. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े के वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति क्या है; और

(ख) केरल में गत पांच वर्षों के दौरान ऐसा कितना कपड़ा वितरित किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कंट्रोल का कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों के लिए है जिनका एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। वितरण के ब्यौरे प्रत्येक राज्य के भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1982 तक केरल राज्य में 65742750 वर्ग मीटर कंट्रोल के कपड़े का वितरण किया गया है।

कर्नाटक राज्य में अपंग और अंधे व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहायता

3521. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कर्नाटक राज्य में भारतीय स्टेट बैंक ने अपंग और अंधे व्यक्तियों को सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त कर्नाटक में एसोसिएशन आफ दि फिजिकली हैन्डीकैप्ड और नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइन्ड्स को 210400 रुपये और 460000 रुपये का अनुदान दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अंधों की कुल संख्या क्या है जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की यह सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) राज्य में अंधे व्यक्तियों के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न उत्पादक कार्यकलापों के लिए विकलांग तथा नेत्रहीन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देता रहा है। इसने कर्नाटक राज्य में इस तरह के 391 व्यक्तियों को कुल 8.50 लाख रुपये की ऋण सहायता दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विकलांग संघ (एसोसिएशन आफ फिजिकली हैंडीकैप्ट) बंगलूर को दिया जाने वाला अनुदान हर साल 16 विकलांग व्यक्तियों को टर्नर के ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च को पूरा करेगा ताकि प्रशिक्षण के बाद वे लाभप्रद आत्मनियोजन प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार, नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइन्ड

(कर्नाटक राज्य शाखा) को दिया जाने वाला अनुदान, एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के लिए उपस्कर और संयंत्र खरीदने तथा हर साल 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को लाइट इन्जीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के आंशिक आवर्तक व्यय को पूरा करने के लिए है।

"राइट टू हैव रिफन्ड्स मेड एक्सपीडिशियस्ली" शीर्षक समाचार

3522. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 8 अप्रैल, 1982 को बम्बई से प्रकाशित ईवनिंग न्यूज आफ इण्डिया में "राइट टू हैव रिफण्ड्स मेड एक्सपीडिशियस्ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशियां की वापस अदायगियां तथा उनका विलम्ब से वापस अदा किये जाने के फलस्वरूप उन पर ऋण की अदायगी शीघ्र ही कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वापस अदायगियां शीघ्र जारी करने और बिलम्बित वापस अदायगियों पर देय ब्याज की अदायगी के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं।

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना

3523. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी और उसका कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन क्षेत्रों के लिए कार्य करेगा और इससे किसानों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने में क्या सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना हो गई है और 12 जुलाई, 1982 से उसने काम करना शुरू कर दिया है। बैंक के परिचालन क्षेत्र में सम्पूर्ण देश आता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वित्त के रूप में राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा कृषि कार्यों अथवा फसलों आदि के विपणन के वित्त पोषण के वास्ते इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्थाओं के वर्ग को ऋण तथा अग्रिम (अल्पाधिक) देगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक देवी विपत्तियों के समय अल्पावधिक कृषि ऋणों को मध्यावधिक सावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधिक कृषि ऋण और 7 वर्षों तक के लिए मध्यावधिक रूपान्तर ऋण भी देगा ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की गति में कोई रुकावट न आये। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 25 वर्षों तक के लिए दीर्घावधिक ऋण भी दे सकता है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, देश की ग्रामीण ऋण प्रणाली में एक शीर्षक संस्था के रूप में संस्था निर्माण और कृषि तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मत्स्य ट्रालरों की नीलामी

3524. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक मत्स्य उद्योग में अलाभकारी स्थिति को देखते हुए मत्स्य ट्रालरों की नीलामी कर रहे हैं; और

(ख) मत्स्य उद्योग को सहायता देने हेतु 1982 में क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और तथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक से ऋण

3525. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विश्व बैंक से प्राप्त ऋण राशि अथवा इसे प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त राशि के राज्यवार नियतन तथा आवंटन सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4372/82]

(ख) राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दाता एजेन्सियों/देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत की जाती है।

कार्बन-डायोक्साइड के जमाव के कारण वातावरण-प्रदूषण

3526. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों के इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें वातावरण में कार्बनडायोक्साइड का जमाव बढ़ने और मौसम में बदलाव आने की भविष्यवाणी की गई है जिसके कारण विकासशील देश शुष्क और असहाय होकर रह जायेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि फासिल ईंधन के उपयोग तथा भारी औद्योगीकरण के कारण ही कार्बन-डायोक्साइड में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या हमारे देश की शोधशालाओं तथा शोध संस्थानों ने कार्बन-डायोक्साइड के निकलने तथा मौसम के अधिकाधिक गर्म तथा शुष्क होते जाने के बारे में कोई मूल्यांकन किया है और क्या मौसम में उक्त बदलाव से कृषि, उद्योग तथा देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को समाचार-पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की जानकारी है जिनमें उल्लेख किया गया है कि वायुमंडल में कार्बन-डायोक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। यह कथन कि इनसे केवल विकसित देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा विवादास्पद है क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी कार्बन-डायोक्साइड में वृद्धि के प्रभाव पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ख) प्रज्वलनशील फॉसिल ईंधन में वृद्धि से वायुमंडल में कार्बन-डायोक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि औद्योगीकरण में वृद्धि होने से फॉसिल ईंधन का अधिक प्रयोग होता है, इससे वायुमंडल में कार्बन-डायोक्स इड की मात्रा में भी वृद्धि होती है।

(ग) वायुमंडल में कार्बन-डायोक्साइड का पद्धतिवार तथा राष्ट्रव्यापी मापन नहीं किया गया है। अभी इतना जल्दी यह कहना कठिन है कि क्या इसका भारतीय कृषि, उद्योग अथवा अर्थ-व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) ऊपर (ग) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

फाकलैंड युद्ध में रायल नेवी के सी हैरियरों की कार्य कुशलता

3527. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाकलैंड युद्ध में रायल नेवी से सी-हैरियरों का कार्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा है और उन्होंने बड़े पैमाने पर नौसेना में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है;

(ख) क्या ब्रिटिश निर्माताओं ने भारत को सी-हैरियरों की पेशकश की थी और सरकार ने केवल आठ ही विमानों की खरीद की मंजूरी दी थी जिनमें से दो तो प्रशिक्षक विमान हो थे जबकि हमारी नौसेना को 18 विमानों की जरूरत थी;

(ग) क्या विमान निर्माताओं ने यह छूट भी दी थी कि इन विमानों को 30.6.82 तक बिना मूल्य वृद्धि खरीदा जा सकता है, परन्तु इनकी खरीद के बारे में अनिर्णयता के कारण सरकार को अब विमानों के काफी बढ़े हुए मूल्य अदा करने पड़ेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण थे और उसके कारण संभवत: कितनी वित्तीय हानि होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फाकलैंड युद्ध के दौरान "सी-हैरियर" विमान की भूमिका का अध्ययन किया जा रहा है। इन विमानों द्वारा अदा की गई भूमिका का पूरा मूल्यांकन तभी किया जा सकेगा जब इस युद्ध के बारे में और प्रामाणिक सूचना उपलब्ध हो जाएगी।

(ख) से (घ) 8 "सी-हैरियर" विमानों, जिनमें 2 प्रशिक्षण विमान भी शामिल हैं, की खरीद के लिए एक ठेका पहले ही तय किया जा चुका है और आशा है ये विमान सेना को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे।

नौसेना के लिए अतिरिक्त "सी-हैरियर" प्राप्त करने पर यथा समय विचार किया जाएगा ।

विदेशी पर्यटकों को गोडावण का शिकार करने की अनुमति

3528. **श्री अशोक गहलोत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए गोडावण का शिकार करने पर लगी रोक को हटाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एम० एम० टी० सी० द्वारा स्टील चादरों का आयात

3529. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एम० टी० सी० स्टेनलेस स्टील चादरों का आयात कर रही है जब कि देश में ही उसका उत्पादन करने के लिए पर्याप्त स्वदेशी क्षमता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयात व्यापारियों द्वारा उत्पाद के मूल्य मे अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक प्राप्त परिणामों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एम० एम० टी० सी० केवल उन स्टेनलैस स्टील चादरों का आयात करता है जिनका देश के भीतर उत्पादन क्वालिटी, मात्रा तथा आकार की दृष्टि से अन्तिम प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । ये आयात भारतीय इस्पात प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' मिलने पर किये जाते हैं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

उपग्रहों द्वारा तूफान के सम्बन्ध में चेतावनी

3530. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अब तक छोड़े गए उपग्रहों ने मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करना विशेषकर आसन्न तूफानों के सम्बन्ध में चेतावनी देना आरंभ कर दिया है;

(ख) इन उपग्रहों द्वारा आसन्न तूफान की भविष्यवाणी कितने घंटे पूर्व कर दी जाती है; और

(ग) प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों को तूफानों की चेतावनी शीघ्रता से भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं। भारत द्वारा हाल ही में छोड़ा गया उपग्रह (इनसैट-1-ए) मौसम पूर्वानुमान नहीं देता। यह चक्रवाती तूफानों वाले मेघ चित्र प्रदान करता है तथा उनकी स्थिति को दर्शाता है। इन चित्रावलियों का प्रयोग, अन्य आंकड़ों के साथ-साथ पूर्वानुमान तैयार करने तथा चक्रवातों के विषद्ध चेतावनियां देने के लिए किया जाता है।

(ख) उपग्रह मेघ चित्र किसी चक्रवात की स्थिति का उस समय पता दे सकते हैं जब वह समुद्र तट से 500 से भी अधिक किलोमीटर की दूरी पर हो अर्थात् जब उसे समुद्र तट से ठकराने में अभी दो दिन का अन्तर हो।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम्, मद्रास तथा बम्बई चक्रवात चेतावनी केन्द्र स्थापित किए हैं। ये चक्रवात चेतावनी केन्द्र उच्चतम प्राथमिकता (1000 मौसम तत्काल परम अग्रता एक्स॰ एक्स॰ डब्ल्यू॰) तारों के माध्यम से उस स्थान तथा प्राधिकरण के आधार पर जारी करते हैं जिन्हें वे भेजे जाते हैं। बन्दरगाह प्राधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को इन परम अग्रता तारों तथा टेलीफोन द्वारा भी चेतावनी दी जाती है। सामान्य जनता, नौवहन, मत्स्यकी तथा अन्य एजेंसियों को आकाशवाणी तथा अन्य प्रचार माध्यमों से चक्रवाती तूफानों वाले प्रतिकूल मौसम के बारे में चेतावनी दी जाती है। आकाशवाणी इन चेतावनियों को अपने तन्त्रजाल एवं प्रादेशिक भाषाओं के प्रसारणों में बार-बार दोहराता है। संचार प्रणालियों के खराब हो जाने की अवस्था में, इन चेतावनियों के लिए राज्य पुलिस के वायरलैस दूरसंचार का प्रयोग किया जाता है। जब कभी संभव होता है टेलीफोन, टेलेक्स तथा टेलिप्रिंटर सम्पर्कों जैसे अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों को सम्बन्धित चक्रवात चेतावनी केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा चक्रवात के बारे में टेलीफोन पर बताया जाता है।

बड़ी औद्योगिक यूनिटों द्वारा लाभांश की घोषणा किया जाना

3531. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की अनेक बड़ी औद्योगिक यूनिटों ने अपने शेयरधारियों को वर्ष 1981-82 के लिए लाभांश देने की घोषणा नहीं की है; और

(ख) न्यूनतम लाभांश घोषित किये जाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी. नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की अनेक बड़ी औद्योगिक यूनिटों ने अपने शेयरधारियों को वर्ष 1981-82 के लिए

लाभांश देने की घोषणा नहीं की है। लेकिन कुछ एक बड़ी कम्पनियों ने इस वर्ष लाभांशों की घोषणा नहीं की क्योंकि उनके कार्यचालन परिणाम प्रतिकूल रहे।

(ख) किसी कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा करना बुनियादी तौर पर उसके कार्यचालन परिणामों पर निर्भर करता है और यह सम्भव नहीं है कि किसी कम्पनी को न्यूनतम लाभांश घोषित करने के लिए कहा जाए जबकि उसके कार्यचालन परिणाम ऐसा करने की इजाजत न देते हों। तथापि सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की अदायगी का विनियमन करने के लिए कम्पनी (लाभों का आरक्षित निधि में अन्तरण) नियम, 1975 तथा कम्पनी (आरक्षित निधियों में से लाभांश की घोषणा) नियम 1975 बनाए है। इन नियमों के अन्तर्गत कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि वे किसी वर्ष के लाभों की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता अपनी आरक्षित निधियों को अन्तरित करें जिसका सम्बन्ध उस वर्ष के लिए उसके द्वारा घोषित लाभांश की प्रतिशतता से होता है। इसी प्रकार कम्पनियों द्वारा गत वर्षों में अर्जित लाभों में से निकाली जाने वाली और, किसी वर्ष लाभ अपर्याप्त होने या न होने की दशा में लाभांश की अदायगी के लिए आरक्षित निधि को अन्तरित की जाने वाली राशियां भी इन नियमों द्वारा प्रतिबन्धित होती हैं।

सरकारी क्षेत्र द्वारा 1980-81 में नगण्य आय

3532. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1982 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वित्तीय सौदों/आय के अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अध्ययन के अनुसार 1980-81 के दौरान 21,126 करोड़ रुपये के विशाल निवेश से 182 करोड़ रुपए की नगण्य आय हुई है;

(ग) क्या सरकार इस अध्ययन से सहमत है और यदि हां, तो यह पता लगाने के लिए कि वित्तीय सौदों में कहां गड़बड़ हुई है परियोजनावार कोई गहन अध्ययन करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए किन कदमों पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शेयर पूंजी और दीर्घावधि ऋणों के रूप में मार्च, 1981 के अन्त तक 21126 करोड़ रु० की पूंजी लगी थी। इसमें से 19171 करोड़ रु० की पूंजी 168 चालू उद्यमों में, 1884 करोड़ रु० की पूंजी निर्माणाधीन उद्यमों में तथा 71 करोड़ रु० की पूंजी बीमा कंपनियों में लगी थी। 168 चालू उद्यमों में से 93 उद्यमों ने कराधान पूर्व 791 करोड़ रु० का लाभ कमाया, जबकि 75 उद्यमों को कराधान पूर्व 752 करोड़ रु० का घाटा हुआ।

(ग) और (घ) समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये अध्ययन में दिये गये तथ्य व आंकड़े पूरी तरह ठीक नहीं हैं। उद्यमों के कार्य निष्पादन की सही स्थिति सरकारी उद्यम कार्यालय को केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है, जिन्हें नियमित रूप से लोक सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछली रिपोर्ट "लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81" 24 फरवरी, 1982 को प्रस्तुत की गई थी। उद्यमों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है। हिन्दुस्तास कापर लि०, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि०, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लि० बोकारो स्टील, भारतीय नौवहन निगम, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन और हिन्दुस्तान शिप० यार्ड लि० सहित विभिन्न सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का गहन अध्ययन शुरू किया गया है। सरकार ने कोयला, लिग्नाइट, इस्पात, नौवहन, पेट्रो-रसायन, दूरसंचार, उर्वरक और इंजीनियरी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने और इन उद्यमों का कार्यचालन सुधारने के लिए आवश्यक सदुपाय सुझाने हेतु अगस्त, 1980 में योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी।

(ङ) सरकार द्वारा उनके कार्यनिष्पादन का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन किये जाने के सभी उद्यमों को 1982-83 के दौरान उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और अपने निष्पादन परिणामों में सुधार लाने के लिए अपनी कार्य-योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभकारिता में सुधार लाने के लिए गतवर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम भी उठाये हैं :

(1) बिजली की अधिक खपत वाले तथा बिजली कर निर्भर रहने वाले उद्यमों के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की मंजूरी।

(2) मंजूरी समझौतों का शीघ्र निपटारा।

(3) शीर्ष प्रबन्ध संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना।

(4) आधारभूत उद्योगों के कार्य-निष्पादन की शीर्षस्थ स्तर पर लगातार समीक्षा करना आदि।

(5) काम में आने वाली आधारभूत औद्योगिक सामग्री उपलब्ध कराने वाले सरकारी उद्यमों के उत्पादों के लिए यथार्थ मूल्य निर्धारण नीति।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य चालन पर निगरानी

3533. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन पर निरन्तर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना की है ताकि रुकावटों को समय रहते दूर किया जा सके और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में न चलें;

(ख) क्या यह निगरानी निकाय कमियों के कारण घाटा होने वाले क्षेत्रों का पता लगाने में सफल हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निकाय ने उनकी कठिनाइयों का परियोजनावार अध्ययन किया है, और यदि हां, तो उनके द्वारा अध्ययन की गई परियोजनाओं में कौन सी कमियां नजर आईं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा उठाए गए घाटे किस सीमा तक उन कारणों से हैं जो उनकी नियंत्रणीतीत हैं और क्या निगरानी निकाय के कार्य कारण सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें 1983 मे बेहतर कार्य करेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण करते हैं। इनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उनका परिवीक्षण करने में सरकारी उद्यम कार्यालय भी प्रशासनिक मन्त्रालयों की मदद करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार आधारभूत सम्बन्धी बाधाओं की भी उच्चतम स्तर पर समीक्षा करती है, ताकि जब कमी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

ये परिवीक्षण अभिकरण उन क्षेत्रों का पता लगाते रहे हैं जहां ऐसी बाधाओं के कारण हानि उठानी पड़ती है। इन उद्यमों के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कुछ कारण थे— बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी, रेल परिवहन की सुविधाओं का पर्याप्त न होना, पर्दो का अधिकता, खराब औद्योगिक श्रम सम्बन्ध आदि।

(ग) जब कभी आवश्यक होता है प्रशासनिक मन्त्रालय और सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन तथा कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारणों का गहन अध्ययन करते हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य उद्यमों की अवस्थापनों के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करता है ताकि क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा सके, लागतों को नियंत्रित किया जा सके, प्रबन्ध के कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सके तथा परिचालन कुशलता को बढ़ाया जा सके।

(घ) कुछ उद्यमों को कभी-कभी बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी, बाजार में मंदी तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के उद्देश्य से लिए जाने वाले निर्णयों सम्बन्धी नीतियों जैसे बाह्य कारणों से हानि होती है। किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, 1982-83 में सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

महाराष्ट्र और गुजरात में टैक्सटाइल मिलों को वित्तीय सहायता

3534. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ टैक्सटाइल मिलों ने, जिनमें श्रमिक हड़ताल पर है, सरकार से अनुरोध किया है कि ज्यों ही गत्यवरोध समाप्त हो जाए, उन्हें मिलों को चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा की गई मांग कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) बम्बई मिल-मालिक एसोसिएशन ने अभ्यावेदय दिया है कि बम्बई स्थित वस्त्र मिलों को वस्त्र मजदूरों की हड़ताल के बाद पुन: खुलने के समय बैंकों तथा वि ीय संस्थाओं से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। गुजरात रिक्त वस्त्र मिलों स हाल ही म कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर है कि वे ऋण नीति तथा नीति सम्बन्धी अन्य परिस्थिति के अनुसार बम्बई स्थिति वस्त्र मिलों की ओर से दिये गये अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार करें। मिलों को चालू करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल

3535. श्री ए० टी० पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1982 के आरम्भ में प्रबन्धकों द्वारा बड़ौदा स्थित भारी जल संयंत्र में तालाबन्दी घोषित कर दी गई थी;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस एकक में तालाबन्दी करने के क्या कारण थे; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने एककों में (एक) हड़ताल (दो) तालाबन्दी है और (तीन) कितने एकक बन्द पड़े हैं अथवा 15 जून, 1982 से बन्द हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां। 6 जून, 1982 को तालाबन्दी घोषित की गई थी तथा 26 जून, 1982 को यह हटा ली गई थी।

(ख) यह तालाबन्दी श्रम अशांति के कारण की गई थी।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वित्त मन्त्रालय द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए बनाई गई नई योजना

3536. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने देश में बेरोजगार युवकों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से क्रियान्वित की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) "विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने में बैंकों की भूमिका" का अध्ययन करने के लिए स्थापित किए गए कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने रोजगार बढ़ाने के लिए, ऋण में वृद्धि

करने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों को ब्यौरेवार हिदायतें जारी की थीं। इन सुझावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सब बैंकों से निम्नलिखित बातें कही थीं :

(1) बैंकों को समग्रतः वार्षिक आधार पर, इस प्रयोजन के लिए प्रति शाखा दो अतिरिक्त व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आधार वर्ष 1978 होगा।

(2) क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार विषयक आयोजना के लिए खण्ड (ब्लाक) को एक इकाई माना गया है, बैंकों को उन ब्लाकों के बारे में स्वयं-नियोजन स्कीम के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिनकी विकास योजनाएं तैयार हैं और साथ ही उन्हें अपनी स्कीमों को अन्य ब्लाकों में भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(3) लीड बैंक योजना के अधीन बनायी गयी जिला स्तरीय परामर्श-दात्री समितियों को बैंकों और विकास अभिकरणों के बीच समन्वय का प्रमुख तंत्र बना रहना चाहिए।

(4) लीड बैंकों द्वारा बनायी गयी जिला ऋण योजनाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि उनसे रोजगार और विकास स्कीमों के सम्बन्ध का स्पष्ट संकेत मिलें।

(5) ब्लाक स्तर पर योजना की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके अनुसार ऋण योजना में भी इन समुदायों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए विशेष बैंक सहायता की स्कीमें बनायी जानी चाहिए। ताकि ऐसी स्कीमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और आत्म-नियोजन के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि हो सके।

(6) परिचालनात्मक विकास अभिकरणों में बैंकों की प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को इन अभिकरणों की कार्यकारणी समिति का सदस्य बना दिया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ब्लाक/जिला स्तर के अन्य विकास अभिकरणों की कार्यकारणी समितियों में लीड बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

(7) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, अपनी व्याप्ति को बढ़ाने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे वृहद आकार बहुप्रयोजनीय समितियों (एस० ए० एम० पी० एस०) को बैंकों को सौंपने पर विचार करें।

(8) बैंकों को जिला औद्योगिक केन्द्रों से निकट सम्पर्क स्थापित करना है जो कि विभिन्न जिलों में आत्म-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये गये हैं।

(9) आत्म-नियोजन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को पूरा करने के वास्ते प्रत्येक बैंक को विभिन्न स्तरों पर लीड बैंक स्कीम को कार्यान्वित करने के अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि बैंकों की शाखाओं की स्कीमें निर्धारित करने, तैयार करने, कार्यान्वित करने और उनके बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करने के बारे में तकनीकी क्षमता सही तरह से निर्मित हो सके। इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ विशेष शाखाओं के लिए संगठनात्मक योजनाएं बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति शाखाओं का दर्जा बढ़ाने और कम स्टाफ वाली शाखाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त हिदायतों के आधार पर बैंकों ने लाभप्रद व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के वित्त पोषण के लिए स्कीमें तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (आई० आर० डी० पी०) में भाग ले रहे हैं जिसके अधीन पांच वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5 करोड़ परिवारों को 3 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होंगे ताकि वे आत्म-नियोजन द्वारा अपनी जीवन दशा को सुधार सकें। बैंक "आत्म-नियोजन के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण" (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) में भी भाग ले रहे हैं।

तस्करी की जांच हेतु मोटर नौकायें

3537. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ समय पहले तस्करों की रोकथाम हेतु विदेशों से कुछ मोटर नौकाएं खरीदी गई थीं और उनमें से कितनी मोटर नौकाएं इस समय उपयोग में लाई जा रही हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : विद्यमान सीमाशुल्क बेड़े को 1980 में विदेशी मूल की तेज गति वाली 6 अतिरिक्त नौकाएं अभिगृहीत करके बढ़ाया गया था। ये जलयान ऐसे सीमाशुल्क समाहर्तालियों को दिये गये हैं जिनके क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के समुद्र तट के साथ वाले क्षेत्र पर हैं। इनमें से दो जलयानों की वर्तमान में मामूली-सी मरम्मत की जा रही है।

जाली मुद्रा

3538. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत अधिक जाली मुद्रा प्रचलन में है;

(ख) 1 जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 और 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1981 के बीच प्रत्येक राज्य में पकड़ी गई जाली मुद्रा का ब्योरा क्या है;

(ग) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या हाल में पूना, बम्बई और महाराष्ट्र में एक अन्तर्राष्ट्रीय नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पकड़े गए जाली नोटों, छापने की मशीनों का ब्योरा क्या है और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(च) इस प्रकार की अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के विभिन्न भागों से, समय-समय पर, नकली करेंसी नोटों के मामलों का पता लगा है।

(ख) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) नकली मुद्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिये कानून में कठोर दंड की व्यवस्था है। इस प्रकार के गैर-कानूनी और राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों में लगे अपराधियों को पकड़ने के लिये अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक अपराध स्कन्ध में एक "कक्ष" नकली मुद्रा बनाने के अपराधों की जांच करता है। नकली मुद्रा बनाने के मामलों की जांच राज्य पुलिस विभागों द्वारा स्वतन्त्र रूप में भी की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को दी गई धनराशि

3539. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनवरी, 1980 से मार्च, 1982 तक जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारों ने, बैंकों द्वारा उपर्युक्त दो कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने वायदों को पूरा करने में सहयोग न देने के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त दो कार्यक्रमों को ठीक से चलाने के लिए मन्त्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन जुटाए गए सावधि ऋणों की राशि 1.65 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1981-82 में यह राशि बढ़कर 4.51 करोड़ रुपए हो गई। शिलांग में आयोजित क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की 5वीं बठक में इस वर्ष के आरम्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई थी। इस बैठक में निर्धारित बहुत से मुद्दों से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। जिला, राज्य और राष्ट्रीय-स्तरों पर गठित विभिन्न पंचों (फोरम) द्वारा बैंकों के कार्य-निष्पादन पर भी निरन्तर नजर रखी जाती है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का निर्यात

3540. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को वर्ष के दौरान भारत की 7 लाख टन चीनी के निर्यात के दायित्व को पूरा करने के लिए अविलम्ब बातचीत करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो किसी ठेके पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितनी चीनी का किस दर पर निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार ने चीनी वर्ष, अक्तूबर '81 से सितम्बर' 82 के दौरान राज्य व्यापार निगम को चीनी की 6 लाख एम० टी० की न्यूनतम मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक 5.11 लाख एम० टी० तक चीनी की कुल मात्रा का निर्यात करने की संविदायें सम्पन्न की गई हैं।

(घ) 20 जुलाई, 1982 तक लगभग 61.29 करोड़ रु० मूल्य की 2.20 लाख एम० टी० मात्रा का निर्यात किया गया है।

तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम (सी० ओ० एफ० ई०-पी० ओ० एस० ए०) में संशोधन

3541. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करों और आर्थिक अपराधियों की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से कुचलने के लिए निवारक नजरबंदी सम्बन्धी न्यायिक बाधाओं के बावजूद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के उपबन्धों का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाधाएं दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) क्या यह अधिनियम 1974 में बना था और अब इसमें अनेक संशोधन करने की जरूरत है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या नये उपबन्ध करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा तैयारी में सुधार करना

3542. श्री के० राममूर्ति :
श्री सज्जन कुमार :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पाकिस्तान द्वारा "लो लेवल मोबाइल रडार" जैसे अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक काउंटर उपकरणों की तेजी से खरीद, जिससे पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की आक्रमण क्षमता में और वृद्धि होगी, को ध्यान में रखते हुए रक्षा तैयारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान की वायु सेना के आधुनिकीकरण को देखते हुए हमारी सम्पूर्ण रक्षा योजनाओं का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारियों को बनाये रखने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय करती है। विवरण प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

रुग्ण मिलों को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम का प्रस्ताव

3543. श्री हम्नान्ह मोल्लाह :

प्रो० रूप चन्द पाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण मिलों को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत मिलों का कायाकल्प करने की दृष्टि से राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सम्मिलित योजना तैयार की है जिसमें मशीनरी के आधुनिकीकरण तथा जहां कहीं आवश्यक हो क्षमता के विस्तार के लिए 320 करोड़ रुपये का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। यह योजना क्रम-बद्ध आधार पर कार्यान्वित की जायेगी और आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेगी। 31 मार्च, 1982 को विद्यमान स्थिति के अनुसार लगभग 192 करोड़ रु० की लागत का आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा, बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए कुछ मिलों में लगभग 16 करोड़ रु० की लागत के डीजल जैनेरेटिंग सैट भी स्थापित कर दिये गये हैं। काम के दबाव और अतिरिक्त श्रमिक बल को सुव्यवस्थित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

काफी और चाय के निर्यात में कमी

3545. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की चाय और काफी का विदेशों को निर्यात किया गया; और

(ख) चाय और काफी के निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं तथा किस-किस देश को इन वस्तुओं का निर्यात घट गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों को निर्यात की गई चाय तथा काफी का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1979-80	1980-81	1981-82
काफी	178.97	215.77	162.20
चाय	376.90	435.27	402.52

(ख) 1981-82 के दौरान काफी के निर्यातों में गिरावट के मुख्य कारण हैं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण निम्न इकाई मूल्य प्राप्ति तथा

(2) 1980-81 की तुलना में 1981-82 में निर्यात के लिए काफी की कम उपलब्धि ।

(1979-80 में से निर्यात आवंटन, जिसका अधिकांश भाग वर्ष 1980-81 के दौरान बेचा गया, लगभग 92,000 मे० टन था; जबकि 1980-81 फसल में से निर्यात आवंटन, जिसका अधिकांश भाग वर्ष 1981-82 के दौरान बेचा गया, लगभग 75,000 मे० टन था । जिन प्रमुख देशों को काफी के निर्यातों में गिरावट आई वे हैं : ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, जापान, सं० रा० अमरीका, स्विटजरलैंड, सोवियत संघ, ज० लो० गणराज्य, मध्य पूर्व के देश तथा चैकोस्लोवाकिया ।

चाय

1981-82 के दौरान चाय की निर्यात आय में गिरावट का मुख्य कारण निर्यात की मात्रा में कमी तथा निम्न इकाई मूल्य प्राप्ति होना है । जिन प्रमुख देशों को निर्यातों में कमी आई वे हैं : ब्रिटेन, आयरलैंड, ज० संघीय गणराज्य, सं० राज्य अमरीका, ईरान, सूडान तथा लीबिया ।

मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रम

3546. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी उपक्रम कौन-कौन से हैं और उनमें से प्रत्येक उपक्रम की अधिकृत पूंजी क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उस राज्य में एक नये केन्द्रीय सरकारी उपक्रम की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) और (ख) 31 मार्च, 1981 को मध्य प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय वाले केन्द्रीय सरकार के तीन उपक्रम थे। इन तीनों उपक्रमों के नाम, उनकी अधिकृत पूंजी और प्रत्येक में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	उपक्रम का नाम	अधिकृत पूंजी	कर्मचारियों की संख्या
1.	इस्को स्टैंटस पाइप एण्ड फाउन्ड्री कं० लि०	4.00	551
2.	नेशनल न्यूज प्रिंट्स एण्ड पेपर मिल्स लि०	10.00	3666
3.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि०	23.00	22057

उपर्युक्त तीन उपक्रमों के अलावा ऐसे कई अन्य उपक्रम भी हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय यद्यपि मध्य प्रदेश से बाहर हैं, परन्तु उनके एकक मध्य प्रदेश में हैं। उनमें से प्रमुख एकक इस प्रकार हैं :

क्रमांक एकक का नाम

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण का भिलाई इस्पात संयंत्र।
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० का भोपाल एकक।
3. भारत एल्यूमिनियम कं० लि० का कोरबा अल्यूमिनियम संकुल
4. राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का कोरबा एकक।
5. हिन्दुस्तान कापर लि० की मलंजखण्ड तांबा खानें।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार इस राज्य में केन्द्रीय सरकार का कोई नया उपक्रम स्थापित नहीं किया जाएगा, किन्तु इसमें मौजूदा उपक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना में जिन प्रमुख उद्यमों के विस्तार का प्रस्ताव है, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्थित उन उपक्रमों का विवरण जिनका छठी पंचवर्षीय योजना में विस्तार करने का प्रस्ताव है

(30.7.82 का अतारांकित प्रश्न संख्या 3546)

क्रमांक उपक्रम का नाम

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण—भिलाई इस्पात संयंत्र
2. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम—बैलाडिला खानें

3. हिन्दुस्तान कापर लि०—मलंजखण्ड तांबा खानें

4. भारत अल्युमिनियम कं० लि०—कोरबा अल्युमिनियम संकुल

5. भारतीय सीमेंट निगम—कुछ सीमेंट परियोजनाएं

6. नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०

7. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०—भोपाल एकक

8. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०—जाजबाल, बोदल में खान और मिल

मध्य प्रदेश के जिलों में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि

3547. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यक बैंक मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए उप-योजना हेतु धनराशि नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत जिलों के लिए तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्यवाई की आयोजना में जनजाति क्षेत्रों में उप आयोजनाओं के लिए बैंकों से प्राप्त होने वाली यथावश्यक ऋण सहायता सम्बन्धी आवश्यकताएं भी शामिल की जाती हैं। बैंक उपर्युक्त जिलों में जनजाति की आबादी से सम्बन्धित उप आयोजनाओं के लिए आवश्यक ऋण सहायता प्रदान कर रहे हैं। बैंक आफ बड़ौदा (झाबुआ के लिए लीड बैंक) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष, 1981 में झाबुआ जिले में सभी बैंकों द्वारा संवितारित राशि 348.29 लाख रुपये थी। बैंक ने यह भी बताया है कि यह जिला मुख्य रूप से अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत जनजाति वाला जिला होने के कारण उसमें दिये जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध जनजातियों से होता है। इसी प्रकार, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (रतलाम के लिए लीड बैंक) के अनुसार, मार्च, 1982 के मुताबिक, इस बैंक द्वारा रतलाम में अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिमों की राशि लगभग 20 लाख रुपये तथा लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या लगभग 680 थी।

कर अपवंचक पेशेवर लोगों को कर की सीमा में लाने के लिए की गई कार्यवाही

3548. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री के० मालन्ना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचक पेशेवर लोगों को कर की सीमा में लाने के लिए कोई विशेष कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कोई नई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस नयी व्यवस्था का ढांचा कैसा है और इससे रोजगार की संभावना कितनी बढ़ी है; और

(घ) यदि नहीं, तो बड़ी संख्या में पेशेवर लोगों से निबटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) हाल ही में, कतिपय व्यवसाय चला रहे व्यक्तियों के लिए, निर्धारित लेखा बहिया तथा रिकार्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। व्यवसायिकों के मामलों में कारगर ढंग से कार्यवाही करने के लिए, उनके मामलों को, अधिक जनसंख्या वाले नगरों में व्यावसायिक परिमण्डलों में केन्द्रित कर दिया गया है। सर्वेक्षण की कार्यवाहियों के दौरान भी व्यवसायिकों के बारे में सूचना एकत्र की जाती है। यह सब आयकर विभाग के मौजूदा कर्मचारियों की मदद से ही किया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सामुद्रिक उत्पादों का निर्यात

3549. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए सामुद्रिक उत्पादों की कुल मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1982-83 के दौरान सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर अधिक बल देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में किए गए प्रयत्नों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान समुद्री उत्पादों के देश-वार निर्यात (मात्रा और मूल्य की दृष्टि से) विवरण-1 में दी गई जानकारी के अनुसार थे।

(ख) जी हां।

(ग) ब्योरे विवरण-2 में दिये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त प्रयास सभी राज्यों में किये जा रहे हैं।

विवरण-1

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

क्रमांक को निर्यात किया गया	1980-81		1981-82	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. जापान	39374	16575.61	40011	18840.75
2. सं० रा० अमरीका	9511	2593.00	10528	3498.07
3. ब्रिटेन	2243	689.26	2679	772.47
4. नीदरलैंडस	2611	721.89	2035	605.12
5. इटली	328	74.25	170	69.65
6. जर्मनी का संघीय गणराज्य	117	31.96	270	92.42
7. मारीशस	117	58.38	328	32.17
8. आस्ट्रेलिया	43	158.89	581	303.52
9. सिंगापुर	390	216.57	455	199.70
10. थाइलैंड	2826	49.07	345	21.56
11. बहरीन द्वीप समूह	85	10.01	111	9.41
12. कुवैत	4481	555.60	3079	489·49
13. सऊदी अरब	927	72.75	1540	189.52
14. संयुक्त अरब अमीरात	2283	271.53	2794	479.17
15. बेल्जियम	1257	262.38	855	300.14
16. फ्रांस	1978	534.39	2372	559.25
17. श्रीलंका	3302	158.00	551	29.63
18. हांगकांग	273	173.86	254	212.28
19. मलयेशिया	262	6.88	3	1.45
20. यूनान	506	41.37	558	55.33
21. स्पेन	337	70.12	231	87.83
22. अन्य	2280	158.59	355	1551.61
योग	75591	23484.26	70105	28600.54

विवरण-2

सरकार द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा

(1) उदारीकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशों से जहाज किराये पर लेने की अनुमति दी जा रही है।

(2) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मार्फत भारत के विभिन्न भागों में झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(3) बिक्री-सह-अध्ययन दलों और समुद्री-खाद्य सामग्री प्रतिनिधि मंडलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(4) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मार्फत विशेषीकृत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य सामग्री प्रदर्शनियों में भाग लेने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) निर्यात निरीक्षण अभिकरण की मार्फत क्वालिटी नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्पादन की क्वालिटी सुधारने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तार कार्य किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता

3550. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में काम कर रहे वाणिज्यिक बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सरकार की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न वाणिज्यिक बैंक कौन हैं जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए उड़ीसा में सहायता दे रहे हैं;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता दे रहे हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1980-81 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन वाणिज्यिक बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा राज्य में जुटाए गए कुल अवधि ऋणों की राशि 15.90 करोड़ रुपये थी। 1981-82 में यह राशि बढ़ कर 25.70 करोड़ रुपये हो गई। इस कार्यक्रम में अपने योगदान में और सुधार लाने के उद्देश्य से बैंक इस राज्य में अपने बुनियादी ढांचे को बराबर मजबूत बना रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय ग्राम्य बैंक खोलना

3552. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ क्षेत्रीय ग्राम्य बैंक खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां; तो चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितने क्षेत्रीय ग्राम्य बैंक खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) वे कहां कहां खोले जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के वास्ते स्थानों का निर्धारण एक निरन्तर प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इसका निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक में इस प्रयोजन-नार्थ गठित संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चार नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। 13 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात् मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में दो दो, कर्नाटक, नागालैंड तथा राजस्थान राज्यों में एक-एक और संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक की स्थापना के वास्ते कार्रवाई की जा रही है।

रुपये के मूल्य की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

3553. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में रुपये का मूल्य कितना था और इस समय कितना है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी रुपये के मूल्य में वृद्धि और गिरावट के अनुसार संशोधित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मई, 1964 और मई, 1982 में रुपये का मूल्य क्रमश: 82.6 पैसे और 21.7 पैसे था (आधार 1960=100)।

(ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान 1-1-1973 से उस समय संशोधित किए गए थे जब 12 महीने का औसत सूचकांक (आधार : 1960=100) 200 अंकों पर था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 का पैरा 16 में सिफारिश की थी कि यदि मूल्य स्तर 12 महीने के औसत 272 (1960=100) से ऊपर बढ़ जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ता योजना को और आगे बढ़ाया जाए अथवा स्वयं वेतनमानों में ही संशोधन किया जाए। मूल्य स्तर उक्त सीमा से ऊपर बढ़ जाने पर सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि महंगाई भत्ता योजना को रखा जाए। इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 12 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों की वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते की एक किश्त की मंजूरी दी जाती है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल्य में वृद्धि के लिए उनकी प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई

भत्ते की अब तक 31 किश्तें स्वीकृत की जा चुकी हैं। मई, 1982 के अन्त में औसत सूचकांक 456 अंकों को पार कर गया है और इसलिए महंगाई भत्ते की एक और किश्त 1-6-1982 से विचार किए जाने योग्य हो गयी है। इस प्रकार सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए समय-समय पर प्रतिपूर्ति करती है।

चेतक के विकास में प्रगति

3554. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट आबादी में समाघात वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान में भारत के मुख्य सुपर टैंक, 'चेतक' के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चेतक के आन्तरिक दहन इंजन की मुख्य खामी, ढलाई सम्बन्धी अन्तर्निहित दोष का होना है और इसके कारण इंजन के कार्य निष्पादन में विभिन्न अड़चनें आती हैं;

(ग) यदि हां, तो विकास में बाधाक अन्य अड़चनें क्या हैं; और

(घ) इसकी क्षमता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। मुख्य युद्धक टैंक के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

(ख) से (घ) इतने आधुनिक इंजन का प्रथम बार देश में विकास करने में आने वाली कुछ सामान्य समस्याओं को छोड़कर आन्तरिक दहन इंजन के विकास में किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

मुख्य युद्धक टैंकों का विकास

3555. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री अनन्त रामुलुमल्लु :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य युद्धक टैंक के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और क्या अगले साल के अन्त तक सेना द्वारा परीक्षण के लिए इसका पहला नमूना उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो थल सेना और वायु सेना के लिए इस बारे में और पूर्व चेतावनी देने वाले राडारों जैसे अन्य विकास कार्यक्रमों में तथा नौसेना के लिए सोनारा प्रणाली के विकास में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मैन बेटल टैंक की विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास कार्य में काफी प्रगति हुई है। गोला-बारुद प्रणाली, फायर नियन्त्रण प्रणाली तथा कम्पोजिट आर्मर प्रणाली में बहुत सफलता प्राप्त की गई ताकि उससे अच्छे और अचूक परिणाम प्राप्त हो सकें। तोप की प्रहार शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक नई तरह का टैंक गोला-बारुद का विकास भी किया गया है। इंजन का विकास करने में कुछ प्रौद्योगिकीय समस्याएं हैं। यह इंजन देश में बनने वाला इस तरह का पहला और बहुत शक्तिशाली इंजन है। इस तरह के कार्यक्रम में ये समस्याएं आमतौर पर होती ही हैं और इनका निराकरण करने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही इनसे सफलता-पूर्वक निपट लिया जाएगा।

कम उंचाई पर हवाई रक्षा के लिए शीघ्र चेतावनी देने वाली दो स्टारों (एक थल सेना के लिए और एक वायु सेना के लिए) की विभिन्न उप-प्रणालियां पूरी होने वाली हैं। इनमें एन्टीना, सिग्नल प्रक्रिया और मित्र तथा शत्रु का पता लगाने वाली उप प्रणालियां सम्मिलित हैं। ट्रांसमीटर उप-प्रणालियों के विकास कार्यक्रम पर कार्य चल रहा है। दोनों ही रडार 1983 में तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो जाने की आशा है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) द्वारा देश में ही विकसित की गई सोनार प्रणाली का व्यापक आधार पर परीक्षण किया जा रहा है और अब तक प्राप्त परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं।

बैंकिंग प्रणाली में निधियों की कठोरता में ढील

3556. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वे उद्योगों के उत्पाद प्रयोजनों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम की जरूरतों पर विचार करने के बाद बैंकिंग प्रणाली में निधियों की कठोरता में ढील दें;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को ये अनुदेश भी जारी किये हैं कि इस पहलू का प्रचार करें और यह सुनिश्चित करे कि बैंक शाखाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के हिताधिकारियों की जरूरतों को पूरा करे ताकि सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीबी हटाओ कार्यक्रम सफल रहे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति का मूल उद्देश्य, उद्योगों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वास्तविक उत्पादक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है, सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्तकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को यथासम्भव रूप से पूरा करने की सलाह दे दी गई है। रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गए

अनुदेशों से, राज्य सरकारों, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध सभी अन्य सम्बन्धितों को सूचित कर दिया गया है। बैंकों तथा राज्य स्तरीय एजेन्सियों के बीच इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उचित समन्वय के सुनिश्चय के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक मंच भी उपलब्ध कराये गए हैं।

आयात और निर्यात

3557. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात की गई वस्तुओं के नाम तथा उनकी कुल लागत कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से उन्हें आयात किया गया था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत सरकार ने अपनी एजेन्सियों के माध्यम से कितना माल निर्यात किया और उसमें हुए लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) उन मदों की सूची, जिनका आयात सहकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा सरणीबद्ध है, अप्रैल, 1982-मार्च, 1983 (खण्ड 1) के लिए आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 8 में दी गई है। पिछले दो वर्षों में प्रमुख सरणीबद्ध मदों के कुल निर्यात तथा आयात आंकड़े 1981-82 की वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। निर्यातों के कारण हानि तथा लाभ के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले एक वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्कर

3558. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में विदेशों से तस्करी का माल लाने के लिये गिरफ्तार किये गये तस्करों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) 1981 और 1982 (मई तक) में, सीमा शुल्क अधिकारियों को तस्करी में अन्तर्गत होने के कारण जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	2175
1982 (मई तक)	977

(अनन्तिम आंकड़े)

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामले में कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बाहरी देशों द्वारा सीमा उल्लंघन

3559. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की किन सीमाओं पर बाहरी देशों द्वारा उल्लंघन किया जाना सामान्य बात हैं और इस बारे में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है: और

(ख) ऐसे कौन से देश हैं जो भारतीय सीमाओं पर छुटपुट झगड़ा करते हैं और गत दो वर्षों के दौरान इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) किसी अन्य देश द्वारा भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लघन किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है। परन्तु जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के इस पार वायु सीमा का उल्लंघन करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के बारे में सरकार ने पाकिस्तान सरकार को लिखा है, ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हों।

(ख) पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा के इस पार अकारण ही छुट पुट गोलाबारी किए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं और बंगलादेश से भी सीमा के इस पार गोलाबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन घटनाओं के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर में हमारा एक अफसर मारा गया और एक अन्य रैंक घायल हुआ। बंगलादेश सीमा के उस पार से हुई गोलाबारी के फलस्वरूप मेघालन क्षेत्र में गत दो वर्ष एक सिविलियन मारा गया और एक अन्य घायल हुआ।

कपड़ा-निर्यात वचनबद्धताएं

3560. **श्री वी० वी० देसाई** :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भारत चालू वर्ष के दौरान अपनी कपड़ा-निर्यात की वचनबद्धताएं पूरी नहीं कर सकेगा;

(ख) क्या देश ने भारी मात्रा में कपड़े का निर्यात करने का अवसर खो दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रूस ने इस वर्ष भारत से बीस करोड़ मीटर कपड़ा आयात करने का प्रस्ताव किया था लेकिन असन्तोषजनक स्थिति और हड़ताल के कारण इस वचनबद्धता को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण भारत को कितनी हानि होगी; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) ऐसे मिलें जो कि बम्बई की वस्त्र मिलों में हड़ताल के कारण बन्द हो गई हैं, सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसका असर वस्त्रों के समग्र निर्यात पर पड़ सकता है।

(ग) से (ङ) रूसी क्रय संगठन ने 1982 के दौरान भारतीय सप्लायरों से 154 मिलियन मीटर वस्त्र खरीदने के लिए संविदाएं की हैं। संबंधित क्रय संगठन को सलाह दी गई है कि वह सप्लाई के लिए बम्बई से बाहर की मिलों को अतिरिक्त आर्डर दें।

इलेक्ट्रानिक लक्ष्य निर्देश प्रणाली वाले मिराज-111 सुपरसॉनिक मारक विमानों को सज्जित किया जाना

3561. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री पी० नामग्याल :

श्री पी० के० कौडियन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान उड़ान-पूर्व कार्यक्रमण और विमान के ढांचे के नीचे लगाई जाने वाली पोत-मारक एक्सोसेट मिसाइल के लक्ष्य निर्देशन हेतु कतिमय मिराज-111 (ई० पी०) सुपरसॉनिक मारक विमानों को इलेक्ट्रानिक लक्ष्य निर्देशन प्रणाली से सुसज्जित कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध नीतिक सूचना व्यवस्था में इस विकास की बड़ी चहल पहल है जो राथल नेवी पोतों पर अर्जेन्टीना के हवाई हमलों से प्राप्त शिक्षा का परिणाम हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया का क्या ब्योरा है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) इस बारे में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखे हैं।

(ग) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी ऐसी घटनाओं पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करती है।

पकड़े गए तस्करी के सोने का मूल्य

3562. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले महीने का तस्करी का सोना किस स्थान से पकड़ा गया था और उसका मूल्य कितना है;

(ख) समुद्री तटों के रास्ते सोने तथा अन्य विदेशी वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या यह व्यवस्था त्रुटिहीन है; और

(ग) तस्करी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने जून 1982 में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, आदि में कुल लगभग 74 लाख रु० के मूल्य का सोना पकड़ा।

(ख) तथा (ग) समुद्री-तट के साथ-साथ, खासतौर पर पश्चिमी समुद्री-तट के साथ-साथ, सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तन्त्र को मजबूत बना दिया गया है। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिकारी तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए समुद्र में, किनारे पर और सड़क पर नियमित रूप से गश्त लगाते हैं।

तस्करी के विरुद्ध अभियान एक अविरल प्रक्रिया है, और तस्करी के तरीकों पर पूरी तरह तथा लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहां-कहीं आवश्यकता पड़ती है। वहां निवारक बल की पुनः तैनाती करके और तस्कर-विरोधी उपकरणों के माध्यम से उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ताकि तस्करी की गतिविधियों को रोका जा सके।

अतिरिक्त पर्यटन स्थानों का विकास

3563. **श्री रामलाल राही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विकसित किए जा रहे अतिरिक्त पर्यटन स्थानों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उन चालू स्कीमों के अलावा जिन पर कार्यवाही पहले से ही शुरू की जा चुकी है, वर्ष 1982-83 के दौरान निम्नलिखित नए केन्द्रों पर सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है/विकास शुरू किया जाना है :

इम्फाल (मणिपुर), नामची (सिक्किम) और शिलांग (मेघालय)—टूरिस्ट होस्टलूज, बेतला (बिहार) और सिमलीपाल (उड़ीसा) – वन गृह; रणथम्भौर (राजस्थान)—वन बंगले का विस्तार; शिवपुरी (मध्य प्रदेश)—पर्यटक गांव; चित्रकूट (मध्य प्रदेश) और बृंदावन (उत्तर प्रदेश)—भारतीय यात्री आवास विकास समिति को यात्रिकाओं की स्थापना करने में सहायता, चिल्का झील (उड़ीसा)—जल क्रीड़ाएं।

जीवन बीमा निगम का विभाजन

3564. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की यूनियन ने जीवन बीमा निगम का विभाजन करने के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) लोक हित मे, भारतीय जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में, सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सामुद्रिक उत्पाद विकास प्राधिकरण में नामांकन

3565. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछेक व्यक्तियों को सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में बार-बार नामित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इस प्राधिकरण, जिसका इस समय विस्तार किया जा रहा है, का कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहती है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्राधिकरण कतिपय निहित स्वार्थों का मंच न बन जाए, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस प्राधिकरण के उन सभी सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने किसी अवधि में, एक से अधिक कार्यकाल तक कार्य किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कुछ व्यक्तियों को समुद्री खाद्य उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए एम० पी० ई० डी० ए० में एक से अधिक बार मनोनीत किया गया है । 3 अगस्त, 1982 से आरम्भ होने वाली नई अवधि के लिए नया प्राधिकरण गठित करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिशें देने के लिए कहा है । एम० पी० ई० डी० ए० अधिनियम में प्राधिकरण में मनोनीत किये जाने हेतु समुद्री खाद्य उद्योग के सभी हितों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ।

(घ) निम्नलिखित व्यक्तियों ने एक अधिक कार्य-काल के लिए कार्य किया है :

1. श्री एस० आर० बैनर्जी, कलकत्ता
2. श्री सी० चैरियन, कोचीन
3. श्री के० चिदाम्बरम, मद्रास
4. श्री एम० जयराज, बंगलौर
5. श्री टी० एम० जोजेफ, मद्रास
6. श्री एम० माधव राज, माल्पे
7. श्री आर० माधवन नायर, कोचीन
8. श्री आर० डी० पुसालकर, बम्बई
9. श्री वयालार रवि ।

विदेशी वित्तीय सहायता की सम्भावनायें

3566. श्री भीकूराम जैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी चालू योजना के लिए विदेशी वित्तीय सहायता की क्या सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या आई० डी० ए०, आई० बी० आर० डी०, आई० एम० एफ०, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों द्वारा भारत को सीमित ऋण देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत को उदारतापूर्वक सहायता देने में हिचकिचा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) छठी आयोजना में 5889 करोड़ रुपए की निवल सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) सहायता वातावरण निश्चित रूप से बिगड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए धनराशियों की उपलब्धता में कमी होने के कारण राजकोषीय वर्ष 1982 (पहली जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक) के दौरान भारतीय परियोजनाओं के लिए सहायता वचनों में बहुत ज्यादा कमी कर दी गई थी। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहायता वचनों में हुई इस कमी को प्रति-सन्तुलित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों को इस वर्ष के दौरान बढ़ा दिया गया था, राजकोषीय वर्ष 1983 (पहली जुलाई, 1982-30 जून, 1983 तक) के लिए यह संकेत दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ /अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से उपलब्ध कुल राशि लगभग 2.2 अरब डालर होगी। इस बात का अभी कोई संकेत नहीं मिला है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण की कितनी-कितनी राशियां उपलब्ध होंगी।

(ग) समस्या वाला क्षेत्र है, बहुपक्षीय संस्थाओं के सहायता कार्यक्रम का, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण का, जिसके साधनों की इस सम्बन्ध में हुई सहमति के आधार पर प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी अंशदानों के सम्बन्ध में चार वर्षों की अवधि का कार्यक्रम बनाया गया है तथा कुछ देशों द्वारा अनुपात खण्ड लागू करने पर जोर दिया गया है।

टूल उद्योग का निर्यात लक्ष्य

3567. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) टूल उद्योग द्वारा छठी योजना में निर्यात सम्बन्धी क्या लक्ष्य नियत किया गया है;

(ख) क्या विकसित एवं विकासशील देशों में "टूल्स" के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए थे;

(ग) क्या यह सच है कि इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर, जनेवा द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में "टूल्ज" के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध होने की संभावना है; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) ने जो एक सरकारी प्रायोजित संगठन है, छठी योजनावधि के शेष वर्षों के दौरान औजारों के निर्यात के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये हैं :

रु० करोड़

	हस्त, छोटे तथा काटने के औजार	मशीनी औजार
1982-83	60	36
1988-89	75	42
1984-85 (अनन्तिम)	77	50

(ख) विकसित तथा विकासशील देशों में ओजारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ई० ई० पी० सी० द्वारा बाजार सर्वेक्षण करके, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर सम्मेलन आयोजित करके, केता शिष्टमंडल आमन्त्रित करके विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल आदि भेजकर सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पश्चिमी एशियाई तथा दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में उपलब्ध निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से ई० ई० पी० सी० ने 1981 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मशीन टूल्स उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल आयोजित किया तथा चालू वर्ष में आस्ट्रेलिया में मशीन टूल तथा हैंड टूल उद्योग का प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार है। इसके अलावा ई० ई० पी० सी० नियमित आधार पर अपने विदेशी कार्यालयों द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षणों के परिणाम अपनी निर्यात कर्त्ता सदस्य फर्मों के बीच प्रचारित करता है।

खेलकूद के सामान का निर्यात

3568. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में खेल कूद के कितने मूल्य के भारतीय सामान का प्रतिवर्ष कितना निर्यात किया गया;

(ख) खेलकूद का निर्यात का इस वर्ष क्या लक्ष्य नियत है और खेल कूद के सामान के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या विभिन्न ऐसी वस्तुओं को भी, जो इस समय खेलकूद के सामान वर्ग से बाहर है "खेलकूद का सामान" वर्ग के अन्तर्गत पुन: वर्गीकृत करने एवं सम्मिलित करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के निर्यात आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ रु० में)
1979-80	24.38
1980-81	28.49
1981-82	29.88 (अस्थाई)

(ख) 1982-83 के लिए निर्यात लक्ष्य अनन्तिम तौर पर 35 करोड़ रु० रखा गया है। खेलकूद के सामान के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम/उपाय उठाये गए हैं/जा रहे हैं :

(1) खेलकूद के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जा रही है;

(2) नायलन गट, एशवुड तथा बीचवुड, विल्लो कलैपट्स, फैंसर्स तथा कार्क बाटम के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(3) खेलकूद के सामान के व्यापारियों तथा परिषद को सरकार से सहायता प्राप्त करके विदेशों के मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है;

(4) विदेशों के बिक्री दलों/अध्ययन दलों का प्रायोजन;

(5) खेलकूद के सामान के उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाले कच्चे माल की मदों पर सीमा शुल्क का हटाया जाना/कम किया जाना।

(ग) सरकार समय-समय पर मामले की समीक्षा करती है और उन मदों का वर्गीकरण करती है जो अनिवार्यतः खेलकूद के सामान की मदें हैं। हाल ही में कुछ मदों को खेलकूद के सामान के रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4373/82]

भारतीय आव्रजकों द्वारा निवेश

3569. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों में आव्रजक भारतीयों ने देश में पूंजी निवेश के अवसरों की कमी महसूस की है;

(ख) खाड़ी क्षेत्र में आव्रजकों द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी राशि देश भेजी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार आव्रजकों को निगमों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहन करने के लिए पूंजी निवेश ब्यूरो खोलने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ब्याज की अधिक दरें देने तथा औद्योगिक निवेश से अधिक लाभ सुनिश्चित कराने का भी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त और उदार अवसर प्रदान किए गए हैं।

(ख) कृपया 26 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 के उत्तर को देखें।

(ग) जी, नहीं। किन्तु अनिवासी भारतीयों को निवेश आदि के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं का, हमारे मिशनों, भारतीय बैंकों और विशेष रूप से भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप में प्रचार किया जा रहा है।

(घ) निवासी भारतीयों की जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज के मुकाबले बाह्य जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। औद्योगिक निवेशों के लिए अनिवासियों द्वारा किए गए निवेश पर अलग-अलग लाभ की दरें प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है। किन्तु उन लोगों को छूट है कि वे ऐसी कम्पनियों और ऐसे शेयरों में निवेश करें जिन्हें वे लाभदायक समझते हैं।

चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के घरों पर आयकर की तलाशी

3570. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने गत दो वर्षों के दौरान और 1982 में अब तक चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के घरों की तलाशी ली है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और राज्य-वार आय छिपाने के कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ग) इस वर्ग के अधिकांश लोगों द्वारा अपनी आय पर कर अपवंचन करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने हेतु सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) आय/धन छिपाने के मामलों की संख्या, इन मामलों में जांच-कार्य पूरा होने तथा संगत कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही ज्ञात होगी ।

(ग) हाल ही में, कतिपय व्यवसाय चला रहे व्यक्तियों के लिए निर्धारित लेखा बहियां तथा रिकार्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। व्यावसायिकों के मामलों में कारगर ढंग से कार्यवाही करने के लिए, उनके मामलों को, अधिक जनसंख्या वाले नगरों में, व्यावसायिक परिमंडलों में केन्द्रित कर दिया गया है। सर्वेक्षण की कार्यवाहियों के दौरान भी व्यावसायिकों के बारे में सूचना एकत्र की जाती है ।

हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्प के लिए एक स्वतन्त्र विभाग खोलने का प्रस्ताव

3571. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्प के लिए वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र विभाग खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या एन० ए० बी० ए० आर० डी० के आधार पर हथकरघा वस्त्रों तथा हस्तशिल्पों के लिए एक अलग बैंक भी खोलने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ग) हथकरघा तथा हस्तशिल्प के लिए एक पृथक विभाग और साथ ही इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए एक पृथक बैंक का मामला माननीय सदस्य ने 6-7-82 को हुई इस मन्त्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचार-विमर्श के लिए उठाया था।

(ख) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यमान प्रबन्धों को उपयुक्त समझा जाता है ।

(घ) हथकरघा तथा हस्तशिल्प के लिए एक पृथक बैंकिंग संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय को कोई प्रस्ताव भेजने का विचार नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को ऋण सम्बन्धी विद्यमान प्रबन्धों के अलावा एन० ए० बी० आर० डी० अन्य बातों के साथ-साथ कारीगरों और बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा ।

नियंत्रित हथकरघा कपड़े तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बनाये गये कपड़े पर एक समान राज सहायता

3572. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा कपड़े तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बनाये गये कपड़े पर एक समान राजसहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) हथकरघा कपड़े तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़े पर इस समय अलग-अलग किस दर पर राजसहायता दी जा रही है;

(ग) क्या अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड ने एक समान राजसहायता दरों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश पर क्या निर्णय लिया है और इस बोर्ड द्वारा की गई अन्य सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) हथकरघा क्षेत्र व एन० टी० सी० द्वारा बनाये गये कन्ट्रोल के कपड़े के लिए एक समान उपदान दरों का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक क्षेत्र की उपदान दर का विनिश्चय उत्पादन की लागत तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना होता है।

(ख) एन० टी० सी०

साड़ियां व धोतियां	2 रु० प्रति वर्गमीटर
लट्ठा	1.50 रु० प्रति वर्गमीटर

हथकरघा

साड़ियां व धोतियां	1.50 रु० प्रति वर्गमीटर

(ग) अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड ने 8 जून, 1982 को हुई एक बैठक में यह विचार व्यक्त किया था कि उपादान की मात्रा को मिल में बने कन्ट्रोल के कपड़े के लिए प्राप्त स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिये।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े के लिए उपदान दर बढ़ाने के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। बोर्ड की एक अन्य प्रमुख सिफारिश है चालू वर्ष के दौरान जनता कपड़े की मात्रा बढ़ाना।

(ङ) हथकरघा क्षेत्र के कण्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के बारे में की गई सिफारिश पर अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

गैर-सरकारी विमानों की उड़ानों के लिए बनाए गए नियम

3573. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी विमानों की उड़ानों के लिए क्या नियम बनाये गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) उन व्यक्तियों के ब्यौरे क्या है जिनके विरुद्ध उक्त शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) उड़ान मुक्ति प्रमाण-पत्र के संधारण एवं जारी करने के बारे में अनुसरण किये जाने वाले नियम संलग्न हैं (विवरण)। जहां तक विमान यातायात सेवाओं के लिए अनुसरण किए जाने वाले नियमों का सम्बन्ध है, वे वही रहते हैं चाहे विमान निजी स्वामित्व वाला हो अथवा अन्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित परिचालकों द्वारा परिचालित हो।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

विवरण

नागर उड़न योग्यता अपेक्षाएं

"उड़ान मुक्ति प्रमाणपत्र" जारी करना

(क) निजी विमान

विमान परिचालन के हर 50 घंटे अथवा 30 दिन का समय बीत जाने पर, जो भी पहले हो बशर्ते कि अनुमोदित 25 घंटे 15 दिन के अनुसूचित तथा अनुमोदित उड़ान-पूर्व निरीक्षण अनुमोदित व्यक्तियों द्वारा ही किए गए हों।

विमानवाहित रेडियो उपस्कर प्रमाणपत्र

(ख) निजी विमान

उपयुक्त रूप से लाइसेंसधारी ए० आर० एम० ई०/अनुमोदित व्यक्ति द्वारा हर 90 दिनों का समय बीत जाने पर (केवल संचार उपस्कर से सुसज्जित विमान के मामले में 180 दिन) बशर्ते कि :

(1) ऐसे अन्तिम निरीक्षण के पश्चात विमान तीव्र उत्पाती तूफान में से न उड़ा हो।

(2) इसके संतोषजनक कार्य चालन को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक उड़ान से पूर्व विमान चालक/अनुमोदित व्यक्ति द्वारा उपस्कर की परिचालनात्मक जांच की जाती है।

(3) ऐसे उपस्कर में बताई गयी/पाई गई खराबियों को लाइसेंसधारी ए० आर० एम० ई०/अनुमोदित व्यक्ति द्वारा दूर किया जाता है।

नोट : यदि कोई विमान एक ही दिन में कई उड़ानें भरता है तो उड़ान-पूर्व निरीक्षण उस दिन की प्रथम उड़ान से पहले एक ही बार किया जाना चाहिए जब तक कि उपस्कर में कुछ खराबी या क्षति होने का संदेह न हो।

करों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन अपीलों की संख्या

3574. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितनी अपीलें अथवा करों से सम्बन्धित अपीलें तथा विशेष अनुमति याचिकायें विचाराधीन हैं और वे कब से लम्बित पड़ी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

वाटर बाउजरों के लिए पावर टेक आफ (पी० टी० ओ०) प्राप्त करना

3575. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 15 वर्षों की लम्बी अवधि में देश के विभिन्न हवाई अड्डों से उपयोग हेतु "वाटर बाउजरों" के लिए "पावर टेक आफ" (पी० टी० ओ०) जैसी एक छोटी सी मद प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने वाटर बाऊजर में लगाने के लिए अपेक्षित "प्रोटोटाइप पावर टेक आफ" (पी० टी० ओ०) के विकास के लिए 1973 में एक फर्म को आदेश दिया था। क्योंकि यह एक विकासात्मक आदेश था, उस फर्म द्वारा विकसित पी० टी० ओ० के कार्य-निष्पादन को आंकने के लिए बार-बार परीक्षण किये गये। प्रोटोटाइप पी० टी० ओ० उपयुक्त नहीं पाया गया तथा अन्ततः इस परियोजना को 1975 में, इसके स्थान पर एक अतिरिक्त इन्जन का प्रयोग करके पी० टी० ओ० से छुटकारा पाने के प्रयास किये गये परन्तु सफलता नहीं मिली। अन्त में 1981 में एक फर्म ने एक पी० टी० ओ० वाले वाटर बाऊजर की सफलतापूर्वक संरचना की तथा उस फर्म को सप्लाई के आदेश दिये गये। फर्म ने अब तक पी० टी० ओ० वाले 27 वाटर बाऊजरों का निर्माण किया है।

हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मद्रास के सचिव की नियुक्ति

3576. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, मद्रास के सचिव की नियुक्ति के लिए चिंतित है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि वहां प्रशासन समिति है और इसके नियमों के अनुसार यह नियुक्ति समिति की सहमति से की जा सकती है;

(ख) पिछले सचिव को, जो सी० सी० आई० एण्ड ई० 30 नवम्बर, 1981 तक प्रति-

नियुक्त पर थे, 15 अप्रैल, 1982 तक प्रशासन समिति की अनुमति के बिना इस पद प रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने परिषद के अनुरोध पर उम्मीदवार का नाम सुझाया है; और

(घ) सरकार को परिषद का नए सचिव के लिए एक पेनल कब प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार हथकरघ संवर्द्धन परिषद के उचित रूप से कार्य करने और इस प्रकार के कार्यकरण से सम्बन्धित म जिनमें किसी उपयुक्त व्यक्ति को इसके सचिव के रूप में नियुक्त करना शामिल है, सम्बा

(ख) सरकार को सूचित कर दिया है कि परिषद की प्रशासन समिति को पिछ की सेवाओं को उसकी कार्यविधि से आगे बढ़ाने से सम्बन्धित मामले की सूचना दे दी गई

(ग) और (घ) जी हां । परिषद् के चेयरमैन ने आयात-निर्यात के मुख्य आयुक्त 30 नवम्बर, 1981 के पत्र में परिषद् के सचिव पद के लिए एक व्यक्ति का सुझाव दिया

रिहायशी मकान के सम्बन्ध में पूंजी लाभ कर के अधीन छूट

3577. श्री अरुण कुमार नेहरू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 के अधीन, मकान की बिक्री पर पूंजी लाभ कर सम्बन्धी वर्तमान नियम की वैयक्तिक छूट है लेकि संयुक्त परिवार की नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अधिनियम, 1961 की धारा 54 के उपबन्धों द्वारा अनुज्ञात रियायत सदैव केवल ऐसे क रिती के मामले में ही उपलब्ध थी जो एक व्यष्टि हो, और न्यायिक निर्णयों ने इसका अनु किया है । वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा किया गया संशोधन, मौजूना कानूनी स्थिति का करण मात्र है ।

नई टैंक भेदक बंदूक का निर्माण

3578. श्री पी० एम० सईद : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई टैंक भेदक बन्दूक का निर्माण करने का निर्णय लिया है दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग की गई बन्दूकों से ज्यादा सही निशाने लगाने वाली और शक्ति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक हथियारों से सज्जित करने और हथियारों का प्रयोग न करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) द्वितीय विश्व में प्रयोग में लाई गई टैंक-रोधी तोपों से भी अधिक शक्तिशाली तोपों का देश में ही निर्माण कि जा रहा है । इन तोपों के बारे में अधिक विवरण प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) हथियारों और उपकरणों का आधुनिकीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं और साधनों की उपलब्धता को देखते हुए पुराने और अप्रचलित हथियारों और उपकरणों के स्थान पर क्रमिक रूप से अधिक आधुनिक और परिष्कृत उपकरण लाने की योजनायें निश्चित अन्तरालों के बाद बनाई जाती रहती हैं।

सीमाशुल्क आसूचना तथा राजस्व निदेशालय का पुनर्गठन

3579. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी तंत्र के कार्यकरण को अब से अधिक प्रभावी बनाने हेतु सीमाशुल्क आसूचना तथा राजस्व निदेशालय को पूरी तरह से पुनर्गठित किया जा रहा है;

(ख) क्या हाल ही में बम्बई में आयोजित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी अखिल-भारतीय सम्मेलन में इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन का ब्योरा क्या है; और

(घ) उक्त सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 के अनुसरण में, जिसमें तस्करों, जमाखोरों और कर अपवंचकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है, सरकार ने वर्ष 1982 में तस्करी निवारक अभियान को और तेज करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। 24/25 जून, 1982 को बम्बई में अखिल भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें कार्ययोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी।

कार्य-योजना में तस्करी को रोकने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षायें की गई हैं :

तस्करी में रत गिरोहों की गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमाशुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना; विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के उपबन्धों को और अधिक उत्साह के साथ लागू करना; तस्करी के विरुद्ध समग्र अभियान के संदर्भ में राज्य सरकारों और आयकर, सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, समुद्र-तट रक्षक अधिकारियों आदि जैसी अन्य सम्बद्ध प्रवर्त्तन एजेंसियों के साथ अपेक्षाकृत अधिक तालमेल करना; और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना।

भारत और ब्रिटेन के बीच नए सम्बन्ध

3580. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटेन को सुझाव दिया है कि प्रौद्योगिकी अन्तरण वाली भागीदारी का भविष्य का स्वरूप उत्तरोत्तर उत्पादन में हिस्से के आधार पर होना चाहिए क्योंकि उत्पादन और परिवहन की लागत बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और ब्रिटेन के बीच नए सम्बन्धों के विकास के लिए, ब्रिटेन के परामर्शदाताओं का एक विशिष्ट मंडल भारत सरकार से वार्ता के लिये अगस्त महीने के दौरान भारत का दौरा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय विशिष्टमण्डल ने भी जून में ब्रिटेन का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो उस बैठक में अन्य किन विषयों पर बातचीत की गयी तथा क्या निर्णय किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की बैठकों के दौरान भारत ब्रिटेन को यह सुझाव दिया कि औद्योगिक सहयोग के भावी पैटर्नों में, जिसमें प्रौद्योगिकी अन्तरण भी अन्तर्ग्रस्त है, उत्पादन शेयरिंग प्रबन्ध भी शामिल किये जा सकते हैं।

(ख) भारतीय परामर्शी संगठनों के साथ अनुबन्ध करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये ब्रिटेन के परामर्श ब्यूरो से एक प्रतिनिधिमंडल के अक्तूबर 1982 में भारत आने की सम्भावना है।

(ग) तथा (घ) हाल ही में वाणिज्य राज्य मन्त्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भारत-ब्रिटेन आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सेमिनार तथा भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की बैठक में भाग लेने के लिये 21 से 28 जून, 1982 तक लन्दन गया।

उनकी सह-अध्यक्षता में, भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति ने द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की वृद्धि की समीक्षा की और वस्त्र, सर्जिकल ड्रेसिंग, ओलियोरेजिन, तम्बाकू, मूंगफली, निस्सारण, चाय के सम्बन्ध में न्यूनतम मानक लागू करने, ब्रिटेन कापीराइट अधिनियम में संशोधन आदि जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक के दौरान प्रतिकूल व्यापार शेष के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई और ब्रिटेन सरकार अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन तथा विपणन कार्यक्रमों के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर ठोस रूप से विचार करने के लिये सहमत हुई।

ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया गया कि वे यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार में भारतीय उत्पादों के निर्यातों का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास पड़े भारतीय मामले को अपना समर्थन दे।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुई हानि

3581. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान कुछ समय बाद महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को हानि होने लगी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की प्रत्येक मिल को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने घटनाओं में आकस्मिक परिवर्तन आने और उनके लिये उत्तरदायी लोगों पर निगरानी निकाय के माध्यम से कोई अध्ययन किया है तथा यदि हां तो उसका मिल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की वित्तीय कमजोरी पर ठीक से निगरानी रखने और स्थिति में सुधार लाने तथा समय पर कार्यवाही करने को सुनिश्चित करने हेतु कोई दीर्घकालीन कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) 1981-82 के दौरान वस्त्र उद्योग में मन्दी के कारण देश में वस्त्र मिलों का निष्पादन, जिनमें एन० टी० सी० मिलें भी शामिल हैं, 1981-82 में उतना अच्छा नहीं था जितना कि पिछले वर्ष था। 1981-82 के दौरान महाराष्ट्र में एन० टी० सी० मिलों के कार्यकारी परिधान अनुबन्धित विवरण में दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) सहायक निगमों और नियंत्रक कम्पनी की मिलों को निष्पादन की नियमित समीक्षा करना तथा यथावश्यक उपचारात्मक उपाय करना एक सामान्य प्रक्रिया है। मिलों में हानियों के मुख्य कारण हैं पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, मिलों का अलाभकारी आकार, अत्यधिक श्रमिक संख्या, बिजली की कमी, रुई तथा अन्य अन्तर्निवेशों की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण संस्थापित क्षमेंता का कम उपयोग आदि। इन मिलों के कार्य संचालन को सुधारने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रमों का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन;

(2) कार्यभार तथा श्रमिक संख्या का सुव्यवस्थीकरण;

(3) बिजली की कमियों पर काबू पाने के लिए कुछ मिलों के डीजल जैनरेटिंग सैटों का संस्थापन;

(4) मानव निर्मित रेशों, कोम्बर वेस्ट्स के प्रयोग के जरिये काटन मिश्रण लागत में किफायत तथा नियंत्रण; और

(5) उत्पाद समूह में सुधार।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	लाभ/हानि (अनन्तिम (लाख रु० में)
1	2	3
	एन० टी० सी० (साऊथ महाराष्ट्र) लि० बम्बई।	
1.	वराशी टैक्सटाइल मिल्स, वराशी	+25.97

1	2	3
	2. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—116.32*
	3. भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—73.84*
	4. दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—77.19*
	5 जूपीटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—261.60*
	6. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—74.33*
	7. मुम्बाई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—151.16*
	8. औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	—3.42
	9. चेलिसगोन टैक्सटाइल मिल्स, चेलिसगोन	—34.20
	10. दुली टैक्सटाइल मिल्स, दुली	—72.77
	11. नैंडिड टैक्सटाइल मिल्स, नैंडिड	+21.72
	एन० टी० सी० महाराष्ट्र नोर्थ लि० बम्बई	
	1. इण्डिया युनाइटिड मिल्स, नं० 1, बम्बई	— 368.48*
	2. इण्डिया युनाइटिड मिल्स नं० 2/3, बम्बई	— 224.91*
	3. इण्डिया युनाइटिड मिल्स नं० 4, बम्बई	— 224.30*
	4. इण्डिया युनाइटिड मिल्स नं० 5, बम्बई	— 43.80*
	5. इण्डिया युनाइटिड मिल्स डाई वर्क्स, बम्बई	— 92.47*
	6. मोडल मिल्स, नागपुर	— 26.18
	7. आर० एस० आर० गोपालदास मोहतास्पिनिंग विजिंग मिल्स, आकोला	— 93.18
	8. आर० बी० बी० एं० स्पिनिंग विजिंग मिल्स, होगानछत	+ 7.84
	9. सावातरम रामप्रसाद मिल्स, आकोला	— 78.66
	10. वीदारभा मिल्स (वेरार), अचालपुर	+ 1.90

*इन मिलों के कामगार 18.1.1982 से हड़ताल पर हैं।

"ट्रेड विन्ड्स यनकीज कम बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3582. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 मार्च, 1982 को "इण्डिया टू-डे" में 'ट्रेड विन्ड्स-यनकीज कम बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में अमरीकी निवेश के बढ़ने सम्बन्धित विस्तृत तथ्य क्या है;

(ग) इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारत की कौन-कौन सी पार्टी हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ब्रिटानियां इंटस्ट्रेज लिमिटेड का विदेशी प्रबन्ध अन्तरित होकर अमरीका निवोस्कों के हाथ में आने वाला है; और

(च) यदि हां, तो इस अन्तरण का विस्तृत ब्योरा क्या है और क्या सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में अमरीकी निवेश में पिछले वर्षों की तुलना में न तो संख्या में और न ही प्रतिशतता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी कम्पनियों के निवेश के अलग-अलग प्रस्तावों पर, सरकार द्वारा घोषित निवेश तथा लाइसेन्स सम्बन्धी नीति के अनुसरण में, उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) हालांकि सरकार के पास औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, फिर भी ऐसी कुछ अनौपचारिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि अमरीका की "नैविसको कम्पनी यू० के० मैसर्स हंटले एण्ड पालमर" को अपने हाथ में लेना चाहती है जोकि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मूल कम्पनी है।

(च) दो अनिवासी कम्पनियों के बीच विदेश में होने वाले लेन-देन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के नियम लागू नहीं होते। मेसर्स ब्रिटानियां इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शेयर-धारिता, वर्तमान धारक अर्थात् कन्ट्रोल नाभीनीज लिमिटेड यू० के० के पास बनी रहेगी।

प्राइवेट व्यापारियों के जरिये खाद्य तेल का आयात

3583. श्री विगम्बर सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान प्राइवेट व्यापारियों के जरिए खाद्य तेल की कोई मात्रा आयात की गई है अथवा आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस देश से आयात की गई है और किन व्यापारियों को आयात की अनुमति दी गई है; और

(ग) यह उनके द्वारा किस प्रकार बेची जायेगी और क्या इस भारी मुनाफे पर जो वे गरीब उपभोक्ताओं क हितों की उपेक्षा करके इस आयात से अर्जित कर सकेंगे, कोई रोक लगाई जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) चालू आयात नीति के अन्तर्गत खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है। गैर सरकारी व्यापारियों की मार्फत आयतों के लिए नीति में कोई व्यवस्था करने की फिलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि, विशेष मामलों में गैर सरकारी पार्टियों को ऐसी किन्हीं भी विनिश्चयों के अनुसरण में सीधे आयात करने की अनुमति दी जा सकती है जो कि 2 दिसम्बर, 1978 से पहले जिस दिन खाद्य तेलों का आयात सरणीबद्ध किया गया था, प्रवृत्त आयात नीति के अन्तर्गत, दावों के सम्बन्ध में अपीलों में अथवा न्यायालय द्वारा लिए जायें। इस अवस्था में कोई भी ब्योरा अथवा उन पर लागू होने वाली शर्तें नहीं दी जा सकती हैं।

पंजीयित निर्यात के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए सीमित मात्रा में आयात करने की भी व्यवस्था है।

गन्ने की देर से पिराई के लिए उत्पादन शुल्क में छूट

3584. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू फसल मौसम में गन्ने की विलम्ब से पिराई हेतु उत्पादन शुल्क छूट अदा करने के शून्य आधार को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या गत 21 अप्रैल को घोषित की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क छूट योजना को अब संशोधित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस नए रूपांतरण की मुख्य बातें क्या है और इस योजना से गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योगों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। विलम्ब से की जाने वाली पिराई के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रिबेट की प्रभाव-सीमा इस दृष्टि से बढ़ायी गई है ताकि उसके अन्तर्गत ये मामले भी आ जाएं जिनमें पिछले सभी तीन चीनी वर्षों में मई सितम्बर तक की अवधि में उत्पादन कुछ भी नहीं था।

(ग) संशोधित योजना के अनुसार, चीनी के जिन कारखानों ने पिछले सभी तीन चीनी वर्षों में मई से सितम्बर तक की अवधि में चीनी का उत्पादन नहीं किया था, उन्हें 1982 में मई से सितम्बर तक की अवधि में होने वाले सम्पूर्ण उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क रिबेट का लाभ मिलेगा और इससे गन्ना उगाने वालों को लाभ पहुंचेगा क्योंकि उनके पास पड़े फालतू गन्ने की पिराई हो जाएगी तथा उनका उन्हें भुगतान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त रूपान्तरण लागत की उत्पादन शुल्क-रियायत की सीमा तक पूर्ति हो जाएगी।

मध्य प्रदेश में अनाज के उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की परियोजना

3586. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार खाद्यान्न के उत्पादन तथा ग्रामीण निर्धनों की आय में वृद्धि के लिए कृषि विकास (आई० एफ० ए० डी०) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर एक विशेष परियोजना शुरू करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित परियोजना से सिंचाई वाले क्षेत्र में वृद्धि होगी और इस धनराशि का उपयोग किसानों को जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आई० एफ० ए० डी० से कितना ऋण मिला है और परियोजना कब लागू की जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मध्य प्रदेश की मध्यमस्तरीय सिंचाई परियोजना, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधी ने एक ऋण दिया है, का उद्देश्य मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना है । आशा की जाती है कि इस परियोजना से खाद्य उत्पादन और ग्रामीण कृषि आय में वृद्धि होगी ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित परियोजना से राज्य के सिंचित क्षेत्र में 1,07,000 हैक्टेयर तक की वृद्धि हो जाएगी । अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से प्राप्त धनराशियों का उपयोग मध्यम स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के आंशिक वित्तपोषण के लिए किया जाना है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि एक ऋण दिया है जिसकी राशि 2.506 करोड़ डालर है । इस परियोजना के 31 मार्च, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक द्वारा ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण

@3585. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक से आग्रह किया है;

(ख) यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक से कितनी राशि का ऋण/सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन सी ऊर्जा परियोजनाओं का पता लगाया गया है; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए भारत और यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए और इस बारे मे ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग से भारत द्वारा यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक से ऋण लेने की

सम्मानाओं का पता लगाने का आवेदन किया है । हमारा आवेदन किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है ।

(ख) चूंकि हमारे आवेदन पर यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक/यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए इस अवस्था में यह निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कितनी राशि उपलब्ध होगी ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को दृष्टिगत रखते हुए परियोजनाओं का पता लगाना और इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न इस अवस्था में उपस्थित नहीं होता ।

@ (27-7-1982 से अन्तरित)

समुद्री खाद्य सामग्री के छोटे और मध्यम दर्जे के निर्यातकों की समस्यायें

3587. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्चे माल आदि की उपलब्धता जैसी उन अनेक समस्याओं की जानकारी है जो भारत में समुद्री खाद्य सामग्री के छोटे और मध्यम दर्जे के निर्यातकों के लिए बाधा उत्पन्न करती है; और

(ख) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार समुद्री-सामग्री के छोटे और मध्यम दर्जे के निर्यातकों की समस्याओं से अवगत है । समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिये अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं । इनमें शामिल हैं इन्सुलेटेड फिशबक्सों का वितरण, मछली उतारने के प्लेटफार्मों का निर्माण, दुर्लभ कच्चे माल को खराब होने तथा बर्बाद होने से रोकने के लिये रेफ्रीजेरेटिड ट्रकों की व्यवस्था, क्वालिटी का विनियमन, झींगा मछली के उत्पादन का प्रचार आदि । समुद्री खाद्य आयोग की समस्याओं का अध्ययन करने और उन पर काबू पाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स भी स्थापित किया है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 दिनांक 5-3-1982 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2147 के 5-3-1982 को दिए गये उत्तर में एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकृत 95 औद्योगिक घरानों के नाम और 31-12-1980 को

उनकी अस्थियां दर्शाई गई थीं, जिसमें 31-3-1982 को वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा एकाधिकार प्राप्त घरानों का स्वीकृत और वितरित की गई प्रत्यक्ष परियोजना सहायता राशि का ब्योरा दिया गया तथा 31-3-1981 को देय राशि के साथ-साथ प्रत्येक ग्रुप से सम्बद्ध विभिन्न फर्मों के विरुद्ध 30-9-1981 को कुल ग्रुप-वार कर मांगों को विवरण के साथ लगाए गये परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

2. मुझे यह बताया गया है कि इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण की क्रमांक 10 पर लारसन और टाउब्रो की वर्ष 1980 के अन्त तक की आस्तियों को गलती से 246.48 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अब कम्पनी कार्य विभाग ने बताया है कि उस तिथि को लारसन और टाउब्रो की आस्तियां 216.03 करोड़ रुपये थीं।

3. संशोधित सूचना लोक सभा के मई, 1982 में अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो जाने के पश्चात प्राप्त हुई थी, अत: उपरोक्त प्रश्न के उत्तर को सही करने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए खेद है।

— — —

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं किसी विशेष माननीय सदस्य से बोलने को न कहूं तो सदस्य को बोलना नहीं चाहिए। यदि आप मेरी जानकारी अथवा अनुमति के बिना बोलते हैं तो उसे रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं एक बात कहूंगा कि आपको अध्यक्षपीठ को बोलने का अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहने जा रहा हूं। मुझे, दूसरे सदन के सभापति के सम्बन्ध में प्रो० मधु दडवते, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री मनीराम बागड़ी से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अध्यक्ष महोदय से मिलें और उसके लिए यहां आग्रह न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। पहले आप मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब मैंने आपसे कहा···

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मामले के गुण-दोषों में नहीं जा रहा हूं लेकिन आपने जो कहा···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए कहा है। आपको अध्यक्ष महोदय के पास जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कहा क्या मुझे उसका उत्तर देने की अनुमति नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र के सम्मान और अध्यक्ष के निर्णय का प्रश्न है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका विषय समाप्त नहीं किया है। मैं आपको अध्यक्ष से मिलने का अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि यह मामला दूसरे सदन के सभापति से सम्बन्धित है। इसलिए मैं आपसे, अध्यक्ष को मिलने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति के बारे में जो कुछ भी कहा गया है रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या रिकार्ड नहीं होगा ? आपकी लोप करने की शक्तियां सीमित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को अभी समाप्त नहीं किया है। मैंने अभी जो कुछ भी कहा सदन ने पहले ही सुन लिया है। मैंने प्रो० मधु दण्डवते और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा है। आपका मामला अभी बन्द नहीं हुआ, आपको केवल अध्यक्ष से मिलने को कहा गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैंने पैट्रोलियम मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव का एक अन्य नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने सदन को गुमराह किया है; उन्होंने तथ्यों को छुपाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है। अब, श्री राकेश।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वही सदस्य बोले जिसे मैं कहूं।

श्री के० लक्कप्पा (टुमकुर) : हम पश्चिम बंगाल में संविधानिक तंत्र के ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है, मैं पहले ही यह कह चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : फाईल गुम हो जाने से सम्बन्धित मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी रिकार्ड न करें। मैंने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने बिल लाकर प्रेस पर पाबन्दी लगाने और प्रेस भी इंडेपेन्डेन्स की कर्ब करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री रामविलास पासवान : प्रैस की स्वतन्त्रता राज्य का विषय नहीं है। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, प्रत्येक स्थान पर···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : वह मैंने दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष महोदय को नोटिस दें।

श्री रामविलास पासवान : मैंने दे दिया है ? क्या वह आपके पास विचाराधीन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के इस प्रकार के नोटिसों को अनुमति नहीं दी गई और अब भी मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री रामविलास पासवान : पूरे देश में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। बिहार में कानून बनाकर प्रशासन के ऊपर रोक लगाई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है और आप कारण नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैंने···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए एक और सूचना दें और अध्यक्ष द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : आप इस प्रकार से नहीं कर सकते । यह राज्य का विषय नहीं है । यह संवैधानिक मामला है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं आदरणीय सदस्यों की टिप्पणियों को कार्यवाही में शामिल किया जाएगा जिन्हे मैं कहूंगा । अन्य सदस्यों की टिप्पणियों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री नीरेन घोष : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं और आपका निर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण मामला क्या है । क्या इसका स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध है ? क्या आपने सूचना दी है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण प्रश्न आप इस प्रकार नहीं उठा सकते ।

श्री नीरेन घोष : यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह है क्या ?

श्री नीरेन घोष : आप मेरी बात सुनिए । जब श्री भीष्म नारायण सिंह कार्य स्थगन की घोषणा करते हैं, यह एक नियम अथवा परिपाटी है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह मामला अभी सदन के समक्ष विचार के लिए नहीं आया है ।

श्री नीरेन घोष : आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें ।

श्री नीरेन घोष : किस नियम के अन्तर्गत ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे अलग से मिलें, मैं आपको नियम बताऊंगा । अब श्री हरिकेश बहादुर बोलें ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय श्री हरिकेश बहादुर जो कुछ बोले हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुसीबत यह है कि कई बार मुझे यह पता नहीं चलता कि श्री नीरेन घोष खड़े हैं या बैठे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुमराह करने वाले अखबारों के ऊपर बिहार में मुकदमा चलेगा, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और प्रेस की आजादी का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पासवान जी से पहले ही कहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कुछ कह रहा हूं आप कुछ और कह रहे हैं (व्यवधान) मैं हिन्दी में बोल रहा हूं और आप समझे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कश्यप बोलें। और कोई जो भी बोले कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने सहयोगियों को बोलने नहीं देंगे। बागड़ी साहब आप मेरी सहायता करें।

(व्यवधान)*

श्री हरिकेश बहादुर : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, तो श्री कश्यप।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या आप कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतन्त्रता राज्य का विषय है ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आपका निर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसे अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। यदि आप इन सब बातों की अध्यक्ष महोदय को सूचना देते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। आप लोग स्थगन प्रस्ताव पर आग्रह क्यों कर रहे हैं ? मैं इस पर अपनी अनुमति नहीं दूंगा। आप अध्यक्ष महोदय को और सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अवश्य ही सन्तुष्ट हो गए होंगे। हां अब श्री कश्यप बोलने जा रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की हालत बड़ी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खराब है। कई हत्यायें हो चुकी हैं, लोगों का जनजीवन बहुत खतरे में पड़ गया है, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना दी है ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हां, मैंने दी है। मैं तमिलनाडु के बारे में खासतौर से कहना चाहता हूं। वहां पर वीरमणि जी का जीवन खतरे में है, जो डी० के० के जनरल सेक्रेटरी है। उनको लाइफ को सिक्योरिटी चाहिये, वहां की सरकार उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सूचना रोक ली गयी है। आप किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत दूसरी सूचना दे सकते हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैंने आपको सूचना भेजी है। कुछ दिन पहले मैंने पीठासीन अधिकारी से अनुरोध किया था···**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : इससे पहले कि मैं अपनी बात पर आऊं, मैं एक बात सही करना चाहूंगा। जब श्री पासवान एक प्रश्न पूछ रहे थे, अनजाने में आपने यह कहा था प्रेस का स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी। यह बात रिकार्ड में आ चुकी है, मेरे विचार से इसे सही किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रैस की स्वतन्त्रता सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी गयी। यदि मुझसे गलती हो गयी है तो मैं उसे ठीक करने के लिये तैयार हूं। मैंने कहा है कि प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गयी।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : 10 दिन पहले मैंने श्री बन्सीलाल, श्री वैराले तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सचिव श्री कृष्णमाचारी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी सूचना दी थी। उस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही समिति को भेजी जा चुकी है। यह पहले ही समिति के पास है। कृपया मामले को फिर से मत उठाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके हैं कि वे इसे पहले ही समिति को भेज चुके हैं। कृपया फिर से मामला मत उठाइये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला। श्री बनातवाला के कथन के अलावा और कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं बार-बार मांग कर चुका हूं कि दिल्ली में हुए साम्प्रादायिक दंगों पर चर्चा करायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आ चुका है। मन्त्री महोदय पहले ही अपना वक्तव्य दे चुके हैं। यह मामला फिर से कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आयेगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं चाहता हूं कि इस पर शीघ्र चर्चा की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जटिया । उसके पश्चात, अन्त में इस सभा के एक अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य श्री मनीराम बागड़ी बोलेंगे ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जटिया के कथन के अलावा अन्य कुछ रिकार्ड न किया जाये ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यू० के० में हमारे संविधान का अपमान किया गया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये···

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में कही जा चुकी है । मंत्री महोदय ने उसका सही उत्तर दे दिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक राष्ट्रीय बात सदन के सामने काम-रोको प्रस्ताव के रूप में दी थी । कल उसकी चर्चा भी उठी थी और आज मैंने सदन के सभी सदस्यों, पक्ष और विपक्ष के लोगों से बातचीत की । गृह मंत्री जी से भी बात की थी । 15 अगस्त और 30 जनवरी के बीच में रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीवाली, अनेक त्योहार पड़ते हैं । मेरा कहना है कि आप राष्ट्रीयता को मत तोड़ें···

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं अथवा आप 377 के अधीन सूचना दे सकते हैं या आधे घण्टे की चर्चा करा सकते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात मैं रिकार्ड में लाने के लिये कह रहा हूं । मैंने पं० कमलापति जी से भी···

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन के पिछले अधिवेशन में मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि किसानों की जो जमीन एक्वायर हो रही है उसके लिए लैंड एक्वीजिशन एक्ट को जल्दी से जल्दी एमेंड करेंगे । जब सेशन के दो हफ्ते बाकी रह गये हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाइलट जी, आपको सूचना देनी चाहिये थी ।

श्री राजेश पाइलट : मैंने सूचना दे दी है । इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समुचित सूचना देनी चाहिये थी ।

———

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1982-83 के बजट प्राक्कलन और वर्ष 1981-82 के पुनरीक्षित प्राक्कलन

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

वायु निगम नियम 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1982-83 के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों के सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और वर्ष 1981-82 के पुनरीक्षित प्राक्कलन।

[ग्रंथालय में रखा गया —देखिए संख्या एल० टी० 4336/82]

मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान एसोसियेशन, सूरत का वर्ष 1980-81 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन आदि और रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसन्धान एसोसियेशन, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, सूरत, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान, सूरत, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4337/82]

(3) (एक) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1980 81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 4338/82]

नौ सेना अधिनियम के अधीन अधिसूचना

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

नौ सेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 14 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 13 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अर्थों तथा उसके प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सेवा को रण सेवा घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4339/82]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम के अधीन भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सात सहायक बैंकों अर्थात स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनों लेखाओं और उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये --देखिए संख्या एल० टी० 4340/82]

(2) बैंकक री कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इंडिया का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) युनाइटिड कमर्शियल बैंक का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) केनरा बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तथा उन पर लेखा लेखे परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) युनाइटिड बैंक आफ इंडिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिंडीकेट बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इंडियन बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4341/82]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आन्ध्र बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) कारपोरेशन बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) न्यू बैंक आफ इंडिया का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छ) विजय बैंक का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण ओग कार्य-कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4342/82]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी विवरण ।

(दो) ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का, 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 4343/82]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 318(अ) में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए अग्रिम अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध निःशुल्क आयात की जा सकने वाली सामग्री की सूची में वृद्धि की जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4344/82]

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 611 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पाद-शुल्क से रियायत प्राप्त करने की ऊपरी सीमा को 360 से बढ़ाकर 575 मीटरी टन किया गया है ।

ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4345/82]

भारतीय रुई निगम लि०, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा, वस्त्र अनुसन्धान एसोसियेशन के प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4346/82]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) का नवम्बर, 1979 से मार्च, 1981 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के नवम्बर, 1979 से मार्च, 1981 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालत में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4347/82]

(ख) (एक) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) (एक) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 4348/82]

(घ) (एक) बम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ङ) (एक) बम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1980-81 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4349/82]

(च) (एक) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(छ) (एक) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद का, वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन; अहमदाबाद के वर्ष 1980 81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(4) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4350/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा से प्राप्त उस संदेश की सूचना देता हूं "कि राज्य सभा, 28 जुलाई, 1982 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 जुलाई, 1982 को पास किए गए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के, महमत हो गई है ।"

लोक लेखा समिति

94वां, 100वां और 106वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) प्राइवेट पार्टियों को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए रेलवे को देय राशि का भुगतान न करने से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेलवे) के पैरा 32 के बारे में लोक लेखा समिति (1982-83) का 94वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर, के पैरा 2.05 (एक) तथा 3.15 (दो) के बारे में लोक लेखा समिति (1982-83) का 100वां प्रतिवेदन ।

(3) भारतीय उच्चायोग, लन्दन के आपूर्ति विंग के खरीद कार्य से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 23 के बारे में लोक लेखा समिति (1982-83) का 116वां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 2 अगस्त, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. वर्ष 1982-83 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

3. असम राज्य के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा को लगातार लागू रखने के लिए अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

4. वर्ष 1982-83 के लिए असम बजट पर सामान्य चर्चा ।

5. वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की मांगें (असम) पर चर्चा और मतदान ।

6. असम की कुछ सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करने के बारे में असम सरकार की 5 मई, 1982 की अधिसूचना का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

7. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1982

(ग राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1982

(ङ) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1981

(च) चूना-पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

8. 2 अगस्त, 1982 को सायं 4-00 बजे, देश में सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा ।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय में शामिल कर लिए जायें :

मैसर्स इन्टोक टायर्स लिमिटेड, एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, टायर और ट्यूब बनाती है और इसमें 1,500 लोग काम करते हैं, वर्ष 1975 से यह कम्पनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है । यह यूनिट रुग्ण है और इसका जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तभी इसमें काम

जारी रह सकता है। इसीलिए मैं यह मांग करता हूं कि इस यूनिट का राष्ट्रीयकरण किया जाए। सभा द्वारा अगले सप्ताह इस विषय पर विचार किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जायें : साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा : देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ सी आई हुई है, खासतौर से हाल ही में बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली अलीगढ़ में यही हुआ है। वस्तुतः साम्प्रदायिक तनाव बढ़ते ही गए हैं, हालांकि सरकार ने स्थिति के अनुकूल होने का दावा किया है। इसलिए अगले सप्ताह इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. विद्युत मण्डल के कार्यकरण में सुधार।

2. डाक वितरण की व्यवस्था में अनियमितायें दूर करना।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो मूल पात्र दिया है उसका क्या हुआ ? मुझे तो यह कहना ही पड़ेगा कि केवल उसे ही रिकार्ड में रखा जाएगा।

अब, श्री राजेश पाइलट !

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विषयों को शामिल कर लें और मेरा ख्याल है कि इस विषय पर पूरी सभा मुझसे सहमत होगी :

"भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का राज्य सरकारी द्वारा मरजी से अनुपालन न किया जाना। मैं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में रक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का हवाला देता हूं। मन्त्री महोदय इस बात से जो सहमत होंगे कि वे अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।"

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपने तो उसका केवल सारांश ही प्रस्तुत किया है।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दे रहा हूं :

1. हमारे देश में गांवों और कस्बों में अखबार डाक से जाते हैं। छोटे-छोटे अखबार तो अधिकतर डाक से ही जाते हैं। छोटे-छोटे अखबार पढ़ने वाले भी गरीब आदमी होते हैं। इन अखबारों के मालिक भी साधारण आदमी होते हैं। बड़े-बड़े अखबार धनी व्यक्ति पढ़ते हैं और उनके मालिक भी धनवान होते हैं। सरकार के अखबारों की टिकट 2 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसा करने से गरीबों को हानि और असुविधा हुई है। गांवों में अखबार जाना कम हो गया है। अखबार चलाने वाले इसके लिये आन्दोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में इस विषय को विचार के लिए सम्मिलित किया जाये।

2. किसानों को कई वर्ष से गेहूं का मूल्य कम मिल रहा है। गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। गेहूं भी आ गया इसलिए अधिक बेचने को गेहूं खरीद केन्द्र पर आया क्योंकि किसान उसे रोक नहीं सकता था।

किसान विचार कर रहा है कि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने की तुलना में गेहूं का भाव कम है, गेहूं के उत्पादन में हानि होती है इसलिए गेहूं के बजाय दूसरी फसल बोई जाय। इससे देश में गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा। बाहर से गेहूं मांगना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय कम होगी। विदेशों में प्रतिष्ठा कम होगी। अतः इस विषय पर विचार करने के लिये अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मन्त्री जी भी बैठे हैं। मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जुड़वाना चाहता हूं :

> "बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में गण्डक और कई नदियों में भयंकर बाढ़ आई है। पानी के दबाव से गण्डक नहर के कई तटबन्ध टूट गये हैं। इससे ढाई लाख से अधिक इन्सानों का जीवन खतरे में पड़ गया है। 80 से अधिक ग्राम जलमग्न हो चले हैं। सरकारी अधिकारी समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं।"

अस्तु, अगले सप्ताह में इस पर लोक सभा में चर्चा की जाय जिससे कि पश्चिम चम्पारण की विपत्ति में पड़ी जनता को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री नीरेन घोष बोलेंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय मैंने दो विषय प्रस्तुत किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको केवल वही विषय पढ़ना होगा, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन किया है। आप कोई और मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

श्री नीरेन घोष : हमें यह जानने का हक है कि ऐसा किस नियम के अन्तर्गत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा विषय जो आपने प्रस्तुत किया···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : समिति चाहे तो नामंजूर कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा सुनिए तो। दूसरा विषय अभियोगात्मक है···

श्री नीरेन घोष : यह अभियोग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका जो स्वरूप है। उसे देखते हुए हमने अनुमति नहीं दी। बस !

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कोई नाम तो नहीं दिया गया न।

श्री नीरेन घोष : जी हां किसी का नाम नहीं दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर ही पहले ही विचार कर चुके हैं और हमें यह पता चला कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर अभियोग के रूप में है। यदि आप चाहते हैं तो मैं सम्बद्ध नियम पढ़ देता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि :

"अगले सप्ताह के लिए सरकार के कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर सदस्य जो भी वक्तव्य दें वह इस प्रकार है :

× × ×

2. प्रस्तावित वक्तव्य का मूल पाठ संक्षिप्त, केवल विश्व से सम्बद्ध और केन्द्रीय सरकार की सीमा के भीतर आने वाले मामलों से संगत होना चाहिए। और लिखित जानकारी सहित सचिव को अग्रेषित किया जाना चाहिए। इनको अभियोग के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए।"

श्री नीरेन घोष : यह अभियोगात्मक नहीं है (व्यवधान)। कोई आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक प्रश्न पहले भी स्वीकार किया जा चुका है। हमने जो कुछ किया आपको उससे संतुष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं इतने विस्तार से बता रहा हूं आपको संतुष्ट हो जाना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप स्वयं अपनी बात का खण्डन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मद को केवल पढ़ने की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यदि प्रश्न स्वीकृत हो चुका है तो यह मद क्यों नहीं हो सकती ? आप अपनी बात को ही काट रहे हैं। आपने कहा इस विषय पर प्रश्न स्वीकृत हो चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विषय आपत्ति योग्य नहीं है। यह अभियोगात्मक नहीं है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया।

(व्यवधान)

कतिपय नियम भी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है। श्री नीरेन घोष आप पश्चिम बंगाल बिधेयक को स्वीकृति के सम्बन्ध में मामला उठा सकते हैं।

श्री नीरेन घोष : यह क्षतिकारक नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है। कृपया उसे पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा और उन्हें अवसर देगा...

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल सरकार विधेयक को केन्द्र भी मंजूरी। क्या यह महत्व-पूर्ण नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप राज्य के मामले को यहां उठाने की अनुमति दे रहे हैं किन्तु केन्द्रीय मामलों की नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने पहले ही उन्हें जवाब दे दिया है। अध्यक्ष पीठासीन की इस बात में कोई रुचि नहीं कोई इसको उठाए या न उठाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस मामले को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम किसी भी बात में पक्षपातपूर्ण नहीं हैं। मैं यह कहता हूं कि हम सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलाते हैं। आप हमें सदन की कार्यवाही करने दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन्तु वह कोई अभियोग नहीं लगा रहे हैं। वह सूचना मांग रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब सभी निजी सहायक संदेहस्पद स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष आप पढ़ रहे हैं या नहीं ?

श्री हरिकेश बहादुर : आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न की शक्ल में इसकी अनुमति दे सकते हैं किन्तु आप उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे। यदि यह अभियोगात्मक प्रकृति का था तो प्रश्न स्वीकार ही क्यों किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे विचार विमर्श कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एक निवेदन किया है। यदि कोई विषय आपत्तिजनक है तो वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न और प्रत्येक बात के लिए आपत्तिजनक होना चाहिए। प्रश्न के रूप में तो यह ठीक है। एक मद के रूप में उठाने के लिए यह ठीक नहीं है। मुझे इस बात में कोई तर्क नजर नहीं आता (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष अब आप इसे पढ़िए। आप आकर मुझसे मिलें। या तो मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा अथवा आप मुझे कर दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? यह प्रश्न तारांकित है अथवा अतारांकित ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नीरेन से मुझे मिलने के लिए कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि प्रश्न तारांकित नहीं है तो वह पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह मुझे संतुष्ट कर देते हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा । नहीं तो मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा ।

श्री नीरेन घोष आप पश्चिम बंगाल विधेयक को केन्द्रीय सहमति से सम्बन्धित मद पढ़िए ।

श्री हरिकेश बहादुर : यदि आपने न मानने का फैसला ही कर लिया है तो कोई भी आपको नहीं मना सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बोलने वाले कौन होते हैं । मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा। आप मामले को बिगाड़ क्यों रहे हैं ? श्री नीरेन घोष मेरे अच्छे मित्र हैं। हम राज्य सभा में भी पुराने सदस्य रह चुके हैं । मैं उन्हें समझा सकता हूं । मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता ।

श्री नीरेन घोष : इसके पहले कि मैं पढ़ना आरम्भ करूं मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक नया नियम प्रस्तुत किए जाने की पेशकश की जा रही है। इसलिए, हम विरोध कर रहे हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें अभियोगात्मक कुछ भी नहीं है। वह केवल साधारण उल्लेख था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके विरोध में आप वक्तव्य दे सकते हैं । मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं । यह कार्यवाही में सम्मलित किया गया है । आपको इसका अधिकार है ।

प्रो० मधु दंडवते : इस सदन के नियमों का इस प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे आकर मिलने को कहा है । ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर श्री नीरेन घोष से समझौता न किया जा सकें ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : वह प्रश्न क्या है जिसकी अनुमति नहीं दी गई है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता ।

मैं जानता हूं कि आप कुशल वकील हैं । मैं वकील बेशक न होऊं लेकिन मैं जानता हूं कि आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं ।

श्री नीरेन घोष : कुछ व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर तस्करी···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं ।

श्री नीरेन घोष : किसी का नाम नहीं लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठासीन ने इसकी अनुमति नहीं दी है । आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री नीरेन घोष : आज की कार्यसूची की मद 9 में, मैं निम्नलिखित उल्लेख करना चाहता हूं ।

पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित बहुत से विधेयक एक लम्बे अर्से से राष्ट्रपति मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं ।

1969 में एक मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक पारित किया गया था जिसमें गुप्त मतदान द्वारा संघों को मान्यता दिये जाने की व्यवस्था थी । यह विधेयक अभी तक लम्बित पड़ा है । यह विस्मयकारी है । विस्तृत भूमि सुधार सम्बन्धी एक अन्य विधेयक पिछले वर्ष पारित किया गया जो कुछ अन्य विधेयकों के साथ अभी तक लम्बित पड़ा है ।

राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित सभी प्रगतिशील विधान और तुरन्त आवश्यक विधेयक रोके रखे जाते हैं और राज्यों को हंसी का पात्र बनाया जाता है । यह और कुछ नहीं केवल राज्यों की शक्तियों का हनन है । इसलिए, इस विषय पर अलग से चर्चा की आवश्यकता है ।

मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि इस मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए ।

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव की आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । श्रीमन्. बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र में बांसगांव तहसील को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी हुई तहसील घोषित कर दिया है जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से बधाई प्रेषित करना चाहता हूं । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उक्त तहसील को पिछड़ी हुई घोषित करने के बाद भी आज तक उस तहसील या निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उद्योग धन्धा नहीं लगाया गया जबकि बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है । इस में घाघरा, कुआनो, तेरना, आमी, राप्ती, गोरी आदि नदियां बहती हैं जिसके कारण प्रत्येक वर्ष यह क्षेत्र बाढ़ से तबाह होकर आर्थिक संकट से गुजरता है और यहां की सारी आबादी प्रत्येक वर्ष संघर्षमय वातावरण में अपना जीवन गुजारती है । फलस्वरूप यहां के अधिकांश लोग बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार होते रहते हैं । अन्ततोगत्वा यहां के अधिकांश लोग विवश होकर विश्व के प्रत्येक कोने में अपने जीवन निर्वाह हेतु चले गए हैं और चले भी जा रहे हैं तथा वहां पर बड़े ही अपमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि यह मामला अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल हो ।

केन्द्रीय सरकार से विनम्र निवेदन एवं मांग है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिकरीगंज तथा बड़हरांव के बीच में जहां पर बुनकरों की संख्या बहुत ही अधिक है वहां पर एक सूती मिल या कागज बनाने की मिल अथवा गन्ने की मिल प्राथमिकता के आधार पर खोलने के लिए आदेश प्रसारित करे । कारण कि उक्त तीनों प्रकार के उद्योगों के लिए वहां पर सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं । इससे मेरा क्षेत्र जो सदियों से आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है वह वास्तव में एक उन्नतिशील क्षेत्र बन सकेगा और वहां के लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं, उससे ऊपर उठ कर क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे । यह मामला भी अगले सप्ताह सदन में विचार के लिए रखा जाए । इति ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : श्रीमन्, मैं 2 अगस्त, 1982 से शुरू होने वाले सप्ताह के कार्य के लिये निम्नलिखित दो मदों का सुझाव देता हूं।

(एक) राजधानी में दवाइयों की एक बनावटी कमी हुई है। पिछले कुछ दिनों में आवश्यक दवाइयों की कमी रही है। जिन दवाइयों की कम सप्लाई की गयी है उनमें कुछ दवाइयां जीवन रक्षक भी हैं। एन्टीलेंकेमिया (रक्तकैंसर) दवाई बाजार से गायब हो गयी है थाइरोक्सिन जो थाइराइड हानमोन कमी के उपचार के लिये एक महत्वपूर्ण दवा है वह भी बाजार से गायब हो गयी है। एक अन्य दर्द-नाशक दवा ड्रिस्टल जिसे फ्लू रोकने के लिये अत्यन्त प्रभावी माना जाता है, वह भी पिछले छः महीनों से खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। यह बताया गया है कि कमी इसलिये की गयी है ताकि विनिर्माता शम्पून जैसे सम्बद्ध उत्पादों के विनिर्माण करने तथादवाइयों का मूल्य बढ़ाने के लिये औद्योगिक लाइसन्स देने के लिये सरकार को मजबूर कर सके। यह भी बताया गया है कि इन दवाइगों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं को जानबूझ कर दवाइयों की सप्लाई रोक देती हैं जिससे वे दवाइयों को कालाबाजारी से बेच सके। इसके महत्वपूर्ण विषय होने तथा जीवन रक्षक दवाइयों की गैर-उपलब्धता से सम्बन्धित होने के नाते मैं इस मुद्दे पर अगले सप्ताह चर्चा करने का सुझाव देता हूं।

(दो) यह बताया गया है कि मिजो नेशनल फ्रंट ने अपनी आतंकवादी रणनीति के कारण इस महीने के प्रारम्भ में 13 व्यक्तियों की हत्याएं की हैं और उसने गैर-मिजो लोगों में आतंक फैला दिया है, उनमें से लगभग 1000 व्यक्तियों ने संघ शासित क्षेत्र को पहले ही छोड़ दिया है। यह भी बताया गया है कि पड़ोसी देश में तीन मुख्य शिविरों में 100 से अधिक मिजो नेशनल फ्रंट के आतंकवादी थे जप्त किये गये दस्तावेजों तथा मिजो नेशनल फ्रंट के कार्मिकों से पूछताछ करने से पता लगता है कि हथियारबन्द ग्रुप पड़ोसी देश से भेजे गये थे। मिजो-नेशनल फ्रंट की ये गतिविधियां गम्भीर है। तथा देश की सुरक्षा को एक चुनौती हैं अतः मेरा यह सुझाव है कि इस मुद्दे पर सभा में गहराई से चर्चा की जाये तथा इसे अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्रीमन, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि मैं इसे उचित समझूंगा तो मैं इसे कार्य-मंत्रणा समिति की जानकारी में लाऊंगा।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे मुद्दे को लेते हैं; चोरबाजारी और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक पर और विचार। 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। हमने 1 घंटा और 22 मिनट बरबाद कर दिये हैं। श्री एस० मुरुगियन खड़े हुए थे। वह अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

श्री एस० मुरुगियन (तिरुपत्तूर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक में संशोधन किये जाने का समर्थन करता हूँ जिसे सामान्य जनता में आवश्यक वस्तुएं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये लाया गया है। इस सभा में कोई सदस्य इस तथ्य का विरोध नहीं कर सकता है कि आवश्यक वस्तुएं सामान्य जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध की जायें। चूंकि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिये विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता हुई है। यद्यपि मूल अधिनियम को लागू किया जा रहा था फिर भी चोर बाजारी करने वाले, जमाखोर तथा तस्कर कानून के दांडित उपबन्धों से अदंडित बच गये थे और इसने सरकार को विधेयक में इस संशोधन को लाने के लिये मजबूर किया।

मैं केवल इतना ही कहूंगा कि केवल विधेयक में संशोधन करने से ही आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होने लगेंगी। हमारा अब तक यह अनुभव रहा है कि एकमात्र कानूनों से ही सरकार के इरादों को पूरा करना सुनिश्चित नहीं होता है। यह प्रमुख रूप से सरकार के अंगों के ऊपर निर्भर करता है जिसे कानून के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान देश की जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने में उत्तरदायित्व से काम कराते हैं। कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

जिलाधीशों तथा आयुक्तों को उन व्यक्तियों को पकड़ने के अधिकार दिये जा रहे हैं जो अपने उत्तरदायित्व से बच गये हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहिए जिनमें जिलाधीशों तथा आयुक्तों की रक्षा का दिया गया प्राधिकार कारगर रूप से निष्पादित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि जिन अधिकारियों का कानून को कार्यान्वित करने से सम्बन्ध है वे कानून के उपबन्धों को सावधानी तथा ध्यानपूर्वक कार्यान्वित करते हैं।

आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जनता को भारी मात्रा में मिलावट वाली वस्तुएं सप्लाई नहीं की जाती हैं। कानूनी कमी मिलावट करने वालों को खुशी से मिलावट करने के लिये प्रोत्साहित करती है और हमारे देश में मिलावट करना एक आम बात हो गयी है। प्रत्येक राज्य का मिलावट करने वालों पर दंड लगाये जाने के सम्बन्ध में अपना अलग कानून है। केन्द्रीय सरकार को इसके लिये एक कानून बनाना चाहिए जिसमें कोई कमी न हो और उसे यह देखना चाहिए कि सभी राज्य उस कानून को कारगर रूप से तथा एक रूप से कार्यान्वित करते हैं। तब मिलावट को रोका जा सकता है।

कुछ समय पहले माननीय कृषि मन्त्री महोदय ने पकड़े गये अपराधियों के आंकड़े इस सभा में दिये थे। वर्ष 1979 में 17 चोर बाजारी करने वाले गिरफ्तार किये गये थे। इसी प्रकार 1980 में 249, वर्ष 1981 में 181 और 1982 में अब तक 42 चोरबाजारी करने वाले गिरफ्तार किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें कितने अपराधियों को वास्तव में दंड दिया गया है। चार वर्षों से मामलों की संख्या में वृद्धि होती रही है। इस प्रकार के सभी मामलों

तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में असाधारण विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः इन कालाबाजारी करने वालों पर विचार करने के लिये विशेष अदालतें गठित की जायें और उन्हें तत्काल निवारक दंड दिया जाये। मैं फिर एक बार यह दोहराता हूँ कि केवल कानून बनाने से ही समस्याएं नहीं सुलझती हैं। समस्याएं उनके ठीक प्रकार से लागू करने से ही होती हैं। क्या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि केवल 200 या 300 कालाबाजारियों और जमाखोरों को गिरफ्तार करने से लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। भारत एक विशाल देश है और यहां पर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एक आम बात हो गयी है। कभी हम सुनते थे कि कालाबाजारियों को फांसी पर लटका दिया जाता था लेकिन आज काला बाजार का धन्धा करने वालों और जमाखोरों को सख्त दण्ड भी नहीं दिया जाता।

दिल्ली में पिछले साल 1082 उचित दर दुकानों पर छापे मारे गये थे और लगभग 1000 मामलों में अनियमितताएं गई थीं। इनमें से 617 मामलों में गम्भीर अनियमितताएं थीं। लेकिन अन्त में केवल 69 उचित दर दुकानों के विरुद्ध न्यायालयों में कार्यवाही हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज विरोधी इन अपराधियों पर मुकदमें चलाने के लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच करवाएं और आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए और यह सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाए।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्यों में सिविल सप्लाई निगम भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। यह बात मैं तमिलनाडु के राज्य सिविल सप्लाई निगम के कार्यकरण के बारे में व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार अपनी अकुशलता अनैतिकता तथा गैर कानूनी कार्यों के लिए जानी जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सिविल सप्लाई निगमों को वितरण के लिए चावल और अनाज आवंटित करती है। लेकिन राज्य सरकारों के सिविल सप्लाई निगम इस माल को नहीं उठाते जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है लेकिन राज्य मन्त्री ने इससे इनकार किया है। हम जानते हैं कि केन्द्र ने तमिलनाडु राज्य सरकार को एक महीने में 25 हजार टन चावल आवंटित किया था लेकिन राज्य सरकार ने सारा चावल नहीं उठाया। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार द्वारा जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराये।

पिछले साल धान की उपज काफी हुई थी। राज्य सरकार 50 प्रतिशत शुल्क लगाती है। इसके बाद भी धान के स्टाक को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता। मैं जानता हूं कि त्रिरुवन्नामलाई में, जो मेरा निवास स्थान है, धान के 20,000 बोरे खरीदे गये थे और उसमें से 5000 नष्ट हो गये। यह गीले धान को जमा करके रखने से हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अधिकारी लोग ऐसी हानियों को केवल यह कह कर बट्टे खाते डाल देते हैं कि यह हानि लाने ले जाने में हुई। आखिरकार नुकसान जनता का ही होता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सिविल सप्लाई निगमों के कुशल कार्यकरण के लिए निदेश तथा दिशा निर्देश जारी करें।

विशेषकर तमिलनाडु के सिविल सप्लाई निगम के लिए जो अकुशलता का गढ़ है । खजूर का का तेल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं का आवंटन केवल कागजों में होता यह सामान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक नहीं पहुंचता । राज्य सिविल सप्लाई निगम ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों को सामान देने की परवाह नहीं करते । राज्य सिविल सप्लाई निगम ए० आई० ए० डी० एम० के० के समर्थकों तथा निचले काडर के लोगों की उचित दर दुकानों को भारी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं देता है । इस तरह से गरीबी को बढ़ावा दिया जाता है । एक क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं भारी मात्रा में दी जानी लेकिन उसके पास ही दूसरे क्षेत्र में इन वस्तुओं की कमी हो जाती है । अनिवार्य वस्तुओं के वितरण में भी राजनैतिक दखल दिया जा रहा है । जब तक आप निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा नहीं देंगे तब तक मिट्टी का तेल मिलना असम्भव है । कानूनों में जो कमियां हैं उनका फायदा प्राधिकारी लोग कालाबाजारियों और जमाखोरों के साथ सांठ-गांठ करके उठा रहे हैं । उचित दर दुकानें अनुचित दर दुकानें बन गई हैं । आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की सूचियां नहीं टांगी जातीं जैसा कि आपातकालीन स्थिति के दौरान किया जाता था । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को इस आशय के निदेश जारी करे कि सभी उचित दर दुकानें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की सूचियां अनिवार्य रूप से टांगें ताकि उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सके ।

अनाचार को समाप्त करने के लिए जिला स्तर की समितियां बनायी जानी चाहिए । जिनमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ता होने चाहिए । इस समिति में समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । सत्ताधारी दल को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए । इन समितियों को खाद्यान्न के समतुल्य वितरण की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए एक राज्य स्तरीय समिति भी होनी चाहिए ।

मैं मांग करता हूं कि सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा की जानी चाहिए । संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की तरह सारे देश में आवश्यक वस्तुओं के समतुल्य बितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी जानी चाहिए । इस समिति द्वारा समय समय पर यह पता लगाने के लिए राज्यों का दौरा करना चाहिए कि वितरण के काम में कहीं कोई कमी तो नहीं हैं और यदि ऐसी कमी पाई जाए तो उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए । इस सम्बन्ध मे मेरा सुझाव केन्द्रीय सरकार को मान लेना चाहिए ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले में मांग करता हूं कि तमिलनाडु में ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं और विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में तो ऐसी व्यवस्था की ही जानी चाहिए । केवल कानून बना देने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी बल्कि उसका कार्यान्वयन किये जाने से लोग तमिलनाडु सरकार द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से बच सकेंगे । मैं मांग करता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधक विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने चोर बाजारी

जैसे आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून की पकड़ मजबूत करने के लिए इतना अच्छा संशोधक विधेयक पेश किया है ।

चोरबाजारी, जमाखोरी, तस्करी, कर-चोरी और मिलावट ऐसे अपराध हैं, जो किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था को पंगु बना देते हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है ।इसमें किसी सरकार या किसी एक दल या पार्टी की बात नहीं है । मैं आपके माध्यम से सभी दलों और उनके नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस तरह के अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जनमत तैयार किया जाए और ऐसे लोगों को समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाए, सम्मान की दृष्टि से नहीं ।

यह विडम्बना है कि हमारे देश में जिसके पास पैसा है, चाहे उसने वह पैसा तस्करी, चोर-बाजारी या गुंडागर्दी से पैदा किया हो, लोग उसको सम्मान की नजर से देखते हैं । इसकी तुलना में एक गरीब आदमी चाहे कितना भी खून पसीना बहाए, लेकिन अगर उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं है, तो उसे समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के आर्थिक अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ताकि अन्य लोग इस तरह के अपराध करने से बाज आएं ।

चोर बाजारी और जमाखोरी करने वाले लोग ही महंगाई को बढ़ावा देते हैं । हमारे देश में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, जिससे गरीब मजदूर और किसान परेशान हैं । अगर यह चोर-बाजारी और जमाखोरी बन्द हो जाए, तो मैं समझता हूं कि महंगाई में कमी हो सकती है ।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि इसमें चोरबाजारी करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करने का प्रावधान है और पुलिस अधिकारियों को फरार चोरबाजारियों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है । पिछले समय में चोरबाजारी, जमाखोरी और तस्करी के खिलाफ प्रभावशाली कदम उठाने में हम ज्यादा सफल नहीं रहे हैं । हमारी सरकार और हमारे नेता चाहते हैं कि इस तरह के अपराध न हों । लेकिन देखने में आया है कि ये अपराध बढ़ते ही गए हैं, कम नहीं हुए हैं । इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इससे पहले भी कानून बने हैं, जैसे एसेंशन कामोडिटीज एक्ट, 1955 और मेनटेनेंस आफ सप्लाईज आफ एसेंशन कामोडिटीज एक्ट, 1980 आदि । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रोज इस तरह के कानून बनाए जाएं और संशोधन किए जाएं, लेकिन उन्हें अमली जामा ने पहनाया जाए, तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा । जो कानून पहले बन चुके हैं, या मन्त्री महोदय आज जो संशोधन लाए हैं, अगर उन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए, तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ।

ऐसा देखा गया है कि चोरबाजारी जो लोग करते हैं, जो तस्करी करते हैं उनकी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से सांठ-गांठ रहती है । जो लोग यह अपराध करते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है । उनके पास काला पैसा होता है और वे अपराधियों को रिश्वत देकर अपना काम निकालते रहते हैं चाहे वह सेल्स टैक्स के अधिकारी हों, चाहे इनकम टैक्स के अधिकारी

हों चाहे मैजिस्ट्रेट हों। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खास तौर से इन बातों में जहां इस तरह के अपराध हों इस बात पर नजर रखी जाये कि इसमें सरकारी कर्मचारी, सरकारी मशीनरी और सरकारी अधिकारी जो हैं इनकी मिली भगत तो नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे देश में काले धन की बाढ़ सी आ रही है। आज वास्तव में काले धन की बाढ़ आ गई है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था चरमरा रही है। काले धन का नामोनिशां मिटाने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। मेरा सुझाव है कि इस तरह के कुछ उच्च स्तरीय छापामार उड़ने-दस्ते और विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाये जो इस तरह के अपराध करने वालों को पकड़ें और उन्हें कानून के हवाले करें। उनकी जमानतें न हों और उनकी जमानतें तब तक न हों जब तक कि वास्तव में यह सिद्ध न हो जाये कि ये निर्दोष हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्राविजन्स वह लाएं जिससे कि इस तरह के लोग जो रिश्वत देकर या अच्छे वकील खड़ा करके कानून से बच जाते हैं, वह न हो सके और इनको सजा दिलायी जा सके।

हमारी सरकार ने पहले कई नियम बनाए थे जैसे प्राइस डिस्प्ले आर्डर्स हैं उनको सख्ती से लागू किया जाये। आज यह एक तमाशा सा बन गया है, जब सरकार सख्ती करती है तब तो प्राइस लिस्ट दुकानदार लोग अपनी दुकानों में टांग देते हैं लेकिन जब जरा नम्रता बरती जाती है तो पता नहीं वह लिस्टें कहां चली जाती हैं और मनमानी कीमतों पर लोगों को चीजें बेचते हैं जिससे जनता को तकलीफ होती है। मेरा अनुरोध है कि इस चीज पर ज्यादा जोर दें कि व्यापारी और दुकानदार लोग प्राइस लिस्ट और स्टाक लिस्ट अपनी-अपनी दुकानों पर टांगें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाया जाये। जितनी भी ये सस्ते गल्ले की दुकानें या फेयर प्राइस शाप्स हैं उनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ायी जाये। खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां कि निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कि आदिवासी लोग रहते हैं वहां इन दुकानों की संख्या बढ़ायी जाये जिससे गरीब तबके के लोगों को आसानी से राशन और अन्य आवश्यक चीजें मिल सकें जिस तरह से बहुत से इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं जहां मजदूरों की बस्तियां होती हैं, या जैसे ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले लोग होते हैं जो अपना घरबार छोड़कर दूर-दूर तक जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से कितने ही लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य स्थानों पर जाकर यह काम करते हैं, इनके पास कोई वहां का राशन कार्ड नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए चलती-फिरती फेयर प्राइस शाप्स मुहैया की जायें ताकि उनको आसानी से जीवन की आवश्यक चीजें उपलब्ध हो सकें क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। इन्हें पैसा बहुत कम मिलता है और जब ये ओपेन मार्किट में जाते हैं तो हर चीज इन्हें महंगी मिलती है।

एक बात यहां आई है कि बहुत से लोगों ने जाली राशन कार्ड बनवा रखे हैं। मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने यह कहा था और यह बात सही है कि जितने भी फेयर प्राइस शाप्स के डीलर्स हैं उनकी मिली भगत से और सप्लाई आफिस की मिली भगत से जाली राशन कार्ड बनाए जाते हैं और ये दुकानदारों के पास रहते हैं। इस तरह के जो फर्जी राशन कार्ड होते हैं उनको खोजो और

गेहूं वगैरह वह ब्लैक मार्किट में बेच देते हैं। पैर या हाथ के अंगूठे उलटे सीधे लगाकर रजिस्टर पर वह खानापूर्ति कर लेते हैं। इसको चैक करने की बहुत आवश्यकता है। इसको चैक करने की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार जाली राशन-कार्डों की छान-बीन करने के लिए एक विशेष अभियान चलाए। माननीय कृषि मन्त्री जी ने मार्च, 1982 में इसी सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए बताया था कि दिल्ली की आबादी 62 लाख है लेकिन यहां पर 72 लाख लोगों के लिए राशन-कार्ड बने हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जितनी आबादी है उससे भी अधिक लोगों के लिए राशन-कार्ड बने हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में छान-बीन करके इसका कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए ताकि जो फर्जी राशन-कार्ड बने हुए हैं उनको समाप्त किया जा सके।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चोरबाजारी, जमाखोरी, तस्करी या अन्य आर्थिक अपराध करने वाले लोग यदि गिरफ्तार किए जायें और यह साबित हो जाए कि वे दोषी हैं तो उनका सोशल बाईकाट भी किया जाना चाहिए। सरकार ने इन अपराधों को रोकने की बड़ी कोशिश की है लेकिन इसके बावजूद यह अपराध समाप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों का सोशल बाईकाट किया जाना आवश्यक है। उनसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी छीन लिया जाना चाहिए। साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान पर उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ताकि जनता के मन में यह भाव आ सके कि ये लोग तस्कर या चोरबाजारी हैं इसलिए इनका सामाजिक रूप से सम्मान नहीं किया जा रहा है।

अन्त में मैं यह आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी सुझाव यहां सरकार के सामने पेश किए हैं, उन पर माननीय मन्त्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उनको क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम उठायेंगे। आज इस प्रकार के गम्भीर अपराध करने वाले लोग हमारे समाज में कोढ़ हैं, वे इस देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना रहे हैं। ये अपराधी ऐसे कीड़े हैं, ऐसे घुन हैं जो इस देश की अर्थ-व्यवस्था को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इन कीड़ों को, इन घुनों को नेस्तनाबूद करने के लिए यदि सरकार इससे भी अधिक कठोर कोई कानून बनाती है तो मेरे जैसे लोग उसका हार्दिक समर्थन करेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे और बधायी देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमान भोजन और अवकाश का समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर के बाद श्री पाइलट बोलेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भोजन अवकाश के बाद ही क्यों न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विशेषकर इस विधेयक का जिसे उस काले अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है जिसे 1980 में आधी रात को पारित किया गया था।

श्रीमान, माननीय मन्त्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था :

"कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1980 का अधिनियमन जमाखोरों, कालाबाजारियों आदि की निवारक नजरबन्दी करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया था ताकि बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जाए और ऐसे समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोका जाए।"

मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सभा को बतायें कि 1980 में इस अधिनियम को पारित किये जाने के बाद से कीमतें कितनी गिरी हैं या नहीं गिरी हैं। क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और क्या जो लोग इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है ? यदि इसका उत्तर "नहीं" में है तो क्या मैं यह समझ सकता हूं कि 1980 में पारित किया गया यह अधिनियम बेकार है और कालाबाजारियों, मुनाफाखोरों आदि की गतिविधियों को रोकने में असफल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भोजन अवकाश के बाद अपनी बात पूरी करें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : धन्यवाद, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सभा के 2 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए, 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक—जारी

सभापति महोदय : श्री परुलेकर अपना भाषण जारी रखें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : सभापति महोदय, श्रीमान जब मैं भोजन अवकाश से पहले बोल रहा था तो मैंने कहा था कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस संशोधन का भी विरोध करता हूं क्योंकि हम बिना ट्रायल के नजरबन्दी किये जाने के पक्ष में नहीं हैं। अपराध करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए सरकार के पास कई कानून हैं। हाल ही में, कल ही, माननीय गृह राज्य मन्त्री ने विशेष अदालत (निरसन) विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि :

"मेरा कहना है कि देश में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कानून और प्रक्रियायें प्रयाप्त हैं।"

जब स्थिति यह है तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मन्त्री, जो इस विधेयक को पुरः-स्थापित कर रहे है, न केवल नजरबन्दी के प्रावधान को विद्यमान रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं बल्कि वर्तमान नजरबन्दी कानून को और भी सख्त बनाना चाहते हैं। विशेष अदालत अधिनियम के अधीन कम से कम अभियुक्त को अपना बचाव करने, गवाहों से जिरह करने के अवसर का लाभ उठाने की व्यवस्था थी लेकिन यहां पर आप किसी व्यक्ति को अपना बचाव करने का अवसर दिये बिना और अपनी बात कहने का अवसर दिये बिना या उसके विरुद्ध कही गयी किसी बात को चुनौती देने का अधिकार दिये बिना नजरबन्द करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम माननीय मन्त्री के वक्तव्य को पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने कहा था कि यह संशोधन इसलिए आवश्यक है कि सरकार देश में 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं थी। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इतने बड़े देश में 45 व्यक्तियों को तलाश करने की स्थिति में नहीं थी जिसके कारण वह कानून में संशोधन करना चाहती है। हम नहीं जानते कि सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

मुझे इस बात में संदेह है कि सरकार कालाबाजारियों को दण्ड देने के मामले में वास्तव में गम्भीरता से विचार कर रही है। मेरे एक मित्र ने, जिन्होंने यह वाद-विवाद शुरू किया था माननीय मन्त्री का ध्यान स्वर्गीय पण्डित जी के उन शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहा था, जिनमें उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो कालाबाजारियों को खम्बों पर लटकाकर फांसी दे दी जायेगी। पता नहीं अब तक कितनों को लटकाया गया है।

श्रीमान, मुझे नहीं लगता कि वे कालाबाजारियों के मामले से निपटने के लिए गम्भीरता से कार्य कर रहे हैं। इस मामले के अलावा जो संशोधन किया जाना वांछित है वह यह है कि राज्य सरकारों या उपयुक्त सरकारों की शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों को प्रत्यायोजित किया जा रहा है जो मेरे विचार में बहुत ही कनिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हैं।

कार्यालयों या सरकार के उच्चाधिकारी जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए उन पर दबाव डाला जा सकता है। ये लोग उन अधिकारियों के दबाव में आ जायेंगे। इस सन्दर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ये अधिकारी ऐसे आदेशों का पालन करने में अपने मस्तिष्क का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, और अब आप उनको न केवल नजरबन्द करने की शक्तियां दे रहे हैं, बल्कि उनकी सम्पत्ति को जब्त करने की शक्तियां भी दे रहे हैं। 1977 में जब आपातकालीन स्थिति चल रही थी उस समय मैं नासिक जेल में था, नासिक के एक वकील की नजरबन्दी के वारंट जारी किए गए और जिला पुलिस अधीक्षक वारन्ट लेकर उन्हें पकड़ने गया। उस वकील को वहां सब लोग जानते थे। जब आधी रात को उसका दरवाजा खटखटाया गया तो नजरबन्द किये जाने वाले सम्बन्धित व्यक्ति की बजाए उसके लड़के ने दरवाजा खोला। जिला पुलिस अधीक्षक ने उसे बताया है कि उसके खिलाफ नजरबन्दी वारंट हैं, जिला मजिस्ट्रेट इस बात से सन्तुष्ट थे कि उनकी गतिविधियां देश के लिए नुकसानदायक हैं और वह उसे नजरबन्द करने आया है। लड़के ने कहा कि मुझे अफसोस है, कि मेरे पिताजी एक मास पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। यदि आप उनको नजरबन्द करना चाहते हैं, तो आपको लम्बी यात्रा करनी पड़ेगी। यह एक उदाहरण है

कि एक जिला मजिस्ट्रेट ने 1977 में किस कुछ प्रकार कार्य किया था, वह जिला मजिस्ट्रेट इस बात से सन्तुष्ट थे और उनके पास ऐसे कारण थे कि उस व्यक्ति की गतिविधियां देश के लिए नुकसानदायक थीं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जब नजरबन्दी के ऐसे खाली आदेश फार्म पाए गए, जिन पर पहिले से ही अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। इसलिये इन छोटे अधिकारियों को शक्तियां देने और शक्तियों सौंपने का मैं कड़ा विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह छोटे अधिकारी क्या हैं। ये छोटा' क्यों कह रहे हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : ये शब्द अपमानजनक नहीं। इसलिए, इसे कार्यवाही से निकाला नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब कालाबाजारी के प्रश्न पर आते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार का 'कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों शब्दों से क्या अभिप्राय है ? महोदय, क्या हम उन सभी लोगों को सजा दे रहे हैं जो कालाबाजारी करते हैं। जब कीमतें निश्चित कर दी जाती हैं और कोई व्यक्ति उन वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचता है, तो हम कहते हैं कि यह कालाबाजारी है। यदि कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाए और कोई व्यक्ति निर्धारित की गई कीमतों से ज्यादा कीमतें ले, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति मुनाफाखोर है। परन्तु, मैं मन्त्री जी का ध्यान एक बिचौलिए के मामले की ओर दिलाना चाहूंगा। ये बिचौलिये किसानों का खून चूसते हैं, ये ग्राहकों का खून चूसते हैं, परन्तु उनके लिए कोई कानून नहीं है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां अल्फोंजो आम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, बम्बई का बिलौलिया 75 आमों की टोकरी 50 रु० में खरीदता है। और फिर बम्बई से, जब वे 240 कि० मी० दूर भेजे जाते हैं, तो यही आम 250 रु० प्रति टोकरे के हिसाब से बेचे जाते हैं। जब ये ही आम फारस की खाड़ी में जाते हैं, तो इन्हें 550 रु० प्रति टोकरी के हिसाब से बेचा जाता है। क्या यह चोरबाजारी नहीं है ? इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

इसके अलावा, हमारे पास 1980 का तमिलनाडु का एक मामला है जिसे कृषि मन्त्री के ध्यान में लाया गया था। उन्होंने इसकी जांच करने का आश्वासन दिया था। 1980 में, वह सारा प्याज जिसका तमिलनाडु द्वारा निर्यात किया गया था, नाफेड द्वारा सरकार को दिया गया था और यह सारा का सारा प्याज एक ही व्यक्ति को सिंगापुर और मलेशिया को निर्यात करने के लिए दे दिया गया था। नाफेड ने इस प्याज को 3000 रु० प्रति टन के हिसाब से बेचा था, जबकि उस व्यक्ति ने इसे 12000 रु० प्रति टन बेचा था। जब यह मामला कृषि मन्त्री के ध्यान में लाया गया, तो उन्होंने कहा कि "मैं इसके लिए कदम उठाऊंगा और इसकी जांच करूंगा।" इसके लिए आदेश जारी किये गये थे। परन्तु इसके बावजूद भी, अगले वर्ष वही बात फिर हुई। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। क्या ये अधिकारी कालाबाजारी के अपराधी नहीं हैं ? इसलिए, हमें 'कालाबाजारी' शब्द के क्षेत्र को व्यापक बनाना

पड़ेगा और उन छोटे दुकानदारों के पीछे नहीं पड़ना होगा, जो चार या पांच पैसे अधिक पर वस्तुएं बेचते हैं। वास्तविक मुनाफाखोर कानून के शिकंजे से बच निकलते है। नजरबन्दी के इन कानूनों द्वारा, मैं नहीं समझता कि कालाबाजारी को रोका जा सकता है। इस कालाबाजारी से काला धन पैदा होता है, काले धन के कारण करों की चोरी होती है और इसी प्रकार से काला धन पैदा होता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इन सभी बातों को इस प्रकार के विधान द्वारा रोका नहीं जा सकता। मेरे सभी अन्य साथियों ने कहा है कि जब तक आप नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था रखेंगे और जब तक आप अनिवार्य वस्तुओं को अपने कब्जे में नही रखेंगे और उन्हें अन्य वस्तुओं के साथ वितरण प्रणाली द्वारा या निश्चित दर पर उचित माध्यम से नहीं बेचेंगे मैं आपसे आग्रह करता हूं कि महोदय, इस कालाबाजारी की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता।

मुझे मालूम है कि विधेयक का क्षेत्र बहुत छोटा है, परन्तु इस विधेयक पर चर्चा का लाभ उठाते हुए, मैंने कालाबाजारी के बारे में ये बातें कहीं हैं और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या विधेयक के क्षेत्राधिकार को व्यापक बनाया जा सकता है ताकि उन विचौलियों को जो देश के कालाबाजारिये हैं, इस विधेयक की परिधि में लाया जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं निवारक नजरबन्दी कानून का विरोध करता हू और यह कहता हूं कि बगैर सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाया जाना चाहिये।

इसलिये मैं मूल अधिनियम का विरोध करता हूं और संशोधन का भी विरोध करता हूं जो मेरे विचार से शरारतपूर्ण संशोधन है क्योंकि इस संशोधन से नजरबन्दी का दायरा व्यापक हो जाता है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं माननीय उपमन्त्री, श्री उस्मान आरिफ को बधाई देता हूं, जिन्होंने सदन में इस विधेयक का संचालन किया है। यद्यपि मैं, किसी भी वस्तु का संचालन करना पसन्द करता हूं तथापि जिस प्रकार इस विधेयक का संचालन किया गया उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं।

परन्तु महोदय, मैं एक अनूठा प्रश्न भी पूछता हूं कि यह विधेयक अब क्यों पेश किया गया है? महोदय, हम 1980 में सत्ता में आये थे यह विधेयक 1980 में ही पेश किया जाना चाहिए था। इसके विलम्ब का मुख्य कारण क्या है?

श्री बापूसाहेब पठलेकर : मूल विधेयक 1980 का है।

श्री राजेश पाइलट : अब जो संशोधन आप ला रहे हैं, वह 1980 में ही लाया जा सकता था। इसमें विलम्ब किया गया है, सरकार ने इस सम्बन्ध में देरी क्यों की? दूसरे, मैं दोनों पक्षों के भाषण सुनता रहा हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि कल यदि आप इस सदन में भगवान पर चर्चा करेंगे तो हमें भगवान की अलग-अलग परिभाषाएं मिलेंगी। जबकि गीता, रामायण और कुरान भगवान की एक ही परिभाषा देते हैं, परन्तु यदि आप कल भगवान के सम्बन्ध में अलग-विचार और परिभाषाएं मिलेंगी।

उनका कहना है कि यह राष्ट्र के हित में है। हर व्यक्ति इसकी बात करता है और कहता है कि "हां, इसकी जरूरत है।" हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है। जब वह अपने घर वापस जाता है तो भी यही महसूस करता है। परन्तु जब मामला चर्चा के लिए आता है, तो वे कहते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूं। कोई कहता है कि मैं इस विधेयक पर विश्वास नहीं करता बिना मुकद्दमा चलाए लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिये। तब लोग कानूनी आधार पर इन चीजों को उचित ठहराते हैं और अपने विचार प्रगट करते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि लोग इस बारे में एकमत क्यों नहीं है, जबकि हम इसका अनुमोदन करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं और हम इस पर कार्यवाही करना चाहते हैं। हम इन बातों को रोकना चाहते हैं। मैं यह बात अपने बहुत से सहयोगियों को सुनने के बाद कह रहा हूं।

मैं मेरी चर्चा को दो भागों में बांटता हूं : पहली, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी, जोकि गैर-कानूनी है, के क्या कारण हैं। और दूसरा, सरकार के विचारार्थ मेरे जो सुझाव हैं। पहला सुझाव नियन्त्रण और नियन्त्रण हटाने के सम्बन्ध में है। वही सीमेंट जो बाजार में 100 रु० में सुलभ नहीं हो रहा था, अचानक 50 रु० में सुलभ है। सरकार प्रतिबन्ध लगाती है। सरकार प्रतिबन्ध लगाती है जिनकी जरूरत नहीं है। सरकार प्रतिबन्ध लगा देती हैं और कहती है कि गेहूं एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। ये ऐसी बातें हैं जो बहुत ही साधारण हैं। मेरे विचार से उनमें कोई अड़चनें नहीं हैं। ये रुकावटें सरकार द्वारा ही पैदा हो गई हैं। जब सरकार गेहूं को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाती है, तो लोग यह महसूस करने लगते हैं कि इसकी कमी है, और वे यह महसूस करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार के पास स्टाक की कमी है। इस. लिए, ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उनको उन्हीं वस्तुओं पर नियन्त्रण रखना चाहिए जिन पर सरकार कारगर ढंग से नियन्त्रण करना चाहती है, सरकार को हर जगह नियन्त्रण नहीं रखना चाहिए और देश में अभाव नहीं पैदा करना चाहिए।

इसलिए, मेरा पहला अनुरोध यह है कि अनिवार्य वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुदेश देने से पहले सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए। दूसरा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो हर बार प्रेस की आलोचना करता है। ये लोग बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। इसलिए, वे चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस स्थिति का दूसरा कारण प्रेस है। इस स्थिति पर विचार किये बिना, प्रेस यह समाचार दे देती है कि तेल की कमी है, गेहूं का अभाव है और चीनी मिल नहीं रही है, अर्थात इसके परिणामों की चिंता नहीं करते।

मैं आशा करता हूं कि आप आठ वर्ष पूर्व की उस घटना को याद करोगे उस समय मैं दिल्ली की यात्रा पर आया हुआ था। मैंने 1973 या 1974 में समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि दिल्ली में डालडा उपलब्ध नहीं था। एक दिन कोई सज्जन नार्थ और साउथ ब्लाक के पास एक ट्रक लेकर आए। यह ट्रक डालडा के डिब्बों से लदा हुआ था। इसमें करीब एक हजार डिब्बे होंगे। ज्यों ही कार्यालय शाम को 5.15 बजे बन्द हुए, तो उसने ट्रक वहां खड़ा किया। ये डिब्बे पानी और कीचड़ से भरे हुए थे। उनमें घी नहीं था। सुबह के समाचार पत्रों में यह समाचार था कि दिल्ली में कई दिनों तक डालडा उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए वह ट्रक लेकर आया और उसे नार्थ और

साउथ ब्लाक के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा कि कोई भी आम बाजार भाव से 5 रुपये कम मूल्य पर डालडा यहां से खरीद सकता है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के अधिकारियों तक ने ये डिब्बे खरीदे। उसने 15 मिनट में ट्रक का सारा माल 50,000 या 60,000 रुपयों में बेच दिया और ट्रक लेकर गायब हो गया, और जब ये अधिकारी घर पहुंचे और डिब्बों को खोला तो वे पानी और कीचड़ से भरे हुए मिले।

इसलिए मेरा यह कहना है कि समाचार पत्रों को बड़ी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाना चाहिए तथा ऐसे समाचार तभी देने चाहिए जबकि वे इन चीजों को वास्तव में कमी महसूस करें। स्टाकों की वास्तविक स्थिति को जाने बिना उन्हें ऐसा कोई समाचार नहीं देना चाहिए। अन्यथा इससे नागरिकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है; और इस तरह वे अपनी जरूरत की चीजों को जमा करने की सोचने लगते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समाचार पत्रों को भी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाना चाहिए। तीसरी बात सरकार द्वारा सख्ती बरतने से सम्बन्धित है। सरकार नियम बनाती है। सरकार कानून बनाती है। परन्तु जब उन्हें लागू करने का सवाल उठता है तो पता नहीं क्यों सरकार शिथिल हो जाती है। जब हम नियम बनाते हैं तो उसके लिए सख्ती क्यों नहीं अपनाते हैं? नियम बनाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह व्यावहारिक है या नहीं, और हम इसका पालन कर सकते हैं या नहीं। परन्तु कानून बन जाने पर, सम्बन्धित राज्य केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाये जाने के बाद यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि उनका शत प्रतिशत पालन हो, उससे कम कतई नहीं।

लोग हमेशा आपात स्थिति के दिनों की बातें क्यों करते हैं? क्या हम बिना आपात स्थिति घोषित किये वे सब काम नहीं कर सकते? आपात स्थिति एक मनोवैज्ञानिक आतंक का पर्याप्त बन चुकी है—मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें आपात स्थिति लागू कर देनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए—परन्तु हम ऐसे कार्यों को घोषित किए बिना या आपात स्थिति घोषित किए बिना कार्रवाई कर सकते हैं। हम अपने कार्यों में फिर से सख्ती ला सकते हैं। मुझे याद है कि आपातस्थिति के दौरान प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी और जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें यह बताते हैं। वे यह कहते हैं कि आपातस्थिति का समय बहुत अच्छा था। मुझे मेरे विचार से मेरा यह कहना गलत न होगा कि लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को उनके कार्यों और उनकी सख्ती के लिए ही वोट दिया क्योंकि इसका निर्णय उन्होंने ही किया था। सरकार सख्ती से पेश क्यों नहीं आ सकती है?

सभापति महोदय : इस विधेयक में आपातस्थिति का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री राजेश पाइलट : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपातस्थिति लागू होनी चाहिए। मैं नियमों का पालन करने के लिए की जाने वाली सख्ती की बात कह रहा हूं। हम बिना आपातस्थिति के कोई तरीका अपना सकते हैं, हमें कार्रवाई करनी ही है। सभी राजनीतिक दलों को यह निर्णय करना चाहिए कि हम किसी भी असामाजिक तत्वों को इसका अवांछित लगा उठाने की अनुमति नहीं देंगे; उन्हें शह नहीं दी जानी चाहिए। मैंने यह देखा है कि यदि कोई दल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है, कोई दूसरा दल मुक्त दल के विरुद्ध है तो वह उस व्यक्ति को अच्छा आदमी

बताकर उसका समर्थन करता है। सभी राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक दल असामाजिक तत्वों को स्पष्टत: निरूपित नहीं करते हैं तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है ? यदि हम उन्हें निरूपित नहीं करते, यदि हम उन्हें अलग नहीं करते हैं तो सभी कानून व नियम लागू नहीं हो सकेंगे। मुझे याद है कि पिछली बार कोई व्यक्ति मेरे पास आया और चीनी के बोरों की मांग की। मैंने उससे मुनाफे के बारे में पूछा। उसने बताया, "इसमें खाली बोरे के सिवाय कुछ भी बचत नहीं है।" मैंने कहा "तो तुम इसकी मांग क्यों कर रहे हो; इससे अच्छी वस्तु की मांग करो ?" उसने कहा "कृपया मेरी मदद करें। मेरा इससे काम चल जाएगा।" इसके पीछे क्या राज है ? वे डीलरशिप ले लेते है; वे इसका काम करते हैं और उसे काले बाजार में बेचते हैं और इसका बहुत कम भाग जनता में वितरित करते हैं। प्रत्येक संसद इस बात से अवगत है; प्रत्येक राजनीतिज्ञ इसके बारे में जानता है जब वह ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। यह प्रणाली बहुत लाभदायक नहीं है, और न ही बहुत सशक्त है। हम सहकारिता प्रणाली को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ? मान लीजिए इसमें 20 व्यक्ति लगते हैं। यदि दस आदमी गलत होते है तो कम से कम 10 आदमी तो इसे चला सकते हैं। जब हम इन तथ्यों से अवगत हैं तो उस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते हैं ?

जहां तक कोटा प्रणाली का सम्बन्ध है। ऐसे लोग कोटा प्राप्त करते हैं जिनके पास कोई कारखाने नहीं हैं, उनकी कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। वे इसे लेकर स्वयं बेच देते हैं। कारखानों में वे पैसा कमा रहे हैं। जब वे पैसा कमा लेते हैं, अच्छे ढंग से रहने लगते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते है; तो उनमें आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। जब वे कार में बैठकर किसी अधिकारी से मिलने जाते है तो अधिकारी यह समझता है कि वे बहुत बड़े आदमी हैं। कलक्टर के कार्यालय में घूम रहे किसी गरीब आदमी और किसी सज्जन में फर्क है। पर अधिकारी को यह पता नहीं होता कि यह पैसा कहां से आता है। इसलिए इस कोटा प्रणाली में कुछ नियंत्रण होना चाहिए। कोटा किसे प्राप्त होता है ? वह इसका कार्य करता है ? मुझे याद है कि पिछली बार मुझे एक शिकायत मिली थी। किसी आदमी नु कोटा लिया। मुझे यह पता नहीं कि वह आदमी कहां गया; मुझे अब तक इसका पता नहीं चला। उसने कोटा किया और उसे वहीं बेच दिया। उसके पास कोई कारखाना, संस्थान, उत्पादन यूनिट नहीं है पर उसने फिर भी इसे प्राप्त किया। एक बार जब मैंने कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में बताया तो उन्होंने कहा "राजनीति में असफलता हाथ लगने की स्थिति में हमारे पास अपने जीविकोपार्जन की कोई व्यवस्था होनी चाहिए या आयका कोई साधन होना चाहिए।" इसलिए कई लोगों ने मुझे यह कोटा लेने की सलाह दी। मैं अब तक इस प्रणाली को समझ नहीं पाया हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध रहे तथा हर किसी को कोटा जारी न करे। पिछली बार हमने संसद में इसकी, कोयले के कोटे आदि की चर्चा की थी। ऐसी कोटा प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए तथा उपयुक्त लोगों को दिया जाना चाहिए। किसान, ग्रामीण लोग जिन्हें इसकी जरूरत है उन्हें यह नहीं मिलता है। जो लोग दिल्ली पर राज्यों की राजधानियों में रहते हैं उन्हें यह कोटा प्राप्त होता है। इसलिए यह इसका दूसरा कारण है।

अब, मैं उन सुझावों पर आता हूं जिन्हें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रत्येक

दुकान में मूल्य सूची लगी होनी चाहिए। पहले मूल्य सूची तथा स्टाक सूची लगी होती थी। हाल ही में मैं विदेश यात्रा पर था। मैं इसकी कल्पना कर रहा था। आप किसी सुपर बाजार में जाएं, अपना सामान चुनें और काउंटर पर भुगतान करके बाहर आ जाएं। हम इस प्रणाली को क्यों नहीं अपनाते ? अत: हमारे पास मूल्य सूची, स्टाक सूची तथा तत्काल जांच प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप कोई मूल्य सूची व स्टाक सूची लगाएं और उसकी कोई जांच न हो। सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि सभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में उनके पास मूल्य-सूची और स्टाक सूची होनी चाहिए; प्रत्येक जिले, प्रत्येक राज्य में एक विशेष दफ्तर बनाया जाना चाहिए जो सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार उनकी जांच करे। मेरा सुझाव है कि भूतपूर्व सैनिकों को यह कार्य सौंपा जाए जो कि इसे अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर ढंग से निभाएंगे। चाहे आप उन्हें स्वैच्छिक सेवा के आधार पर लें या चाहें तो उन्हें नौकरी पर रख लें। इससे आपको दोहरी सहायता मिलेगी : (एक) उन्हें पुनर्वास मिलेगा तथा (दो) वे राष्ट्र सेवा कर सकेंगे।

और तीसरी इस सहकारिकता प्रणाली के सम्बन्ध में है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सुपर बाजार प्रणाली को बढ़ाया जाए। सभी बड़े शहरों में सुपर बाजार हैं, इसे जिला स्तर पर भी क्यों नहीं लागू किया जाता ? हम सभी अनिवार्य वस्तुएं उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित करते हैं; परन्तु जिला मुख्यालयों में अधिक वस्तुएं भेजी जा सकती है, जहां ग्रामीण लोग खरीद सकते हैं। वे जिला मुख्यालयों में जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर वापस जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि सुपर बाजार प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर न सही, जिला मुख्यालयों तक अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरा अन्तिम मुद्दा राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में है। जब तक इसे नहीं रोका जाता तब तक न्याय नहीं हो सकेगा। कोई न्याय के लिए लड़ता है तो दूसरा उसे याय कहता है। न्याय की एक ही परिभाषा हो सकती है। पर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति मुसीबत उठा रहा है तो दूसरा उससे आनन्दित हो रहा है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज विरोधी हैं। उनका भोजन अल्पाहार स्वागत सब कुछ मंत्रियों के साथ होता है। जिम्मेदार लोग यह देखते रहते हैं कि ऐसे लोग नित्य प्रति अपना भोजन अल्पाहार कहां ले रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिज्ञ के साथ देखा जाता है तो अधिकारी इससे प्रभावित होकर यह सोचते है कि उसके कुछ संपर्क हैं और आशा करते हैं कि उसकी सिफारिश से वे अपेक्षित पद प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक भय होता है, अतएव ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए कोई आचरण सहिता तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक लोग ही इस प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं। हम लोग ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसे बन्द किया जाना चाहिए।

फिर दूसरा मुद्दा जनमत का है। जब तक इसे जाग्रत नहीं किया जाता तब तक कोई कानून या अधिनियम पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसे असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए जिला स्तर पर कुछ शांति केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए या ऐसी किसी प्रणाली का विकास करना चाहिए। आज एक तरफ तो सरकार है और दूसरी तरफ जनता है। इन दोनों के बीच असामाजिक तत्वों का मध्यवर्ती गुट है। ये सरकार नहीं चलने देना चाहते हैं। जब तक हम इस मध्यवर्ती गुट को नहीं हटाते हैं तब तक हम नियोजित परिणामों की प्राप्ति नहीं कर सकते।

अन्तिम मुद्दा इन कार्यों की निगरानी करने के सम्बन्ध में है। सरकार द्वारा उठाए गए कार्यक्रमों की निगरानी की जानी चाहिए। कालाबाजारी अगले तीन सालों तक होती रहेगी। कालाबाजारी करने वाला इतना पैसा कमा लेता है कि वह अगले तीन सालों तक आराम से रह सकता है। देश की यात्रा के दौरान मुझे लोगों के उक्त सुझाव और भावनाओं का पता लगा है। इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक पर विचार करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता पर अवश्य विचार करेगा, विधेयक प्रस्तुत करते समय जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं यह बताया है कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों सहित पूरे देश में केवल 45 व्यक्ति ही फरार हैं और गिरफ्तार नहीं किये गए हैं। इसलिए, इन 45 व्यक्तियों के लिए जो कि पिछले दो से अधिक वर्षों से गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं—यह विधेयक जरूरी हो गया है। पिछले वक्ता श्री पाइलट ने बड़े सार्थक ढंग से यह कहा है कि यह संशोधन पहले क्यों नहीं लाया गया। पिछले विधेयक में—जो कि अब अधिनियम बन चुका है—यह अधिक निम्न अधिकारियों को नहीं दिया गया था; यह केवल राज्य सरकारों को दिया गया था यह अधिकार संपत्ति को कुर्की का है। बन्दी बनाने का अधिकार कमिश्नरों तथा जिला मजिस्ट्रेटों को दिया गया था। परन्तु संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दिया गया था। राज्य सरकारें बड़े अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेंगी। किन्तु इस पर पुनर्विचार करने का अवसर अभी है। ऐसी स्थिति में कोई भी यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सकता कि क्या यह विधेयक जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध है जैसा कि मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा है :

> "चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1980 को जमाखोरों और कालाबाजारियों की निवारक नजरबन्दी के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को दबाया जा सके।"

उन्होंने कहा है : "जमाखोरों और कालाबाजारियों आदि के विरुद्ध" मूल अधिनियम में धारा 3 के अन्तर्गत एक स्पष्टीकरण में कहा गया है :

> "इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए समुदाय को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करना पद से अभिप्रेत है—(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आधीन या समुदाय के लिए किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण या व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करना या किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाना..."

इसलिए किसी व्यक्ति को उत्पादन, वितरण और प्रदाय में बाधा डालने के लिए मजदूर संघों की सम्पूर्ण गति विधियों को इस व्याख्या में शामिल किया गया है। किसी मजदूर संघ के सम्बन्ध में यदि कि मजदूर नेता द्वारा मजदूरों को हड़ताल करने के लिए उकसाने वाला कोई ऐसा

भाषण दिया जाता है, अधिकारियों के विचार में जिससे उत्पादन, वितरण और प्रदाय में बाधा पड़ सकती है, इस प्रकार के व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्दी बनाया जा सकता है। मूल अधिनियम का भी यही अभिप्राय है। मेरा यह अनुमान है कि, इसीलिए मन्त्री महोदय ने 'आदि' शब्द जोड़ा है ताकि लोग यह सोचें कि यह केवल कालाबाजारियों और जमाखोरों के विरुद्ध ही है। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछता हूं कि क्या यह अधिनियम सम्बद्ध अधिकारियों अर्थात् जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों को किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और हड़ताल सहित मजदूर संघों की गतिविधियों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। उस मामले में सरकार द्वारा अपने आप एक संशोधन 'विधि संगत मजदूर संघों की गतिविधियों अथवा श्रम विवादों को छोड़कर' प्रस्तुत किया जाए। जब तक उसे हटा नहीं दिया जाता इसकी स्पष्ट व्याख्या है। न केवल व्याख्या बल्कि सरकार के पास गिरफ्तार करने और नजरबन्द करने की शक्ति है। यह भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार है···

सभापति महोदय : विधेयक का क्षेत्र सीमित है।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि जब ये शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं तो सामान्य रूप से वे राज्य सरकार के कहने पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु यदि राज्य सरकार का उल्लेख किए बिना संशोधन विधेयक पास कर दिया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त सीधे कार्य कर सकते हैं। इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह हमें इस बात के लिए आश्वासित करे कि विधि संगत मजदूर संघों की गतिविधियों पर यह किसी भी हालत में लागू नहीं होगा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमारे देश में जमाखोरी और कालाबाजारी सरकार की नीतियों के कारण आरम्भ होती है। वास्तव में सरकार की नीतियां कालाबाजार को बढ़ावा देती हैं और काले बाजार को खुले बाजार में परिवर्तित करती हैं। हम सीमेंट के मामले में देख ही रहे हैं। पहले हमने चीनी के मामले में देखा। यह कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, उसके पश्चात जनता सरकार द्वारा और फिर से कांग्रेस (इ) द्वारा। यदि कालाबाजारी अथवा जमाखोरी होती है तो सरकार के पास दण्ड संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पहले से ही शक्तियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा शक्तियों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। शायद पिछले आठ वर्षों के दौरान एक भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है यद्यपि दण्ड प्रकिया संहिता में यह प्रावधान विद्यमान है।

इस प्रकार, दोष सरकारी नीति का है न कि अधिनियम के उपबन्धों का। मेरा अनुमान यह है कि जब तक थोक व्यापार निजी क्षेत्र में है, जमाखोरी जारी रहेगी। इसलिए थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण ही इसका इलाज है। यह राज्य के हाथों में होना चाहिए। सर्वदलीय समिति की सहायता से वह एक संयुक्त मूल्य नीति तैयार कर सकते हैं जो उत्पादन को लाभकारी मूल्य दिलाएगी, लाभ का अंश न्यूनतम रखते हुए उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करेगी। यही एक ऐसी नीति है जो जमाखोरी और कालाबाजारी का निवारण कर सकती है।

यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस विधेयक का समर्थन तभी किया जा सकता है जब सरकार इस बात का आश्वासन दे कि इसका प्रयोग मजदूर संघ के विरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

सभापति महोदय : हमने पहले ही निर्धारित समय से 20 मिनट अधिक समय ले लिया है।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : चार सदस्य और बोलना चाहते हैं । इसलिए यदि सदन का यही विचार है तो समय 20 मिनट के लिए और बढ़ाया जाएगा । प्रत्येक सदस्य 2 या 3 मिनट लेगा ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, दि प्रिवेंशन आफ दि मार्केटिंग एण्ड मेनटेनेन्स आफ सप्लाईज आफ एसेंशल कामोडिटीज (एमेंडमेंट) बिल, 1982 का मैं स्वागत करता हूं ।

जब 1980 में यह कानून पास किया गया था, तो विरोधी दलों ने इसका बहुत जोरदार विरोध किया । अगर गवर्नमेंट उस वक्त थोड़ा ध्यान रखती, तो वह डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर के बारे में प्राविजन कर सकती थी । अब उसका अनुभव यह है कि बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर के सहयोग के अपराधियों को डीटेन करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वे लोग एबस्कांड हो जाते हैं, अपने को कनसील कर लेते हैं । बताया गया है कि इस प्रकार के 45 केसिज सरकार के सामने हैं । केसिज कम हों या ज्यादा हों, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को पावर्ज दी जानी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्ट हैडक्वार्टर्ज पर एथारिटीज अपराधियों के विरुद्ध स्ट्रांग एक्शन ले सकते हैं । उनकी प्रापर्टी कान्फिस्केट करने के लिए वह कार्यवाही कर सकते हैं । तो इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है और जो कदम उठाया है गवर्नमेंट ने मैं उसकी सराहना करता हूं और समर्थन करता हूं । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चोरबाजारी, जमाखोरी, तस्करी एवं कर-चोरी पर अगर हमने विजय प्राप्त नहीं की तो हमारी अर्थ-व्यवस्था कभी भी सुधर नहीं सकती और हम कभी भी कीमतों पर काबू नहीं पा सकते । इस सम्बन्ध में जितने भी कानून हमने पास किए हैं उनका परिपालन नहीं होता है और उनका परिपालन न होने के कारण यह स्थिति हो रही है । मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकारें इन कानूनों का पालन नहीं करती हैं उनके लिए भी आप डायरेक्शन्स और इंस्ट्रक्शन्स भेजें । मैं तो यह भी समझता हूं कि इस सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर्स की एक बैठक बुलायी जाय···(**व्यवधान**)···मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न्ड मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलायें और इस मसले को हल करें, क्योंकि यह जो रोग है यह जो मानस्टर या भूत है, राक्षस है, इसका मुकाबला लेने के लिए हमें स्ट्रांग स्टैप्स लेने पड़ेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में चीफ मिनिस्टर्स की एक बैठक बुलाए और बोल्ड स्टेप्स उठाए ।

एक बात मैं यह कहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब तक स्टेन्थन नहीं होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत नहीं होती है तब तक हालत में सुधार नहीं हो सकता और

यह मजबूत तभी होगी जबकि हमारे स्टाक में अनाज हो और कम से कम 2 करोड़ टन अनाज स्टाक में होना चाहिए। एफ० सी० आई० उस अनाज को डिस्ट्रब्यूट करे उन क्षेत्रों में जहां कि भयंकर अकाल पड़ा है दो दो, तीन तीन, चार चार साल से। उन क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में खास कर अनाज नहीं पहुंचता है। मैं बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के बारे में कहना चाहता जो कि केरल से डबल एरिया है, उस क्षेत्र में चार पांच साल से भयंकर अकाल है परन्तु वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में दस किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी अनाज कभी नही मिला। अगर कभी मिला तो कभी दो किलो, कभी तीन किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिला है। अगर आपके पास अनाज की कमी है तो यह कोशिश करनी चाहिए कि जहां भयकर अकाल की स्थिति है उन क्षेत्रों में अधिक अनाज भेजा जाये। हमारे राजस्थान में 65 हजार टन अनाज भेजा गया है। वह वहां की जनसंख्या के लिए काफी नहीं है। यह अनाज केवल नगरीय क्षेत्र के लोगों के काम आता है। जो गरीब सेक्शन है उसके काम नहीं आता। जो डिस्ट्रेस्ड परसन्स हैं उनके काम वह नहीं आता। मैं चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री हरिकेश बहादुर बोल सकते हैं। कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहिए। सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय पहले से ही हिदायतें दी जानी चाहिएं थीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे दल में 12 सदस्य हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत थोड़ी बात कहूंगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। जिसे सत्ता दल के लोगों को सुनना चाहिए।

मुझे शक है कि जो बिल लाया गया है उसका सदुपयोग किया जायगा। यह आपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ जो दमन चक्र चलाया है उसी की प्रक्रिया में एक और कदम है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत पर हमें शक क्यों है इस बात को मैं कुछ उदाहरणों से पुष्ट करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 16,000 लीटर डीजल की ब्लैक-मार्केटिंग करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया था लेकिन शाम तक उसे छोड़ दिया गया और जिन अफसरान ने उनको पकड़ा था उनके तबादले कर दिए गए क्योंकि सत्ताधारी दल के कुछ लोग उसको बचाने में लगे हुए थे। अगर इसी प्रकार से काम किया जायेगा तो इस बिल को बनाने का क्या लाभ होगा ? इसी प्रकार से महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का सीमेंट का मामला इस सदन में भी आया था।

सभापति महोदय : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि इसका सही इस्तेमाल होगा, इसमें मुझे शक है। सरकार ने, यहां सारे मामले पर बहस होने के बाद भी मुख्य मन्त्री से इस्तीफे की बात नहीं कही। यदि अदालत ने फैसला न दिया होता तो शायद वे हटते भी नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार की यह नीयत नहीं है कि चोरबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : कार्यवाही हो रही है, ये**बोलते हैं।

सभापति महोदय : यह शब्द असंसदीय है।

श्री हरिकेश बहादुर : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी एक गम्भीर मामला अखबार में प्रकाशित हुआ है, उसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्री के विशेष सहायक दो वीडियो सेट्स विदेश से लाए···

आचार्य भगवान देव : यह बात सही नहीं है। सबसे बड़ा**यह है जो पंजे के निशान पर यहां चुनकर आया शोर उधर चला गया···

श्री हरिकेश बहादुर : मैं आपकी बात स्पष्ट करना चाहता हूं (**व्यवधान**) मुझे बोलने की अनुमति दें। यह कानून जो बनाया जा रहा है क्या वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध है जो दोषी हैं ? एक व्यक्ति जो वीडियो का सेट ला रहा था, वह सीमा अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। यह मामला पहले से ही उनके पास है। यह कानून बनाने के पश्चात क्या मन्त्री महोदय इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ? किन्तु हमें मालूम है कि अन्तोगत्वा इस कानून का दुरुपयोग होगा। वास्तविक दोषियों और अपराधियों को सजा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के विधान अथवा अधिनियम का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जाएगा। हमें सरकार की नीयत पर शक है। (**व्यवधान**)। मुझे अपनी बात कहने दी जाए।

आचार्य भगवान देव : * *

सभापति महोदय : यह आरोप कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री हरिकेश बहादुर असंगत बात कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं नहीं कर रहा हूं। तमाम देश अथवा इस देश के विपक्ष को सरकार की नीयत पर शक है। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं और सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की जा रही है और न ही की जाएगी। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार द्वारा इसे अधिनियमित किए जाने के पश्चात इसका सही प्रयोग भी किया जाएगा। यदि सरकार इसका सही प्रयोग करे तो ठीक है। मैं जानता हूं इसका ठीक प्रयोग नहीं हो रहा है और न ही होगा।

मैंने वीडियो सेट की बात कही थी जिसका सवाल उठाने नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत ठीक है तो इस प्रकार का जो ला वह बना रही है वह उसको इन लोगों के खिलाफ लागू करके कार्यवाही करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में कुओ आयल डील के बारे में जो डिस्कशन हुआ उसमें भी चोरबाजारी का मामला हुआ है लेकिन जो लोग उसमें इन्वाल्वड हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, इसमें मुझे शक है। मैं समझता हूं कोई कार्यवाही नहीं होगी। आज

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

जो बड़े-बड़े लोग चोरबाजारी में लगे हुए हैं उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की, तब ऐसी हालत में हम कैसे मानें कि सरकार यहां पर जो विधेयक लाई है, उसके सम्बन्ध में सरकार की नीयत ठीक है और सचमुच में वह चोरबाजारी को रोकना चाहती है ?

जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सवाल है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से इसका वितरण अगर किया जाए तो लोगों को लाभ मिल सकता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस वितरण प्रणाली में भी दोष आ गए है और इसमें भी चोरबाजारी हो रही है । क्या इसको भी रोकने के लिए सरकार कोई कानून बनाने जा रही है या नहीं—यह मैं जानना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कानून बनाने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिला और राज्य स्तर पर, तो आपको एक समिति बनानी चाहिए; जिसमें कि सभी राजनीतिक दल के लोग हों और किसी भी व्यक्ति को डिटेन करने के पहले उस समिति के सामने उस व्यक्ति का नाम आना चाहिए और वहां पर डिसकशन होना चाहिए । फैसला होने के बाद, उस समिति के द्वारा निर्णय लेने के बाद ही डिटेंशन होना चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग निश्चित तौर पर होगा कल ही यहां स्पेशल कोर्ट रिपील बिल पर बहस हुई है । उसका मकसद यह था कि केवल निरक्षेपराध लोगों को बन्द करके अधिक दिनों तक जेल के अन्दर रखेंगे, क्योंकि यदि निरपराध बन्द रहेंगे और स्पेशल कोर्ट बनाकर उनका ट्रायल करेंगे, तो हो सकता है कि आदमी जल्दी छूट जाए । संसद द्वारा बनाए गए पहले विधेयक को खत्म कर दिया गया है । हमेशा ये लोग चाहते हैं कि···

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने मुश्किल से 5 अथवा 6 मिनट लिए हैं । मैं कोई अत्यन्त कड़वी बात कह रहा हूं जो वे पसंद नहीं करते । इसलिए ही वे लोग ऐसा कह रहे हैं ।

मैं यह चाहता हूं कि अगर इनकी नीयत ठीक है और इस बिल को बना रहे हैं तो सबसे पहले उन अपराधियों को, जिनके ऊपर पहले से अभियोग लग चुके हैं और जिनके बारे में समाज और दुनिया चाहती है कि पहले उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन लगता है कि सरकार का इरादा सही इस्तेमाल करने का नहीं है ।

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं । जयपुर शुगर्स की आन्ध्र और उड़ीसा में दो मिलें हैं, इन मिलों के लोगों ने 14 हजार टन लेवी शुगर बेच दी, ब्लैक-मार्केटिंग में, यह सारा मामला सरकार के सामने लाया गया था, यहां तक कि यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास पड़ा हुआ है । इसके पीछे कोई विशेष कारण हैं, जिनकी वजह से यह मामला अभी तक हल नहीं हुआ है; क्योंकि सत्ताधारी दल के लोग इसमें लगे हुए हैं । इसलिए सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । मैं यह चाहता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए यह विधेयक जो सदन में लाया गया है···(**व्यवधान**)···मैंने यह कहा कि जितने भी इस प्रकार के उदाहरण आए हैं, जिसमें कि सत्ताधारी दल के लोग लगे हैं और जिनके बारे में अभियोग लग चुके हैं और शायद ही यह सरकार इस विधेयक के बनने के बाद उन लोगों

के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और इस बात का पता लगाएगी, जो मामले मैंने उठाये हैं, जैसे जयपुर शुगर का मामला है, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा का मामला है, जिसमें कि चीनी बेच दी गई, सुलतानपुर में डीजल का मामला है और मैंने जो यह वीडियो सैट का मामला उठाया है—इन तमाम मामलों में जो लोग लगे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? मैं यह बात स्पष्ट रूप से सरकार से और माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल से मन्त्री जी ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शासन के पास इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का जो कि केवल विरोधियों के दमन के लिए बनाया जा रहा है, इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार, समय अभी भी है, उसको विवेक और सद्बुद्धि आए और इस विधेयक को वापिस ले ले।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में चोरबाजारी विरोधी विधेयक मन्त्री महोदय द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। सदन के दोनों पक्ष यह जरूर चाहते हैं कि चोरबाजारी रुके, जैसा कि अभी श्री हरिकेश जी और श्री पाइलट जी ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये और कहा कि हमें इस बात को संजीदगी से सोचना होगा कि आखिर यह चोरबाजारी कहां से हो रही है।

मैं समझता हूं कि आजकल चोरबाजारी का सबसे बड़ा फण्ड, जिसको रिसोर्स कहते हैं, वह है प्लान फण्ड। जो कुछ भी पैसा इस देश के गरीब लोगों ने जमा किया है, राष्ट्रीय कोष में उसका योजना मद में बंटवारा किया जाता है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस फण्ड का दुरुपयोग किया जाता है। इससे चोरबाजारी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए, अभी एक रोड रिसर्च इन्स्टीचूट की रिपोर्ट आई है कि साल में इस देश में कितनी बर्बादी हो रही है। बैड रोड सिस्ट्स के कारण 1500 करोड़ रुपए की सालाना बर्बादी देश की हो रही है। बैड-रोड्स बनी क्यों ? आप हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में चले जाइये, आप देखेंगे हर जगह रोड्स की हालत खराब है। लेकिन खराब क्यों है, इस पर कोई नहीं जा रहा है। स्पष्ट बात है जो मैटीरियल उनमें लगना चाहिए था, वह नहीं लगा। मैटीरियल न लगने के कारण योजना की राशि से जो पैसा गया वह इंजीनियरों के पेट में, अधिकारियों के पेट में गया और इस तरह से वह मनी एकुमुलेट होकर ब्लैक-मनी बनी। ब्लैक-मनी एकुमुलेट होने से ब्लैक-मार्केट शुरू हुई, ब्लैक-मार्केट ब्लैक-मनी से शुरू होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप सोमवार को जारी रख सकते हैं।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

46वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं। श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा 28 जुलाई, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 28 जुलाई, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

देश में धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एम० मधुकर अपना भाषण जारी रखेंगे। वह अन्तिम वक्ता होंगे और उनके पश्चात मन्त्री महोदय बोलेंगे और प्रस्तावक उत्तर देंगे।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा कहा था—भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता जनतंत्र और समाजवाद की व्यवस्था करने के बावजूद आजादी के 34 सालों के बाद भी इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है। यह इस बात का द्योतक है कि पिछले 34 सालों में हमने इस समस्या का हल नहीं किया है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति रही है, इसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी जातियों का योगदान रहा है। इसीलिए भारत के संविधान में धर्मनिर्पेक्षता का विशेष रूप से उल्लेख है। लेकिन आज हालत क्या है ? हालत यह है कि आज धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्त पर कुठाराघात हो रहा है, इस पर काफी चोटें पड़ रही हैं। खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमायते-इस्लामी—ये दो संस्थायें ऐसी हैं जो देश की राष्ट्रीय गति को भंग करने पर तुली हुई हैं। भारत सरकार के गृह मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं—वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं ये विघटनकारी प्रवृत्तियां हिन्दू और मुसलमानों में भेद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, एक तरफ हिन्दू राष्ट्र की कल्पना है और दूसरी तरफ उनके अनुसार मुसलमानों को पूरे हुकूक नहीं मिल रहे हैं। सही मायनों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायते-इस्लामी दोनों के मोर्चे एक हैं कि हिन्दुस्तान का फिर से विभाजन किया जाए, यहां हिन्दू राष्ट्र बने, यहां मुसलमान राष्ट्र बने। यह कितनी खतरनाक चीज है। पंजाब से आज खालिस्तान की आवाज उठ रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से पृथकवादिता की आवाज उठ रही है, इस पर गृह मन्त्री जी और भारत सरकार नहीं सोचते हैं।

देश में धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हिन्दुस्तान में जो इतिहास लिखे गये उनमें हिन्दुस्तान के इतिहास की सही व्याख्या नहीं दी गई। उनमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि हिन्दुस्तान पर मुसलमान आक्रमण करने आये और हम पर आक्रमण किया गया, वे आक्रामक थे, एक तरह से सही बातों को गलत ढंग से पेश किया जाता है, जिसकी वजह से हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव की भावना पैदा होती है, जिसके चलते उनके अन्दर एकता की भावना लाने में कठिनाई होती है। आपको स्मरण होगा कि जनता पार्टी के जमाने में इन किताबों पर बैन लगा दिया गया था, अब कांग्रेस के शासन में आपने उनमें कोई सुधार किया है या नहीं, उस दिशा में कौन-सी कार्यवाही करने जा रहे हैं—हमें मालूम नहीं है। पाठ्य पुस्कतें ऐसी हों, जिनके जरिये से बच्चों के मन में बचपन से ऐसे ख्यालात पैदा किये जाएं कि भारत में सब एक हैं और उनमें हिन्दू-मुसलमान और दूसरे धर्मों के मानने वालों के बीच में सद्भाव की बातें हों। इस दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ समय पहले पूर्वी जर्मनी गया था। वहां पर ने पूर्वी जर्मनी के बच्चों से प्रश्न किया तो उनसे पता चला कि उनके मन में हिटलर के प्रति नफरत की भावना थी। 12 वर्ष के बच्चों को जब ट्रेनिंग दी गई, तो उन बच्चों के दिमाग में यह बात आ गई कि हिटलर ने जर्मन राष्ट्र का उत्थान नहीं किया बल्कि राष्ट्र को गिरा देने की बात की और उसने विश्व शान्ति को खतरे में डाल दिया था। क्या आप भी इस तरह का कोई कदम उठा रहे हैं।

जहां तक अन्तरजातीय विवाहों का प्रश्न है, हमारी पार्टी की यह राय है कि यह कोई बुरी चीज नहीं है और इसको प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन सिर्फ इससे ही समस्या हल होने वाली नहीं है। यह समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम है और हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यह मैं जानता हूं कि इससे समस्या हल होने वाली नहीं है लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

आपके यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है और जिस देश में हरिजनों पर अत्याचार होता हो, महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाएं रोज बढ़ती जाती हों, जहां रायट्स हो रहे हों और यहां दिल्ली में रायट्स हो रहे हैं, वहां कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं। मन्त्री जी, आप छाती पर हाथ रख कर पूछिये कि क्या इस ढंग से काम हो सकता है। जहां हरिजनों की हत्याएं होती हों, उन पर हजारों की संख्या में अत्याचार होते हो, जहां मुसलमानों का कत्लेआम होता हो, उनके नागरिक अधिकारों पर हमले होते हों, जहां यह नारा दीवारों पर लिखा हो, 'वन्देमातरम गाना होगा, नहीं तो भारत से जाना हो।।', वहां कैसे आपसी सद्भाव रह सकता है। हमने घूम-घूमकर लोगों को समझाया कि इस चीज से डरना नहीं चाहिए और यह कहा कि एक-एक कम्युनिस्ट मर जाएगा लेकिन हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपनी जान की बाजी लगाकर हिफाजत करेगा। क्या आप इस तरह की भावना को प्रसारित कर रहे हैं।

आपकी राष्ट्रीय इन्टेग्रेशन कौंसिल बनी हुई है। उसमें कुछ फैसले लिये गये लेकिन वे फैसले सब खटाई में पड़े हैं। क्या उन पर अमल किया गया है? उन पर अमल करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हमें इस मामले में समाजवादी देशों से शिक्षा लेनी चाहिए। उन देशों में जहां भी समाजवाद का झंडा बुलन्द है, जहां समाजवाद फलता-फूलता है, वहां मुसलमान भी हैं

और दूसरी जातियों के लोग भी हैं लेकिन क्या कभी उनमें आपस में झगड़े हुए हैं, रायट्स हुए हैं। मेरा कहना यह है कि जिन शक्तियो का हाथ इन रायट्स में होता है, उनको कुचलने की दिशा में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

मेरा कहना यह भी है कि सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसी भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में आर० एस० एस० की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और इस चीज को रोकने में आप नाकामयाब हो रहे हैं। यह चीज खतरे के बिन्दु पर पहुंच गई है और सरकार को इसको संभालना चाहिए। जब ये लोग सरकार में थे, तो उन्होंने सरकारी कार्यालयों में अपने लोगों का प्रवेश करा दिया और उन्होंने प्रवेश करने के बाद प्रभाव डाला है, जो प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। मैं जानता हूं कि जब रायट्स होते हैं, तो हिन्दू पुलिस हिन्दुओं की मदद करती है। जब सरकारी तन्त्र में ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हिन्दुस्तान की एकता कायम रहेगी, वह कायम नहीं रहने वाली है। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूंजीवादी नीति आप चलाते हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि हिन्दू-मुस्लिम रायट्स हों, उनमें आपस में झगड़े हों। जब बैंकवर्ड और फारवर्ड के अन्दर झगड़े होते रहेंगे, जब ब्राह्मण और राजपूतों में झगड़े होते रहेंगे और जब राजपूतों और जाटवों में झगड़े चलते रहेंगे, तभी आपका उल्लू सीधा होता है क्योंकि वोट लेने के समय आप इन भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिये गद्दी पर आते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर आप इसको बढ़ावा कैसे नहीं देंगे। आपके लिए यह जरूरी है कि पूंजीवादी व्यवस्था रहे, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न समुदायों में फूट डाली जाती रहे और मजदूर वर्गों की एकता कायम न हो। जब मजदूरों की एकता कायम हो जाएगी, तो ये तमाम चीजें नहीं हो सकतीं। जहां पर यह एकता कायम है, वहां पर ऐसे तत्वों और भावनाओं को जगह नहीं मिलती और वहां पर ऐसे रायट्स कम होते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पर क्या कभी रायट्स हुए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वहां पर भी हुए हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : बहुत कम हुए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसे-ऐसे रायट्स हुए हैं, जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। वहां पर ऐसे रायट्स हुए हैं कि मुसलमानों को बंगला-देश में जाकर पनाह लेनी पड़ी और यह मार्कसिस्टों की गवर्नमेंट के जमाने में हुआ है। ऐसे रायट्स मगरबी बंगाल में हुए हैं वेस्ट बंगाल में हुए हैं।

आप तथ्यों को छिपाते क्यों है ? चुनौती को स्वीकार करें।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप मेरी बात सुनिये। आप कहियेगा, जब आपका मौका आएगा। इस वक्त मुझे कहने दीजिए। मेरा कहना यह है कि जहां पर वर्ग-विभिन्नता नहीं है और

जहां समाजवाद की भावना पैदा होती है, वहां पर ऐसी घटनाएं कम होती हैं। वहां हिन्दू-मुस्लिम का भेद कम होता है। इसलिए हम जानते हैं कि कितनी ही कोशिश कीजिए, संकल्प ले लिया जाए, प्रस्ताव पास कर दिया जाए, इनसे केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, कोई और काम नहीं हो सकता।

आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम वामपंथी ताकतें जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, समाजवाद में विश्वास रखती हैं, उनको एकजुट होना चाहिए और देश में पैदा हुए भयंकर खतरे का मुकाबला करना चाहिए। हमें अल्पमत के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए। यह काम नहीं हो रहा है। यह काम तभी होगा जब भेद-भाव भुलाकर, एक होकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सवाल को सामने रखकर चला जाए। अगर देश में धर्म निरपेक्षता नहीं रहती, राष्ट्रीय एकता नहीं रहती तो हिन्दुस्तान टुकड़ों में बंटने से नहीं बच सकता। यह सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संकल्प कुछ भी ले लिया जाए, प्रस्ताव पास कर लिया जाए, लेकिन जब तक सरकारी अधिकारीगण, सरकार की नीति इस तरह की नहीं होगी तब तक ऐसी ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज इस बात की जरूरत है।

एक बात और कहना चाहता हूं। "राष्ट्रीय एकता परिषद" में एक प्रस्ताव पास हुआ था, रायट्स का दमन करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए, जिसमें हिन्दू-मुसलमान और तमाम जातियों के लोग अपने-अपने धर्म और जाति के भेदभाव छोड़कर जाएंगे और इन खतरों का मुकाबला किया जाएगा। इसको लागू करने की दिशा में माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कब तक लागू करेंगे ?

अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि आप संकल्प पास करिए, कोई भी प्रस्ताव पास करिए, लेकिन जब तक देश के शासक वर्ग की नीति पूंजीवादी रहेगी, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। वर्गहीन समाज में, समाजवादी समाज में ये चीजें नहीं पनप सकती हैं, लेकिन जब पनप रही हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए तमाम लोगों को एक हो जाना चाहिए, जो लोग धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनके अन्दर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, लेकिन समझता हूं कि संकल्प मात्र से कुछ होने वाला नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : आरम्भ में मैं उन माननीय सदस्यों और विशेष रूप से इस संकल्प की प्रस्तावक श्रीमती चेन्नुपति विद्या का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। संकल्प में किए गए कुछ प्रस्तावों में उनकी गहरी आस्था के बारे में मैं निजी तौर पर जानता हूं और निसन्देह रूप से वह उनकी तेजी से कार्यान्विति चाहती हैं। अन्य सदस्य जिन्होंने हिस्सा लिया, वे हैं श्री जयपाल सिंह कश्यप, श्री हरीश रावत, श्री बुद्धि चन्द्र जैन, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री चन्द्रपाल शैलानी, श्री जी० एम० बनातवाला, प्रो० एन० जी० रंगा, वह यहां पर नहीं हैं किन्तु मैंने उनकी सारी बातों को नोट कर लिया है, श्री

बापूसाहिब परुलेकर जो यहां उपस्थित हैं, श्रीमती कृष्णा शाही, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, जो यहां नही हैं, श्री ना ...खाल, श्री जगपाल सिंह, श्री अर्जुनन, श्री एस० बी० सिदनाल, श्री चित्त बसु, प्रो० नारायण चन्द पराशर और अन्त में मेरे मित्र श्री मधुकर। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा दिए गये सुझाव, देश में धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये वातावरण तैयार करने मे उनकी उत्सुकता को ही दर्शाते हैं ? सदस्यों ने इसके लिये अपने सुझाव दिये हैं।

इसीलिए मैं इस महत्वपूर्ण विषय में आपके द्वारा दिये गये योगदान का स्वागत करता हूं। इस संकल्प के पीछे देश में धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने तथा इसके लिए उचित वातावरण तैयार करने की जो भावना है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सामान्य प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का आधार समान नागरिकता, विविधता में एकता, धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षता, समानता, न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सभी समुदायों में बन्धुत्व की भावना रहा है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है।

श्री निहार रंजन लास्कर : वास्तव में हमारे संविधान में हमारी इन मूल धारणाओं की गारंटी के लिए विशेष उपबन्ध किये गये हैं। आपने ठीक ही कहा है; हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार शुरू होती है :

> "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए···दृढ़ संकल्प होकर··· ।"

यह व्यवस्था केवल प्रस्तावना में नहीं है। यदि आप थोड़ा और आगे देखें तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करने की व्यवस्था है।

फिर जिस महत्वपूर्ण बात का उल्लेख प्रत्येक माननीय सदस्य ने किया है वह है अस्पृश्यता। हमारे देश में यह बहुत ही बुरी प्रथा है जो अभी चल रही है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है। हमारे भूतपूर्व तथा वर्तमान नेताओं द्वारा हमारे समाज से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए किये गए अथक प्रयासों के बावजूद यह प्रथा परम्परा के रूप में चली आ रही है। हमारे सभी प्रयत्नों के बावजूद हमारे देश के कई भागों में अभी तक यह कुप्रथा चल रही है। इसे यथा शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के अधीन इसे समाप्त कर दिया गया है।

अतः, श्रीमान्, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में, विशेषकर शैक्षिक और रोजगार की सुविधाओं के बारे में हमारे संविधान में विशेष उपबन्ध किये गए हैं। मैं अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनमें यह उपबन्धित है कि राज्य हमारे देश के इन पिछड़े लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। यह उपबन्ध संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय के बावजूद रखा गया है, ताकि इन लोगों को विशेष प्रास्थिति तथा विशेष

अधिकार दिये जा सकें। अत: संविधान के विभिन्न उपबन्धों में जाति भेद को समाप्त करने के लिए व्यास्था की गई है।

यही नहीं, हमारी सरकार ने भी समाज में व्याप्त जाति भेद को समाप्त करने के लिए कई उपाय किये हैं। उदाहरण के लिए, 1951 की जनगणना में ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां या किन्हीं कानूनी बध्यताओं को पूरा करने के लिए यदि प्रशासनिक दृष्टि से कहीं आवश्यक हुई तो किसी जाति के बारे में की गई प्रविष्टियों को छोड़कर जाति के बारे में और कोई प्रविष्टियां नहीं की गई थीं। अत: वहां पर भी हमने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जाति सम्बन्धी प्रविष्टियां न की जाएं···

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन, श्री लास्कर, नाम के साथ जाति नाम भी आता है।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : उदाहरण के लिए, हमारे क्षेत्र में मान लीजिए मैं 'लक्ष्मणन' लिखता हूं लेकिन वे 'लक्ष्मणन नायडू' लिखते हैं। उनकी जाति नाम के साथ आ जाती है। विधेयक में आप कह सकते हैं कि जाति का नाम न रखा जाए।

श्री निहार रंजन लास्कर : श्रीमान्, अध्यक्ष-पीठ से दिया गया यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे रही है और जैसा मैंने कहा है 1951 में ही हमने सुझाव दिया था···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान, क्या यह अध्यक्ष-पीठ का निदेश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह निदेश नहीं है। यह सरकार के विचारार्थ एक सुझाव है।

श्री निहार रंजन लास्कर : श्रीमान्, इसके अतिरिक्त एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार पंजीकरण दस्तावेज सम्बद्ध व्यक्ति की जाति का उल्लेख किये बिना तैयार किये जाएंग।

अत: श्रीमान्, हम कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं जिससे समाज में विद्यमान जाति-भेद समाप्त हो जाए।

श्रीमान्, मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि हम जातियों तथा उप-जातियों के उल्लेख के प्रश्न की पहले ही जांच कर चुके हैं। राज्यों या इसकी सेवाओं से सम्बद्ध सभी मामलों में हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि जेलों, पुलिस शिक्षा, सेना और अन्य विभागों के विभिन्न प्रपत्रों तथा रजिस्टरों में और न्यायिक कार्यवाहियों में दिये जाने वाले जाति या उपजाति के हवाले को, जहां कहीं यह अत्यन्त आवश्यक हो उसे छोड़कर, समाप्त किया जा सकता है। हमने विभिन्न राज्य सरकारों को जो सलाह दी है उसी के अनुसार प्रपत्रों में परिवर्तन करने के लिए उनसे कहा है। हमने उन्हें यह भी सुझाव दिया है कि इस प्रयोजन के लिए जनगणना-प्रश्नावली को नमूने के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण-प्रपत्र में जाति का भी एक कालम है ।

श्री निहार रजन लास्कर : यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक है ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू (नागरकुरनूल) : केन्द्र द्वारा दिये गये निदेश राज्य सरकारों द्वारा ठीक से कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री निहार रंजन लास्कर : आगे मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1951 को विधान का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए पारित किया गया था । इस अधिनियम के अधीन अस्पृश्यता से सम्बद्ध कई प्रयोजनों के लिए अनुदान भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्तर, भूमि सुधार, ऋण ग्रस्तता, भूमि-हस्तांतरण, आय में असमानता को कम करने, समान अवसर देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने आदि से सम्बन्धित विधायी तथा कार्यकारी उपाय किये गए हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण, सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है । इसके अलावा विकास-आयोजन के प्रति हमारा मूल दृष्टिकोण एक ऐसा समाजवादी ढांचा विकसित करना है जिससे जातिहीन और वर्गहीन समाज का निर्माण किया जा सके ।

श्रीमान, इस संकल्प में देश में धर्म-निरपेक्षता का बढ़ावा देने का सुझाव है । सरकार ने इस ओर विशेष रूप से कदम उठाया है । समुदायों के बीच बन्धुत्व तथा धर्म-निरपेक्षता की छवि को मुखरित करने की दृष्टि से सरकार अंतर्समुदाय, अन्तर्जातीय और अन्तर्धर्म विवाहों को प्रोत्साहन देती है । कुछ राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में विशेष प्रोत्साहन देती हैं । समान नागरिकता हमारे राष्ट्रीय जीवन का अनिवार्य अंग है । शिक्षा में अपनाये जाने वाले त्रिभाषा सूत्र से अन्तर्क्षेत्रीय साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा मिलता है और यह राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाता है ।

जहां तक साम्प्रदायिक और जातीय सामंजस्य का सम्बन्ध है हम राज्यों के दलों के साथ बैठकें आयोजित करके इन पहलुओं पर निरन्तर ध्यान रखते हैं । शांति तथा स्थिरता को भंग करने वाली सभी बातों पर तुरन्त तथा सख्त कार्रवाई करने की दृष्टि से हम समय-समय पर उनका ध्यान कानून के विभिन्न उपबन्धों की ओर भी आकृष्ट करते हैं ।

जहां तक संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्यों पर बल देकर धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की शिक्षा सम्बन्धी समिति ने 3 अप्रैल और 21 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर गहराई से विचार किया था । हाल ही में हमने इस समस्या पर विचार किया है । पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने का काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंपा गया है ।

अब तक, 21 राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और 4 संघ-राज्य क्षेत्रों ने यह कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उन एजेंसियों का निर्धारण किया है जो पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करेंगी ।

तीन और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में हमारे पास सूचना उपलब्ध है। चण्डीगढ़, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में पड़ौसी राज्यों या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें इस्तेमाल की जा रही हैं।

श्रीमान्, कार्य का पहला चरण इतिहास तथा भाषा की पुस्तकों से सम्बद्ध है। जहां तक इतिहास तथा भाषाओं की पुस्तकों का सम्बन्ध है, ये तैयार हो जाएंगी और 1983-84 के आगामी सत्र से इस्तेमाल की जाने लगेंगी और ये संशोधित रूप में होंगी। संशोधित रूप में पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जाएंगे। हम यथासंभव शीघ्र यह कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमान् हमारा विचार यह भी है कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना भी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक होना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए शिक्षा जगत में नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नैतिक। आध्यात्मिक मूल्यों से संबद्ध शिक्षण। पठन सामग्री तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीयता, मिश्रित संस्कृति, अपनी परम्पराओं पर गर्व करना, आदि जैसे मूल्यों पर विशेष बल देने का प्रस्ताव है। वातावरण पर आधारित शिक्षा का महत्व महसूस किये जाने पर अब प्रकृति तथा प्राकृतिक स्रोतों के साथ समन्वय स्थापित करके रहने के दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान, एक और बात यह है कि पाठ्य-पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसके बारे में भी सरकार ने कट कदम उठाये हैं। सस्ते दामों पर पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकतर राज्यों ने अंशत: या पूर्णत: अपनी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और उनके मूल्यों की प्रवृत्ति पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए सामान्य अनुदेश जारी कर दिये हैं। पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों को कम रखने के लिए भारत सरकार सरकारी तथा निजी क्षेत्र को रियायती दरों पर छपाई का कागज दे रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित पुस्तकों के मूल्यों में सामान्यत: कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का भी यही अनुभव है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पुस्तक-बैंकों को भी रियायती दरों पर पुस्तकें देती हैं।

सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाये हैं। यह केवल विश्वविद्यालय-पाठ्यक्रमों के लिए है। सरकार राज्य सरकारों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए सहायता देती है। यही नहीं। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद तथा 'शिक्षा' और साम्प्रदायिक तथा जाति सम्बन्धी सामंजस्य संबंधी इसकी समितियां धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीयता के आधार पर शिक्षा देने के बारे में जनमत तैयार करने के लिए, जातिवाद मतभेदों की बुराइयों को दूर करने के लिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच उपलब्ध कराती हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दे ये हैं। भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर संकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिये। ज्ञातव्य है कि संकल्प में परिकल्पित उपाय एवं कुछ माननीय सदस्यों के सुझावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्यकरण हेतु धर्म निरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सरकार न केवल जाति प्रथा की बुराइयों के विषय में विचार कर रही है बल्कि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम इस प्रथा के दुष्प्रभावों को इस प्रकार से कम करने के उद्देश्य से तैयार किये गये हैं कि समाज में बिना किसी गहरे मतभेद के दलित वर्गों के दुखों को कम किया जा सके। वास्तव में लोगों के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। और इस कार्य में सभी दलों को और जनता को, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय से सम्बद्ध हों, एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए कार्य करना चाहिये जिसमें जाति प्रथा का अस्तित्व ही न हो।

अतः मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाली अपनी मित्र श्रीमती चेन्नुपति से अनुरोध करूंगा कि वे इस संकल्प को वापस ले लें। मैं एक-बार फिर माननीय सदस्यों का देश में धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के विषय में उनके महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि फार्म्ज में, आवेदनपत्रों में, जाति का कालम नहीं होगा और इसलिए उनमें जाति और उपजाति नहीं लिखी जाएगी। यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन इस देश में परम्परा है कि लोग नाम के साथ जाति जोड़ लेते हैं। कालम में जाति लिखी हो या न लिखी हो, लेकिन जाति-सूचक सरनेम से मालूम हो जाता है कि यह अमुक जाति का व्यक्ति है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है या उठायेगी जिससे इस देश में जाति-सूचक शब्द को नाम से हटा दिया जाए, ताकि इस समस्या का समाधान आसानी से हो सके।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह सुझाव विचारणीय है। परन्तु हम किसी को अपने नाम के बाद जाति का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं करते।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं इस संकल्प पर हुई चर्चा में सक्रिय और बहुत अधिक रुचि लेने के लिए सदन के सदस्यों, माननीय गृह मंत्री और आपका धन्यवाद करती हूं। धर्म निरपेक्षता के बारे में एकमत से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देश का भविष्य क्या है।

चर्चा के दौरान, अनेक सदस्यों ने धर्मनिरपेक्षता के सम्बन्ध में देश के वचन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उनके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उनकी आभारी हूं।

8 श्रावण, 1904 (शक)

देश के धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

भारत जैसे विशाल देश में, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, अनेक मामलों पर विभिन्न मत रखना स्वाभाविक ही है।

तथापि, एक बात स्पष्ट है। विभिन्न पक्षों के दबाव के बावजूद, भारत निरन्तर प्रगति कर रहा है क्योंकि यह एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। जैसा कि प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में सही कहा था :

> "भारत जैसे देश में, जहां अनेक धर्म हैं और जिसमें पीढ़ियों से भारी संख्या में निष्ठावान अनुयायी शामिल हैं, आधुनिक युग में धर्म निरपेक्षता के आधार को अपनाये बिना सरकार नहीं चल सकती।"

इस प्रकार राष्ट्रीय एकता, स्थिरता एवं प्रगति धर्म निरपेक्षता के विस्तार से जुड़े हैं।

समाज में मौलिकता एवं धर्मान्धता बढ़ रही है। भारत में हम अपनी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक परम्परा को बचा पाये हैं। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। तथापि शाश्वत सतर्कता स्वतन्त्रता का मूल्य है। धर्म निरपेक्षता के बारे में भी यही बात सच है। प्रत्येक पीढ़ी को इस धर्म निरपेक्षता की परम्परा को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिये।

उन्नीसवीं शताब्दी समाज सुधार की शताब्दी थी और बीसवीं शताब्दी धर्म निरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शताब्दी है। सरकार ने समाज सुधार को आवश्यक प्रोत्साहन एव कानूनी सहायता दी है। सरकार द्वारा सती प्रथा, शिशुहत्या, बाल विवाह को समाप्त करने तथा विधवा विवाह और एक विवाह प्रथा को बढ़ावा देने के कार्य का समर्थन किया गया। यहां तक कि अस्पृश्यता एवं दहेज उन्मूलन अभियानों को कानून द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। वे जनमत को और सुदृढ़ करने में सहायक हैं।

जैसे कि आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, हमें जाति, धर्म की धारणाओं को छोड़कर धर्म निरपेक्षता की ओर निरन्तर कदम बढ़ाना चाहिये। समस्त विश्व धर्म निरपेक्ष समाज की ओर बढ़ रहा है। भारत इस मामले में पीछे नहीं रह सकता। धर्म निरपेक्षता ही धर्मोत्तर समाज के आगामी युग का दर्शन एवं जीवन है। हमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान एवं सुअवसर देने होंगे चाहे वे किसी धर्म से सम्बद्ध है या उनकी किसी भी धर्म में आस्था न हो। नैतिकता एवं सामाजिक अनुशासन निजी धर्म या किसी भी धर्म आस्था न रखने से अलग है। वे धर्म निरपेक्ष हैं। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बयालीसवें संशोधन द्वारा धम निरपेक्षता की ओर एक साहसी एवं निर्णयात्मक कदम उठाया है।

पुराने मूल्यों को समाप्त करके नए मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए। अन्तर-जातीय एवं अन्तरधर्म विवाह आने वाले युग की आवश्यकता है। इनसे सामाजिक समानता, मानवीय प्रतिष्ठा एवं भाई चारे के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस महान कार्य में, सरकार और सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकारी कर्मचारी जब धर्म निरपेक्षता का दृष्टिकोण अपनाएंगे तभी धर्म निरपेक्षता विषयक कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना सम्भव हो सकेगा। इसके लिए भारी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

महोदय, शिक्षा प्रणाली का धर्म निरपेक्षता के आधार पर अनुप्राणित करके युवा पीढ़ी के दिमाग में नए मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं।

आज भी अनेक व्यक्तियों के नामों से उनकी जाति और धर्म का पता चल जाता है। अतः सरकार को जाति एवं धार्मिक नाम हटाने के लिए नियमों को उदार बनाना चाहिए। इससे धर्म निरपेक्षता का बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, इस देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का सुनिश्चित तरीका है अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा देना। विवाह अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक होने मात्र के ही असफल नहीं होते। कभी-कभी उसी जाति में हुए विवाह भी असफल हो जाते हैं। वास्तव में विशेष जिम्मेदारी आ जाने पर अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह अधिक सुरक्षित हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज का अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रयास में, अर्न्तजातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए एक समान सिविल संहिता का होना नितान्त आवश्यक है। सरकार को संविधान के निर्देशक सिद्धांतों मे निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

महीदय, इस देश में लोक तन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के लक्ष्यों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल तभी देश का चहुमुखी विकास होगा। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि धर्म निरपेक्षता राष्ट्र की एकता की आवश्यक पहली शर्त है, और देश का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। अतः शिक्षा के माध्यम से युवा-वर्ग में धर्म-निरपेक्ष मूल्यों का प्रसार नितान्त आवश्यक है।

महोदय, सरकार साम्यवाद, जातिवाद एवं साम्प्रदायवादी दृष्टिकोण के प्रति सजग है। एक बार फिर मैं सरकार से धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने का आग्रह करती हूं।

मैं इस विषय में आश्वासनों के लिए माननीय मन्त्री जी की आभारी हूं। सरकार और जनता के प्रयास से धर्म निरपेक्षता को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब इस संकल्प पर श्री नवज किशोर शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को देखते हुये, मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संकल्प वापस लेने के लिए सभा माननीय सदस्य को अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कदम उठाने के बारे में संकल्प

****श्री बाजूबन रियान** (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प अंग्रेजी में पेश करूंगा और उसके बाद अपना भाषण बंगाली में दूंगा । मेरा संकल्प इस प्रकार है :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए विपुल क्षमता और कच्चा माल उपलब्ध है, उद्योग स्थापित करके और उस क्षेत्र को रेल मार्गों' संचार साधन तथा परिवहन व्यवस्था से जोड़कर उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैं यह आशा करता हूं कि यह सदन इस संकल्प को स्वीकार कर लेगा । भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद् बनाई । उन्होंने यह परिषद् इसलिए बनाई, क्योंकि उन्होंने पाया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक और अन्य लोगों में पिछड़ा हुआ है । मैंने इसलिए यह संकल्प सदन में पेश किया है कि जिस उद्देश्य से पूर्वोत्तर परिषद् की स्थापना की गई थी उसे शीघ्र प्राप्त किया जाय और परिषद् का कार्य सुचारु ढंग से और कुशलता से हो सके । भारत सरकार ने बहुत पहले यह स्वीकार किया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में हर दृष्टि से पिछडे हुए हैं । वहां पर उद्योग प्रायः न के बराबर हैं । संचार साधनों का बहुत अभाव है । जब कभी हम इस सदन में यह मांग उठाते है कि इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ उद्योग लगाने सम्भव हैं, उन्हें लगाया जाय, तो हमें हमेशा तैयार जवाब मिलता है कि इस क्षेत्र में यातायात और संचार के साधन बहुत कम हैं । सही सड़कें नहीं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में तैयार सामान को देश के अन्य स्थानों पर बेचना लाभकर नहीं होगा । इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा सकती । इसके विपरीत जब हम इस क्षेत्र के विकास के लिए रेल लाइनों और सड़कों का जाल बिछाने की मांग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं है इसलिए यहां सड़कें और रेल लाइनें बनाने का क्या फायदा है । इस तरह आज स्थिति यह है कि उद्योगों के अभाव में सड़कें नहीं बन रही हैं और सड़कों के अभाव में उद्योग नहीं लग रहे हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता

****बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।**

हूं कि वह उद्योगों और सड़कों के निर्माण में एक के बाद एक बहाने न बनाकर, इन दोनों के विकास पर साथ-साथ कार्य करें। जैसा कि मैंने कहा है इस क्षेत्र में संचार साधनों का बहुत अभाव है, त्रिपुरा में सिर्फ 11 कि० मी० लम्बी रेल लाइन है। यह लाइन चोराईबाई और धर्मानगर के बीच है, और वह भी छोटी लाइन है। क्योंकि 11 कि० मी० लम्बी रेल लाइन है, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि त्रिपुरा में कोई रेल लाईन नहीं है। त्रिपुरा के लोगों की मांग है कि रेल लाइन को बढ़ाकर इसके दक्षिणी सीमा, यानि सतभूम शहर तक कर दिया जाय। यह लम्बाई 400 कि० मी० से ज्यादा नहीं है। त्रिपुरा में आज 350 कि० मी० लम्बा राज मार्ग है, लेकिन उसकी भी हालत यह है कि वह भी सारे वर्ष तक यातायात के लिए सही नहीं है, सिर्फ त्रिपुरा में ही यह हालत नहीं है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मनीपुर में कोई रेल लाइन नहीं है, ब्रिटिश राज्य में जो कुछ थोड़ी सी रेल लाइन बिछाई गई थी, अगर केवल उन्हें ही ठीक से रखा जाता तो, आज आजादी के 35 वर्ष बाद कम से कम पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजधानियों को तो रेल से जोड़ा ही जा सकता था। श्रीमन्, लामडिंग और बदरपुर से जो रेल लाइन गुजरती है वह 39 पहाड़ों में से बनाई गई सुरंग में से होकर जाती है। अगर इस तरीके को अपनाया जाता तो सारे क्षेत्र में ही रेल लाइनें बिछाई जा सकती थीं। मैं यह मानता हूं कि इस क्षेत्र में रेल लाइनें बिछाने में देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक खर्च आता है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों के हितों और इस पिछड़े क्षेत्र के आर्थिक विकास को दृष्टि में रखते हुए सरकार को वहां पर नई रेल लाइनों का निर्माण करना चाहिए। पिछले बजट अधिवेशन में संसद में उद्योग मन्त्रालय द्वारा पेश की वार्षिक रिपोर्ट में कई जगह यह कहा गया है कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। 1956 में घोषित की गई सरकार की औद्योगिक नीति और इस सदन में 23 जुलाई, 1980 को घोषित औद्योगिक नीति में सरकार ने यह कहा है कि सभी क्षेत्रों का समान ढंग से औद्योगिक विकास होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन को खत्म किया जायेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि पिछले 35 वर्षों में सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि सरकार उस क्षेत्र में वन सम्पदा पर आधारित उद्योग, जैसे कागज उद्योग स्थापित करने जा रही है। नओगांग में एक कागज मिल चल रही है, वे नागालैण्ड में एक और कागज मिल लगाने की कोशिश करा रहे हैं। उस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। काचार में भी एक कागज का कारखाना खोला जा रहा है। लेकिन इन सबके अलावा, वे अन्य राज्यों में भी वन सम्पदा पर आधारित कागज के कारखाने खोल सकते हैं। त्रिपुरा के लोग बहुत लम्बे समय से उस राज्य में एक कागज का कारखाना स्थापित किये जाने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय से ही उस राज्य की विधान सभा में यह प्रस्ताव पारित होते रहे हैं कि सर्वसम्मति से अपनी मांग को केन्द्रीय सरकार के सामने रखा जाये। जब से त्रिपुरा में साम्यवादी सरकार सत्ता में आई है, इस विषय पर विधान सभा के हर अधिवेशन में सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किये जाते रहे हैं। इन मांगों और उन प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाता रहा है। वे हमेशा ही इस मांग को मानने की बात कहते हैं। लेकिन वे इस दिशा में कोई सही कदम नहीं उठा रहे हैं। यही इसकी खूबी है। केन्द्र कभी भी 'न' नहीं कहता। लेकिन साथ ही इस पर कार्यवाही भी नहीं करता। यदि त्रिपुरा में कागज मिल स्थापित कर दी जाती है तो इससे

अनेक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार के इस क्षेत्र में कुछ एक उत्साहवर्धक परियोजनाएं शुरू की हैं। मोककयुंग जिले में नागालैण्ड कागज परियोजना से हर वर्ष 100,000 टन कागज तैयार होगा। इस पर करीब 230 करोड़ रु० की लागत आयेगी और 18,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह अन्य कागज परियोजनाओं में कम से कम 15,000 से 20,000 तक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे काबिल बेरोजगार लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के अलावा, रोजगार के अन्य कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

भारत के दूसरे राज्यों में इस्पात के उद्योग हैं, दूसरे प्रकार के उद्योग हैं, भारी उद्योग हैं और लघुस्तरीय उद्योग भी हैं। यहां पर कुछ नहीं है, महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। रबड़ के टायर ट्यूब और रबड़ की अन्य विभिन्न वस्तुओं का यहां पर उत्पादन किया जा सकता है जिनके लिए देश में तथा विदेशों में भी काफी मांग हैं। हम उनका निर्यात करके काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। यह पता चला है कि त्रिपुरा में पैदा होने वाली रबड़ किसी भी दृष्टिकोण से केरल जैसे अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाली रबड़ से घटिया नहीं है। कभी कभी यह उससे बढ़िया होती है। विशेषज्ञों के अनुसार त्रिपुरा की रबड़ बहुत ही अच्छी श्रेणी की है और त्रिपुरा की मिट्टी रबड़ की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। त्रिपुरा में रबड़ बागान लगाये जा रहे हैं। किसानों ने रबड़ की खेती शुरू कर दी है। परन्तु जब हमने त्रिपुरा में रबड़ उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया तो केन्द्र ने धन देने से मना कर दिया। कुछ समय पहले त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री नई दिल्ली आये थे। वे त्रिपुरा में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता हेतु वित्त मन्त्री से मिले परन्तु वित्त मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में 'नहीं' कह दिया। उन्होंने कोई भी आर्थिक सहायता देने से इन्कार कर दिया। अत: भारी सम्भावनायें होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में रबड़ के उद्योग स्थापित नहीं किये जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों में वनों की बहुतायत है और यहां के लोगों का पोषण करने के लिए रबड़ की खेती करना और रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना दोनों बहुत आवश्यक हैं। इससे समूचे देश के विकास में तथा कीमती विदेशी मुद्रा कमाने में भी काफी योगदान मिलेगा। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण कार्मिकों को जो सर्वेक्षण कर रहे हैं इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बहुत से राज्यों में बाक्साईट, प्राईराइट और तांबे के बहुत आर्थिक निक्षेप मिले हैं। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लोहिया जिले में बहुत अधिक खनिज निक्षेप पाये गये हैं इससे सिद्ध होता है कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज सम्पदा की बहुतायत है। अब प्रश्न यह है कि उनका सदुपयोग कौन करेगा। यदि सरकार इसको निकालने के लिए आगे आती है तो इससे न केवल इस क्षेत्र की उन्नति में सहायता मिलेगी बल्कि समूचा देश लाभान्वित होगा।

महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग भी सर्वेक्षण कर रहा है। उन्होंने त्रिपुरा में बहुत से स्थानों पर कुएं खोदे हैं और पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस मिली है। त्रिपुरा में बारामुरा में उन्हें काफी मात्रा में गैस मिली है और उनके मतानुसार वहां पर तेल मिलने की

भी सम्भावना है । त्रिपुरा में रूखिपा नामक स्थान पर रूसी विशेषज्ञों का एक दल तेल की खोज कर रहा है । उन्होंने भी कहा है कि वहां पर तेल मिल सकता है । आपने कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ी होगी और इस सभा में पेट्रोलियम मन्त्री ने भी कहा था कि बारानूरा में काफी मात्रा में गैस के निक्षेप पाये गये हैं और वहां पर तेल के मिलने की भी सम्भावनायें हैं । अब प्रश्न यह है कि इस गैस का उचित रूप से खनन किया जाना चाहिए और सदुपयोग किया जाना चाहिए । हम त्रिपुरा के लोगों की ओर से केन्द्र के सामने यह मांग प्रस्तुत करते है कि यहां पर गैस पर आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए हमने चालू वर्ष में बारामुरा में गैस-आधारित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र से 5 करोड़ रुपये मांगे हैं । महोदय उस क्षेत्र में लघुस्तरीय उद्योगों की स्थापना करने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है । एक बार यह परियोजना शुरू हो जाने पर हम त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर गैस बहुतायत में पायी जाती हो, गैस पर आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है । इससे इस क्षेत्र की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी । फिलहाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ भी थोड़ी बहुत ऊर्जा उपलब्ध है वह हमें छोटी जलीय परियाजनाओं से मिलती है । त्रिपुरा में डुम्बल जलीय परियोजना जैसी कुछ छोटी परियोजनायें केवल 5 से 8 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की ही क्षमता रखती हैं । मणिपुर में लुक्टा परियोजना, मेघालय में ओमिया परियोजना कुछ बिजली की पूर्ति करती है । परन्तु वर्तमान में भी यह इस क्षेत्र की मांग से कम है । अब यदि उद्योगों की स्थापना की जाये तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी । वर्तमान में उपलब्ध ऊर्जा से उद्योग सम्भव नहीं है ।

महोदय, पूर्वोत्तर परिषद की सरकार से की गयी सिफारिश के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक विद्युत निगम की स्थापना की गयी है । पूर्वोत्तर ऊर्जा तथा विद्युत निगम वहां पर कार्य कर रहा है जिसका मुख्यालय शिलांग में है । उसकी गतिविधियां इस क्षेत्र के बहुत से राज्यों में फैली है । उन्होंने उत्तरी कच्छार और खासी और जैन्तिमा पहाड़ियों की सीमा पर एक 'कोपिली' नामक परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है परन्तु इस पूर्वोत्तर ऊर्जा एवं विद्युत निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं । भ्रष्टाचार की ये शिकायतें बार-बार कई केन्द्रीय मन्त्रियों के सामने विशेष रूप से प्रधान मन्त्री और ऊर्जा मन्त्री के सामने रखी जा चुकी है । निगम के अनुसूचित जनजाति कर्मचारी सघ ने शिकायतों की एक सूची भी भेजी है परन्तु मुझे कहते हुए दुःख होता है कि निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अभी तक इन शिकायतों का कोई उपचार नहीं किया गया । नियुक्तियों के मामले में तथा उन अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुनर्वास के मामले में जो 'कोपिली' परियोजना के निर्माण की वजह से उजाड़े गये थे, बड़े भ्रष्ट कार्य हुए हैं । निगम इन विस्थापित लोगों को उपयुक्त रोजगार देने के कार्य में भी लगे हुए हैं । ये सभी शिकायतें केन्द्रीय मन्त्रियों को भेज दी गयी हैं परन्तु हमें उनके दूर किये जाने के कोई लक्षण नजर नहीं आते ।

इस क्षेत्र में बहुत प्रकार के उद्योगों विशेश रूप से लघु उद्योगों की स्थापना किये जाने की सम्भावनाएं है । महोदय, लघु उद्योग विकास संगठन ने 1980-81 की अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों की सूची दी है जिनकी स्थापना की जा चुकी है और जिनको देश भर में

स्थापित किया जाना सम्भव है। उनमें से कुछ खाद्य-आधारित हैं, कुछ चमड़ा-आधारित, कुछ दूसरे लकड़ी पर आधारित आदि-आदि हैं। उनमें से खाद्य तथा सम्बन्धित उद्योग जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सम्भव हैं वहां पर अभी तक शुरू नहीं किये गये। इस क्षेत्र में निर्जलित सब्जियों, अचार, चटनी, चावल निकालने, डबल रोटी आदि जैसे लघु उद्योग स्थापित करना सम्भव है। उसी प्रकार से यहां पर साईकिल टायर, ट्यूब, शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित वस्तुओं जैसे कुछ रबड़ पर आधारित उद्योग आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं।

अतः यदि पूरी जांच की जाए तो यह पता चलेगा कि इस प्रदेश में बहुत से उद्योग लगाये जाना सम्भव है। सरकार का कम पूंजी लगाकर छोटे उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस दल को पूर्वोत्तर प्रदेश की व्यापक जांच करने का काम सौंपा जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि उन्हें वह अत्यधिक संभावनाएं महसूस करेंगे। उन्हें सम्पूर्ण पूर्वोत्तर प्रदेश में विशेषकर कृषि पर आधारित, वनों पर आधारित, खनिजों पर आधारित और रबड़ पर आधारित छोटे उद्योग स्थापित करने का अध्ययन करना चाहिए। इससे इस पिछड़े प्रदेश के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

महोदय अब मैं सदन का ध्यान अन्य गंभीर मामले की ओर आकर्षित करूंगा। यह मानी हुई बात है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र है। इसके परिणामस्वरूप, इस प्रदेश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग यह महसूस करने लगे हैं कि यदि वे स्वयं केन्द्र से अलग हो जाएं तो सभवतः उनकी रक्षा हो सकेगी। वे महसूस करते हैं कि केन्द्र उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए, मिजोरम की मिजो नेशनल पार्टी स्वतंत्र राज्य की मांग कर रही है। नागालैंड भी स्वतंत्र नागालैंड की मांग कर रहा है। इस तरह से विभिन्न जनजातियों के संगठन केंद से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात सोच रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र ने इस प्रदेश के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

हमारे देश के अन्य प्रदेशों के विकास के समान ही यदि इस प्रदेश का भी विकास किया जाता, यदि यहां भी देश के अन्य भागों के समान उद्योग लगाए जाते, यदि यहां के लोगों को कोई रोजगार मिल जाता और वे कम से कम दो समय की रोटी जुटा पाते, तो इस तरह के सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठता। हम ऐसा इसलिए महसूस करते हैं चूंकि उन्हें उन्नति करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा, अतः प्रतिक्रियावादी लोगों को उन्हें भड़काने का मौका मिल गया है। निश्चय ही, हम इस बात में विश्वास नही करते कि देश के बाकी हिस्से से पृथक होने पर उन्हें कोई लाभ होगा और वे औद्योगिक रूप से उन्नति कर पायेंगे। हमारा दल उसमें विश्वास नहीं रखता। हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जो योजनाएं और परियोजनाएं लागू की जा रही हैं उन्हें इस प्रदेश में भी लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि इस देश के अन्य भागों के विकास के समान ही इस प्रदेश का भी विकास किया जाना चाहिए। केवल तब ही इन पृथकवादियों को चुनौती देना संभव होगा जो इन निर्धन और पिछड़ी जनजातियों को भड़का रहे है। दुर्भाग्य से सरकार अभी

भी इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इसके परिणामस्वरूप ही आसाम का आन्दोलन इतना बढ़ गया है। आसाम भी 'विदेशी हटाओ' के रूप में सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रयत्न कर रहा है।

महोदय, पूर्वोत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों से लेकर सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति आसाम के रास्ते करनी होती है क्योंकि केवल यह राज्य ही उस प्रदेश से रेलों से जुड़ा हुआ है। अब यदि आसाम में नाकाबंदी कर दी जाती है तो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को की जाने वाली पूर्ति पूर्णत: कट जाएगी। यदि आप अरुणाचल जाएं तो आपको खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। राशन की सभी दुकानें बन्द पड़ी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णत: बन्द्र हो गई है। मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। यदि आप जांच करायें तो आपको पता चलेगा कि वहां कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पूरे वर्ष में एक दिन के लिए भी मिट्टी का तेल नहीं मिलता। वहां स्थिति इतनी विरोधात्मक इसलिए है क्योंकि उसके निकट प्रदेशों में ही तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यह स्थिति केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं है बल्कि नागालैंड और पूरे पूर्वोत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। आसाम में इस विध्वंसक आन्दोलन के कारण ही यह स्थिति हुई है। महोदय, विदेशियों को निकालने के नाम पर, बहुत से गैर-आसामी लोगों को भी, जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, निकाल दिया गया और उन पर अन्य राज्यों में जाने के लिए दबाव डाला गया। यह दावा किया गया है कि वे बंगलादेश पहले, पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से गैर-आसामी लोगों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया गया है जो बंगलादेश से नहीं आए बल्कि उनका जन्म आसाम में ही हुआ था। ऐसे बहुत से लोगों को 'विदेशी' मानकर आसाम से निकाल दिया गया है।

महोदय, मैं अपनी बात इस आशा के साथ समाप्त करूंगा कि सरकार पूरे पूर्वोत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। मुझे यह भी आशा है कि इस सदन के सभी दल मेरे प्रस्ताव को समर्थन देंगे और इसे एकमत से स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने और उसका विकास करने में भी सहायता मिलेगी।

धन्यवाद, महोदय।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत समय से पिछड़ा रहा है। आजादी मिलने के बाद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के निर्माता थे उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया। अंग्रेज के जमाने में इस इलाके की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आजादी प्राप्त होते ही इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया गया और वहां पर समय-समय पर निर्माण कार्य आरम्भ किए गए। असम पहले एक सूबा था। यह ऐसा इलाका है जहां पर कहीं पर तो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर नीचे दर्रे हैं, जमीन समतल नहीं है और वहां उसकी बहुत सी दूसरी समस्यायें हैं। उस इलाके का विकास और निर्माण हो, उसका उद्धार हो, उस इलाके की समस्याओं का समाधान हो, इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने नागालैंड को बनाया, मिजोरम बनाया, अरुणाचल बनाया ताकि छोटे-छोटे सूबे होने से अच्छा प्रशासन चल सके और विकास हो सके।

औद्योगिकीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति ने वहां पर काफी खनिज पदार्थ दिये हैं जिनको यदि निकाला जाए तो जहां देश को सामान मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों का भी विकास होगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, कुछ दिन पहले पढ़ा है कि अरुणाचल में तेल के विशाल भंडार हैं अगर वहां तेल निकालने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए तो वहां का काफी विकास हो सकता है। बर्मा पड़ोसी देश है जहां बहुत तेल पाया जाता है, अरुणाचल बर्मा से लगा हुआ है, असम में भी तेल के भंडार हैं। इसलिए जहां-जहां तेल निकलने की सम्भावना है, जैसे बम्बई हाई से तेल निकालने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, उसी तरह से पूर्वांचल क्षेत्र में भी यदि कार्यवाही होनी रही तो बहुत जल्दी ही हम तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। सरकार को इसी दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

मैंने उस इलाके को देखा है, वहां आवागमन के साधन कम हैं। सड़क आवागमन का मुख्य साधन होता है, अगर इस क्षेत्र के बड़े-बड़े कस्बों तक सड़कें हो जाएं तो अच्छा रहेगा। वहां पर केला, पाइनऐपिल और अन्य फल होते हैं। यदि आवागमन के साधन हो जायें तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और औद्योगिकीकरण भी हो सकता है। रेलों का भी वहां अभाव है। न्यूबोन-गाईगांव के आगे मीटरगंज लाइन है और कई जगह बदलनी पड़ती है। कुछ जगह रेलों का नामो-निशान नहीं है। जस तरह से शिमला और दार्जलिंग आदि पहाड़ी इलाके रेलों से जुड़े हुए हैं उसी तरह से इस क्षेत्र में भी रेलों का जाल बिछाया जाए। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और देश-भक्त हैं, लेकिन साधन न मिलने की वजह से उनका विकास पिछड़ा हुआ है। यह इलाके ऐसे हैं जहां पर्यटन का यदि विकास किया जाए तो काफी आमदनी वहां के लोगों को हो सकती है। वहां देश, विदेश के पर्यटक जा सकते हैं क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और इसको पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाया जा सकता है। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे।

वहां पर बौक्साइट, पायराइट, कोयला, तेल वगैरह पाया जाता है जो दूसरे प्रान्तों में नहीं पाया जाता है। इन खनिज पदार्थों के आने वाले समय में देश के औद्योगीकरण के लिये काफी जरूरत पड़ेगी। वहां पर रबर भी काफी मात्रा में पाया जाता है। जिस तरह से दक्षिण में रबर पैदा होता है, यहां भी और पैदा हो सकती है। इसी तरह से टिम्बर वहां होता है बढ़िया किस्म का जिसको फर्नीचर उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आवागमन के साधन हों, और लोगों को काटेज इंडस्ट्रीज के लेविल पर सहूलियतें दी जाएं, लोगों को कर्ज देकर और विशेषज्ञ भेज करके उनको ट्रेनिंग दी जाय, तो फर्नीचर का काम बहुत अच्छा आसानी से हो सकता है। क्योंकि वहां पर लकड़ी के बहुत जंगल हैं और अच्छे किस्म की लकड़ी वहां पाई जाती है। वह जंगली इलाका है और तरह-तरह के जानवर भी वहां रहते हैं इसलिए चमड़े का उद्योग भी काफी फल-फूल सकता है। आज हमारे देश में चमड़े की कमी है अगर इसका सदुपयोग किया जाये तो खाल की ऐसी चीजें बन सकती हैं जिनका बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकता है और उससे फारेन करेन्सी मिल सकती है।

वहां बांस भी बहुत पाया जाता है। बांस की कलात्मक बहुत सी वस्तुएं और फर्नीचर बनता है। अगर वहां इस तरह के सेंटर खोले जाएं तो काफी फायदा हो सकता है।

आज असम में जो आन्दोलन चल रहा है, वहां के लोगों में जो हीनता और असन्तोष की भावना है, उसके और दूसरे कारण भी होंगे, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात सही है कि असम में पिछड़ेपन के कारण लोगों में असन्तोष और रोष की भावना है। अगर असम के आन्दोलन से सरकार निपटना चाहती है और उसको सही दिशा देना चाहती है तो जो वहां विदेशी नागरिकों की समस्या है, अगर वहां औद्योगिक विकास हो और पिछड़ेपन को दूर किया जाये तो वह समस्या भी काफी हद तक हल हो सकती है। वहां छोटे-छोटे उद्योग खोले जाएं।

असम एक ऐसा इलाका है जिसके चारों तरफ हमारी सरकार को इस वक्त विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वहां के पिछड़ेपन को दूर कर औद्योगिक विकास किया गया तो आज जो मेन-स्ट्रीम से हटकर लोग बात सोच रहे हैं, वह नहीं होगा। वहां ऐसी स्थिति बनेगी कि वे भारत के अंग हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस इलाके की तरफ बहुत गौर से देखना चाहिए और वहां के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस और प्रभावी कार्यवाही सरकार को अमल में लानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री बापूसाहिब परुलेकर अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, योजना मन्त्री को यहां हाजिर रहना चाहिए। आप योजना मंत्री को भी बुलायें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं उन माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखते समय सात पड़ोसी राज्यों की विभिन्न समस्याओं की ओर इस संकल्प के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षण किया।

सभापति महोदय, यह पहली बार नहीं है कि हमने इस मुद्दे पर बहस की है और मेरा ख्याल है कि 1980 से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार तो इस मुद्दे पर बहस हुई ही है। सरकार को काफी अच्छे सुझाव भी दिए गए और उत्तर में हमें बताया गया कि सरकार कार्यवाही करने जा रही है। किन्तु, दुर्भाग्यवश हमें यह पता नहीं चला कि सरकार ने क्या कार्यवाही की और इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वह अब भी इस स्थिति में नहीं हैं कि सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो कम से कम वे यह तो हमें सूचित करें कि वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, चाहे वह छोटा सा ही क्षेत्र है और केवल 4 प्रतिशत जनसंख्या ही वहां रहती है, हमारे देश के लिए विभिन्न पहलुओं से महत्वपूर्ण है। पहला तो सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरे जल-विद्युत उत्पादन, तीसरे खनिज, चौथे तेल तथा पांचवें वन तथा इन्हें गुणित किया जा सकता है।

अपने भाषण के अन्त में माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों के बारे में तथा वहां व्याप्त पृथकतावादी कार्यवाहियों का हवाला दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को उचित सुविधायें देने में सरकार की असफलताओं का हवाला देने से पहले मैं माननीय मन्त्री जी

से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस सदन को तथा सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर यह बतायें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है। हमारे पास वे रिपोर्टें हैं जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ी हैं। किन्तु हमें वह सूचना मिलती ही नहीं जो हमें प्रैस के माध्यम से प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 1979-82 से हम यह पढ़ रहे हैं कि सी० आई० ए० एजेंट बड़ी गम्भीरता से कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र में पृथकतावादियों का समर्थन कर रहे हैं। श्री सरीन, जिन्होंने "इण्डिया'ज नार्थ-ईस्ट इन फ्लेमज" नामक पुस्तक लिखी है, ने (जॉन बी०) नोल्टन की घटना का उल्लेख किया है (सी० आई० ए० के एक अधिकारी जो कलकत्ता में अमरीकी वाणिज्य दूतावास के साथ सम्बद्ध हैं) उसके द्वारा सी० आई० ए० के कलकत्ता स्थित भारतीय एजेंट को लिखे गये गुप्त नोट हमारे आसूचना कार्यालय द्वारा पकड़े गए थे। मैं उनकी पुस्तक से उद्धरण ले रहा हूं :

> "कृपया···को 12.00 बजे कलकत्ता क्लब आयें। मैं नीली कमीज में हूंगा," आदि। वह व्यक्ति निर्धारित समय पर क्लब में आया। एक वरिष्ठ आसूचना अधिकारी, जिसने पत्र को बीच में रोका था, उनके साथ की मेज पर बैठा था और उनका वार्तालाप सुना। और इस सूत्र के आधार पर, एक जांच की गई···"

इससे पता चला है कि नोल्टन ने असम, मेघालय और त्रिपुरा का अक्सर दौरा किया। एक बार उसने भारत में अपने बहुत से मित्रों को लिखा। इस पर क्या हुआ ? लोग हमसे पूछते हैं जब वे यह सब पढ़ते हैं। किन्तु हम, संसद सदस्य, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते और दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते कि वहां क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : क्या उसे पढ़ने का यह समय है ? फिर भी···

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उन्होंने इसका हवाला दिया है। यह एक मुद्दा है। हमें इस पर तकनीकी रुख नहीं अपनाना चाहिए।

मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा 21 मार्च को राज्य सभा में की गई टिप्पणी का हवाला दे रहा हूं :

> "असम आंदोलन और पूर्वोत्तर क्षेत्र अशान्ति के पीछे एक अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी का हाथ है।"

जो शब्द उन्होंने कहे थे और जिन्हें मैं कहने जा रहा हूं अति महत्वपूर्ण हैं और अधिक अर्थपूर्ण हैं :

> "आधुनिक विश्व में, शस्त्रों की सहायता से विजय हासिल नहीं की जा सकती किन्तु पैसे के बल और साहित्य द्वारा तथा प्यार और मुहब्बत तथा एजेन्ट बनाकर विजय प्राप्त की जाती है।"

इन शब्दों का समर्थन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी किया था जब वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में 4 अप्रैल को बोली थीं। श्री सरीन ने ठीक ही कहा है : "पूर्वोत्तर क्षेत्र आग की

लपटों में है।" मैं इस बारे में अधिक संकेत नहीं दूंगा। आपने ठीक ही कहा है कि हमें संकल्प पर ही केन्द्रित रहना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है। मेरा यह सुझाव नहीं है कि हम इसे और महत्व दें किन्तु यदि आप इसकी उपेक्षा करते रहे तो खतरा हो सकता है जैसा कि इस संकल्प को रखने वाले सदस्य ने कहा है। मैं समझता हूं कि हमारी असफलतायें मुख्यतया सैनिक ही नहीं अपितु वे राजनीतिक हैं। वे प्रशासनिक तथा भावनात्मक हैं। मैं महसूस करता हूं कि असफलता का मुख्य कारण अखंडता और परिप्रेक्ष्य का अभाव है। इस सम्बन्ध में, यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत सरकार उचित धनराशि नहीं देती है। यदि हम आंकड़े देखें तो हम पायेंगे कि योजना आयोग धनराशि देने में कंजूस नहीं है। किन्तु पैसा, जैसा कि रिपोर्ट में दर्शाया गया है, राजनीतिज्ञों, ठेकेदारों, अफसरों और इन्जीनियरों के पास चला गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

"यह दावा करना काफी कठिन है कि केवल एक-तिहाई भी लोगों को मिला हो।"

यदि यही हुआ है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यह विचार करें कि क्या किया जा सकता है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को केन्द्र में दिया जाने वाले पैसे का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए उचित रूप से प्रयोग हो सके।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा जिससे एकता की स्थापना हो सकती है। मुझे यह उल्लेख करते हुए दुःख हो रहा है लेकिन मुझे 1981 की घटना का उल्लेख करना है। मैं इम्फाल गया था और एक युवक मुझे मिला और मुझसे पूछा श्री परुलेकर क्या आप भारत से आये हैं? इससे क्या पता लगता है? हमारे देश का पहना तिरंगा इम्फाल में फहराया गया था जिसके नजदीक ही पंडित नेहरू के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है। विश्वविद्यालय का भवन देखना मेरे लिए दुर्भाग्य हुआ अथवा भाग्यशाली किन्तु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि दीवारों पर एक इंच जगह भी ऐसी नहीं छोड़ रखी गई थी जहां भारत विरोधी नारे नहीं लिए हुए थे। जब मैंने कुलपति से पूछा, उसे मुझे यह बताते हुए दुःख हुआ कि, "यदि मैं इन नारों के बारे में कुछ करने की हिम्मत करता हूं तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जायेगा।" यह स्थिति है। निस्सन्देह जब मैंने अन्य स्थिति के बारे में पूछा तो मुझे पूर्णतः उपेक्षा बरतने की बात बताई गई।

जहां तक सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों का सम्बन्ध है, हम पाते हैं कि 500 रु०, 800 रु० से अधिक उन लोगों को दिए जाते हैं जो उन क्षेत्रों से हैं और वहां रहते हैं। वास्तव में इसके विपरीत होना चाहिए। किन्तु इनमें से अधिकतर पद इस आशय से सृजित किए गए हैं कि उन अधिकारियों को, जो वहां हैं, एक क्षेत्र विशेष में तैनात किया जाये। इसके प्रतिकूल देश के अन्य भागों से आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी वहां जाने से मना करते हैं और एक राजनीतिज्ञ ने मुझे बताया कि औसत से नीचे के अधिकारी वहां हैं जो कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है और वे प्रशासन के साथ नहीं चल सकते।

इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि क्या हम अपने अधिकारियों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जैसा कि अमरीका और रूस में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। मैं यह सुझाव देना नहीं चाहता कि पूर्वोत्तर

क्षेत्र हमारे देश का साईबेरिया है। किन्तु रूस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें साईबेरिया में तैनात किया जाता है, मास्को अथवा कीव में तैनात अधिकारियों से 2½ से तीन गुना अधिक वेतन दिया जाता है। यह हमारी अफसरशाही की रीढ़ की हड्डी है। हमारे सक्षम अधिकारी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं कहते हैं कि वहां पूर्णत: उपेक्षा है।

अन्य सुझाव जो मैं देना चाहूंगा कि प्रतिभाशाली सरकारी कर्मचारियों और उद्यमी उद्योगपतियों को अच्छे ढंग से आकर्षित किया जाये। उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है। मैंने पाया है कि वसूल किये जाने वाले कुल आयकर में से केवल 4.5% ही उस क्षेत्र से वसूल होती है। इस क्षेत्र में आदिवासियों को आयकर नहीं देना पड़ता। उद्योगपतियों, उद्यमियों, इन्जीनियरों, कृषकों, जीवन के विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के उद्देश्य में क्या हम उन्हें आयकर और अन्य करों से छूट नहीं दे सकते। यदि सभी लोगों को आयकर से ही छूट दे दी जाये तो हमारे कुल कर पर केवल 5% से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाये जायें ताकि इस पर कम होने वाली 2/3 राशि का प्रयोग किया जा सके। यदि यह किया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रथकतावादी कार्यवाहियां केवल पागलों तक ही सीमित रह जायेंगी।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव दूंगा जिनका हवाला संकल्प रखने वाले मेरे माननीय मित्र ने किया है। कुछ समय पहले, जब मैं इस विषय पर 1981 में बोल रहा था तो माननीय श्री मकवाना जी ने, जो उस समय मन्त्रालय के प्रभारी थे, बताया कि कलकत्ता बाजार को शीघ्रता से फल भेजने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। त्रिपुरा में यह एक मुख्य उद्योग है। यदि आप अगरतला जायें तो आप पायेंगे कि फल वहां सस्ते हैं जैसे तरबूज, अनानास आदि। किन्तु वहां परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

तत्पश्चात् हमें आश्वासन दिया गया था कि वहां हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा एक कागज संयंत्र लगाया जायेगा। उन्होंने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रारम्भिक रिपोर्ट का क्या हुआ। वहां के लोग पूछते हैं कि दिए गए आश्वासनों का क्या हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस परियोजना की क्या प्रगति है। माननीय मंत्री महोदय को उस बारे में हमें बताना चाहिए।

हमें सभा में यह आश्वासन भी दिया गया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं पर अनानास परिष्करण संयंत्र भी स्थापित किया जायेगा। मुझे याद है कि शायद अगरतल्ला में उसकी स्थापना की जानी थी। इस बारे में क्या स्थिति है ?

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस तथ्य पर गम्भीरता से ध्यान दें। सुझाव यह है कि आदिवासियों को पुन: भूमि देने के कार्य में और अधिक विलम्ब न किया जाये। मैं यह सुझाव भी दूंगा कि इसके साथ ही गैर-आदिवासियों को भी पुनर्वासित किया जाये। हम जानते हैं कि अशांति की यही मुख्य जड़ है।

मैंने उस समय भी यह अनुरोध किया था और मेरे अनुरोध का मेरे बहुत से मित्रों ने समर्थन भी किया था। यदि हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विशेष ध्यान देना है तो कम से

कम राज्य मंत्री की निगरानी में एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अन्यथा हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर उचित ध्यान नहीं दे सकते।

एक और सुझाव जो उस समय दिया गया था वह यह था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्पूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनकी जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र आयोग का गठन किया जाये। एक दल दूसरे पर आरोप लागता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग किसी भी दल के नेताओं पर विश्वास नही करते।

असम में 60% चाय का उत्पादन होता है। उनकी शिकायत यह है कि वहां 'चाय बोर्ड' की स्थापना न किये जाने का कोई कारण नहीं है। यह एक शिकायत है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है।

मैं समझता हूं कि बरौनी को सार्वजनिक क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने के लिए चुने जाने के कारण असम को अतिरिक्त राजस्व से वंचित रखा गया है। मैं समझता हूं कि असम नेता असम में 30 लाख टन की क्षमता की मांग कर रहे हैं। और भी बहुत से सुझाव दिए गए थे। मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इस बारे में कुछ और कदम उठाये जाने चाहिए।

असम राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार ऊपार असम क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ घन फुट प्राकृतिक गैस उड जाती है। क्या यह राष्ट्रीय हानि नहीं है। हमें गैस की जरूरत है। किन्तु 6 करोड़ घन फुट मात्रा उड़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गैस के प्रयोग से प्रतिदिन 200 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। क्या यह एक घोर उपेक्षा नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि हम उपलब्ध कराई गई गैस का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं और हम इसे बरबाद कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यह एक घोर उपेक्षा है।

असम की जनता की एक दूसरी शिकायत, मेरे विचार में, यह है कि असम में बैंकों द्वारा प्रति व्यक्ति स्वीकृत किया गया ऋण सबसे कम है। मेरे पास वर्ष 1978 के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि असम के साथ स्पष्ट भेद-भाव बरता गया है। असम में प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण 38 रुपए है जबकि मेरे राज्य महाराष्ट्र में यह ऋण प्रति व्यक्ति 443 रुपए है। इस प्रकार के भेद-भाव के साथ यदि वे यह महसूस करते हैं कि नई दिल्ली की सरकार उत्तर पूर्व में इन पड़ोसी राज्यों के विकास पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। यदि वे दूसरे ढंग से व्यवहार करने के बारे में सोचते हैं, यदि वे अलगांववादी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे विचार में हम सभी इसके दोषी हैं, केन्द्र उसके लिए दोषी है, भारत सरकार उसके लिए दोषी है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम इन लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकते है। समयाभाव के कारण मेरे लिए अधिक सुझाव देना सम्भव नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिलकर वह कार्य करूंगा क्योंकि यह हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें और यह देखें कि हम अपने लोगों की किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार सीमा क्षेत्रों को पर्याप्त सुविधाएं तथा हर प्रकार की सहायता दे सकते हैं।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब प्रोफेसर एन० जी० रंगा अपना भाषण देंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : ऐसे उपयोगी वाद-विवाद के लिए कम से कम योजना मन्त्री महोदय को बुलाइए। वह दिए जाने वाले सुझावों को संक्षिप्त रूप में नोट करें।

सभापति महोदय : उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप में दिया है। उन्होंने उनकी अनुमति ले ली है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री बाजूबन रियान को इस प्रस्ताव (रेजुलुशन) को रखने के लिए शुभकामनाएं तथा धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

इससे एक बहुत ही लाभप्रद उद्देश्य पूरा होता है।

मैं श्री बापूसाहिब पल्लेकर से सहमत हूं जब उन्होंने यह सुझाव दिया कि उन अधिकारियों, जिनके उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र के इन दूरवर्ती भागों में भेजे जाने की सम्भावना है, को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। आजकल वहां लोगों को दण्ड देने के लिए भेजा जाता है। ऐसे अधिकारियों, जिन्हें शेष भारत में गड़बड़ी करने वाला समझा जाता है, को 3 या 5 वर्षों के लिए उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है और उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं जो उनके द्वारा वहां उठाए जाने वाले खतरों तथा उनको होने वाली असुविधाओं और उनसे काफी लम्बे समय के लिए अपने स्वजनों से दूर रहने की असुविधा की तुलना में बहुत अपर्याप्त हैं। उन्हें जो वेतन दिया जाता है वास्तव में वह बहुत ही कम है। यही कारण है जिसकी वजह से मैंने सरकार के उच्चतम स्तर के सम्बन्धित प्राधिकारियों को यह लिखा है कि इसे समस्त भारत के अधिकारियों के लिए इतना अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रोत्साहनों, परिलब्धियों, पदोन्नति तथा अन्य सभी सुविधाओं की एक अलग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि समस्त भारत के अधिकारी उन क्षेत्रों में जाकर सेवा करने की अनुमति मांगे, और मुझे आशा है कि सरकार, योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय, तथा अन्य मन्त्रालय, जो इस क्षेत्र का काम देखते हैं, कम से कम अब तो इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

वहां अनेक उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। वहां पहले ही एक बड़ा उद्योग विद्यमान है और वह हथकरघा उद्योग है। यह एक घरेलू उद्योग है। उसने अब तक समस्त भारत में घरेलू उद्योग के रूप में अपनी प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता का लाभ उठाया है। अब उसने शेष भारत में तो हमारे घरों में अपने महत्व को खो दिया है लेकिन असम तथा अन्य सभी छः छोटे राज्यों में वह अभी भी न केवल कुटीर उद्योग के रूप में बल्कि एक घरेलू उद्योग के रूप में चल रहा है।

रेशम उद्योग उसका एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यद्यपि कुछ प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं फिर भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं किया गया। कुछ एम्पोरियम भी खोले गए हैं। परन्तु अभी बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना है और हमारे मित्रों द्वारा कई अन्य उद्योग पहले ही बताए जा चुके हैं। इन सभी को विकसित किया जाना है। प्रत्येक व्यक्ति इस

मुद्दे पर सहमत है। इस समय असम अथवा कुछ अन्य राज्यों का बजट चर्चा के लिए आता है, जब कभी असम में राज्यपाल (गवर्नर) का शासन रहा है इन सात राज्यों के विकास की सभी सम्भावनाओं पर इस सदन में चर्चा की जाती रही है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, इस मामले में न तो योजना आयोग अथवा गृह मन्त्रालय अथवा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है। मैं सच्चे हृदय से यह आशा करता हूं कि कम से कम अब से इस क्षेत्र के कृषि उद्योग विकास तथा औद्योगिक विकास के लिए इन विभिन्न पहलुओं की ओर कुछ अधिक ध्यान दिया जाएगा।

काफी समय पहले सर अकबर हैदरी ने तत्कालीन भारत सरकार को यह चेतावनी दी थी कि जब तक हम इस क्षेत्र की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं देंगे और अधिकतम सीमा तक आर्थिक आत्म-निर्भरता का विकास करने के लिए इन लोगों की सहायता नहीं करेंगे तब तक जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, हमें खतरा रहेगा। उसके बाद श्री प्रकाश ने भी, जिन्हें वहां राज्यपाल के रूप में भेजा गया था, स्वयं पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भेजे एक विशेष टिप्पण में भारत सरकार को वहां संचार साधनों के विकास की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी थी।

मेरे माननीय मित्र श्री परुलेकर जी ने सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के प्रति कुछ निराशा व्यक्त की। मुझे खुशी है कि अन्ततः कम से कम अब, श्रीमती इन्दिरा जी के नेतृत्व में रेलवे द्वारा इन सात राज्यों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जितना अधिक से अधिक उनके लिए करना सम्भव है वे उस क्षेत्र में सात अलग रेलवे लाइनें बनाने के लिए अब रेलवे निर्माण का सामान काफी मात्रा में भेज रहे हैं। लगभग 3 या 4 वर्षों के समय में मेरे विचार में यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो वे लगभग 200 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछा पाएंगे जबकि अभी वहां कुछ किलोमीटर लम्बी रेल लाइन ही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। वर्तमान सरकार इसके लिए श्रेय की हकदार है—और इससे उस क्षेत्र के औद्योगिक तथा कृषि धन का तेजी से विकास करने तथा स्वयं वहां की स्थानीय जनता द्वारा इसका उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

मैं योजना आयोग को यह सुझाव देना चाहूंगा कि उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना आयोग बनाया जाना चाहिए। उन्हें इसे 'आयोग' कहने की आवश्यकता नहीं हैं, वे इसे 'योजना समिति' ही कह सकते हैं। यह योजना समिति अनेक आश्चर्यजनक बातें सुझाएगी, जिनमें विशाल नदी ब्रह्मपुत्र, जो अब तक धन देने वाली नदी की बजाए केवल सन्ताप की नदी सिद्ध हो रही है, के प्रत्येक बड़े मोड़ पर जल विद्युत का विकास किया जाना शामिल है।

इन सभी कार्यों को किया जा सकता है। लेकिन इन्हें कैसे किया जाना है? किसके द्वारा? ठेकेदारों के माध्यम से नहीं, जो बाहर से जा रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है; सम्भवतः शुरू-शुरू में हमें उनपर निर्भर रहना पड़ता है, केवल अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए, मैं उस क्षेत्र के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण बनाने का सुझाव देना चाहूंगा, जिसके पास इन सभी विकासशील गतिविधियों को चलाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आवश्यक शक्तियां, पर्याप्त वित्तीय शक्तियां तथा अन्य उपकरण हों। उस निगम को खर्च करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए सौंपने पड़ेंगे। उसको विपणन कार्य भी सौंपा जाना

चाहिए। उस क्षेत्र से केले, अनानास तथा विभिन्न अन्य फल बाहर भेजने के लिए एक सुझाव दिया जा रहा है। यह कार्य किया जा सकता है। लेकिन किसके प्राधिकार के अन्तर्गत ? क्या ठेकेदारों के लाभ के लिए ? क्या बिचौलियों के लाभ के लिए ? यह कार्य वहां की स्थानीय जनता तथा उत्पादकों के लाभ के लिए होना चाहिए। और यह कार्य सिवाए एक निगम के, जो कि सरकार द्वारा संगठित किया जाना है, एक ऐसा निगम जिसमें सात राज्यों की सरकारें भागीदार होंगी तथा और उसे भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी अन्यथा कैसे किया जा सकता है ? ये दो प्राधिकरण एक क्षेत्रीय योजना आयोग तथा दूसरा एक निगम शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किए जाने चाहिए।

तीसरा प्राधिकरण, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री परुलेकर जी ने सुझाया है, एक विशेष मन्त्री, या कम से कम एक राज्य मन्त्री होना चाहिए जिसके अधिकार में न केवल उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास कार्य होगा बल्कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू लद्दाख तथा हिमालय के अन्य मैदानी क्षेत्र भी होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र भी काफी दूर है; उन्हें भी इन्हीं असमर्थताओं का सामना करना पड़ता है, उनके विकास के लिए भी उसी प्रकार के संरक्षण, मदद तथा सहायता की आवश्तकता है।

जैसा कि मैं कह चुका हू मैं विपक्ष में बैठे अपने दोस्तों तथा सरकारी पक्ष में बैठे अपने दोस्तों को आगाह करना चाहूंगा। सी० आई० ए० एजेन्टों, आतंकवाद तथा अन्यान्य बातों का उल्लेख किया गया। हमने इन परिस्थितियों में रहना सीखने के लिए पक्का निश्चय कर लिया है। हमें पुराने ब्रिटिश अनुभव से भी कुछ सीखना चाहिए। 150 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय तक उनको खैबर दर्रे तथा बलूचिस्तान में इन जनजातीय लोगों के उपद्रव का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने इन सब अशान्तियों के होते हुये धैर्य रखा है। इसी प्रकार हमें यहां यहां खुले दिल से ध्यान देने में समर्थ होना चाहिए। केवल इसीलिये कि कोई बात यहां गलत हो गई है और कुछ लोगों की हत्या कर दी गई है अथवा यहां वहां कुछ बम गिराये गये हैं और आदि आदि बातों से हमें डरना नहीं चाहिए। केन्द्र से बहुत दूर ऐसी बातों का होना अनिवार्य है। ये बातें तो होती रहेंगी। ऐसे केन्द्र भी हैं जो शरारत करने हेतु इन बाहरी व्यक्तियों का स्वागत करते रहते हैं और देश के अन्दर भी कुछ ऐसे असन्तुष्ट व्यक्ति हैं जो सदैव शरारत करते ही रहेंगे। यह भी सम्भव है कि कोई एक या दो सरकारी अधिकारी और कुछ दूसरे लोग जिन पर सरकार निर्भर करती है, कई बार उन्हें प्रोत्साहन दें। अतः, यह शरारत वहां होना अनिवार्य है। आपको धैर्य रखने, साहसी बनने तथा हमें अपने आप में विश्वास रखने के लिये अवश्य ही तैयार रहना चाहिए। आज हम यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सेवाओं पर अन्य विभिन्न तरह से करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में शान्ति नहीं रहे और बाद में भी कुछ और धन खर्च करना पड़ेगा। यदि इन सब बातों के होते हुए भी हम अपने आप में विश्वास रखें और यदि हम इन क्षेत्रों को भारत माता के भीतर सम्मिलित रखना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही किसी लाभ की आशा किये बिना प्रति वर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपया अलग रखने के लिये तैयार रहना चाहिए ताकि इन लोगों तथा उनके क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में पूंजी निवेश किया जा सके। विपणन सुविधायें उपलब्ध करनी होंगी और फिर विशेष पग उठाने होंगे।

एक सुझाव इन लोगों तथा दूसरी के लिये आयकर नियमों में ढील बरतने की आवश्यकता के बारे में पहले ही दिया गया है कि हमें इन क्षेत्रों की सेवा सरकार के माध्यम से करने के लिये वहां जाना चाहिए। उत्पाद शुल्क सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करना होगा। आयात शुल्कों के सम्बन्ध में भी जब कभी उन क्षेत्रों तथा उन लोगों के लाभ के लिए विभिन्न वस्तुओं का आयात करना होता है, तो छूट देनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में मुझे मालूम है उन्हें बुरा लगता है। हमने कश्मीर में कुछ पूछताछ की थी। वे लोग शिकायत किया करते थे। अब इन क्षेत्रों के लाभ के लिये ये विशेष पग उठाने होंगे। योजना आयोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज मेरी आशंका यह है कि योजना आयोग ने अब तक उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना इन दूरस्थ क्षेत्रों में अल्प विकसित समुदायों और उन लोगों की, जो बेशक काफी लम्बे समय से सहन करते आ रहे हैं, विशेष आवश्यकताओं के लिये इसे देना चाहिये।

ये वही लोग थे जो भारत के हृदय में गंगा की घाटी में तथा दक्षिण में हुआ करते थे, किन्तु उन्हें बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों तथा विभिन्न दूसरी जातियों तथा लोगों द्वारा जो विदेशों से अथवा पूर्व से या पश्चिम से आये थे, वहां से निकाल दिया गया और अन्त में वे उन क्षेत्रों में आकर बस गये। आंध्र प्रदेश में एतानागारापाडु नामक एक स्थान है। इतानगर भी है। हमारे यहां एतम्मा नामक एक देवी है। उसका अर्थ क्या है? ये इन लोगों के, जो अरूण, अरुणाचल तथा दूसरे पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में थे, अवश्य ही यहां आंध्र प्रदेश दक्षिण में पूर्वज होंगे। इसी प्रकार आपके यहां काकोरी हैं। वह राज्य सभा में ससद सदस्य हैं। उनके पिता भी एक काकोरी के रूप में विख्यात थे। हमारे यहां वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में काकारिम्मा के रूप में एक देवी विख्यात है। और दक्षिण के महान शासक, जिन्होंने 2½ शताब्दियों तक सारे दक्षिण भारत को उत्तरी भारत के आक्रमणकारियों से बचाया था और उसके पश्चात विजयनगर के शासकों को सहायता और 3½ शताब्दियों तक इसकी रक्षा की थी, काकोरियों के रूप में विख्यात हैं। और उनका एक वंशज बस्तर के महाराजा थे। वह भी एक काकोरी थे और आपको असम में भी काकोरी मिलेंगे। उससे क्या पता चलता है? यही वे लोग हैं जिनके पूर्वज यहीं भारत में ही रहते थे। अतः वे हमारे भाई हैं। वे हमारे भाई कब से हैं? हजारों वर्ष से वे हमारे भाई हैं। अधिक क्या कहा जाये, वे हमारे बड़े भाई हैं क्योंकि वे भारतीयता के प्रति ईमानदार रहे हैं जबकि हम में से अनेकों ने उन सभी प्रकार के लोगों को खपा लिया जिनकी इस देश में मिश्रित जाति थी। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि यह मिश्रण खराब बात रही है। यह एक अच्छी बात है। किन्तु उन्हें भी उन दिनों में उस सब कुछ को बताये रखता था जबकि हम सब मूल लोगों के रूप में थे। अतः भारत ने इन लोगों को एक विशेष ऋण चुकाना है। उसी कारण से प्रत्येक सम्भव तरीके से योजना आयोग को एक विशेष अध्ययन करना चाहिए और उन्हें विशेष रियायतें अथवा सहायता देनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह, उन्हें जो कुछ भी सहायता चाहिए, प्रदान करे तथा जिन परिवर्तनों की भी आवश्यकता है, उन्हें भी हमारे अपने प्रशासनिक ढांचे में किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री नगनगोम मोहेन्द्रा अब बोलेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। दो दिन

से अध्यक्ष महोदय नहीं आ रहे हैं। क्या छुट्टी पर हैं, विदेश में हैं या और कोई बात है—सदन को इसकी जानकारी आपने नहीं दी।

सभापति महोदय : मध्यान्ह पश्चात पीठाध्यक्ष मैं बन रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर बीमार हैं तो क्या बीमारी है या क्या बात है, आपको बताना चाहिए कि क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या बीमारी है और वह क्यों नहीं आये। ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है। उनसे इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ है।

श्री मनीराम बागड़ी : हमें मालूम हुआ है कि बीमार हैं, क्या बीमारी है, यह जानकारी सदन को दी जानी चाहिए। आखिर वे हमारे अध्यक्ष हैं।

सभापति महोदय : यह पर्याप्त है। आपको इन सभी बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या बीमार हैं ? सदन को जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमार हैं तो साधारण बीमार हैं या ज्यादा हैं, क्या तकलीफ है, उसके मुताबिक हम उनसे मिलने जाएं। यह जानकारी आपको देनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप जाकर उन्हें मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात का क्या जवाब दिया ?

सभापति महोदय : जवाब देने को कुछ नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपको कुछ पता नहीं है ?

सभापति महोदय : आप जाकर उन्हें मिल सकते हैं। श्री मोहन्द्रा अब बोलेंगे। मैंने आपको तीन बार बोलने के लिए कहा है। यदि आप बोलना नहीं चाहते हैं, तो मैं दूसरों को बोलने के लिए कहूंगा। श्री मोहेन्द्रा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : योजना मंत्री को यहां होना चाहिए था।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को श्री लास्कर को यहां उपस्थित रहने के लिए कहा उन्होंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली है। अब श्री मोहेन्द्रा बोलेंगे।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तरी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में चर्चा को वहां की कानून और व्यवस्था के चर्चा के साथ पूरी तरह जोड़ा जा सकता है। वहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उस क्षेत्र में यह सर्वत्र, विशेषकर कि मेरे राज्य मणिपुर में व्याप्त है। महोदय जब कभी भी मैंने इसका हवाला दिया है, तो आपने कुछ अरुचि दिखायी है। आपने श्री परुलेकर का इसका हवाला देने की अनुमति कैसे दे दी ? अतः मैं मणिपुर

में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की ओर, विशेषकर कि जब मैं अपने राज्य के बहुत ही निकट के मंत्री महोदय को देखता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह अवश्य ही अच्छी तरह जानते होंगे कि वहां क्या होता रहा है और वहां क्या होने जा रहा है।

मैं अब मणिपुर में आतंकवादी कार्यवाही के बारे में समाचार पत्र की एक कतरन का हवाला दूंगा। महोदय आप जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि श्री राजीव गांधी पूर्वोत्तरी क्षेत्र में कांग्रेस (इ) की समन्वयन समिति की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन करने गये थे। उनके अनुसार यह स्थान, विशेषकर कि मणिपुर स्वतन्त्रता से पूर्व पूरी तरह उपेक्षित था। मैं दूसरी तरफ के मंत्री महोदय से पूछता चाहता हूं कि क्या स्वतन्त्रता के पश्चात की अवधि के दौरान भी इसकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई है. मैं इस मामले में अपना कोई अलग मत व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री रियान तथा दूसरे इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मैं तो केवल उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

महोदय, आपको याद होगा कि स्वयं आपने भी उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाग लिया था जबकि वहां एक आक्रमण के फलस्वरूप 21 सैनिक कर्मचारियों की मौत हो गयी थी। उस दिन स्वयं आपने और श्रीमती मोहसिना किदवई ने मणिपुर राज्य के लिये डुबाये गये धन के बारे में कहा था और यह बताया था, कि बाद में इस धन का किस प्रकार गबन किया गया था। यही कुछ होता रहा है, किन्तु महोदय आप इस बात की ओर ध्यान दीजिये कि थोड़े समय को छोड़कर जबकि वहां जनता शासन था मणिपुर का शासन सदैव 'आई', 'यू', 'ओरस' के प्रत्ययों बिना और प्रयाप्त रूप से कांग्रेस द्वारा प्रशासित रहा है। अतः, महोदय वह दल अब यह नहीं कह सकता है कि अब वहां उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। महोदय, अब सभा पटल पर इसे स्वीकार किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री लास्कर ने 23 फरवरी को अपने उत्तर में कहा था कि मणिपुर के लिये छठी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 2,243 रुपये है जबकि अखिल भारतीय औसत 872 रुपये की है। ऐसा उन्होंने कहा था। कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर रहा है और निस्सन्देह भारत सरकार वहां धन खर्च कर रही है अथवा वहां धन लगा दिया है। वहां से धन चला जाता है। जब कभी भी मुझे अवसर मिला मैं सातवीं लोक सभा के आरम्भ से ही कई बार यह बात कहता रहा। मणिपुर राज्य विधान सभा के गत सत्र के दौरान अनियन्त्रित गबन का पता चला था जबकि स्वयं मुख्य मन्त्री तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रियों ने यह स्वीकार किया था कि चिकित्सा विभाग ने 1.33 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया था अथवा उसका दुरुपयोग किया था, विद्युत विभाग में 4.84 करोड़ रुपये, उद्योग विभाग में 84.9 लाख रुपये तथा नागरिक पूर्ति विभाग में 7.98 लाख रुपये का गबन या दुरुपयोग किया गया था। शिक्षा विभाग में 79.06 लाख रुपये तक की धनराशि का गबन किया गया है। अब आप उस धन को केवल गबन होने के लिए भेज रहे हैं। कोई भी इसे देखने के लिए वहां नहीं है। मेरे विचार में गृह मन्त्री महोदय को याद कराने का यह उचित समय है कि मणिपुर के रेंगनोपाल के पर्वतीय जिले में मोलकाम नामक एक छोटे से गांव के बारे में समाचार मिला था कि उसे बर्मा को सौंप दिया गया था और इस मामले को 24 अक्तूबर से 27 अक्तूबर, 1980 तक हुई भारत सरकार के प्रतिनिधि मेजर जनरल के० एल० खोसला और बर्मी सरकार के प्रतिनिधि श्री वी० लिनपो के बीच

एक गुप्त बैठक में निपटाया गया था। मणिपुर में कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता है क्योंकि ऐसा गुप्त रूप से किया गया था। यह आश्चर्यजनक बात नहीं होगी यदि मैं आपको बताऊं कि सभी प्रकरीकरण सरकार के पहल पर नहीं प्रत्युत विपक्षी दल के द्वारा विधान सभा के समक्ष किये गये थे और अत: उसे छोटे राज्य मणिपुर में यद्यपि विरोधी पक्ष के सदस्यों की संख्या बहुत कम है फिर भी वे एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है जिसका मुझे गर्व है। उन्हें सभा में इन गबनों को स्वीकार करना पड़ा था। प्राय: आप कुछ दिल्ली पत्रिकाओं में कांग्रेस (इ) के मंत्रियों के फोटोग्राफ छपे हुये देखेंगे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हुआ होगा। इन बातों को कचरा या कुछ ऐसा ही नहीं समझा जा सकता है, जिसे एक जिम्मेदार मंत्री के अथवा जिसे जिम्मेदार होना समझा गया हो, उसके बारे में कहा गया हो। उदाहरणार्थ हाल ही में आदिवासी कल्याण के प्रभारी तक मंत्री के बारे में 'मिनिस्टर, स्विन्डलस ट्राइबल वेलफेयर मनी', शीर्षक के अन्तर्गत तक समाचार छपा था।

सभापति महोदय : आप राज्य के मंत्रियों का यहां उल्लेख क्यों कर रहे हैं ?

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्योंकि धन का गबन स्वयं मंत्रियों और नौकरशासकों द्वारा किया जा रहा है। इन आरोपों के बारे में मैं ठीक-ठीक कह रहा हूं। मैं कोई नये आरोप नहीं लगा रहा हूं।

अब, मैं महोदय यहां से भेजे जा रहे नौकरशाहों के बारे में एक शब्द कहूंगा। ऐसी धारणा है कि उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जाता है और इसलिये कुछ माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें कुछ अधिक भत्ते दिये जायें। महोदय, मेरा अनुभव इसके विपरीत है। जब कभी किसी अधिकारी को वहां भेजा जाता है, तो शुरू में वह उसका विरोध करता है परन्तु एक बार वहां चले जाने पर वह कभी भी वापिस नहीं आना चाहता। महोदय, ऐसा क्यों हैं ? वह तो एक्सटेंशन लेने का प्रयास करेगा। इसके बारे में मेरी बात भूतपूर्व राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह से हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वह कुछ अधिकारियों को जानते हैं जो बिहार मे बहुत ही अच्छे थे किन्तु वह नहीं जानते हैं कि एक बार मणिपुर में उनकी नियुक्ति हो जाने पर उन्हें क्या हो गया।

उन्होंने कहा है कि उन्होंने मणिपुर से यह सब दूर करने की कोशिश की। यह प्रश्न छूट देने का नहीं है परन्तु बेरोकटोक चल रहे भ्रष्टाचार और जिस तरह सरकारी धन को हड़पा जा रहा है उसका है।

यह सब सरकार विरोधी है। परन्तु इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इसके लिए मैं या आप जिम्मेदार हैं। कोई भी अकेला जिम्मेदार नहीं है। यहां तक कि श्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया है इस बारे में लापरवाही बरती गई है। यद्यपि यह बात उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व समय के लिए कही थी। जहां तक स्वतंत्रता के बाद का सवाल है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। श्री परुलेकर बता रहे थे कि मणिपुर में एक छात्र ने उनसे पूछा कि क्या आप भारत के निवासी

हैं ? महोदय यहां तक कि मेरे दोष सगे सम्बन्धी भी यही कहते हैं "आप भारत जा रहे हैं वहां से क्या लायेंगे ?" ऐसा क्यों है, दो एकतरफा नहीं दोतरफा है ।

महोदय, इस बेरोक-टोक चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी मैं कुछ कहूंगा । हाल ही में नौजवानों और छात्रों ने एक गैर-भ्रष्टाचार संघर्ष समिति का गठन किया और संघर्ष के दौरान उन्होंने इश्तहार और नारे दीवारों पर लिखे । जब श्री राजीव गांधी व अन्य लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो प्रशासन को यह मालूम था कि इन सब बातों पर उनका क्या असर पड़ेगा । इसलिए प्रशासन नहीं चाहता था कि दिल्ली से आने वाले व्यक्ति इश्तहार और पेंटिंग आदि देखें । इसलिए सुबह से पहले ही—यद्यपि वह सुबह से पहले छापा नहीं मारते हैं—उन्होंने छापा मारा और अन्य मामलों में पांच या छः शस्त्ररहित स्वयंसेवकों को पकड़ लिया और गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जिससे कि उनका यह लोकप्रिय जन आन्दोलन शुरू में ही दब जाए ।

मैं इसके खिलाफ नहीं हूं । मुझे खुशी है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया । क्योंकि सारे देश को यह मालूम हो जाएगा कि मणिपुर के निवासियों, युवकों और छात्रों ने इस बेरोकटोक भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है ।

अगला कदम तो भारत सरकार ही उठाएगी । इसमें जनता कुछ नहीं कर सकती । मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इसकी छानबीन करें । पालिका बाजार में हुई दुर्घटना के समय मणिपुर में क्या टिप्पणी की गई थी । उन्होंने कहा कि अब जबकि पालिका बाजार में बम रखा गया तो पालिका बाजार के दुकानदारों पर जुर्माना क्यों नहीं किया गया । और यही बात पंजाब में हुई दुर्घटनाओं आदि के सम्बन्ध में कही जाती है । कुछ पत्रकारों की हत्या कर दी गई जिससे कि खालिस्तान आन्दोलन शुरू हो गया । मणिपुरी यह पूछते हैं कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम के उपबंध पंजाब में क्यों नहीं लगाए जाते और उस अधिनियम को पंजाब में क्यों नहीं लगाया गया ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मणिपुर की जनता सोचती है कि भारत सरकार के दो मापदण्ड हैं एक पंजाब के लिए दूसरा नागालैंड के लिए और एक तीसरा मणिपुर के लिए तथा चौथा मिजोरम के लिए । इसलिए क्या किसी भी राज्य सरकार के लिए, चाहे वह कितनी ही सक्षम क्यों न हो, यह संभव है कि वह विकासात्मक कार्य कर सके जिससे कि वहां की जनता शांति से रह सके तथा उसे लाभ हो । महोदय, हमारा सीमावर्ती राज्य है, इसलिए किसी भी सत्तारूढ़ दल का यह परम कर्तव्य है कि वह यहां शांति बनाए रखे तथा जनता में अपेक्षित आत्मविश्वास पैदा करे । उदाहरण के तौर पर एक परिवार को ही लें । यदि आप अपने एक भाई की परवाह नहीं करते तो वह भाई उल्टे-सीधे काम करेगा । वहां की जनता तथा युवक यही महसूस करते हैं कि कोई कानून और व्यवस्था नहीं है । यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सब देखें । यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, करने वाले तो आप हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ बताने की है, करने की जिम्मेदारी उनकी है।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : बेशक महोदय, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, करने वाले तो आप हैं। अब क्या मैं आपको यह बता सकता हूं कि श्री राजीव गांधी के मणिपुर दौरे के परिणामस्वरूप तीन मंत्रियों को पद से हटा दिया गया। हो सकता है कि गृह मंत्री होते हुए आपको उनके हटाए जाने का कारण पता हो। यदि दौरे और पद से हटाए जाने के बीच कोई ताल्लुक है और यदि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें पद से हटाया जा रहा है, तो उस मंत्रालय में ऐसे और भी हैं जिन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पदच्युत मंत्रियों में से विद्युत मंत्री (श्री राधा बिनोद) और उनके विभाग की प्रशंसा अभी राज्यपाल श्री बर्नी ने विद्युत गृह का उद्घाटन करते समय की थी। इतनी जल्दी और नाटकीय तौर पर परिवर्तन होता है कि इससे जनता को शक हो जाता है।

अब मैं मणिपुर में औद्योगिक विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे विचार में वर्ष 1981 में मैंने इस सभा के माननीय सदस्यों को बताया था कि स्वतन्त्रता के पिछले 32 वर्षों के दौरान मणिपुर के आकाश में अभी तक उद्योगों का धुआं नहीं दिखाई देता। मुझे वह मौका अभी तक याद है। और पिछले मन्त्री महोदय श्री मकवाना ने तुरन्त पलट कर कहा था कि तथ्यों को न भूलें और मुझसे पूछा था स्पिनिंग मिल क्या है? एस० एस० आई० की अभी हाल ही के एक प्रपत्र को मैं उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें मणिपुर के पांचों जिलों को 'शून्य उद्योग जिले' कहा गया है। यह आपकी सरकार का ही कहना है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा परन्तु इससे मेरे कथन की पुष्टि होती है। मैं आपसे किसी प्रकार की बहस में पड़कर अपने राज्य के खिलाफ आपको नहीं करना चाहता। राज्य के विकास के लिए कृपया कुछ ठोस कदम उठाइए। अभी तक किसी भी मन्त्री ने राज्य के मामलों की तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। आप पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संसद सदस्यों की आवधिक बैठकों की व्यवस्था क्यों नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री भी आप ही के क्षेत्र के हैं।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : यदि आप हमें बुलाएंगे तो हम अपने आपको महान नहीं समझेंगे वरन हम आपके आभारी होंगे, आपसी बातचीत के जरिए हम पूरे मामले पर विचार करने में अपने आपको कृतज्ञ महसूस करेंगे। परन्तु क्या हमें मन्त्रियों के आगे पीछे भागना पड़ेगा? मैंने आपसे मिलने की कोशिश की परन्तु आप थे नहीं क्योंकि हमारे मन्त्री तो 'आज यहां कल वहां' होते हैं। यदि मुझे मन्त्री महोदय बुलाएं तो इसमें मैं अपनी शान नहीं समझता। मेरा महत्व नहीं बढ़ जाता। केवल दोनों ओर से आदान प्रदान की भावना होनी चाहिए यही मैं कहना चाहता हूं। मेरे मित्रों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनमें मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप वहां काफी खर्चा भी कर रहे हैं। श्री रंगा आप जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर में 1946 में बनी थी। अब इस दल का गठन वहां क्यों किया गया था। क्योंकि कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने सोचा कि केन्द्र में कांग्रेस दल सत्तारूढ़ हो रहा है और कांग्रेसियों को यह समझा कि वे सत्ता में रहेंगे और उनका सोचना ठीक ही था। वे सत्ता में आए परन्तु जिन व्यक्तियों ने कांग्रेस का गठन किया था वे दल में नहीं रहे यद्यपि अभी जीवित हैं, ऐसा क्यों?

महोदय, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बैंकों और सरकारी कार्यालयों से सशस्त्र लोगों द्वारा केवल 22 लाख रुपए ही छीने गए हैं जबकि जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, 8 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। यह मैं विरोध के लिए नहीं कह रहा हूं परन्तु पूरी गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं जिससे कि मन्त्री महोदय जोकि मेरे राज्य के नजदीक स्थान के ही हैं वह हमारे लिए कुछ करें क्योंकि श्री मकवाना से तो मैंने कई बार इन समस्याओं का जिक्र किया था परन्तु उन्होंने कुछ नहीं करा।

श्री लास्कर आप एक बार इम्फाल गए थे और खराब मौसम के कारण आपको उखरूल ले जाया गया था जोकि मुख्य मन्त्री का चुनाव क्षेत्र था और वह सुरक्षा के प्रबन्ध इतने अधिक थे कि आप घबरा गए थे और आप असम राइफल कैम्प में ही ठहरना चाह रहे थे। मैं आपको ढूंढ रहा था परन्तु मुझे पता चला कि आप पहले ही उखरूल पहुँच गए हैं। जब श्री जैल सिंह वहां गए थे उन्हें भी उखरूल ले जाया गया, वहां जाने वाले प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति को वहीं ले जाया गया। उन्हें वहां के दलों और जनता से दूर रखा गया।

इसलिए महोदय, यदि हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्य वास्तव में शुरू करना है तो हमें भ्रष्टाचार से लड़ना होगा क्योंकि आपके दल में काफी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार से अराजकता को बढ़ावा मिलता है जिससे उस क्षेत्र में विद्रोह पनपता है। यही मेरा फार्मूला है। धन्यवाद।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में तथा उसके विकास के बारे में जो विचार प्रकट किए हैं उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु उनका यह विचार है कि केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्रों की देख-भाल नहीं करता है। इस सन्दर्भ में मैं एक उदाहरण दूंगा। आज सुबह, मैंने गृहमन्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने लिखा कि असम में सरकार, रेलवे और जंगलात की भूमि से कचार, नौगांव और कामरूप जिलों में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जमीन से बेदखल कर रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गृह मंत्री स्वयं सभा में बताने आए कि उन्हें यकीन है कि वहां कुछ अन्याय हो रहा है और एक आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार के अग्रिम निर्देश प्राप्त होने तक सभी बेदखली रोक दी गई है। जब मैं पत्र के साथ गृह मन्त्री से मिला तो श्री मल्लिकार्जुन भी मेरे साथ थे। अपनी तत्पर कार्यवाही से उन्होंने सैकड़ों हजारों भाषायी और धार्मिक अल्प-संख्यक परिवारों को सरकारी भूमि से बेदखल होने से बचा लिया। हम यह नहीं चाहते कि यह व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा करें परन्तु बेदखली से पहले उन्हें वैकल्पिक भूमि दी जानी चाहिए। यही हमारी अपील थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

प्रारम्भ में, मैं भारत सरकार और गृह मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे अनुरोध पर तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा की है और यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सरकार और हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पूर्वोत्तर-क्षेत्र की स्थिति को भलीभांति समझती हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थिति को अनावश्यक रूप से बेहतर न होने दिया जाये, सभी सम्भव सावधानी बरत रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा और श्री परुलेकर ने अनेक बातें कही हैं और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। तथापि पूर्वोत्तर-क्षेत्र में एक मुख्य समस्या यह है कि लोगों के मन में एक द्वन्द्व चल रहा

है कि उन्हें राष्ट्रीय दल के साथ रहना चाहिये अथवा क्षेत्रीय दल के साथ । यही मुख्य द्वन्द्व है और संकीर्णता के कारण ही क्षेत्रीयवाद पनप रहा है। समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्य असंतोष एवं खराब स्थिति के लिए यही मुख्य बात जिम्मेदार है।

जब यह सरकार सत्ता में आई, तत्कालीन गृह राज्य मन्त्री श्री मकवाना के अधीन एक समिति गठित की गई थी जिसमें सभी मन्त्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। तदुपरान्त, जब श्री लास्कर ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला—वे भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से है—उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उस समिति का चेयरमैन बना दिया गया। मैं पार्टी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं जिनसे यह इंगित होगा कि हमारी सरकार उस क्षेत्र के लोगों को पेश आ रही कठिनाइयों के प्रति पूर्णतया सजग है।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, सिल्चर में 2 करोड़ रुपए की लागत से खाद्य पदार्थ तैयार करने वाला एक कारखाना पहले ही खोला जा चुका है। श्री परुलेकर ने चाय बोर्ड के कार्यालय का भी उल्लेख किया था मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि गोहाटी के लिए भी एक चाय बोर्ड के कार्यालय की मंजूरी दी जा चुकी है। मैं इस सभा के उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे मामलों को उठाते रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से हमें अब बहुत सी चीजें प्राप्त हो गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें आपका साथ देना ही चाहिये था क्योंकि असम से आपका कोई सहयोगी इस सभा में नहीं है। वे आपकी सहायता भी कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : इसके अतिरिक्त, जोगीगोपा पुल को, जो मूलतः रेलवे पुल होना था, श्री लास्कर के इस समिति के चेयरमैन बन जाने के कारण रेल-व-सड़क पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसके लिए आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पांच रेल लाइनों की मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन सरकार को इन रेल लाइनों के बिछाने के लिये जमीन नहीं मिल रही है। मैं इस सब के लिये केवल कांग्रेस (इ) को ही श्रेय नहीं दूंगा, वास्तव में सभी राजनीतिक दल इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की मांग करते रहे हैं और मैं उनके समर्थन की भी प्रशंसा करता हूं। परन्तु, क्या स्वयं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता करें जिससे वहां विकास कार्य तेजी से हो सकें ? मैं क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वे उप क्षेत्र और समूचे देश के विकास के हित में सभी अनावश्यक भावनाएं त्याग दें।

जैसा कि मैंने कहा कि उस क्षेत्र में सही वातावरण तैयार करना नितान्त आवश्यक है। मेरे विचार में, यदि हम सदन में कहते हैं कि वहां विद्रोह हो जायेगा और वह क्षेत्र पृथक हो जाएगा, तो हम आग में घी डालने का काम करेंगे। हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। हममें यह कहने का साहस होना चाहिये कि जो लोग मामूली बातों के आधार पर आन्दोलन करते हैं और पृथकता एवं क्षेत्रवाद की स्थिति पैदा करते हैं उनकी निन्दा की जानी चाहिये। मैं अपने प्राणों को जोखिम में डाल कर भी ऐसे कार्यों की निन्दा करूंगा। इस स्थिति का सामना सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाना चाहिये। पिछले बजट में पांच रेल लाइनों की मंजूरी दी जा चुकी है।

परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेल लाइनें बिछाने के लिए रेलवे को जमीन नहीं दी जा रही है। फिर केन्द्र सरकार का क्या दोष है ? उन्हें अच्छी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए और लोगों को इस कार्य के लिए जमीन देनी चाहिये।

मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ क्षेत्रीय दल जानबूझकर यह नहीं चाहते कि वहां पर विकास कार्य चलता रहे। मैं प्रो० रंगा की बात से सहमत हूं कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। वे अधिकारी बदतर स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। असम, मणिपुर और मिजोरम सरकारों में कुछ उच्च अधिकारी इसमें शामिल हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। मैंने बार-बार उनके विरुद्ध लिखा है परन्तु सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

सी० पी० एम० पार्टी के तथा मेरे अन्य मित्र पूछते हैं कि मेरा कांग्रेस पार्टी में रहने का क्या फायदा। मैं उन्हें बताता हूं मैं असम से अकेला ही संसद-सदस्य हूं। वहां से कोई और संसद सदस्य नहीं है। एक संसद सदस्य और हैं जो अब मन्त्री हैं और वे बोल नहीं सकते। मझे ही बोलना पड़ता है। राष्ट्रीय दल में होने का लाभ यह है कि जब मैं अपने विचार रखता हूं तो मेरे साथ 352 संसद सदस्य और होते हैं। वे मेरे विचारों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। राष्ट्रीय दल में होने का यह लाभ है। राष्ट्रीय दल में होने के कारण हमने श्री फखरुद्दीन अली अहमद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में तथा श्री बिजय चन्द्र भगवती को एक मन्त्री तथा राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा है। राष्ट्रीय दल में होने का यह लाभ है। जो लोग ईसाई हैं, उनके सदस्य भी कांग्रेस दल में हैं। जब भी इसाईयों पर हमला हुआ है। जब भी हिन्दुओं पर हमला हुआ है और हमने अपने नेताओं के पास जाकर कहा है कि हम धर्म निरपेक्षता मे विश्वास रखते हैं और इसलिए हम आपके साथ है, पूर्ण दल हमारा समर्थन करता है। राष्ट्रीय दल होने का यह लाभ है। क्षेत्रीय दल में रहकर आप अव्यवस्था फैला सकते हैं किन्तु आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को यह समझना चाहिये।

महोदय विभिन्न दलों के संसद सदस्यों को भी एक भूमिका निभानी है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यह भूमिका निभायें। मैं अपनी सरकार का ढोल नहीं बजा रहा हूं। मैं मांग करूंगा और कुछ मांग कर भी रहा हूं। आज सभी सदस्यो द्वारा बहुत कुछ कहा गया, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सोमवार अथवा मंगलवार को असम बजट पर चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हू कि सभी राष्ट्रीय दल—चाहे वह जनता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आर० एस० पी० हो अथवा फारवार्ड ब्लाक हो—यह कहने के लिए आगे आये कि जो लोग असम में पृथकतावादी तथा क्षेत्रीयता का आन्दोलन चला रहे हैं उन्हे उनको समाप्त कर देना चाहिए। सरकार उनका सहन नही करेगी। यदि कोई शान्तिपूर्ण आन्दोलन है तो सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी, मैं मानता हूं। इसे जब तक मर्जी चलने दे—तीन साल, 4 साल—किन्तु यदि कोई ऐसी घटना होती है जैसी कि हाल ही में हुई, जिसमें कि एक बम विस्फोट में 19 व्यक्ति मारे गए, इसे सख्ती से रोका जाना चाहिये। बम तो बंगाली, बिहारी अथवा असमी नहीं देखेगा। उस दुर्घटना में जो 19 व्यक्ति मारे गये उनमें असमी, बिहारी, बंगाली, नेपाली सभी समुदायों के लोग

थे। मैं कहूंगा कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं और यही कुछ वहां हो रहा है। अतः एक मुद्दा तो यह है जिसके विरुद्ध आप सबको सरकार का समर्थन करना चाहिये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें राष्ट्रीय भावना जागृत करनी चाहिए। 10 वर्ष पूर्व असम में बहुत अच्छी राष्ट्रीय भावना थी। असम में राजनीतिक स्थिरता भारत में सबसे अधिक थी, इसलिए नहीं कि हमारा दल यहां शासन में था लेकिन राजनीतिक स्थिर वहां थी। अतः इसे फिर से लाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि असमी लोगों में राष्ट्रीय भावना है। हमें उनको राष्ट्रीय स्तर पर लाने की फिर से जरूरत है क्योंकि वहां कुछ शक्तियां हैं—मैं नहीं जानता कि वे कौन सी शक्तियां हैं विदेशी अथवा अन्य—जो कि देश के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रही हैं। उन्हें अवश्य सजा दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ मांगें भी रखना चाहता हूं। हमारे माननीय रेलवे मंत्री श्री मल्लिकार्जुन इस समय यहां हैं। भाग्य से श्री केदार पांडेय भी आ गए हैं। उनके द्वारा सिल्चर में एक आश्वासन दिया गया था कि कछार एक्सप्रेस को दैनिक एक्सप्रेस बना दिया जायेगा। यदि वे मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो श्री केदार पांडेय मेरे लिए गवाही देंगे। वह क्यों नहीं की गई? हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। कछार एक्सप्रेस कछार, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। हम यह मांग वैसे ही नहीं कर रहे हैं। सिल्चर से केवल दो गाड़ियां ही चलती हैं नामतः बारक वैली एक्सप्रेस और कछार एक्सप्रेस। हम गौहाटी तक जा सकते है। वहां से हमें बोंगाईगांव जाना पड़ता है और वहां दस घण्टे तक इन्तजार करने के बाद हम बड़ी लाइन की गाड़ी पकड़ सकते हैं। हम मांग करते हैं कि कछार एक्सप्रेस अथवा बारक वैली एक्सप्रेस को बोंगाईगांव तक जाना चाहिए ताकि मिजोरम, कछार और त्रिपुरा के लोग बोंगाईगांव तक जा सकें और बिना वाहनान्तरण के बड़ी लाइन की गाड़ी पकड़ सकें।

मुझे श्री लास्कर से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जिस समिति के चेयरमैन हैं, उसने बडी लाइन को गौहाटी तक करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की है तथा यह कार्य 1982-83 तक पूरा हो जायेगा। मैं आशा करता हूं कि वह इस कार्य के पूरा होने तक देखभाल करेंगे क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन कभी पूरे नहीं होते। उनको यह देखना होगा कि कछार के लोगों को दिए गए आश्वासन पूरे हों।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की यह एक आधारभूत समस्या है। हमारी अपने साथी नागरिकों अर्थात असमियों से कोई दुश्मनी नहीं है। यदि बंगाली वहां हो सकते हैं तो असमी भी होने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि असमिया लोगों को वहां अधिक अधिकार होने चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु साथ ही मैं यह मांग भी करता हूं कि त्रिपुरा और कछार के लिए, जहां कि अधिकांश में बंगाली रहते हैं—पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में लाखों और करोड़ों बंगाली रहते हैं—कछार अथवा त्रिपुरा में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां कि तीनो भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी और बंगाली में पढ़ाई हो। हम वहां केवल बंगाली नहीं चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि

हमें भी राष्ट्रीय धारा में होना चाहिए। और मैंने तथा लास्कर साहब ने चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया है। जब असम भर में चुनाव हो रहे थे तो कछार के लोग राष्ट्रीय दलों और राष्ट्रीय धाराओं के साथ थे। हम एक विश्वविद्यालय की मांग अवश्य करते हैं परन्तु दूसरे विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि मणिपुर में विश्वविद्यालय हो सकता है, यदि असम में विश्वविद्यालय हो सकता है, यदि गौहाटी और डिब्रूगढ़ में दो विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का पृथक विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो ? यह विश्वविद्यालय त्रिपुरा के लिए है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि वह त्रिपुरा में ही क्यों न हो। यदि आवश्यक हो तो उसे त्रिपुरा मे खोला जा सकता है अथवा कछार में किन्तु वह विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए, जिसमें शिक्षा के माध्यम तीन हों, अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला।

मैं अपना भाषण करने से पहले, मैं मन्त्री महोदय, श्री लास्कर को बताना चाहूंगा कि अब हल के लिए असम में वातावरण बन गया है। इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। यदि हम मार्च में चुनाव नहीं कराते तो वहां संविधानिक संकट पैदा हो जायेगा। और जब तक वहां लोकप्रिय सरकार नहीं होगी, यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

हमारे मित्र श्री महेन्द्र ने मणिपुर के बारे में बताया था। मैं मणिपुर में था। मैं उस बैठक में गया था जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, महोदय, यदि आप मणिपुर जाते हैं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा, कि आप एक लड़ाई के मैदान में हैं। वहां प्रत्येक कोने में सेना तथा पुलिस तैनात है। वही हालत मिजोरम में है, वही हालत असम में है।

श्री थुंगन चले गये हैं। अरुणाचल एक ऐसा राज्य था जहां अब तक जेल नहीं थी क्योंकि वहां कोई अपराध नहीं होता था। जनता काफी शांतिप्रिय तथा काफी भली थी। लेकिन, अब अरुणाचल प्रदेश में भी वही ताकतें, जो असम, मेघालय तथा मणिपुर में अस्थिरता उत्पन्न कर रही हैं, वहां जा चुकी हैं और उन्होंने आन्दोलन शुरू कर दिए हैं। इसलिए, मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि असम की समस्या को सख्ती से, अर्थात राष्ट्रीय दलों के विचारों को ध्यान में रखकर शीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। सरकार के विचारों तथा राष्ट्रीय दलों की जो भी सर्वसम्मति हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई मांगों का भी समर्थन करता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूर्वांचल की जो समस्या है,...

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें क्योंकि अब हमें आधे घन्टे की चर्चा करनी है।

———

आधे घण्टे की चर्चा

हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड में प्रोटोटाइप हेलीकाप्टर का डिजाइन तैयार करने और उसके निर्माण के लिए विदेशी फर्म के साथ समझौता

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एच० ए० एल० में प्रोटोटाइप हैलीकाप्टर का डिजाइन तैयार करने तथा उसका उत्पादन करने के लिए विदेशी फर्म के साथ किए गए करार के बारे में मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 353 के 9 जुलाई, 1982 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न विषयों पर यह आधे घन्टे की चर्चा है। यह एक सशस्त्र हल्के (लाइट) हैलीकाप्टर की कहानी है, जिसके बारे में फ्रांस की एक फर्म के साथ एक करार किया जा रहा है और इस समूची कहानी का अन्त क्या हुआ। वास्तव में, 1969 में श्री सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक ऐयरोनॉटिक समिति ने भारतीय वायुसेना को सशस्त्र हल्के हैलीकाप्टर से लैस करने की सिफारिश की थी। उस समय, यह पाया गया था कि 1980 में हमें कतिपय अन्य एस० ए० 315 तथा ए० एल० टी० III को बदलने के लिए लड़ाई के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस हैलीकाप्टर की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, यह सिफारिश की गई थी। तदनुसार, रक्षा मंत्रालय ने 1970 में फ्रांस की एक फर्म के साथ एस० एन० आई० ए० एस० के नाम से एक करार किया था और उन्होंने प्रोटोटाइप का यहां डिजाइन तैयार करना था तथा इसे विकसित करना था और उसका देश में ही उत्पादन करना था तथा उसका उत्पादन 1980 तक शुरू होना था। अब 1982 चल रहा है और जुलाई समाप्त हो गया है। आज तक, उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है और यह करार सितम्बर, 1980 में समाप्त हो गया। माननीय मंत्री महोदय काफी युवा तथा कर्मठ हैं। मैं उन्हें हर प्रकार का सम्मान देता हूं। वे एक सेना के जनरल की तरह लगते हैं। जवाब देते समय-सम्भवत: मैं नहीं जानता— वे उन समस्त विषयों, जिन पर मैं उनका ध्यान केन्द्रित करना चाहता था, को समझ नहीं सके— उन्होंने मेरे द्वारा उठाए गए क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों पर ध्यान देने को बजाए अपने ही ढंग से छोटा-सा उत्तर दे दिया। उन्होंने, 1, 2, 3 तथा 4 को पढ़ लिया है। किसी तरह उन्होंने यह सोचकर कि यह लिखित उत्तर है; सम्भवत: यह जानकारी दी जा सकती है; कुछ जानकारी दी है। वास्तव में, युद्ध के लिए हैलीकाप्टर का प्रश्न इतना अधिक आवश्यक है कि इसके बारे में बहुत पहले 1969-70 में परिकल्पना की गई थी और ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि ऐसा 1971 के संघर्ष के फलस्वरूप गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों के कारण हुआ है। सही रूप में, यही कारण है जिसकी वजह से हमें यह देखने के लिए अधिक सावधान रहना चाहिए कि इस परियोजना पर कुछ और धनराशि खर्च करनी है और इस परियोजना को अमल में लाया जाना चाहिए। यह बात बताने की बजाए, उन्होंने कहा कि हमारे सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं। उस पर काफी धनराशि खर्च की गई है और हमें विभिन्न दिशाओं से यह पता चला है कि इस बारे में भी काफी कहानियां मौजूद है। वास्तव में, रक्षा मन्त्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए भारतीय वायु सेना के आन्तरिक-सेवा दल के साथ परामर्श नहीं किया गया था, और पिछली बार जब जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे तो वह करार दो इंजिनों वाले सशस्त्र हल्के हैलीकाप्टर के लिए किया गया था। बाद में, 1976 में इसे एक इंजन वाले हैलीकाप्टर में बदल दिया गया था। वास्तव में, सिफारिश तथा करार दो इन्जनों वाले हैली-

काप्टर के लिए किए गए थे; और वर्ष 1980 में इसी आवश्यकता की परिकल्पना की गई थी। अब, हमने 1980 पार कर लिया है। वर्ष 1980 के दौरान यह सम्भवतः पुराना हो गया है, यहां तक कि दो इंजन वाला हैलीकाप्टर भी पुराना हो गया है। इस पर हमने बहुत अधिक खर्च किया है किन्तु कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं।

दूसरी बात यह है कि 'स्निआस' (एस० एन० आई० ए० एस०) की तकनीकी क्षमता भी सन्देहास्पद है क्योंकि हमें यह बताया गया है—मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करेंगे या खण्डन् करेंगे—कि रक्षा मंत्रालय को 'स्निआस' (एस० एन० आई० ए० एस०) फर्म के साथ यह करार इसलिये करना पड़ा क्योंकि वह पहले ही फ्रांसीसी कम्पनी के साथ चेतक हैलीकाप्टर निर्माण के बारे सम्बद्ध था और इस करार से पहले उन्होंने इसके लिये भी अर्थात् न केवल चेतक के लिये बल्कि इस ए० एल० एच० लिये भी करार करना स्वीकार कर लिया था। अतः इस दृष्टि से देखते हुए जिस कम्पनी के साथ इन्होंने यह करार किया है वह कम्पनी न केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है बल्कि रक्षा मंत्रालय ने इस करार को करते हुए और दोबारा इसमें सशोधन करते हुए अन्तर-सेना दल के विचारों को भी ध्यान में नहीं रखा है। अत: व्यवहार्यत: मेरा विचार यह है कि इन दो अनभिज्ञ पक्षों के मिल जाने से आज तक कोई चीज उत्पादित नहीं की गई है। अब जहां तक भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं का प्रश्न है हमें एक्सोसेट हवा-से-जमीन पर मार करने वाले प्रेक्षेपास्त्रों, जो कि हमारे पड़ोसी देश के पास हैं, का कोई विकल्प ढूंढना होगा। सम्भवतः इस बारे में मंत्री महोदय को भी पता तो होगा। मैं इस योजना के बारे में नहीं जानता। शायद इसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके उत्तर के अन्तिम पैरा में बताया गया है कि :

> "समसामयिक टेक्नोलाजी से युक्त एडवांस्ड लाइट हैलीकाप्टर के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।"

इससे यह नहीं पता चलता कि 'स्निआस' (एस० एन० आई० ए० एस०) फर्म के साथ किए गए पहले के करार का क्या हुआ; क्या यह अभी जारी है। जो करार व्यपगत हुआ है, जो कि सितम्बर, 1980 में समाप्त हुआ था, अभी जारी है या कि वे किसी अन्य सहयोग करार पर भी विचार कर रहे हैं क्योंकि शुरू में 1970 में करार करते हुए उन्होंने किसी अन्य देश के साथ सहयोग के बारे में पता नहीं लगाया था। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत सरकार ने 'स्निआस' (एस० एन० आई० ए० एस०) के साथ किये गये पहले करार में अन्य सहयोगकर्ताओं को ध्यान में नहीं रखा था। यह भी संभव है कि वे पहले के करार के कारण मजबूर हों। यही कहा जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से कुछ सीधे सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि उनके उत्तर के बाद मुझे और अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि वे जरा थोड़ा खोलकर उत्तर दें जिससे जो गलत धारणा बनी हुई है वह दूर हो सके। हम उनसे :

(क) उत्तर के मद 3 और 4 के बारे में स्पष्टीकरण चाहेंगे। मद 3 में उन्होंने बताया है कि :

> "31-3-1982 तक परियोजना पर 11,87 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका था जिसमें विदेशी फर्म को दिया गया 61.95 लाख रुपया (जो कि 7,50,000 अमरीकी डालकर के बराबर है) शामिल है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतना खर्च करने के बाद वही करार बना हुआ है और क्या हम हैलिकाप्टर का नमूना बना पायेंगे। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मद 4 में कहा है :

"समसामयिक टेक्नोलॉजी से युक्त एडवांस्ड लाइट हैलीकाप्टर के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।"

ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं क्योंकि एक ओर तो यह कहा गया है कि इतना खर्च किया गया है और यदि करार जारी है तो उसी प्रकार के हैलीकाप्टरों के लिये अन्य सहयोगकर्ताओं का पता लगाने की क्या आवश्यकता है। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

तीसरी बात यह है कि 'स्निआस' (एस० एन० आई० ए० एस०) के साथ करार करते हुए उस फर्म की तकनीकी क्षमता का पता लगा लिया गया था या नहीं क्योंकि यह कहा जाता है कि इस फर्म से बेहतर क्षमता वाली कम्पनियां हैं और उस समय विश्वव्यापी निविदाओं या सहयोग के बारे में नहीं सोचा गया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

क्या वे चेतक के निर्माताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पिछले समझौता द्वारा बन्धे हुये थे ? यदि सरकार इस प्रकार के हैलीकाप्टर को प्राप्त करना नहीं चाहती तो, क्या भारत सरकार का विचार हमारे पड़ोसी देश के पास जो एक्सोसेट अर्थात ए० एस० एम० है उसके मुकाबले का हैलीकाप्टर प्राप्त करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं माननीय सदस्य को उनके 9.7.82 के प्रश्न संख्या 353 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से उत्पन्न इस आधे घंटे की चर्चा को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं। यदि आप कृपा करके मेरे साथ सहमत हों, तो इस आधे घंटे की चर्चा को उठाने के लिए 8 बातें हैं। ये बातें निम्नलिखित हैं :

1. सरकार को इस परियोजना पर कुल कितना व्यय करना पड़ा था ?

2. 31.3.1982 तक इस परियोजना पर 11.87 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

3. 1970, 1971 और 1972-73 में इस राशि में से कितना खर्च हुआ था ?

4. भाग (च) का उत्तर नहीं दिया गया है और इस बात का भी स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या इस परियोजना की स्थापना विदेशी सहयोग अथवा विदेशी आर्थिक सहायता से की गई थी।

5. अब तक 11.87 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका क्या परिणाम निकला।

6. सम्बन्धित विदेशी फर्म कौन सी है, उनके साथ क्या शर्तें हैं और क्या उन्होंने इस परियोजना में विलम्ब के लिए कोई शुल्क वसूल किया है ?

7. उत्तर में यह भी नहीं बताया गया है कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी।

8. (क) से (च) भागों का उत्तर पृथक-पृथक नहीं दिया गया है और उन्हें मिला दिया गया है और भ्रम पैदा कर दिया गया है। मूल प्रश्न यह था :

"(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में हिन्दुतान एरोनोटिक्स लिमिटेड में एक हैलीकाप्टर के प्रोटोटाइप का डिजाजन तैयार करने और उनका उत्पादन करने हेतु, एक विदेशी धर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते के अनुसार इसे वर्ष 1980 में तैयार हो जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या शास्त्र हैलीकाप्टर योजना सफल नहीं हो सकी है;

(घ) क्या यह भी सच है इस पर करोड़ों रुपया पहले ही खर्च हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके असफल होने के मुख्य कारण क्या हैं और सशस्त्र हैलीकाप्टर, जिसकी भारतीय वायु सेना को बहुत शीघ्र जरूरत है, को तैयार करने के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है; और

(च) सरकार ने वर्ष 1970 से विदेशी फर्म को कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?"

इसका उत्तर क, ख, ग, घ की बजाये विवरण में दिया गया था क्योंकि उनमें से कुछ प्रश्न तो परस्पर विरोधी और उनमें से कुछ पूरक थे। विवरण को सभा पटल पर रखा गया था। ऐसा कोई इरादा नहीं था, जैसा कि माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है, कि यह एक अतारांकित प्रश्न है, कोई भी बात उत्तर के लिए काम दे सकती है। हम रक्षा मंत्रालय में उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। उत्तर यह दिया गया था :

"भारत में एक हैलीकाप्टर डिजाइन संगठन का सृजन तथा विकास करने के लिए और एलोटी तीन तथा एस० ए०-315 के उत्तरवर्ती के रूप में डिजाइन करने, विकास करने तथा उत्पादन करने के लिए फ्रांस की एरोस्फेशियेट के साथ सितम्बर, 1970 में एक 10 वर्षीय डिजाइन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। विकास की गति को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि हैलीकाप्टर का उत्पादन 10 वर्षों के भीतर शुरू किया जा सके।

2. 1971 संघर्ष के परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय दबावों के कारण, इस परि-योजना को कम प्राथमिकता दी गई थी। इस परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति फरवरी, 1976 में प्रदान की गई थी जबकि 41.05 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद वायुसेना कर्मचारियों की आवश्यकता की पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि एकल इन्जन के स्थान पर एक दोहरा इंजन विन्यास को प्रयोग में लाया जाये। इससे परियोजना में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी।

3. इस परियोजना पर 31.3.1982 तक 11.87 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था जिसमें इस विदेशी फर्म को भुगतान किया गया 61.95 लाख रुपया शामिल है (जो 7,50,000 अमरीकी डालर के बराबर है)।

4. समसामयिक टेक्नोलाजी से युक्त एडवांस्ड लाइट हेलिकाप्टर के डिजायन, विकास और निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इससे (क) से (च) की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर मिल जाता है।

अत:, माननीय सदस्य द्वारा और प्रश्न पूछे गये हैं जिनमें उन्होंने विशेष रूप से उत्तरों के मुद्दे 3 तथा 4 का उल्लेख किया है और उन्होंने एयरोनाटिक्स समिति के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं, इस प्रश्न का उत्तर कि क्या अधिक धन उपलब्ध किया जा सका है, कि अन्तर-सेवा तकनीकी दल ने इस पर विचार नहीं किया था, कि दो अनभिज्ञ संगठन, अर्थात विदेशी फर्म तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कुछ भी उत्पादन न करने के लिए मिल गये थे और कि सहयोग तो उपलब्ध थे, जिनका हमने लाभ नहीं उठाया था।

चूंकि उन्होंने 1969 की एयरोनाटिक्स समिति, अर्थात सुब्रह्मण्यम समिति का हवाला दिया है, इसलिए मैं यह कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि उस समय 1970 में उसी एयरोनाटिक्स समिति ने कहा था कि सूद एवियेशन, जो बाद में बदल कर सिनियाज बन गई थी, के साथ सहयोग करने के सिवाये कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं आपकी अनुमति से एयरोनाटिक्स समिति के प्रतिवेदन के पैरा 6.1 को उद्धृत करना चाहूंगा :

> "सूद एवियेशन द्वारा प्रस्तावित सहयोग योजना स्पष्ट रूप से आकर्षक है। शर्तों के बारे में सरकार द्वारा आगे बातचीत की जायेगी हैलीकाप्टर के डिजाइन के बारे में सूद एवियेशन के साथ सहयोग के सिवाये कोई विकल्प नहीं है।"

यह सहयोग 1969 की सुब्रह्मण्यम समिति से है और यह उसी फर्म के साथ सरकार द्वारा समझौते किये जाने से पूर्व कहा गया था।

मैं यह बताना चाहूंगा कि 1962 से ही प्रसिद्ध चीता और चेतक के सम्बन्ध में एयरोस्पेशियन के साथ समझौते रहे हैं। ये हेलीकाप्टर भारतीय वायु सेना और नौ सेना के पास हैं, ये सैकड़ों की तादाद में हैं और इसी सहयोग के समझौते द्वारा उनका निर्माण किया गया है। इसलिए ये दोनों अज्ञात संगठन या सहयोगी, अर्थात हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० और यही फर्म, जिनके उल्लेख किया गया है, ने सैकड़ों हैलीकाप्टरों का निर्माण किया है। सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से मैं इनके सही आंकड़े नहीं दूंगा, ये हैलीकाप्टर सेवा में हैं और ये काफी लम्बी अवधि तक सेवा में रहेंगे।

उन्होंने यह बात भी कही थी कि अन्तर सेवा तकनीकी दल से परामर्श नहीं किया गया। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अन्तर-सेवा तकनीकी दल ने 1974 में समूचे मामले पर गौर किया था। अरब-इजराइल युद्ध, 1975 पोम्कीपुर और 1973 के अमरीकी वियतनाम की लड़ाई के बाद इसकी समीक्षा की गई थी। जब हैलीकाप्टरों की चलन सीमा के परिणाम सामने आए, तो इस हैलीकाप्टर को एक इंजन से बदल कर दो इंजन वाला बना दिया गया, इसी कारण देरी हुई। शत्रुतापूर्ण रवैये और देश की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सशस्त्र सेनाओं ने समझदारी से यह समझौता करना उचित समझा और उस समय हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० के अधिकारियों का भी यही मत था। 1974 में ही हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ने यह सुझाव दिया था कि दो इंजनों वाला हैलीकाप्टर होना चाहिए, जिसकी 1977 में वायु सेना मुख्यालय ने पुष्टि कर दी। इसलिए, किसी भी अवस्था में कोई भी कार्यवाही सेनाओं के विचार विमर्श के बिना या वास्तविकताओं

को ध्यान में रखे बिना या उस समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना या भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना नहीं की गई ।

अब, महोदय, उसे दिए गये मुद्दे 3 और 4 के उत्तर के सम्बन्ध में, जिसका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, एक बात सीनियाज की तकनीकी सक्षमता के बारे में है जिसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने पहले ही बहुत से हैलीकाप्टरों का निर्माण कर लिया है जो सेवा में हैं और रहेंगे । इसलिए उनके सम्बन्ध में कोई शक नहीं है और जैसाकि वैमानिकी समिति ने सिफारिश की थी, उस समय इस सहयोग के सिवा कोई विकल्प नहीं था । इसलिए हमने सीनियाज के साथ सहयोग किया था । इस समय कोई बन्धन नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या इस ठेके की कभी समीक्षा की गई है ?

श्री के० पी० सिंह देव : हमने 1980 में इस ठेके को इसी कारण से और आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमने भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था और हम समझौता बनाए रखना चाहते थे, यद्यपि समझौते के अनुसार हम इसे 2 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा सकते थे ।

श्री बी० वी० देसाई : अब यह कालातीत हो गया है और आप इसके बेहतर विकल्प की तलाश में हैं । क्या मैं ठीक कह रहा हूं ।

श्री के० पी० सिंह देव : इस समय हमारे पास जो हैलीकाप्टर हैं उनकी अब भी सम्भावित आयु है और वे आगे लाभकारी सेवा कर सकते हैं । मैं सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि ये हैलीकाप्टर पुराने हैं ।

श्री बी० वी० देसाई : मेरा अभिप्राय तकनीकी से है ।

श्री के० पी० सिंह देव : तकनीकी सापेक्ष शब्द है क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताओं के बदलने, भू-युद्धनीति और देश के राजनैतिक वातावरण, प्रत्यक्ष खतरे जिसे हम रोक नहीं सकते, न ही उस पर हमारा कोई नियंत्रण होता है, के अनुसार बदलती रहती है । इसलिए, जब भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो रक्षा सेवाएं···

उपाध्यक्ष महोदय : तकनीक स्थिर नहीं रहती, इसमें सुधार होता रहता है ।

श्री के० पी० सिंह देव : आवश्यकताओं और इसमें परिवर्तन करने और आन्ध्र निवारण के सुझावों, जो इन हैलीकाप्टरों में किये जा रहे हैं जो इस समय सेवा में हैं और जिन्हें भविष्य में लिया जाएगा, की समीक्षा करते समय···

श्री बी० वी० देसाई : क्या इस एक्सोसेट का कोई विकल्प होगा ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य को इस मामलों की बहुत जानकारी है क्योंकि वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका हैलीकाप्टरों से कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे खुशी है कि वे इस विषय में रुचि रखते हैं । परन्तु ये हैलीकाप्टर किसी निश्चित वातावरण के लिए, कुछ निश्चित आवश्यकताओं के लिए हैं और बड़े हथियारों की निर्माता महाशक्तियों के पास भी ऐसे हैलीकाप्टर, उपस्कर नहीं हैं जो सभी मौसमों या सभी आवश्यकताओं के लिए जरूरी हैं । प्रत्येक, उपस्कर अपना कार्य करता है और आवश्यकताओं की कड़ी में इसका एक विशेष स्थान होता है ।

महोदय, मैं अपने कथन को ठीक करना चाहूंगा कि दो इंजन वाले हैलीकाप्टर का निर्णय कार्य 1977 में किया गया था न कि 1974 में यह बात मुंह से निकल गई।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है क्योंकि वे संतुष्ट हो गए लगते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : इस सम्बन्ध में केवल एक चीज थी वह यह है कि सोनियाज के साथ सहयोग डिजाइन और विकास के लिये किया गया था, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम इस समझौते से बध हुये हैं क्योंकि दो-इंजनों में बदलने के कारण यह करार तो उससे बिल्कुल ही भिन्न है। अत: हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं तथा हम उन अन्य पार्टियों संगठनों पर भी विचार कर रहे हैं जिनके पास आधुनिक तकनीक है और जिनके पास कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण की सुविधाएं हैं तथा इस प्रकार हम किसी एक पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने किसी प्रश्न में एक्जोसेट के बारे में पूछा था। उसका इससे कोई सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर अनुपस्थित हैं। अब श्री के० एम० मधुकर बोल सकते हैं। आप सीधा प्रश्न करें। ये सब बड़े तकनीकी मामले हैं।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि टेक्नोलाजी ऐसी चीज है, जिसका बराबर विकास होता रहता है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। क्या आपके डिफेन्स डिपार्टमेंट ने इस बात का गौर किया है या नहीं कि हैलीकोप्टर के सम्बन्ध में लेटेस्ट टेक्नोलाजी का डेवलपमेंट हुआ है ?

अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिये हैं जिसकी चर्चा इस सदन में और बाहर भी होती है, उसी सन्दर्भ में आपने उसे दृष्टि में रखकर यह समझौता किया या नहीं ? इस समझौते से क्या यह सम्भावना पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रांस नाटो का एक पार्ट है, अमेरिका ने पाकिस्तान को तमाम हथियार दिये हैं जिसमें हैलीकोप्टर भी शामिल हैं, तो उससे आपकी सुरक्षा का भेद खुल जाने की सम्भावना है ?

क्या इस डील करने के पीछे कोई मोटिव थे ? 1974 में एक रिपोर्ट आई, फिर 1978 में एक्सपर्ट कमेटी की राय जानी गई, आज 1982 है, 4 बरस गुजर गये हैं, इस समय भी क्या उस डील को जारी रखने की आवश्यकता है या और खोज करने की आवश्यकता है ?

पूरे विश्व के पैमाने पर टेंडर क्यों नहीं मांगे गये ? क्या इस बात में सत्यता है कि आपने उस बात का गम्भीरता से अध्ययन नहीं किया ? फ्रांस की जिस फर्म से समझौता किया फर्म उसको बराबर टालती गई। भारत सरकार इस बात के लिए तैयार है कि नहीं कि आगे खोजबीन की जाये ताकि हमारा देश हैलीकोप्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जिसमें माडर्न टेक्नोलाजी भी हो क्योंकि पाकिस्तान का खतरा है इसलिये उसके मुकाबले की हममें क्षमता हो ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने इस चर्चा को उठाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने मन्त्री जी का ध्यान लड़ाकू हैलीकोप्टर के माध्यम से खींचकर पूरे देश की रक्षा के दायित्व की ओर खींचा है। स्वाभाविक है कि हिन्दुस्तान में जो

लड़ाकू विमान हैं, उसमें रक्षा मन्त्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। रक्षा हमारे देश के लिये उतनी ही प्यारी है, जितनी हमारी जान प्यारी है, उस पर देश का भविष्य और सारी प्रतिष्ठा लगी रहती है। ऐसी स्थिति में मेरे साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।

अभी अगर हम मन्त्री जी से पूछेंगे कि हमारे देश में कितने तरह के लड़ाकू विमान हैं तो वह जवाब दे देंगे कि सुरक्षा के लिये इस बात का खोलना उचित नहीं है। मैं उनसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन कम से कम वह इतना तो बतला सकते हैं कि आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, किसी भी समय कोई भी घटना, दुर्घटना हो सकती है, उसमें हमारा देश विमान के मामले में स्वावलम्बी है या नहीं ? किसी भी मुकाबले के लिये हम तैयार हैं या नहीं ?

हम विपक्ष के लोग रोज यह कहते रहते हैं कि टेक्नोलाजी और सोफिस्टिकेटेड हथियार इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि 1980 में जो टेक्नोलाजी तैयार होती है वह 1982 में फेल हो जाती है और 1982 की टेक्नोलाजी 1983 में इन्वेलिड हो जाती है। आज ऐसे मिजाइल्स बन रहे हैं कि हिन्दमहासागर में बैठकर हमको नष्ट किया जा सकता है, इस मामले में हम कितना कंपीट कर रहे हैं ? उस दौड़ में हम कितना कम्पीट कर रहे हैं ? माननीय सदस्य, श्री मधुकर, ने आत्म-निर्भरता की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि हम आत्म-निर्भरता की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैंने इस सदन में सुब्रह्मण्यम कमेटी के सम्बन्ध में कई बार चर्चा की है। आज सौभाग्य से श्री देव ने स्वयं उसकी चर्चा की है। मन्त्री महोदय विस्तार से बतायें कि सुब्रह्मण्यम कमेटी ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और सरकार उसकी रिपोर्ट से कितना सहमत हो पाई है ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं इन प्रश्नों को पूछने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं श्री मधुकर द्वारा उठाए गए सारे प्रश्नों को समझ नहीं पाया हूं परन्तु उनके तथा श्री पासवान द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे को, जो कि प्राय: समान समझा है, उन्होंने सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट आत्म निर्भरता, उपकरणों के पुराना पड़ने और पाकिस्तान द्वारा उन्नत शस्त्र तथा उपकरण जमा करने का उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि फ्रांस नाटो का सदस्य है, हम उस पर निर्भर क्यों रहें ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, आप हिन्दी समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी की मदद कर रहा हूं। उत्तर देने या मना करने का काम उन्हीं का है। मैं केवल उनकी मदद कर रहा हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : हमें इस मामले में फ्रांस या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सर्वप्रथम, एयरोनॉटिक्स समिति अर्थात् सुब्रह्मण्यम समिति ने इस देश में हैलिकोप्टर के उत्पादन में डिजायन तथा विकास में क्षमता विकसित करने की महत्ता पर जोर दिया था। इसी आधार पर 1970 में समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में तथा माननीय सदस्य श्री बी० वी० देसाई को दिये गए उत्तर में कहा कि यह सहयोग समझौता किसी विशेष प्रकार के हैलिकोप्टर के लिए नहीं था बल्कि तकनीकी क्षमता विकसित करने के लिये तथा

भारत में डिजाइन क्षमता स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए था जिससे हम स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्भरता हासिल करने की स्थिति में हों। हम किसी एक पार्टी या देश से बन्धे हुए नहीं हैं। हम विभिन्न देशों तथा विभिन्न पार्टियों का मूल्यांकन कर रहे हैं जिन्होंने हैलिकोप्टर बनाने में अलग-अलग दक्षता प्राप्त की है। केवल यही बात नहीं है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, लाइसेंस के अन्तर्गत सैकड़ों हैलिकोप्टर इस देश में बनाए गए हैं, जिससे हमारे तकनीकी विशेषज्ञों तथा एयरोनाटिकल इंजीनियरों को डिजाइन तथा विकास में क्षमता के विकास के साथ-साथ देशी क्षमता का विकास करने का अवसर मिल सके।

जहां तक उपकरणों के पुराना पड़ने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पुराना पड़ने की गति अत्यन्त तीव्र है और इसलिए हमारा सेना मुख्यालय अपनी सैनिक जरूरतों के लिए सरकार तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, जो कि एक उत्पादन इकाई है, के सामने इन सब तथ्यों अर्थात पुराना पड़ने तथा भविष्य की जरूरतों तथा युद्ध की आशंका को रखता है। वे निर्माण एजेन्सी से अपने लिए आवश्यक उपकरण के उत्पादन या निर्माण की मांग करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं।

जहां तक उन्नत उपकरणों के कारण पाकिस्तान से उत्पन्न हुए खतरे का सम्बन्ध है—जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री कमला मिश्र मधुकर ने किया है—सरकार सदैव न केवल पाकिस्तान को ही बल्कि अपने देश के आसपास राजनैतिक वातावरण को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से हमेशा ध्यान में रखती है। अतएव शस्त्रों के विकास या वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है और रक्षा योजना, रक्षा तैयारियों, सशस्त्र सेनाओं में शामिल किए जाने वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

6.05 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा, सोमवार, 2 अगस्त, 1982/11 श्रावण, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मोजपुर, दिल्ली—153